अध्याय–4

विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनःस्थापन और पुनर्वास

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 स्वतंत्रता–प्राप्ति के साथ ही, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास की गति को बढ़ाने की जरूरत पर बल पड़ना शुरू हो गया। फलस्वरूप, जनजातीय इलाकों में बांधों के निर्माण, हाइडल परियोजनाओं, उद्योगों, खानों के लिए विभिन्न जगहों पर भूमि प्राप्त करने हेतु दबाव बढ़ना शुरू हुआ तथा इन कार्यों के लिए भूमि का बड़ा भाग जनजातीय लोगों को ही मुहैया करना पड़ा। इसका सीधा सा कारण यह था कि नैसर्गिक संयोग से जनजातीय लोग खनिज संसाधनों के भण्डारों पर विराजमान थे और विशाल सिंचाई और ऊर्जा क्षमता से परिपूर्ण जलधाराओं और नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में रह रहे थे। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत उनकी भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, जनजाति–आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा विस्थापित हो गया और वे अपने घरों के साथ–साथ अपने जीविका–साधनों से भी वंचित हो गए। चूंकि जनजाति–भूमि का अधिग्रहण "लोक प्रयोजन" के लिए है (जैसाकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में निर्धारित है), इसलिए ऐसे अधिग्रहणों के औचित्य पर प्रश्नचिह्न लगाना उचित नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा करते समय सरकार ऐसे अधिग्रहण के परिणामों को भोगने वाले लोगों को पहुंचे आघात को अनदेखा नहीं कर सकती। अतः, इस प्रक्रिया की वजह से विस्थापित होने वाले लोगों को राहत देने, उनके पुनःस्थापन एवं पुनर्वास के लिए मार्ग–निर्देश निर्धारित करना आवश्यक है।

4.1.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2000–01 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में राय दी थी कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनःस्थापन और पुनर्वास को भूमि अधिग्रहण अधिनियम का ही एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए अथवा इस प्रयोजन के एक अलग उपयुक्त विधान बनाया जाना चाहिए। उस आयोग ने यह भी कहा था कि ऐसा कदम उठाना इसलिए भी आवश्यक है कि पुनर्वास और पुनःस्थापन पैकेज को कानून में समाविष्ट करने से प्रभावित लोगों का व्यवस्थित ढंग से पुनर्वास और पुनःस्थापन सुनिश्चित होगा, मुकदमेबाजी से बचने, परियोजना लागत को कम करने तथा लागत को अत्यधिक बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। **यह आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ सहमत हुए, सिफारिश करता है कि एक उपयुक्त केन्द्रीय विधान या तो अलग से या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के एक भाग के रूप में बनाया जाए, ताकि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित होने वाले संभावित व्यक्तियों का सुव्यवस्थित पुनःस्थापन और पुनर्वास हो सके। इससे सभी राज्य सरकारों द्वारा एक–समान पुनःस्थापन और पुनर्वास पैकेज को अपनाना सुनिश्चित हो जाएगा।**

4.1.3 आयोग यह भी सिफारिश करता है कि केन्द्रीय विधान बनने और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ही विधान बनाए जाने तक राज्य सरकारों को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि पुनःस्थापन और पुनर्वास के पैकेजों में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह व्यवस्था होनी चाहिए कि:

(i) विस्थापित व्यक्तियों को भूमि के बदले भूमि दी जाए जिसकी गुणवत्ता और कानूनी स्थिति वैसी ही होनी चाहिए जैसीकि उस भूमि की थी, जो पहले उनके पास थी, ताकि वे अपनी वर्तमान जरूरतों और भावी विकास का ध्यान रख सकें। यदि प्रभावित व्यक्ति नकद अथवा वस्तु के रूप में क्षतिपूर्ति चाहते हों तो उनकी क्षतिपूर्ति, उपयुक्त गारन्टियों के साथ, उसी प्रकार की जानी चाहिए।

(ii) विस्थापित जनजातीय परिवारों के सभी सदस्यों के लिए स्थायी जीविका सुनिश्चित करने के लिए उस परिवार के प्रत्येक वयस्क को नई आबादी में 5 एकड़ सिंचित भूमि आबंटित की जानी चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक परिवार के सभी आबंटितियों को एक ही स्थान पर भूमि दी जाए।

4.1.4 आयोग ने देखा है कि विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनःस्थापन और पुनर्वास से सम्बन्धित मुद्दों पर सम्बन्धित राज्य सरकारें जनजातीय भूमियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद विचार करती हैं और इससे कई समस्याएं जन्म लेती हैं और इसके फलस्वरूप, जनजातीय भूमि से बेदखल किए गए लोगों में अत्यधिक असन्तोष की भावना पनपती है। **अतः आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी जाए किः**

(i) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन जनजातीय लोगों के, जिन्हें उनकी भूमि से विस्थापित किए जाने की संभावना हो, पुनःस्थापन और पुनर्वास की ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए, जिससे वे सन्तुष्ट हों।

(ii) प्राप्त की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति की दर अधिग्रहण के समय भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाए न कि उस क्षेत्र की भूमियों की पुरानी रजिस्ट्रियों की लेनदेन दरों पर, जो कई वर्ष पहले हुई हों। क्षतिपूर्ति दरों का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाने वाला एक अन्य तथ्य यह है कि कृषि भूमि का अधिग्रहण औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए किया जा रहा था। अतः, भूमि की लागत बहुत अधिक होगी और इसलिए क्षतिपूर्ति की दरों का निर्धारण करने के लिए भूमि के इस वर्धित मूल्य को ध्यान में रखा जाए।

(iii) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जनजाति भूमि का अधिग्रहण करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि जनजातीय परिवारों का संभावित विस्थापन कम से कम हो और जहां विस्थापन अपरिहार्य हो, वहां राज्य सरकारें पुनःस्थापन और पुनर्वास नीतियां बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि विस्थापित जनजातीय परिवारों को उन जनजातीय पट्टियों में ही पुनःस्थापित किया जाए जहां अन्य जनजातीय समुदाय रह रहे हों ताकि उनकी सांस्कृतिक विरासत को बचाया जा सके।

(iv) इस उद्देश्य से उपयुक्त हिदायतें जारी करें कि उद्योगों के मालिक प्रभावित जनजातीय परिवारों (अर्थात् जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है) के सदस्यों को चाय की दुकानें, नाश्ता बार चलाने, औद्योगिक संयंत्रों, आदि के परिसरों में कैंटीनें चलाने के लिए लाइसेंस देने में तरजीह देंगे।

(v) नए अधिग्रहण किए गए क्षेत्रों में उभरते हुए उद्योगों के लिए अनिवार्य बनाया जाए कि वे क्षतिपूर्ति ओर प्रतिस्थापित भूमि के आबंटन के अतिरिक्त, प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को उचित समयावधि में औद्योगिक/ खनन आदि परियोजनाओं में उपयुक्त नौकरी दी जाएगी।

(vi) यदि विस्थापित जनजातीय परिवार के पास भूमि अधिग्रहण से पहले एक से अधिक गांवों में भूमि थी, तो प्रत्येक गांव में उनकी भूमि के अधिग्रहण के बदले एक–एक व्यक्ति को उपयुक्त नौकरी भी दी जानी चाहिए।

4.1.5 आयोग ने देखा है कि ऐसे बहुत से जनजातीय परिवार हैं, जिन्हें भूमि आबंटित की गई और जिस पर वे अनेक वर्षों से खेती कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें उन भूमियों के पट्टे नहीं दिए गए हैं। आयोग की राय है कि यह अत्यन्त अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा यदि उनके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं किया जाता, जैसाकि उन लोगों के साथ किया गया है, जिनके पास उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान के प्रयोजन से उन्हें आबंटित की गई भूमि के पट्टे हैं। **तदनुसार, आयोग पुरजोर सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए कि उन जनजातीय परिवारों को, जिन्हें भूमि आबंटित की गई है और वे उस भूमि पर विगत कई वर्षों से अर्थात् 10 वर्ष अथवा उससे भी अधिक वर्षों से खेती कर रहे हैं और उसके लिए उन जनजातीय परिवारों को पट्टे नहीं दिए गए हैं, तो उन्हें पट्टा–धारकों अथवा उनके समान माना जाए,** जिनके पास विकास के प्रयोजनार्थ प्राप्त की जाने वाली उनकी भूमि की क्षतिपूर्ति की अदायगी के प्रयोजन हेतु पैतृक भू–सम्पत्तियां हैं।

4.2 आन्ध्र प्रदेश में पोलावरम और पुलिचिंताला सिंचाई परियोजनाएं

4.2.1 आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम और पुलिचिंताला में अनुसूचित क्षेत्रों वाले कई जिलों में फैली तथा उन जिलों में बहुत बड़े जनजातीय जनसमुदाय को प्रभावित करने वाली दो सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दे दी थी। आयोग ने इन दो परियोजनाओं के द्वारा विस्थापित अथवा विस्थापित किए जाने वाले जनजातीय व्यक्तियों को राहत देने, उनको पुनःस्थापित करने एवं बसाने संबंधी नीति के विशेष संदर्भ में, राज्य सरकार के प्रस्ताव का अवलोकन करने का निर्णय लिया था। आयोग के सदस्य, श्री बुदुरु श्रीनिवासुलु ने 13 नवम्बर से 17 नवम्बर 2005 तक आन्ध्र प्रदेश राज्य का दौरा किया। 17 नवम्बर, 2005 को माननीय सदस्य ने प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं के प्रभाव के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग और जनजाति कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया।

4.2.2 माननीय सदस्य ने आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंदिरा सागर (पोलावरम) परियोजना कुल 298 बस्तियों को प्रभावित करेगी, जिनमें से 276 आन्ध्र प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़ और 18 उड़ीसा में हैं। इन परियोजनाओं द्वारा कुल अनुमानतः 47,911 परिवार प्रभावित होंगे, जिनमें से 44,574 परिवार आन्ध्र प्रदेश में, 2335 छत्तीसगढ़ में और 1002 उड़ीसा में हैं। इनमें से आन्ध्र प्रदेश में 21,109, छत्तीसगढ़ में 1294 और उड़ीसा में 913 अनुसूचित जनजाति परिवार प्रभावित होंगे। प्रतिशतता के रूप में 48.67 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवार प्रभावित होंगे। जहां तक पुलिचिंताला परियोजना का सम्बन्ध है, इससे कुल 6,058 परिवार प्रभावित होंगे और इनमें से 778 अनुसूचित जनजाति परिवार हैं, अर्थात् कुल प्रभावित परिवारों में से 13 प्रतिशत परिवार। रिपोर्ट में आगे यह कहा गया है कि सिंचाई विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने बताया था कि राज्य सरकार ने अपनी पुनःस्थापन और पुनर्वास नीति, 2005 के अन्तर्गत, जो राष्ट्रीय पुनःस्थापन और पुनर्वास नीति, 2003 के द्वारा प्रस्तुत किए गए पैकेज की तुलना में बेहतर पैकेज प्रस्तुत करती है, परियोजना प्रभावित परिवारों (पी.ए.एफ.)/ परियोजना विस्थापित व्यक्तियों (पी.डी.पी.) के लिए व्यापक राहत पैकेज तैयार किया गया है।

4.2.3 राज्य सरकार द्वारा माननीय सदस्य को दिए गए कागजात दर्शाते हैं कि इंदिरा सागर (पोलावरम) परियोजना (गोदावारी नदी पर) की परिकल्पना बहुद्देश्यीय परियोजना के रूप में की गई है, जिससे पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, पूर्वी गोदावरी और विशाखापट्टनम जिलों के ऊपरी इलाकों में 2. 91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लाभ मिलेंगे और मार्ग में पड़ने वाले नगरों और गांवों को घरेलू पानी की आपूर्ति के अलावा विशाखापट्टनम टाउनशिप एवं इस्पात संयंत्र में उद्योगों के लिए जलापूर्ति होगी तथा 960 मेगावाट स्थापित क्षमता वाली हाइडल ऊर्जा का सृजन होगा, मत्स्यपालन का विकास होगा और मनोरंजन सुविधाएं मुहैया होंगी तथा इससे गोदावरी के 2,266 टी.एम. क्यूमेक्स (80 टी.एम. सी.) जल को कृष्णा नदी में डाला जाएगा। पुलिचिंताला परियोजना को नागार्जुन सागर और प्रकाशम बैराज के बीच कृष्णा नदी पर निर्मित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृष्णा डेल्टा पर उन किसानों को दीर्घकालिक राहत देना है, जो प्रकाशम बैराज से, विशेषकर प्रतिरोपण अवधि, अर्थात् प्रत्येक वर्ष जून और जुलाई के महीनों में कम जलापूर्ति होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों के ऊपरी खण्डों में कृष्णा नदी की ऐसी ही परियोजनाओं के तहत कमान क्षेत्र के तीव्र विकास के कारण ऐसा हो रहा है।

4.3 सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनःस्थापन एवं पुनर्वास

4.3.1 आयोग ने जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वह उसे सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुहैया की गई राहत और उनके पुनर्वास की वर्तमान स्थिति से अवगत कराए। इस परियोजना से बेदखल हुए लोगों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भेजे गए संक्षिप्त विवरण से, अन्य बातों के साथ–साथ, यह पता चलता है कि सरदार सरोवर परियोजना भारत में सबसे बड़ी बहुद्देश्यीय और अन्तर्राज्यीय संयुक्त जल संसाधन

विकास परियोजनाओं में से एक है। यह नर्मदा नदी पर टर्मिनल परियोजना है, जिसका बांध गुजरात में अवस्थित है। अन्तर्राज्यीय परियोजना होने के कारण सभी चारों राज्य, अर्थात् गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.टी.) के अधिनिर्णय के उपबन्धों के अनुसार इसके लाभों और लागत को बांट रहे हैं। बांध की ऊंचाई औसत नदी तल स्तर से ऊपर 122 मीटर है। 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन दाएं किनारे पर भूमिगत अवस्थित रिवर बेड (नदी तल) पावर हाउस और केनाल हैड पावर हाउस से किया जाएगा, जिसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में 57:27:16 के अनुपात से बांटा जाएगा। गुजरात के कुल 45 लाख आबादी वाले 12 जिलों, 62 तालुकाओं, जिनमें 339 गांव शामिल हैं, में फैली 17.92 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस परियोजना से राजस्थान के जालौर और बाडमेर जिलों के करीब 2.51 लाख हेक्टेयर बारानी क्षेत्र को भी सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होंगी। इससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाह्य क्षेत्रों में भूगत जल की उपलब्धता में वृद्धि होगी, जिससे बाह्य क्षेत्रों के जलाशयों के आस–पास लिफ्ट सिंचाई की सुविधाओं में सुधार होगा

4.3.2 प्रभावित भूमिः कुल आप्लावित क्षेत्र लगभग 37533 हेक्टेयर है, जो तीन राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, में अर्थात् गुजरात में 7112 हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 9599 हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 20822 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। आप्लावन के तहत आने वाली विभिन्न श्रेणियों की भूमि की राज्य–वार जानकारी नीचे दी गई हैः

क्रम संख्या	भूमि की किस्म	राज्य			जोड़
1.	कृष्ट (कल्टीवेटिड भूमि)	1877	1519	7883	11279
2.	वन भूमि	4166	6488	2731	13385
3.	नदी तल सहित अन्य भूमि	1069	1592	10208	12869
	कुल भूमि	7112	9599	20822*	**37533**

* मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फील्ड स्तर पर जांच के बाद कुछ हद तक परिवर्तन हो सकता है।

4.3.3 प्रभावित गांव और परिवारः इस परियोजना से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के 244 गांव प्रभावित होंगे। इन 244 गांवों में से केवल 4 गांव पूरी तरह से आप्लावित होंगे, जिनमें मध्य प्रदेश का रोहाना गांव और गुजरात के गधेड़ वडगाम और मोखाड़ी गांव शामिल हैं। शेष गांव आंशिक रूप से जलमग्न होने वाले गांव हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गांव जलाशय के बनने और अप्रवाही जल दोनों के कारण प्रभावित हो रहे हैं तथा बांध की पूर्ण ऊंचाई (एफ.आर.एल. ई.एल. 455 फुट) पर जल आप्लावन और बैक वाटर प्रभाव की वजह से लगभग 51,447 परिवार इस प्रकार प्रभावित होंगे मानों एक वर्ष में 100 वर्षों की बाढ़ आ गई हो, प्रभावित गांवों का राज्य–वार ब्यौरा और प्रभावित परिवारों की राज्य–वार संख्या नीचे दी गई हैः

राज्य	प्रभावित गांव			वयस्क बेटों और बेटियों सहित पुनः बसाए जाने वाले परिवार
	पूर्ण	आंशिक	जोड़	
मध्य प्रदेश	1	191	192	43021
महाराष्ट्र	–	33	33	3698
गुजरात	3	16	19	4728
जोड़	**4**	**240**	**244**	**51447**

4.3.4 प्रभावित जनजाति आबादीः प्रभावित होने वाले लोगों में अनुसूचित जनजाति लोगों की प्रतिशतता बहुत अधिक है, जो महाराष्ट्र में 100 प्रतिशत और गुजरात में 97.4 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 29 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 12 प्रतिशत है। चूंकि विस्थापित लोगों में जनजातियों का अनुपात बहुत अधिक है, इसलिए पुनःस्थापन और पुनर्वास कार्यक्रम बनाते एवं प्रस्तुत करते समय जनजातीय संस्कृति, उनकी जीवनशैली और

परम्पराओं को बचाने के लिए अत्यन्त सावधानी बरतने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जनजातीय लोग "भिलाला" और "भील" हैं और महाराष्ट्र में मुख्यतः "टाडवी" और "वसावा" समूहों से सम्बन्ध रखते हैं तथा गुजरात में ताडवी, रथ्वा, डुंगरीभील, वसावा और नायक समूहों के हैं।

4.3.5 **पुनःस्थापन और पुनर्वास के सिद्धान्तः** लोगों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि तथा प्रभावित व्यक्तियों की जीवन दशा में सुधार लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, तीन राज्य सरकारों ने उनके पुनःस्थापन और पुनर्वास हेतु अपनी नीतियां निरूपित एवं घोषित की हैं, जो एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड में परिकल्पित प्रावधानों की तुलना में अधिक उदार हैं। जब भी आवश्यकता होती है, इन नीतियों को समय–समय पर उदार बनाया जाता रहा है। इस उदार नीति के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार अब पी.ए.पी. की सभी श्रेणियों के भूमि से बेदखल हुए प्रत्येक व्यक्ति, वयस्क बेटों और अविवाहित बेटियों को एक हेक्टेयर कृषि भूमि निःशुल्क आबंटित कर रही है और इसके अलावा 4500/ रुपए प्रति पी.ए.पी. की दर से भरण–पोषण भत्ता देती है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में, परियोजना से प्रभावित परिवारों को अधिग्रहण की गई भूमि और मकान की क्षतिपूर्ति अदा की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन कृषि श्रमिकों/ छोटे और सीमान्त किसानों के लिए पुनर्वास अनुदान 11,000 रुपए से बढ़ाकर 18,700 रुपए तथा अन्य श्रमिकों और भूमिहीन परिवारों के लिए 5,500 रुपए से बढ़ाकर 9,350 रुपए कर दिया है। उत्पादक परिसम्पत्तियों की खरीद हेतु भी उदारीकरण किया गया है। तदनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए उत्पादक परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए धनराशि 29,000/– रुपए से बढ़ाकर 49,300/– रुपए तथा अन्य श्रमिकों एवं भूमिहीन परिवारों के लिए यह राशि 19,500/– रुपए से बढ़ाकर 33,150/– रुपए कर दी गई है। जलमग्न गांवों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (टी.आर.वाई.एस.ई.एम.), जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी), खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.) आदि जैसी मौजूदा सरकारी कल्याण स्कीमों के सभी लाभ परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्वास स्थलों पर ही दिए जा रहे हैं। एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के अनुसार पुनर्वास नीति और राज्यों की उदारीकृत नीतियों का विवरण **अनुलग्नक 4.1** में दिया गया है।

4.3.6 जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना से पता चलता है कि गुजरात में परियोजना से प्रभावित 19,875 परिवार हैं, जिनमें से 11,709 परिवारों को पहले ही पुनःस्थापित कर दिया गया है तथा 8,166 परिवारों को अभी बसाया जाना है। महाराष्ट्र में कुल 2,675 परियोजना प्रभावित परिवारों में से 2,501 परिवारों को पहले ही पुनःस्थापित कर दिया गया है तथा 174 परिवारों को अभी पुनःस्थापित किया जाना है। जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, यहां करीब 28,897 परिवारों में से लगभग 18,943 परिवार बसा दिए गए हैं तथा 9954 परिवार अभी बसाए जाने हैं। इस प्रकार, इन सभी तीनों राज्यों के कुल 51,447 परियोजना–प्रभावित परिवारों में से 33,153 परिवार पहले ही पुनःस्थापित कर दिए गए हैं तथा 18,294 परिवार अभी बसाए जाने हैं। ये आंकड़े 31.01.2006 की स्थिति के अनुसार हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 75 प्रतिशत परियोजना–प्रभावित परिवार अनुसूचित जनजातियों के हैं, आयोग परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनःस्थापन की धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता। अतः, आयोग गम्भीर चिन्ता के साथ उल्लेख करता है कि 31.01.2006 की स्थिति के अनुसार, 18,294 परिवार अभी पुनः स्थापित किए जाने हैं।

परियोजना के कारण बेदखल हुए परिवारों के पुनः स्थापन और पुनर्वास से सम्बन्धित मुद्दों का अवलोकन करने और उन पर चर्चा करने के लिए आयोग का इन्दौर और वडोदरा का दौरा

4.3.7 आयोग को सरदार सरोवर परियोजना के कारण बेदखल हुए जनजातीय लोगों से काफी बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें शिकायत की गई है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों ने पुनःस्थापन और पुनर्वास की पर्याप्त और उचित व्यवस्था नहीं की है। श्री कुंवर सिंह, अध्यक्ष और श्री बी. श्रीनिवासुलु, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 10 अप्रैल, 2005 से 13 अप्रैल, 2005 तक मध्य प्रदेश के धार, बड़वानी और झाबुआ जिलों के जनजातीय इलाकों का दौरा किया। वे 13 और 14 अप्रैल, 2005 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के प्रभावित परिवारों

को मिलने और पुनःस्थापन स्थलों को देखने भी गए थे, जहां परियोजना से बेदखल हुए परिवारों को पुनःस्थापित किया गया था अथवा मध्य प्रदेश और गुजरात में पुनःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव था। आयोग ने बड़वानी, धार और झाबुआ जिले के अधिकारियों तथा वडोदरा जिले (गुजरात राज्य) के, जहां मध्य प्रदेश राज्य से बेदखल हुए परिवारों को पुनःस्थापित किया गया था और किए जाने का प्रस्ताव था, जिला प्राधिकारियों के साथ भी इस विषय पर विचार–विमर्श किया। इस दौरे के दौरान नर्मदा घाटी विकास प्राधिकारी (एन.वी.डी.ए.), मध्य प्रदेश के अधिकारी तथा गुजरात राज्य के पुनर्वास आयुक्त भी आयोग के साथ गए थे। स्थल के दौरे से लौटने के बाद, आयोग ने 29 अप्रैल, 2005 को इन्दौर में एन.वी.डी.ए. के प्रतिनिधियों, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश के जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया। विचार–विमर्श के दौरान यह बात सामने आई कि मध्य प्रदेश पुनःस्थापना के मुद्दे में शामिल नहीं था, हालांकि अधिकांश प्रभावित परिवार अनुसूचित जनजाति के थे तथा मध्य प्रदेश में बेदखल हुए कुछ जनजातीय परिवारों को गुजरात में बसाया जा रहा था। अध्यक्ष महोदय ने जनजाति कल्याण विभाग को सलाह दी कि वे जनजातीय परिवारों की जरूरतों और समस्याओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अस्वीकार न करें। एन.वी.डी.ए. के अधिकारियों ने कहा कि जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को एन.वी.डी.ए. में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि जनजाति कल्याण विभाग के लिए अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। अपने दौरे को समाप्त करने के बाद, अध्यक्ष महोदय ने 19 जुलाई, 2005 को मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश को एक पत्र भेजा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित मुद्दों के बारे में यथाशीघ्र कदम उठाने की सलाह दी गई थीः

(i) राज्य सरकारें अधिग्रहण की गई भूमि के लिए नकद मुआवजा, विशेषकर जनजातियों को, देना बंद कर दें। बेदखल किए गए सभी परिवारों को कृषि योग्य भूमि और मकान, प्लाट एवं अन्य अपेक्षित सुविधाएं, जो स्वीकार्य हों, दी जानी चाहिएं।

(ii) इन सभी तीनों राज्यों में मॉजूदा कट–ऑफ तारीख को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए तथा जिस तारीख को वास्तव में पुनर्वास हो, उस तारीख को ही कट–ऑफ तारीख माना जाना चाहिए।

(iii) ग्राम सभा द्वारा पहले से ही पारित संकल्पों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें अमल में लाया जाना चाहिए। संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के विनियमन हेतु किए गए उपबन्धों के अनुसार भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से पहले ग्राम सभा के साथ अवश्य परामर्श किया जाना चाहिए।

(iv) सभी "अघोषित" लेकिन पात्र परिवारों को शीघ्र सूचीबद्ध किया जाना तथा उन्हें उनकी हकदारी दिया जाना जरूरी है महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की ही तरह की एक टास्क फोर्स गठित की जाए ताकि यह निश्चित किया जा सके कि मध्य प्रदेश में कितने परिवार अघोषित हैं, विशेषकर भीतरी आदिवासी गांवों में, जहां पहुंचना बहुत ही दुष्कर है, जहां किसी भी प्रकार की सरकारी सेवाएं नहीं हैं और जहां भूमि के रिकार्ड बहुत पुराने हैं। मध्य प्रदेश की टास्क फोर्स में महाराष्ट्र की टास्क फोर्स की ही भांति सरकारी सदस्यों के साथ–साथ परियोजना द्वारा प्रभावित लोगों के प्रतिनिधि भी होने चाहिएं।

(v) जिन लोगों को पुनः बसाए जाने का दावा किया जाता है, उनकी तथा जिन्हें अभी आबंटित स्थलों पर वास्तव में बसाया जाना है, उनकी एक पूर्ण सूची प्रत्येक प्रभावित जिले में प्रदर्शित की जाए तथा पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार की वेबसाइट पर भी इसे डाला जाए।

(vi) टापू–प्रभावित परिवारों का पता लगाने के लिए यथासम्भव शीघ्र एक निष्पक्ष सर्वेक्षण कराया जाए। उनके पुनर्वास हेतु शीघ्र कार्य शुरू किया जाए और उन्हें पहुंच की उपयुक्त सुविधाएं मुहैया की जाएं और यदि ऐसे परिवारों को पहुंच मुहैया न कराई जा सके तो उन्हें सुरक्षित एवं उपयोगी भूमियों पर बसाया जाए।

(vii) जब तक इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और नीति के अनुसार प्रभावित लोगों को पुनः न बसा दिया जाए तब तक बांध की ऊंचाई न बढ़ाई जाए।

4.3.8 मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखे गए पत्र में, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि उपर्युक्त के अलावा, परियोजना की वजह से बेदखल हुए लोगों की शिकायतों की जांच करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के तहत गठित शिकायत निवारण प्राधिकरण ने भी अपने अधिकारियों में संवेदनशीलता की कमी की वजह से शिकायतों का समय पर निराकरण करने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा, जनजाति कल्याण विभाग को इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, हालांकि अधिकांश प्रभावित परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं तथा जनजातियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जनजाति कल्याण विभाग के एक अधिकारी का एन.वी.डी.ए. में प्रतिनियुक्ति पर नामांकन करना ही पर्याप्त नहीं था। यह कहा गया था कि राज्य सरकार के कल्याण विभाग, राजस्व विभाग और जल संसाधन विभाग को पुनर्वास प्रक्रिया में तथा निर्माण और उसकी तुलना में पुनःस्थापन की प्रगति की समीक्षा के कार्य में भी सहयोजित किया जाना चाहिए। जनजाति कल्याण विभाग, एन.वी.डी.ए. और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आयोग की जो बैठक हुई थी, उसमें उपर्युक्त बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत नहीं कराया गया था। आयोग ने परियोजना की वजह से बेदखल हुए परिवारों के पुनःस्थापन और पुनर्वास से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य सरकार की उदासीनता पर अप्रसन्नता जाहिर की। यह अप्रसन्नता विशेष रूप से आयोग द्वारा दिए गए सुझावों/ व्यक्त किए गए विचारों पर उनके द्वारा निरन्तर ध्यान न दिए जाने के बारे में थी। **आयोग सिफारिश करता है कि मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दी जाए कि परियोजना के कारण बेदखल हुए परिवारों के पुनःस्थापन और पुनर्वास से सम्बन्धित सम्पूर्ण मामलों को जनजाति सलाहकार परिषद के समक्ष रखा जाए और आयोग को परिषद के विचारों और उन पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।**

4.3.9 आयोग यह भी सिफारिश करता है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे शेष बचे 18,294 परियोजना–प्रभावित परिवारों के शीघ्र पुनःस्थापन के लिए तत्काल कार्रवाई करें तथा उनके पुनःस्थापन और पुनर्वास हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। इन राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी जाए कि वे शेष 18,294 परिवारों में से उन जनजातीय परिवारों की संख्या का पता लगाएं जिन्हें अभी पुनःस्थापित और पुनः बसाया जाना है तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उनके अर्थात् जनजातीय लोगों के शीघ्र पुनः स्थापन के लिए की गई कार्रवाई के बारे में भी इस कठोर सत्य को देखते हुए पता लगाएं कि अनुसूचित जनजातियां समाज के सबसे अधिक कमजोर वर्गा से सम्बन्धित हैं तथा विस्थापित/ प्रभावित जनजाति परिवारों के पुनःस्थापन में और विलम्ब किए जाने से न केवल उनकी जीविका की समस्याएं अत्यधिक बढ़ जाएंगी बल्कि उनके जीवित रहने की समस्या भी पैदा हो जाएगी।

4.4 आयोग का कलिंग नगर (उड़ीसा) दौरा

4.4.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को समाचार–माध्यमों की रिपोर्टों से जब यह पता चला कि उड़ीसा के जिला जाजपुर के कलिंग नगर में 2 जनवरी, 2006 को पुलिस फायरिंग में 12 जनजातीय व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तो उसे बहुत धक्का लगा। प्रेस रिपार्टों से पता चला कि 1000 से अधिक लोग, जिनमें अधिकांश अनुसूचित जनजातियों के थे, राज्य द्वारा अधिगृहीत भूमि के एक टुकड़े पर टाटा स्टील कम्पनी द्वारा चारदीवारी के निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए घटना–स्थल पर एकत्रित हुए। वह भूमि कम्पनी को दो इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए बेच दी गई थी। यह समस्या इसलिए खड़ी हुई क्योंकि लोगों के मन में विस्थापित होने का भय था और राज्य सरकार उन्हें उनकी सन्तुष्टि के अनुरूप, उपयुक्त क्षतिपूर्ति देने तथा उनके पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था करने में असफल रही। आयोग ऐसे परेशान करने वाले समाचारों को सुनकर गम्भीर रूप से चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकता था, और उसने अन्य बातों के साथ–साथ, विशेषकर उन परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी, जिनकी वजह से पुलिस फायरिंग हुई, मारे गए और घायल हुए लोगों के सगे–सम्बन्धियों को दी गई/ घोषित की गई आर्थिक राहत का ब्यौरा, जख्मी

लोगों के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं, क्या इस घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जांच कराने का राज्य सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि अथवा नहीं तथा 17 सितम्बर 2005 को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किए गए विचार–विमर्श के दौरान, जैसा कि पहले इस आयोग के अध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया था, विस्थापित जनजातियों अथवा जिन्हें विस्थापित किए जाने की संभावना है, के पुनर्वास हेतु एक समान नीति तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार ने आयोग को अपने 12 जनवरी 2006 के पत्र द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ यह सूचित किया कि:

(i) कलिंग नगर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष 1990 में शुरू की गई थी और भूमि अधिग्रहण करने का अधिकांश कार्य 1996 में पूरा हो गया था तथा वह गैर–सरकारी भूमि का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 की धारा 11(2) के तहत 12 गांवों में भू–स्वामियों की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किया गया था।

(ii) लम्बे विचार–विमर्श के बाद टाटा कम्पनी ने 2 जनवरी, 2006 को उस भूमि को समतल बनाने का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया था। विरोध की आशंका के मद्देनजर आवश्यक पुलिस प्रबन्ध किए गए थे।

(iii) पुलिस ने भीड़ को तितर–बितर करने के लिए पहले आंसू गैस और फिर लाठीचार्च का सहारा लिया और उसके बाद रबड़ की गोलियों का उपयोग किया। इससे भी काम न चला तो कोई विकल्प न देखकर कार्यकारी मेजिस्ट्रेट ने भीड़ को तितर–बितर करने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया।

(iv) पुलिस फायरिंग में 12 व्यक्ति मारे गए और 25 घायल हो गए। राज्य सरकार ने मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 5.00 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और प्रत्येक जख्मी को 50,000/– रुपए की नकद सहायता देने की घोषणा की। यह, सरकारी खर्च पर अस्पतालों में किए गए उपचार के अलावा थी।

(v) राज्य सरकार ने मृतकों के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकार में अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम में नौकरी देने की घोषणा की।

(vi) राज्य सरकार ने उड़ीसा के माननीय उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश द्वारा घटना की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की।

(vii) राज्य सरकार ने सभी मौजूदा पुनःस्थापन और पुनर्वास नीतियों की विस्तृत जांच करने, उनकी समीक्षा करने तथा एक माह के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया।

4.4.2 श्री कुंवर सिंह, अध्यक्ष और श्रीमती प्रेम बाई मांडवी, सदस्य (एन.सी.एस.टी.) ने आयोग के संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ 11 से 13 जनवरी, 2006 तक राज्य का दौरा किया। 11 जनवरी, 2006 की शाम को माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्या ने एस.सी.बी. मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कटक का दौरा किया ताकि जख्मी जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य और उन्हें दिए जा रहे उपचार की जानकारी मिल सके तथा अस्पताल के विभिन्न वार्डों में दाखिल 18 जख्मी जनजातीय व्यक्तियों से मुलाकात की। उपचाराधीन सभी जख्मियों ने उन्हें अस्पताल में मिल रही चिकित्सा सुविधाओं पर संतोष जाहिर किया और कहा कि उन्हें मुफ्त उपचार मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष उसी अस्पताल में दाखिल चार जख्मी पुलिस कर्मियों से भी मिले। इसके बाद, एस.सी.बी. मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और अस्पताल के अधीक्षक तथा उपचार कर रहे डॉक्टरों के साथ विस्तार से चर्चा की, जिन्हें यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया कि उपचाराधीन जनजातीय व्यक्ति जब तक पूरी तरह से स्वस्थ न हो जाएं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी न दी जाए।

4.4.3 12 जनवरी, 2006 को माननीय अध्यक्ष और सदस्य तथा आयोग के अधिकारियों ने पुलिस फायरिंग की घटना की जांच करने के लिए कलिंगनगर के जाजपुर जिले का दौरा किया। इस दल ने सबसे पहले नौगांव स्थित घटना–स्थल का दौरा किया और पुलिस अधिकारियों से घटना की

जानकारी ली। जिला मेजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने उन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया जिनकी वजह से पुलिस फायरिंग हुई। फायरिंग स्थल से माननीय अध्यक्ष और सदस्य ने अधिकारियों के साथ अम्बागाडिया गांव की ओर प्रस्थान किया, जहां पुलिस फायरिंग में मारे गए सभी 12 आदिवासियों का दिनांक 04.01.2006 को सांयकाल एकसाथ अंतिम संस्कार किया गया था। माननीय अध्यक्ष और सदस्य ने मृतकों के प्रति पुष्पों से श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद, माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य ने जनजाति–गांव का दौरा किया तथा सभी 12 मृतकों के परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की, ताकि उनके परिवारों की स्थिति के बारे में जान सकें। अध्यक्ष महोदय ने आत्मीयता के साथ उनसे बातचीत की और उन्हें सान्त्वना दी। अध्यक्ष के सांत्वनापूर्ण शब्दों ने पुलिस फायरिंग में मारे गए प्रियजनों को खोने के गम में डूबे हुए पारिवारिक सदस्यों के घावों पर मरहम लगाने का कार्य किया। पारस्परिक बातचीत के दौरान परिवार के सदस्यों ने अपनी शिकायतों को उनके सामने रखते हुए, अन्य बातों के साथ–साथ, कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती, जिनमें अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 20.00 लाख रुपए और प्रत्येक जख्मी को दी जाने वाली नकद सहायता को 10.00 लाख रुपए करना, कलिंग नगर में विस्थापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना, पहले से विस्थापित व्यक्तियों को 5.00 एकड़ कृषि भूमि का आबंटन करना, उनके तीन नेताओं अर्थात् रवीन्द्र जारिका, राजेन्द्र टोम्सु और चक्रधर हाल्दा, जो जेल में हैं, की रिहाई शामिल है, तब तक वे अपना आन्दोलन नहीं रोकेंगे तथा दैतरी–पारादीप एक्सप्रैस राजमार्ग पर रास्ता जाम जारी रहेगा। उनके कहने के अनुसार, वे टाटा इस्पात संयंत्र द्वारा शुरू किए गए कार्य को शांतिप्रिय ढंग से रोकने के लिए कार्य–स्थल पर गए थे, क्योंकि भूमि–अधिग्रहण के बदले मुआवजे की अदायगी सम्बन्धी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया था। आयोग को आगे सूचित किया गया कि 12 मृतकों में 3 महिलाएं थीं और एक 12 वर्षीय लड़का था, जिसका नाम गोविन्दा था और जो कक्षा VII में पढ़ता था। आयोग ने यह भी नोट किया कि मृतक परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी तथा अधिकांश मृतक अपने परिवारों की रोटी–रोज़ी कमाने वाले थे।

4.4.4 श्री श्यामा गागरे को, जो 18 जख्मी जनजातीय व्यक्तियों में से एक था और जिनके पेट में गोली लगी थी, बेहतर उपचार हेतु एस.सी.बी. मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कटक से ए.आई.आई.एम. एस., नई दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया था। श्री गागरे की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार के दौरान 11.03.2006 को प्रातः मृत्यु हो गई। उड़ीसा सरकार ने श्री गागरे के परिवार को, जिसमें उसकी बूढ़ी मां (70), एक अविवाहित भाई (25) और एक अविवाहित बहन है, 5.00 लाख रुपए की अनुग्रह–मुआवजा राशि देने तथा परिवार के एक पात्र वयस्क सदस्य को रोजगार देने की घोषणा की। श्री गागरे की मृत्यु से कलिंगनगर घटना में मरने वाले जनजातीय लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है।

4.4.5 फील्ड दौरों के दौरान, जनजातीय लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि इलाके में भूमि बंदोबस्त काफी समय से नहीं किया गया था, जिसके कारण उनके कब्जे वाली भूमि पर उनका अधिकार स्थापित नहीं हो सका। उन्होंने भूमि अधिग्रहण हेतु उन्हें पहले अदा की गई क्षतिपूर्ति राशि पर असन्तोष जाहिर किया। कुछ जनजातीय लोगों ने यह भी कहा कि जब उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था तो उद्योग तत्काल क्यों नहीं लगाए गए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सभी विस्थापित व्यक्तियों को अभी तक, वायदे के अनुसार, कलिंगनगर में स्थापित उद्योगों में रोजगार नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें भूमि के वर्तमान बाजार–मूल्य के अनुसार ही क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।

4.4.6 कलिंगनगर से आने से पहले, माननीय अध्यक्ष ने जाजपुर के नए कलेक्टर और जिला मेजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक के साथ विचार–विमर्श किया, जिन्होंने पुलिस फायरिंग की घटना के बाद पहले के जिला कलेक्टर, जिला मेजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के तत्काल स्थानान्तरण होने पर हाल ही में कार्यभार संभाला है। विचार–विमर्श के दौरान जिला मेजिस्ट्रेट ने अन्य बातों के साथ–साथ, उल्लेख किया कि 12 उद्योगों में से 3 उद्योगों, अर्थात् नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एन.आई.एन.एल.), एम.आई.एस.एल. और वीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कार्य करना शुरू कर दिया है, जिन्दल स्टेनलैस लिमिटेड शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगा। 12 जनवरी, 2006 को जिला

मेजिस्ट्रेट के साथ हुए विचार–विमर्श के दौरान, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, अन्य बातों के साथ–साथ, यह भी सूचित किया गया कि कलिंगनगर क्षेत्र में स्थापित कई उद्योगों ने सभी विस्थापित परिवारों को रोजगार मुहैया नहीं कराया है। विस्थापित जनजातीय परिवारों की संख्या और उन विस्थापित जनजातीय परिवारों की संख्या, जिन्हें कलिंगनगर क्षेत्र में उद्योगों में नौकरियों की पेशकश की गई, निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	कलिंगनगर में स्थापित उद्योगों का नाम	अब तक विस्थापित परिवारों की संख्या	उन विस्थापित परिवारों की संख्या जिन्हें अब तक नियोजित किया गया है
1.	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	639	182 को सीधे और स्थायी रोजगार तथा 134 को परोक्ष रूप से ठेकेदारों के जरिए रोजगार
2.	एम.आई.एस.एल.	53	47
3.	जिन्दल स्टेनलैस लिमिटेड	59	12
4.	वीसा	23	शून्य
5.	रोहित	12	शून्य
6.	कॉमन कोरिडोर	28	शून्य

4.4.7 दिनांक 13.01.2006 को माननीय अध्यक्ष ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिनमें प्रमुख ये थे – विकास आयुक्त; गृह, उद्योग और राजस्व विभागों के प्रधान सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, प्रबन्ध निदेशक, आई.डी.सी.ओ., महानिदेशक पुलिस एवं अपर पुलिस महा निरीक्षक, एच.आर.पी.सी., उड़ीसा, भुवनेश्वर स्थित राज्य सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में बैठक की। अध्यक्ष महोदय ने पुलिस फायरिंग की घटना के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता व्यक्त की। इसके फलस्वरूप 12 (अब 13) व्यक्तियों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस घटना को टाला जा सकता था, यदि राज्य सरकार ने समय पर जनजातियों की मांगों पर उनसे बातचीत की होती। अध्यक्ष महोदय के द्वारा कही गई बातों में निम्नलिखित बातें शामिल थीं:

(i) राज्य सरकार को जनजातीय नेताओं तथा विस्थापन से सम्बन्धित समस्याओं पर कार्य कर रहे विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके एक एकसमान और विस्तृत पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति तैयार करनी चाहिए। समझौता–ज्ञापन में परियोजना लागत की 20 प्रतिशत राशि विस्थापित व्यक्तियों के विकास के लिए होनी चाहिए तथा पुनःस्थापन और पुनर्वास पैकेज के बारे में सुस्पष्ट प्रावधान होने चाहिएं तथा पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति विस्थापित जनजातियों के हितों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए तथा भूमि के बदले भूमि और नौकरी मुहैया कराकर उनकी आजीविका सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने राजस्थान सरकार का उदाहरण दिया, जहां भूमि के अधिग्रहण के बदले अदा की गई क्षतिपूर्ति की राशि प्रचलित बाजार मूल्य की तुलना में काफी अधिक थी, इसलिए लोग आगे आए और स्वेच्छा से उद्योगों के लिए अपनी भूमि दी।

(ii) आयोग ने उल्लेख किया कि 1992 और 1996 के दौरान भूमि के अधिग्रहण के बाद राज्य सरकार द्वारा भूमि पर वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया था तथा आदिवासी अधिग्रहण की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भी भूमि पर खेती करते रहे थे और यह भी घटना के दिन गड़बड़ी होने का मुख्य कारण था।

(iii) मृतक के पारिवारिक सदस्यों के साथ आपसी बातचीत के दौरान, एन.सी.एस.टी. के अध्यक्ष को शव–परीक्षा के दौरान कुछ मृतकों की हथेलियों आदि को काटने के आरोप मिले। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे इन आरोपों की जांच करें तथा सच्चाई का पता लगाएं।

(iv) राज्य सरकार को क्षेत्र में तत्काल सर्वेक्षण करना चाहिए और अनुज्ञेय अतिक्रमण पर जनजातीय व्यक्तियों को स्वामित्व एवं हकदारी के अधिकार दिए जाने चाहिएं, ताकि वे विकास के प्रयोजनों के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण किए जाने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के योग्य हो सकें।

(v) न्यायिक जांच द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय–सीमा होनी चाहिए तथा घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए भी इसके विचारार्थ विषयों का विस्तार किया जाना चाहिए।

सरदार सरोवर परियोजना (एस.एस.पी.)

एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के अनुसार पुनर्वास नीति और राज्यों की उदारीकृत नीतियां

क्रम सं.	मद	एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड	मध्य प्रदेश	गुजरात	महाराष्ट्र
1.	बेदखल व्यक्ति की परिभाषा	बेदखल से अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व से स्थायी अथवा अस्थायी रूप से आप्लावित होने वाले क्षेत्र में साधारणतया रह रहा हो अथवा कोई व्यापार चला रहा हो, व्यवसाय अथवा धन्धा अथवा पैसा कमाने से सम्बन्धित कोई कार्य कर रहा हो।	कोई व्यक्ति, जो परियोजना के कारण अस्थायी अथवा स्थायी तौर पर आप्लावित होने वाले क्षेत्र में अथवा परियोजना के लिए अन्यथा अपेक्षित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को साधारणतया रह रहा हो अथवा धंधा चला रहा हो अथवा उस क्षेत्र में ऐसी अधिसूचना से पहले कम से कम तीन वर्षों से भूमि जोत रहा हो।	एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के खण्ड XI-1(2) के तहत की गई परिभाषा के अनुसार ही।	वही, जो एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के खंड XI-1(2) के तहत की गई है।
2.	परिवार	परिवार में पति, पत्नी और छोटे बच्चे तथा वे अन्य व्यक्ति जो परिवार के मुखिया पर आश्रित हों, जैसे विधवा मां।	परिवार से अभिप्राय है पति, पत्नी तथा छोटे बच्चे तथा वे अन्य व्यक्ति जो परिवार के मुखिया पर आश्रित हों, जैसे – विधवा मां, विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित बेटी अथवा बूढ़े पिता	वही, जो एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के खंड XI-1(3)(ii) के तहत की गई है।	वही, जो एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के खंड XI-1(3)(ii) के तहत की गई है।

3.	**भूमि आबंटन**				
	क) भूमि वाले बेदखल व्यक्ति	प्रत्येक विस्थापित परिवार, जिससे उसकी भू–जोत की 25 प्रतिशत से अधिक भूमि अभिगृहीत की गई हो, उसे अपनी अभिगृहीत भूमि जितनी सिंचाई–योग्य भूमि, सम्बन्धित राज्य में विहित उच्चतम सीमा के अधीन और कम से कम 2 हेक्टेयर (5 एकड़) प्रति परिवार आबंटित की जाएगी। इस भूमि का अंतरण बेदखल परिवार के नाम कर दिया जाएगा, यदि वह इसे लेने के लिए सहमत हो। इसके लिए वह कीमत ली जाएगी, जो गुजरात और सम्बन्धित राज्य की परस्पर सहमति से तय की जाएगी। उस भूमि के लिए अदा की जाने वाली कीमत को, बेदखल परिवार से ली गई भूमि के लिए उसे देय क्षतिपूर्ति की 50 प्रतिशत के बराबर राशि से, अदायगी की प्रारम्भिक किस्त के रूप में, प्रतिसन्तुलित कर दिया जाएगा। शेष लागत आबंटिती से बगैर ब्याज के 20 वार्षिक किस्तों में वसूल की जाएगी। जहां भूमि मध्य प्रदेश	1. अधिग्रहण की गई भूमि के बराबर भूमि, जो न्यूनतम 2 हेक्टेयर और अधिकतम 8 हेक्टेयर होगी तथा यदि भूमि सिंचित न हो तो कुओं/ नलकूपों अथवा किसी अन्य पद्धति द्वारा सिंचाई की सुविधाएं मुहैया कराने में सरकारी सहायता भी। यदि सिंचाई सम्भव न हो तो कम से कम 4 हेक्टेयर भूमि आबंटित की जाएगी। सूखी भूमि के विकास पर आने वाली लागत की 75 प्रतिशत राशि तक सरकार सब्सिडी देगी। 2. (क) सभी अजा/ अजजा तथा अन्य श्रेणियों के उन परिवारों को, जिनकी जोत 2 हेक्टेयर है, सहायता अनुदान क्षतिपूर्ति राशि और आबंटित भूमि की लागत के बीच के अन्तर, यदि कोई हो, को पूर्णतः पूरा करने के लिए दिया जाएगा। 2 हेक्टेयर से 8 हेक्टेयर तक की अन्य भूमि के लिए 2000/– रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त राशि दी	छोड़ी गई भूमि के बराबर भूमि, जो कम से कम 2 हेक्टेयर और अधिकतम राज्य की उच्चतम सीमा तक सीमित होगी। संयुक्त भूमिधारक अपने हिस्से के बराबर भूमि, लेकिन न्यूनतम 2 हेक्टेयर भूमि पाने के हकदार हैं, और वयस्क पुत्रों को अभिग्रहीत भूमि का सहभागी माना जाएगा। 2. जहां कृषि भूमि बेदखल परिवार द्वारा समिति के माध्यम से खरीदी जाएगी, वहां यदि इस प्रकार खरीदी गई भूमि और क्षतिपूर्ति की राशि के बीच कोई अन्तर होगा, तो उसकी अदायगी अनुग्रह राशि के रूप में की जाएगी। 3. उस बेदखल व्यक्ति/ अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को, जो भूमि की क्षतिपूर्ति प्राप्त कर	अभिग्रहीत भूमि के बराबर भूमि, जो कम से कम 2 हेक्टेयर और अधिक से अधिक राज्य की उच्चतम सीमा तक सीमित होगी। संयुक्त धारक भी अपने हिस्से के बराबर की भूमि, जो न्यूनतम 2 हेक्टेयर होगी, पाने के हकदार होंगे। सिंचाई सुविधाएं राज्य द्वारा मुहैया की जाएंगी। 2. बेदखल को भूमि का आबंटन निःशुल्क किया जाएगा।

		अथवा महाराष्ट्र में आबंटित की गई है, वहां आबंटित भूमि से सम्बन्धित सभी वसूलियां गुजरात के नाम जमा की जाएंगी।	जाएगी अथवा आबंटित भूमि की लागत और प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि, के बीच के अन्तर की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, दी जाएगी। (ख) बेदखल के पास दो विकल्प होंगे: i) वह अपनी आप्लावित भूमि के लिए नकद क्षतिपूर्ति का विकल्प दे सकता है। ii) वह भूमि के रूप में क्षतिपूर्ति का विकल्प दे सकता है। वह 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि नकद लेने का हकदार होगा और शेष 50 प्रतिशत राशि आबंटित भूमि की लागत के बदले समायोजित की जाएगी। आबंटित भूमि की शेष लागत तीसरे वर्ष से ऋण के रूप में 20 वार्षिक किस्तों में वसूल की जाएगी। ऋण ब्याज–मुक्त होंगे। (ग) भूमि बैंक से पात्र परियोजना प्रभावित परिवारों को जी.ओ.एम.पी. कृषि भूमि आबंटित करेगा। मना करने पर परियोजना–प्रभावित परिवार अपनी पसन्द की भूमि खरीदने	चुका हो, यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अपनी क्षतिपूर्ति की 50 प्रतिशत राशि आबंटित भूमि की लागत के सम्बन्ध में प्रारम्भिक किस्त के रूप में अंशदान कर सकता है और भूमि की लागत की शेष राशि 20 वार्षिक ब्याजमुक्त किस्तों में अदा कर सकता है और आबंटित भूमि की कीमत और क्षतिपूर्ति के बीच के अन्तर को अधिभोग कीमत के सम्बन्ध में अनुग्रह राशि माना जा सकता है। अन्य श्रेणियों, अर्थात कृषि मजदूरों, अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों (जिन्हें क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त हुई है) और उनके वयस्क बेटों को आबंटित भूमि की लागत के सम्बन्ध में पूरी अनुग्रह राशि दी जाती है।	

			के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ उठा सकता है।		
	ख) अतिक्रमण करने वाले बेदखल व्यक्ति	भूमि आबंटन का कोई लाभ मुहैया नहीं किया गया।	क) उन्हें दो शर्तों के अधीन भूमि वाले बेदखल माना जाएगाः i. अतिक्रमण 14.4.87 को अथवा उससे पहले हुआ हो। ii. कृषि भूमि का आबंटन 1 हेक्टेयर अथवा दो हेक्टेयर होगा और वह भी आप्लावन के तहत आने वाले अतिक्रमण के क्षेत्र के आकार के अधीन होगा। अतिक्रमण करने वाले आप्लावित होने वाली भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे।	अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के एक वर्ष पहले के अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति दो हेक्टेयर भूमि के और अतिक्रमण की शेष भूमि के लिए अनुग्रह–राशि के रूप में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे।	3.1.78 तक अतिक्रमण की गई भूमि के लिए 2 हेक्टेयर भूमि और शेष भूमि के लिए अनुग्रह अदायगी के रूप में क्षतिपूर्ति। बाद के अतिक्रमण करने वालों को भूमिहीन मजदूर माना जाएगा और उन्हें 1 हेक्टेयर भूमि आबंटित की जाएगी।
	ग) भूमिहीन बेदखल व्यक्ति	भूमि आबंटन की कोई व्यवस्था नहीं।	कोई भूमि नहीं। मध्य प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 12/1/27/2/98/1286, दिनांक 4.12.2001 की उदारीकृत पुनर्वास और पुनःस्थापना के अनुसार, एन. डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के अतिरिक्त, सभी भूमिहीन बेदखल कृषक कृषकों में से प्रत्येक को उत्पादक परिसम्पत्तियों के लिए 49300	केवल भूमिहीन कृषि मजदूरों को 2 हेक्टेयर भूमि।	यदि बेदखल व्यक्ति दूसरों के साथ जाएगा, तो 1 हेक्टेयर भूमि।

			रुपए मिलेंगे और अन्य भूमिहीनों को 33150 रुपए मिलेंगे।		
	घ) ऊपर की सभी श्रेणियों के बेदखल व्यक्तियों के वयस्क पुत्र	* प्रत्येक वयस्क पुत्र को एक अलग परिवार समझा जाएगा। * भूमि आबंटन के लिए कोई व्यवस्था नहीं। *भूमि वाले परियोजना–प्रभावित परिवारों के वयस्क पुत्रों को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.3.2005 के फैसले के अनुसार 2 हेक्टेयर भूमि पाने का हक है।	प्रत्येक वयस्क पुत्र/ अविवाहित वयस्क बेटी को एक अलग परिवार माना जाएगा। उनकी पात्रता एल.ए.क्यू. की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष पहले 18 वर्ष की आयु होगी। उन्हें उस श्रेणी के अनुसार, जिसके साथ वे सम्बन्धित हों, नकद क्षतिपूर्ति पाने का हक होगा। भू–सम्पत्ति वाले परियोजना–प्रभावित परिवारों के वयस्क बेटों को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.3. 2005 के निर्णय के अनुसार 2 हेक्टेयर भूमि आबंटित की जाएगी।	सभी श्रेणियों के बेदखल व्यक्तियों के प्रत्येक वयस्क बेटे को 2 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी और वयस्क बेटों के लिए कट–आफ तारीख 1.1.87 है।	प्रत्येक वयस्क बेटे/ अविवाहित वयस्क बेटी को एक अलग परिवार माना जाएगा। उनकी पात्रता एल.ए.क्यू. की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष पूर्व 18 वर्ष की आयु होगी। वे एक हेक्टेयर भूमि पाने के हकदार होंगे। उच्चतम न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र सरकार पर लागू नहीं होता।
4.	हाउस प्लाट	वयस्क पुत्रों सहित प्रत्येक बेदखल परिवार को 18.29X27. 43 मीटर (60X90) के हाउस प्लाट का निःशुल्क आबंटन	(क) बेदखल परिवारों और उनके वयस्क बेटों/ अविवाहित बेटियों को विकसित हाउस प्लाट दिया जाएगा। 1. आप्लावित होने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लिए 502 वर्ग मीटर (60X90)।	1. बेदखल परिवारों और उनके वयस्क पुत्रों को 502 वर्ग मीटर का रिहायशी प्लाट निःशुल्क दिया जाएगा। 2. बेदखल परिवारों और उनके वयस्क पुत्रों को बना–बनाया कोर मकान	1. बेदखल परिवारों, उनके वयस्क बेटों और वयस्क अविवाहित बेटियों को 502 वर्ग मीटर का रिहायशी प्लाट निःशुल्क दिया जाएगा। 3. निःशुल्क मंगलौर टाइलें और बांस।

			2. आप्लावित होने वाले शहरी क्षेत्र के लिए 222.95 वर्ग मीटर (40X60)। 3. हाउस प्लाट के एवज में 50,000/– त्पए की नकद क्षतिपूर्ति।	निःशुल्क दिया जाएगा।	
5.	पुनर्वास अनुदान, सहायता अनुदान, सब्सिडी	750/– रुपए प्रति परिवार की दर से पुनः स्थापना/ पुनर्वास अनुदान, जिसमें परिवहन व्यय भी शामिल है। 500/– रुपए तक सहायता–अनुदान।	मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 4.1.2001 की पुनःस्थापन और पुनर्वास नीति को और उदार बनाया है, जो एन.डब्ल्यू.टी. अवार्ड के अलावा है। तदनुसार, पुनर्वास के लिए सहायता अनुदान का पैमाना ये होगाः **पुनर्वास अनुदानः** सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रमिकों, छोटे और सीमान्त किसानों में से प्रत्येक को 18,700/– रुपए। अन्य सभी श्रमिकों और भूमिहीन परिवारों में से प्रत्येक को 9350/– रुपए। **उत्पादक परिसम्पत्तियां** *अनुसूचित जाति/ अनुसूचित	**जीवन निर्वाह भत्ताः** पुनःस्थापन के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक परिवार को 15 रुपए प्रति दिन के हिसाब से महीने में 25 दिनों के लिए जीवन–निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। जनवरी, 1980 को आधार मानकर, पुनःस्थापन अनुदान के रूप में 750/– रुपए प्रति परिवार, दिए जाएंगे, जिनमें 8 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि की जाएगी। एन.डब्ल्यूडी.टी. अवार्ड के अनुसार, 500/– रुपए तक का	**जीवन निर्वाह भत्ताः** पुनः'स्थापन के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक परिवार को 15 रुपए प्रति दिन के हिसाब से महीने में 25 दिनों के लिए जीवन–निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। जनवरी, 1980 को आधार मान कर, पुनः स्थापन अनुदान के रूप में 750 रुपए प्रति परिवार दिए जाएंगे, जिसमें 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की जाएगी। एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के अनुसार, 500/– रुपए तक का सहायता अनुदान। उपर्युक्त लाभ सभी श्रेणियों के बेदखल व्यक्तियों, उनके वयस्क बेटों और वयस्क अविवाहित

			जनजाति के परियोजना–प्रभावित परिवारों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को 49300/– रुपए। *अन्य सभी भूमिहीन परियोजना–प्रभावित परिवार – 33150/– रुपए।	सहायता–अनुदान। सभी श्रेणियों के बेदखल व्यक्तियों और उनके वयस्क पुत्रों को उत्पादक परिसम्पत्तियां खरीदने के लिए 7,000/– रुपए।	बेटियों को दिए जाएंगे।
6.	परिवहन अनुदान	परिवहन प्रभारों को 750/– रुपए के पुनःस्थापन/ पुनर्वास अनुदान से पूरा किया जाना है।	परियोजना द्वारा निःशुल्क परिवहान की सुविधा मुहैया की जाएगी। यदि इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया, तो एकमुश्त पुनःस्थापन अनुदान अदा किया जाएगा।	राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क परिवहन मुहैया किया जाएगा।	राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।
7.	उस निजी भूमि/ मकानों का अधिग्रहण, जो अलग–थलग हो जाते हैं या भौतिक रूप से कट जाते हैं।	निपटा नहीं गया।	अधिग्रहीत कर लिए जाएंगे और मालिकों को बेदखल व्यक्ति माना जाएगा।	अधिग्रहीत कर लिए जाएंगे और मालिकों को बेदखल व्यक्ति माना जाएगा।	अधिग्रहीत कर लिए जाएंगे और मालिकों को बेदखल व्यक्ति माना जाएगा।
8.	**क्षतिपूर्ति** (क) भूमि	अधिग्रहण के समय लागू भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार	निकटवर्ती कमान क्षेत्रों में उसी प्रकार की भूमि की कीमत के आधार पर भूमि के लिए क्षतिपूर्ति	समय–समय पर यथा–संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार	समय–समय पर यथा–संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार
	(ख) मकान	भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार	मकान का प्रतिस्थापन मूल्य	भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार	भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार

9.	नागरिक सुविधाएं	1. प्रत्येक 100 परिवारों के लिए एक प्राथमिक स्कूल (3 कमरे) 2. प्रत्येक 500 परिवारों के लिए एक पंचायत घर 3. प्रत्येक 500 परिवारों के लिए एक औषधालय 4. प्रत्येक 500 परिवारों के लिए एक बीज गोदाम। 5. प्रत्येक 500 परिवारों के लिए एक बच्चों का पार्क। 6. प्रत्येक 500 परिवारों के लिए गांव में एक तालाब। 7. प्रत्येक 50 परिवारों के लिए नालियों सहित पीने के पानी का कुआं। 8. प्रत्येक 50 परिवारों के लिए एक वृक्ष प्लेटफार्म 9. प्रत्येक 500 परिवारों के लिए पूजा करने के लिए एक पूजा–स्थल। 10. प्रत्येक कालोनी को उपयुक्त मानकों वाली सड़कों द्वारा मुख्य सड़क से जोड़ा जाए।	1. नाली सहित पीने के पानी का कुआं/ नलकूप। 2. लिंक एवं सम्पर्क सड़क एवं नालियां। 3. विद्युत। 4. औषधालय। 5. प्राथमिक विद्यालय। 6. पंचायत भवन एवं समुदाय भवन। 7. खेल मैदान/ बच्चों का पार्क। 8. मवेशी शाला (कैटल–शैड) 9. पूजा–स्थल 10. खलिहान 11. बीज गोदाम 12. वृक्ष प्लेटफार्म 13. श्मशान एवं कब्रिस्तान 14. तालाब, जहां व्यवहार्य हो, 15. नगरपालिका नगर में सामाजिक सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था आदि। 16. मिडल स्कूल जैसी कोई अन्य सुविधा जो प्रभावित गांव	एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के अनुसार।	1. प्रत्येक 100 परिवारों के लिए एक प्राथमिक स्कूल (3 कमरे)। 2. प्रत्येक 500 परिवारों के लिए एक पंचायत घर। 3. प्रत्येक 500 परिवारों के लिए समाज मंदिर (संस्कृति केन्द्र)। 4. 500 परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य औषधालय। 5. 500 परिवारों के लिए एक बीज गोदाम। 6. 500 परिवारों के लिए गांव में एक बच्चों का पार्क। 7. 500 परिवारों के लिए गांव में एक तालाब। 8. 50 परिवारों के लिए नालियों सहित पीने के पानी का कुआं। 9. पहुंच मार्ग एवं आंतरिक सड़कें। 10. प्रत्येक 50 परिवारों के लिए एक वृक्ष प्लेटफार्म। 11. स्कूल के लिए खेल का मैदान (प्राथमिक स्कूल के लिए 1 एकड़ एवं माध्यमिक स्कूल

		11. विद्युतीकरण, जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, आदि।	में हो और उसमें सुधार। 17.चरागाह हेतु स्थान–निर्धारण एवं उसमें सुधार।		के लिए 2 एकड़)। 12. विद्युत आपूर्ति। 13. खुले गटर 14. सार्वजनिक शौचालय। 15. पशुओं को एकत्र करने हेतु एक खुला स्थान। 16. खलवाड़ी (थ्रेसिंग प्लेटफार्म)। 17. एस. टी. स्टैण्ड 18. चरागाह 19. बाजार के लिए खुला स्थान 20. श्मशान/ कब्रिस्तान।
10.	अन्य सुधार	शून्य	1. जहां ब्याज–मुक्त ऋण के विकल्प का लाभ न लिया जाए, वहां परिवार को 2 वर्ष के लिए 1000/–रुपए प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष के हिसाब से सहायता दी जाएगी। 2. सरकारी सेवाओं के समूह III के पदों में आयु में 2 वर्ष की छूट। 3. विस्थापन–स्थल पर चलाई जा रहीं सभी कल्याण योजनाएं पुनर्स्थापन स्थलों पर	1. डुंगी बिल्स का पुनर्वास, उनके विवाह सर्कलों में ही करने के लिए विशेष स्कीमें। 2. टैंक बेड लैंड के आबंटन में प्राथमिकता। 3. एक गैर–कृषक परिवार अर्थात् व्यापारी, दुकानदार, कारीगर को नए स्थान पर अपना कारोबार स्थापित करने के लिए 5000/– रुपए	1. सार्वजनिक रोजगार में पुनःस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते कि न्यूनतम अर्हताओं को पूरा करते हों तथा आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। परियोजना कार्यों में, जहां तक संभव होगा, ज्यादा से ज्यादा बेदखल व्यक्तियों को रखने का भी प्रयास किया जाएगा। 1 समूह III के और IV के पदों में प्राथमिकता। परियोजना

			कार्यान्वित की जाएंगी।	तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। उसे अपना कारोबार चलाने के लिए नए स्थल पर उतना ही स्थान दे दिया जाता है, जितना वह खो आया है। विभेदक मूल्य को अनुग्रह राशि माना जाता है। 4. सभी चालू कल्याण योजनाएं पुनःस्थापन स्थलों पर भी कार्यान्वित की जाएंगी।	से संस्थापन में आरक्षण। 2. आई.टी.आई. में 50 प्रतिशत आरक्षण। 3. सभी सरकारी/ अर्द्ध–शासकीय संगठनों और स्थानीय प्राधिकरणों में वर्ग III और IV के पदों में पी.ए.पी. बच्चों को 5 प्रतिशत आरक्षण। 4. मकान निर्माण अग्रिम। (i) भूमि धारक – 8000/– रुपए। (ii) भूमिहीन श्रमिक – 4000/– रुपए। 5. मौजूदा राज्य नीति के अनुसार टैंक बेड भूमि के आबंटन में प्राथमिकता। 6. सभी चालू कल्याण योजनाएं पुनःस्थापन स्थलों पर भी कार्यान्वित की जाएंगी।

अध्याय–5

अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास

5.1 प्रस्तावना

5.1.1 मानव सभ्यता का विकास कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के ज्ञान की विराट उन्नति की कहानी है। वस्तुतः, ज्ञान वह शक्ति है, जो सभ्यता के रथ को आगे धकेलती है और मनुष्य को अपने सपनों और अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का बल प्रदान करती है और ज्ञान प्राप्त करने का – चाहे वह विज्ञान अथवा कला अथवा साहित्य अथवा किसी अन्य विषय का ज्ञान हो – एकमात्र तरीका शिक्षा है। समय पाकर, शिक्षा को सुविधाजनक बनाना और शिक्षा प्रदान करना राज्य का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य बन गया है। समाज के अल्प–सुविधाप्राप्त वर्गों, जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए, जिन्हें शताब्दियों से अपने वैध अधिकारों से वंचित रखा गया है, शिक्षा उनके सशक्तीकरण का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। शिक्षा सम्बन्धी विचारों के विशाल छाया–चित्र के भीतर, स्कूली पढ़ाई और कौशल–निर्माण की संकीर्ण धारणा से सामाजिक जीवन में मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक वृद्धि और विकास की व्यापक संकल्पना तक, शिक्षा किसी व्यक्ति के विकास के विभिन्न प्रक्रमों में, वैयक्तिक रूप से अथवा व्यापक समाज के साथ सामूहिक समायोजन के रूप में आय अर्जित और व्यय करते हुए और नागरिक कार्यों में भाग लेते हुए, सीखने की एक निरन्तर प्रक्रिया है।

5.1.2 इसलिए शिक्षा मानव संसाधन विकास में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निविष्टि मुहैया करती है। यह लोगों के सशक्तीकरण का सबसे अधिक प्रभावकारी और निर्णायक साधन है – वह प्राथमिक वाहन है, जिसके द्वारा समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से सीमान्त पर बैठे हुए वर्गों को अपने आपको गरीबी के मौजूदा स्तरों से ऊपर उठाने के लिए समर्थ बनाया जा सकता है। जब तक समाज के सुविधाहीन वर्गों को न्यूनतम शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, तब तक वे भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे। चूंकि भारत में, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सुविधावंचित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत का सामाजिक ढांचा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग निरक्षरता, गरीबी, अन्ध विश्वास और अज्ञान के कारण शोषण और दासता के हमेशा शिकार रहे हैं। संविधान के निर्माता समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह सजग थे। चूंकि देश की कुल जनसंख्या में इन समूहों की जनसंख्या का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत है, इसलिए संविधान के निर्माताओं ने इन समुदायों के विकास के लिए विशेष उपाय सुझाए थे। उनकी इन चिन्ताओं को, समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 46, 15(4), 29(2) और 350क में विशेष उपबन्धों/ सुरक्षणों के रूप में अभिव्यक्ति मिली।

5.1.3 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में 14 वर्ष के सभी बच्चों की सार्वजनीन शिक्षा (अनुच्छेद 45) और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों, और, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपबन्ध (अनुच्छेद 46) शामिल हैं। अनुच्छेद 15(4) में यह उपबन्ध है कि राज्य नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्थाएं करेगा। अनुच्छेद 29(2) में यह उपबन्ध है कि राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य निधियों से सहायता पाने वाली किसी शैक्षणिक संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 350क में, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों को निदेश दिया गया है कि वे भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों

को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाएं।

5.2 अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता

5.2.1 साक्षरता समाज के सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण सूचक है। भीषण आर्थिक वंचनाएं और सामाजिक निःशक्तताएं अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों में निरक्षरता की समस्याओं को और गहरा बना देती हैं। लेकिन, अनुसूचित जनजातियों के मामले में मुख्य समस्याएं संचार के अभाव और उनकी आबादियों की दुगर्मता, बिखरी हुई जनसंख्या, पर्याप्त संस्थात्मक बुनियादी ढांचे के अभाव, स्थानीय शिक्षकों की कमी और जनजातीय बोलियों की अनेकता से, जो निरक्षरता की समस्या को और अधिक कठिन बना देती हैं, उत्पन्न होती हैं। अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर, जो 1991 में 29.6 प्रतिशत थी, बढ़कर 2001 में 47.1 प्रतिशत हो गई, अर्थात 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2001 में अनुसूचित जनजातियों में पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः 59.71 प्रतिशत और 34.76 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति महिला साक्षरता दर बिहार में सबसे कम अर्थात 15.54 प्रतिशत थी, जबकि राजस्थान में 1991 में यह 4.42 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 2001 में 26.16 प्रतिशत हो गई। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या काफी अधिक है, मिजोरम में देश की दूसरी सबसे ऊंची साक्षरता दर है और दूसरी ओर उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है, जहां साक्षरता दर सबसे कम है।

5.2.2 इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिछले चार दशकों में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में स्पष्ट दिखाई देने वाली वृद्धि हुई है। लेकिन अनुसूचित जनजातियों और आम लोगों की साक्षरता दरों के बीच अन्तर अभी बना हुआ है। 1991 की जनगणना के अनुसार, आम श्रेणी की 52.21 की साक्षरता दर की तुलना में, अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर केवल 29.60 प्रतिशत थी। इसके बाद, 2001 में अनुसूचित जनजातियों के साक्षर लोगों की संख्या 47 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में आम श्रेणी की यह दर 65.38 प्रतिशत थी। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर में धीरे–धीरे वृद्धि हुई है। लेकिन, यह अन्य समुदायों की साक्षरता दरों से बहुत नीचे है। नीचे की सारणी में पिछले चार दशकों में देश में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न लोगों की साक्षरता दरों की स्थिति दर्शाई गई है:

		कुल	पुरुष	महिला
1971 जनगणना	सामान्य	29.45%	39.45%	18.69%
	अनुसूचित जनजाति	11.30%	17.63%	4.85%
	अन्तर	18.15%	21.82%	14.00%
1981 जनगणना	सामान्य	36.23%	46.29%	24.82%
	अनुसूचित जनजाति	16.35%	24.52%	8.04%
	अन्तर	19.88%	22.37%	16.00%
1991 जनगणना	सामान्य	52.21%	64.13%	39.29%
	अनुसूचित जनजाति	29.60%	40.65%	18.19%
	अन्तर	22.61%	23.48%	21.01%
2001 जनगणना	सामान्य	65.38%	75.85%	54.16%
	अनुसूचित जनजाति	46.84%	59.00%	34.42%
	अन्तर	18.54%	16.85%	19.74%

5.2.3 1991 से 2001 तक की अवधि में जनजातियों की महिला साक्षरता दर 18.19 प्रतिशत से बढ़कर 34.76 प्रतिशत हो गई, जो आम लोगों की महिला साक्षरता दर की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम है। 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्य–वार साक्षरता दरें **अनुलग्नक 5.I** में दी गई हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पिछले दशक में महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी तक वांछनीय स्तर तक नहीं पहुंची है और, इसलिए, इस दिशा में

और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जनजातीय बच्चों में शिक्षा के प्रसार को तेज बनाने के लिए दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों के बावजूद, साक्षरता दरों में कोई अधिक सुधार नहीं हुआ है। जनजातीय लड़कों और लड़कियों में साक्षरता दर के कम होने के कुछ विशेष कारण और उसे बढ़ाने के लिए दिए गए सुझाव इस प्रकार हैं:

(i) अनुसूचित जनजातियां समाज के कमजोर वर्ग हैं। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय समुदायों को छोड़कर, जनजातीय लोगों, विशेष रूप से आदिम जनजाति समूहों के लोगों में यह धारणा व्यापक रूप से फैली हुई है कि शिक्षा उनके बच्चों को अवज्ञापूर्ण और गुस्ताख बना देती है और उन्हें अपने समाज से बेगाना बना देती है और लड़कियां आधुनिक बन जाती हैं और भटक जाती हैं। कुछ मामलों में, लड़के शिक्षा और अच्छा रोजगार प्राप्त करने के बाद अपने परिवारों और गांवों से अपने सम्बन्ध तोड. लेते हैं। इसलिए, इनमें से कुछ जनजातीय समूह अपने बीच शिक्षा के प्रसार का उग्र रूप से विरोध करते हैं। इसके अलावा, उनके कुछ अंधविश्वास और मिथक भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जनजातीय समूहों का विश्वास है कि यदि वे अपने बच्चों को 'बाहरी लोगों' द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में भेजेंगे, तो उनका भगवान नाराज हो जाएगा।

(ii) जनजातीय लोगों द्वारा शिक्षा लेने के मामले में रुचि न लिए जाने के लिए जिम्मेदार एक कारण उनकी खराब आर्थिक स्थितियां हैं। चूंकि अधिकतर जनजातीय लोग घोर गरीबी की हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना आसान नहीं है, क्योंकि इससे वे जीवन के लिए अपने संघर्ष में उन्हें (बच्चों को) खो देते हैं। लगभग सभी जनजातीय लोगों के पास, चाहे वे खाद्य एकत्र करने वाले हों, शिकारी हों, मछुवारे, झूम खेती करने वाले अथवा बसे हुए कृषक हों, इतना खाद्य नहीं होता, जो परिवार के लिए पूरे वर्ष के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त हो। इसलिए, शिक्षा उनके लिए एक विलासिता है, जिसका बोझ वे कदाचित नहीं उठा सकते। प्रत्येक स्कूल जाने वाला बच्चा जनजातीय परिवार में एक आर्थिक यूनिट होता है और वह परिवार की आय में योगदान देता है। यह उल्लेख कर दिया जाए कि शिक्षा की मौजूदा पद्धति में, कोई जनजातीय बच्चा अपने परिवार के लिए यदि कोई लाभ ला सकता है, तो वह केवल दस या पन्द्रह वर्ष की पढ़ाई के बाद। इसलिए, माता–पिता में इतनी लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा करने का न तो धीरज है और न ही दूरदर्शिता। **इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे बच्चों के माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें शिक्षा के महत्त्व और उससे प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करें।**

(iii) स्कूलों के अध्यपक शिक्षा के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में चलाए जाने वाले अधिकतर स्कूल एक–एक अध्यापक द्वारा ही चलाए जाते हैं। यदि अध्यापक बीमारी के कारण अथवा किसी घरेलू कारणवश छुट्टी ले लेता है, तो स्कूल में कोई अध्यापक नहीं रहता, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों की पढ़ाई को हर्ज होता है। इसके अलावा, जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियोजित किए गए अधिकतर अध्यापक जीवन की जनजातीय शैली, उनकी परम्पराओं और मूल्य–प्रणाली, आदि में बहुत कम रुचि लेते हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय क्षेत्रों में एकल अध्यापक वाले स्कूलों में एक–एक अध्यापक और तैनात किया जाना चाहिए।**

5.2.4 आयोग जनजातीय लड़कों और लड़कियों में साक्षरता/ शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने की सिफारिश करता है:

(i) केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग और राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को हाथ में लेने के लिए, जिनमें उन्हें शिक्षा देना भी शामिल है, जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत धनराशियां अलग से निर्धारित करते हैं किन्तु यह देखा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास और अन्य क्षेत्रों से भी

सम्बन्धित धनराशियों के काफी बड़े भाग का उपयोग नहीं किया जाता अथवा उन्हें कार्यान्वयन एजेंसियो को रिलीज़ नहीं किया जाता। राज्य सरकारों में इन निधियों का व्यपर्तन अन्य क्षेत्रों में करने की प्रवृत्ति भी है। **इसलिए, यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए निर्धारित क्रियाकलापों के लिए, जिनमें शिक्षा प्रदान करना भी शामिल है, कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशियां रिलीज़ की जाएं और शिक्षा के लिए अभिप्रेत धनराशियों का उपयोग अन्य क्षेत्रों में करने से बचा जाए।**

(ii) राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजाति के बच्चों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोलने और कम महिला साक्षरता दर वाली पॉकेटों में लड़कियों के लिए और छात्रावास खोलने की भी सलाह दी जाए।

(iii) एक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में केन्द्रीय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय अथवा एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल, आदि जैसा कम से कम एक उत्कृष्टता स्कूल होना चाहिए।

(iv) राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी जाए कि जनजातीय समुदायों के ही अध्यापक नियुक्त किए जाएं, जिन्हें स्थानीय बोली की जानकारी हो, अथवा कुछ प्रोत्साहनों के साथ जनजातीय क्षेत्रों के लिए अध्यापकों का एक अलग संवर्ग बनाया जाए। चूंकि जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों की पहले से ही कमी है, इसलिए इन स्कूलों के अध्यापकों को न केवल जनगणना के कार्य के समय गणना करने की ड्यूटियों से, बल्कि अन्य सर्वेक्षण ड्यूटियों से भी छूट दी जाए।

(v) आयोग ने देखा है कि अनुसूचित जनजातियों के रिहायशी स्कूलों और छात्रावासों का रख–रखाव उपयुक्त रूप से नहीं किया जा रहा है और वहां पेय जल, सफाई, शौचालय और स्नानघर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। **आयोग, इसलिए, सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन स्कूलों और छात्रावासों का अनुरक्षण उपयुक्त रूप से किया जाए और अपेक्षित सुविधाएं सही रूप में उपलब्ध हों। आयोग यह सिफारिश भी करता है कि रिहायशी स्कूलों और छात्रावासों में जो खाद्य परोसा जाता है, उसकी गुणवत्ता और मात्रा में भी सुधार किया जाए।**

(vi) राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे जनजातीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक और स्कूल खोल कर और लड़कियों के माता–पिता को लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए और प्रोत्साहन देकर, जो अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, लेखन–सामग्री, स्कूल बैगों, मध्याह्न भोजन स्कीम के अन्तर्गत पके हुए भोजन, आदि के रूप में दिए जा रहे मौजूदा प्रोत्साहनों के अलावा हों, अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर में सुधार करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें।

5.2.5 शिक्षा एक विषय के रूप में संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और, इसलिए स्कूल शिक्षा बुनियादी रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन, केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलों को सहायता देती है। केन्द्रीय स्तर पर, दो मंत्रालय हैं, जिनका सम्बन्ध मुख्यतः शिक्षा के बारे में स्कीमों और कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित करने से है। ये हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता, और, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग) और जनजातीय कार्य मंत्रालय। प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जो प्रमुख स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे के पैराग्राफों में संक्षिप्त रूप से किया गया है।

5.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति

5.3.1 1986 में निरूपित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन लोगों की विशेष आवश्यकताओं की ओर, जिन्हें अब तक वंचित रखा गया है, ध्यान देकर शिक्षा के अवसरों में असमानताओं को दूर करने

और अवसरों को समान बनाने पर बल दिया गया है। यह नीति अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान केन्द्रित करती हैः

(i) जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोलने को प्राथमिकता।
(ii) प्रारम्भिक प्रक्रमों में जनजातीय भाषाओं में पाठ्यचर्या विकसित करने और शिक्षण सामग्री तैयार करने की आवश्यकता और उसके साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं में बदलने की व्यवस्था।
(iii) अनुसूचित जनजाति युवाओं को जनजातीय क्षेत्रों में अध्यापन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
(iv) जनजातीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आश्रम स्कूल/ रिहायशी स्कूल खोलना।
(v) अनुसूचित जनजातियों की विशेष आवश्यकताओं और जीवनशैली और रीति–रिवाजों को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए प्रोत्साहन स्कीमें तैयार करना।
(vi) जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ियां, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना।
(vii) जनजातीय लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान और उनकी विपुल सृजनात्मक प्रतिभा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए शैक्षणिक विकास के बारे में सभी प्रक्रमों की पाठ्यचर्या तैयार करना।

5.3.2 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्नलिखित तिहरे उद्देश्यों पर बल दिया गया हैः

(i) सार्वजनीन पहुंच और नामांकन।
(ii) 14 वर्ष की आयु तक बच्चों का सार्वजनीन अवरोधन।
(iii) शिक्षा की गुणवत्ता (क्वालिटी) में काफी सुधार, ताकि सभी बच्चे पढ़ाई के आवश्यक स्तर तक पहुंच सकें।

5.3.3 1992 में यथा–संशोधित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी क्षेत्रकों में शिक्षा के सुधार और विस्तार, पहुंच में असमानताओं के उन्मूलन की भी परिकल्पना की गई है और सभी स्तरों पर शिक्षा की, जिसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है, गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करने पर अधिक बल दिया गया है। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि शिक्षा को सामाजिक और क्षेत्रीय असन्तुलनों को सही बनाने, महिलाओं का सशक्तीकरण करने और सुविधाहीनों, भाषाई समूहों और अल्पसंख्यकों के लिए सही स्थान प्राप्त करने के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। सकल नामांकन अनुपात (नीचे की तालिका में दिया गया है), जिससे प्राथमिक शिक्षा में 6–14 वर्ष के आयु–समूह के नामांकित बच्चों की संख्या का पता चलता है, 1950–51 में 32.1 था, जो बढ़कर वर्ष 2003–04 में 86.06 हो गया।

वर्ष	प्राथमिक			अपर प्राथमिक			प्रारम्भिक		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1950–51	60.6	24.8	42.6	20.6	4.6	12.7	46.4	17.7	32.1
2003–04	94.67	87.77	91.37	84.00	66.62	75.76	90.58	81.10	86.06

(स्रोतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2004–05)

5.4 प्राथमिक शिक्षा को पोषहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम

5.4.1 प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिसे आमतौर पर मध्याह्न भोजन स्कीम के नाम से जाना जाता है, अगस्त, 1995 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया थाः

(i) नामांकन, अवरोधन और उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीन को बढ़ावा देना, और
(ii) प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के पोषाहार स्तर में सुधार करना।

5.4.2 इस कार्यक्रम का, जिसमें शुरू में सरकारी स्कूलों, स्थानीय निकायों के स्कूलों और सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा स्तर (कक्षा (I से V) के बच्चों को कवर किया गया था,

अक्तूबर, 2002 में शिक्षा गारंटी स्कीम (ई.जी.एस.) और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा (ए.आई.ई.) केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को भी कवर करने के लिए विस्तार किया गया। उक्त स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित दो मदों के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती थीः–

(i) जहां पका हुआ भोजन दिया दिया जाता है, वहां 100 ग्राम निःशुल्क खाद्यान्न प्रति बालक प्रति स्कूल दिवस और जहां खाद्यान्न वितरण किए जाते हैं, वहां 3 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति बालक प्रति मास।

(ii) भारतीय खाद्य निगम के निकटतम डिपो से प्राथमिक स्कूल तक खाद्यान्नों के परिवहन के लिए अधिकतम 50 रुपए प्रति क्विंटल तक सब्सिडी।

5.4.3 इस उद्देश्य से कि राज्य दोपहर के भोजन के कार्यक्रम का बेहतर कार्यान्वयन कर सकें, उन्हें विभिन्न अन्य केन्द्रीय सहायता–प्राप्त स्कीमों से इस कार्यक्रम की कुछ अन्य आवश्यकताओं (खाद्यान्न और परिवहन सब्सिडी के अलावा) को पूरा करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे वित्तीय वर्ष 2004–05 से पी.एम.जी.वाई. के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की कम से कम 15 प्रतिशत राशि मध्याह्न भोजन की स्कीम के अन्तर्गत भोजन पकाने के खर्च को पूरा करने के लिए निर्धारित करें।

5.4.4 हालांकि सभी राज्यों से यह अपेक्षित था कि वे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पका हुआ भोजन मुहैया करने की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत से राज्य वित्तीय तंगियों के कारण बच्चों को पका हुआ भोजन मुहैया करने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। अपेक्षित धनराशियां मुहैया करने में बहुत से राज्यों और स्थानीय निकायों की असमर्थता के कारण, पके हुए भोजन के कार्यक्रम को वर्ष 2004 तक सार्वजनीन नहीं बनाया जा सका। इसलिए, इस स्कीम को संशोधित करना आवश्यक हो गया। संशोधित स्कीम के अन्तर्गत, सितम्बर, 2004 से, अब केन्द्रीय सरकार भोजन पकाने के खर्च को पूरा करने के लिए 1 रुपया प्रति बालक प्रति स्कूल–दिवस की दर से केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम से देश में प्राथमिक स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चों को लाभ मिल रहा है। संशोधित स्कीम के मुख्य उद्देश्य ये हैंः

(i) बच्चों, विशेष रूप से समाज के सुविधाहीन वर्गों के बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, अवधारण, और शिक्षा स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा (कक्षा I-V) के सार्वजनीकरण को बढ़ावा देना,

(ii) प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पोषाहार स्तर में सुधार करना, और

(iii) ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान भी सूखा–प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पोषाहार सहायता प्रदान करना।

5.4.5 इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों/ प्राधिकरणों के माध्यम से पका हुआ/ प्रसंस्करण किया हुआ पौष्टिक भोजन मुहैया करना है। जहां ऐसे प्रबन्ध उपलब्ध नहीं हैं, वहां लक्ष्यगत बच्चों को, कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति के अध्यधीन, 3 किलोग्राम प्रति छात्र प्रति मास की दर से खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरित किए जाते हैं।

5.4.6 राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम के प्रबन्धन और मानीटरिंग की निगरानी करने के लिए एक राष्ट्र–स्तरीय संचालन–व–मानीटरिंग समिति गठित की गई है। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि इस कार्यक्रम का बढ़िया गुणवत्तापूर्ण और सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर ऐसी ही समितियां गठित की जाएं।

5.4.7 इस स्कीम के मार्ग–निर्देशों को उपान्तरित किया गया है, ताकि प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन और ऐसे अन्य संगठन इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भाग ले सकें। इस सम्बन्ध में, इस्कोन, बंगलौर ने पहले से ही पके हुए भोजन का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया था और इस समय कर्नाटक के ग्रामीण बंगलौर जिले में 78 प्राथमिक स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 1573 बच्चों को भोजन मुहैया कर रहा है। उसी राज्य में 8 अन्य गैर–सरकारी संगठन भी लगभग 40,000 बच्चों को भोजन मुहैया करते हैं। अन्य राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को भी चाहिए कि वे कर्नाटक सरकार के

फैसले के अनुरूप, दोपहर के भोजन की स्कीम के अन्तर्गत काम को हाथ में लेने के लिए इच्छुक प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करें।

5.4.8 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार, यह स्कीम 20 राज्यों और 7 संघ राज्यक्षेत्रों में पूरी तरह से कार्यान्वित की जा रही थी और 8 राज्यों, अर्थात असम, बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आंशिक रूप से कार्यान्वित की जा रही थी। इन 8 राज्यों ने भी पके हुए भोजन के कार्यक्रम को अब सार्वजनीन बनाने का फैसला किया है।

5.5 शिक्षा कर्मी परियोजना

5.5.1 शिक्षा कर्मी परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के दूरस्थ, शुष्क और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े गांवों में प्राथमिक रूप से लड़कियों की ओर ध्यान देते हुए 6–14 वर्ष के आयु–वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनीन बनाना और उसमें गुणात्मक सुधार करना है। इस परियोजना में, 74 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। इस परियोजना में अध्यापकों की अनुपस्थिति को, प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वजनीन बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग की एक प्रमुख बाधा ठहराया गया है। यह महसूस किया गया था कि किसी दूरस्थ गांव में स्थित प्राथमिक स्कूल, जिसमें अध्यापक अ–निवासी हो, प्रायः काम न करने वाला बन जाता है, और माता–पिता दोनों ऐसी संस्था के साथ जुड़ने में असफल रहते हैं, जिससे बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दर बढ़ जाती है। शिक्षा कर्मी परियोजना के तहत, नियमित अध्यापकों की जगह स्थानीय अध्यापकों द्वारा ले ली जाती है, जो कम अर्हताप्राप्त होते हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। अर्हताओं की बुनियादी कमी को दूर करने के लिए, शिक्षा कर्मियों को आगमन (इन्डक्शन) कार्यक्रमों और इसके अलावा नियतकालिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से जोरदार प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान सरकार इस परियोजना को सामुदायिक भागीदारिता और स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता से राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित कर रही है।

5.5.2 शिक्षा कर्मी परियोजना के पहले दौर (1987–1994) में 21.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसे स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (एस.आई.डी.ए.) और राजस्थान सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में आपस में बांटा गया था। शिक्षा कर्मी परियोजना के दूसरे दौर में (जुलाई 1994–जून 1998) में कुल 72.21 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जिसे एस.आई.डी.ए. और राजस्थान सरकार के बीच 50:50 के आधार पर बांटा गया था। परियोजना के गहराई से किए गए मूल्यांकन के बाद, यूनाइटेड किंगडम के अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग ने परियोजना के दौर–III की लागत को जुलाई, 1999 से राजस्थान सरकार के साथ 50:50 के आधार पर बांटना स्वीकार किया था। प्रस्तावित करार की शर्तों के अनुसार, शिक्षा कर्मी परियोजना के दौर–III को जुलाई, 1999 से जून, 2003 तक पहले से कार्यान्वित किया जा चुका है। दौर–III में 240 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। शिक्षा कर्मी परियोजना के दौर–III का विस्तार दो वर्षों की और अवधि के लिए अर्थात जुलाई 1, 2003 से जून 31, 2005 तक करने को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, जिसका परिव्यय 96.35 करोड़ रुपए है, जिसके लिए डी.एफ.आई.डी., यू.के. और राजस्थान सरकार द्वारा निधिपोषण के 75:25 के संशोधित प्रतिमानों के आधार पर योगदान दिया जाएगा।

5.5.3 शिक्षा कर्मी परियोजना मानव संसाधन विकास के एक अनुपम साधन के रूप में उभरकर सामने आई है। इसने अन्तर्निहित प्रतिभा और क्षमता वाले ग्रामीण युवाओं को आत्म–सम्मान और गरिमा के साथ आत्म–विश्वासपूर्ण परा–व्यावसायिकों के रूप में फलने–फूलने में समर्थ बनाया है। शिक्षा कर्मी स्कूलों द्वारा कवर किए गए बच्चों में बहुत बड़ी संख्या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बच्चों की है। शिक्षा कर्मी परियोजना की सफलता ने उसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। **आयोग सिफारिश करता है कि राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना के सफल कार्यकरण को देखते हुए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए अन्य राज्यों को, जहां अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का स्तर अभी नीचे है, सलाह दी जाए कि वे अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लाभ के लिए ऐसी ही परियोजना शुरू करें।**

5.5.4 दिसम्बर 31, 2004 की स्थिति के अनुसार, शिक्षा कर्मी परियोजना राजस्थान के 32 जिलों, 150 ब्लॉकों और 3650 गांवों में काम कर रही थी। वहां 3,646 दिन में चलने वाले स्कूल, 71 अपर प्राथमिक स्कूल और 54 शिवम्बा शिविर हैं, जिनमें 2.76 लाख बच्चों का नामांकन है।

5.5.5 वर्ष 2004–05 के दौरान, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने डी.एफ.आई.डी. के हिस्से के एवज़ में 39.04 करोड़ रुपए की राशि रिलीज़ की, जो अप्रैल 1, 2004 को शिक्षा कर्मी परियोजना के पास उपलब्ध 10.67 करोड़ रुपए की खर्च न की गई राशि के अलावा थी। शिक्षा कर्मी परियोजना ने दिसम्बर, 2004 तक डी.एफ.आई.डी. के हिस्से के एवज में 20.74 करोड़ रुपए के व्यय (अनन्तिम) की सूचना दी है।

5.6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

5.6.1 भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की लड़कियों के लिए प्रारम्भिक स्तर पर भोजन–सुविधाओं वाले 750 रिहायशी स्कूल खोलने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नामक एक नई स्कीम आरम्भ की है। ये स्कूल शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉकों में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है और साक्षरता में लिंग अन्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह स्कीम विशेष रूप से उन क्षेत्रों को, जहां अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत अधिक है, अथवा उन क्षेत्रों को कवर करेगी, जहां छोटी और बिखरी हुई आबादियों की संख्या बहुत अधिक है, जो अन्यथा प्रारम्भिक स्कूल के लिए अर्हताप्राप्त नहीं हैं। इस स्कीम के लक्ष्यगत स्वरूप को देखते हुए, कम से कम 75 प्रतिशत नामांकन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों अथवा अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए आरक्षित किया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत के लिए गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.6.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में वित्त–व्यवस्था की पद्धति केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में हिस्सा बांटने की है। यह स्कीम आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं। दसवीं योजना के लिए 489 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और वर्ष 2004–05 का योजना परिव्यय 100 करोड़ रुपए था। प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लगभग 715 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुमोदित किए गए हैं, जिनके लिए वर्ष 2004–05 के लिए 167.50 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

5.7 सर्व शिक्षा अभियान

5.7.1 सर्व शिक्षा अभियान की स्कीम भारत सरकार द्वारा 2001 में शुरू की गई थी, जो सार्वजनीन प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन मोड से आगे बढ़ाने के लिए, अक्तूबर, 1998 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों से विकसित हुई थी। यह स्कीम समाज के सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक अन्तरों को पाटते हुए, प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वजनीन बनाने के चिर–इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा और इन बातों पर बल दिया गया है:

संशोधित स्कीम के मुख्य उद्देश्य ये हैं:

(i) लड़कियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों और अल्पसंख्यक समूहों की लड़कियों की ओर ध्यान केन्द्रित करना।
(ii) लड़कियों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें।
(iii) लड़कियों के लिए विशेष कोचिंग/सुधारात्मक कक्षाएं और सीखने का एक अनुकूल वातावरण।

(iv) सीखने के साम्यिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अध्यापकों को संवेदनशील बनाने के कार्यक्रम।

(v) लड़कियों की शिक्षा से सम्बन्धित नवाचारी परियोजनाओं की ओर विशेष ध्यान।

(vi) 50 प्रतिशत महिला अध्यापकों की भर्ती।

5.7.2 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच बंटवारे का अनुपात नौवीं योजना की अवधि में 85:15, दसवीं योजना में 75:25 और उसके बाद 50:50 था। इस स्कीम के लक्ष्य ये थे/हैं:

(i) 2003 तक 6–14 वर्ष के सभी बच्चे स्कूल/ई.जी.एस. केन्द्र/ ब्रिज पाठ्यक्रम में;

(ii) 2007 तक 6–14 वर्ष के सभी बच्चे पंचवर्षीय प्राथमिक शिक्षा पूरी करें;

(iii) 6–14 वर्ष के सभी बच्चे 2010 तक आठ वर्ष की स्कूल की पढ़ाई पूरी करें;

(iv) सन्तोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना, जिसमें जीवन के लिए शिक्षा पर बल दिया गया हो;

(v) 2007 तक प्राथमिक स्टेज में और 2010 तक प्रारम्भिक स्टेज में सारे लैंगिक अन्तरों और सामाजिक श्रेणी के अन्तरों को पाटना;

(vi) 2010 तक सार्वजनीन अवरोधन।

5.7.3 यह कार्यक्रम, गोवा को छोड़कर, सारे देश को कवर करता है। वर्ष 2004–05 के दौरान 598 जिलों की वार्षिक कार्य योजनाएं इस स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदित की गई थीं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन बस्तियों में नए स्कूल खोलना है, जहां पढ़ाई की सुविधाएं नहीं हैं और कक्षाओं के लिए अतिरिक्त कमरों, शौचालयों, पेय जल, अनुरक्षण अनुदान और स्कूल सुधार की व्यवस्था करके स्कूलों के मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। उन मौजूदा स्कूलों में, जहां अध्यापक पर्याप्त संख्या में न हों, वहां इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था की जाती है और मौजूदा अध्यापकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण–अधिगम सामग्री विकसित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था और शैक्षिक समर्थन ढांचे के विकास के जरिए मजबूत बनाया जाएगा। यह कार्यक्रम देहाती क्षेत्रों में भी कम्प्यूटर सहायता–प्राप्त शिक्षा की व्यवस्था करना चाहता है। दृष्टिकोण यह है कि पंचायती राज संस्थाओं के साथ सलाह करके तैयार की गई और समुदाय के स्वामित्व वाली ग्राम शिक्षा योजनाएं जिले की प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं का आधार बनें। सर्व शिक्षा अभियान समूचे देश को कवर करता है और इसमें लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और कठिन परिस्थितियों वाले अन्य बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

5.7.4 दसवीं योजना के पहले दो वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण घटना रही है। इन दो वर्षों में यह सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से बल दिया जाता रहा है कि स्कूलों से बाहर के सभी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में शामिल किया जाए। ध्यान नियमित स्कूलों के मौजूदा बुनियादी ढांचे का सुधार करने और उन बच्चों को, जो विभिन्न कारणों से स्कूल की पढ़ाई की प्रक्रिया से बाहर रह गए हों, मुख्यधारा में लाने की वैकल्पिक कार्य–नीतियों पर दिया जाता रहा है। इन सभी हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, स्कूलों से बाहर के बच्चों की अनुमानित संख्या, जो 2003–04 के शुरू में 2.3 करोड़ थी, घटकर सितम्बर 30, 2004 को 81 लाख रह गई थी (राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के अनुमानों के अनुसार)।

5.7.5 छात्र–अध्यापक का उपयुक्त अनुपात सुनिश्चित करने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समूचे देश में 3 लाख से अधिक अध्यापकों की भर्ती की गई है। देश में प्राथमिक स्कूलों के अधिकतर अध्यापक 10–20 दिनों की अवधि का वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में प्राथमिक और अपर प्राथमिक अध्यापकों को शैक्षिक (अकादमिक) समर्थन प्रदान करने के लिए ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर 60,000 से अधिक अकादमिक संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

5.7.6 आयोग ने देखा है कि 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में, अन्य बातों के साथ–साथ 200 तक की जनसंख्या वाली अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बस्तियों से 1

किलोमीटर तक के फासले के भीतर प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने के बारे में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय क्षेत्रों में तीन किलोमीटर के व्यासार्ध के अन्दर कम से कम एक माध्यमिक स्कूल और पांच किलोमीटर के व्यासार्ध के भीतर कम से कम एक उच्च माध्यमिक स्कूल होना चाहिए।**

5.7.7 सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य समूचे देश भर में सभी बच्चों को शिक्षित बनाना है। लेकिन, सी.बी.एस.ई. के माध्यम से और राज्य शिक्षा बोर्डों के माध्यम से देश में शिक्षा की दो स्तरों वाली प्रणाली का उद्देश्य एक–समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना नहीं है। प्रत्येक राज्य शिक्षा बोर्ड का अपना–अपना पाठ्य विवरण, पुस्तकें, पाठ्यक्रम, विषय–वस्तु, शैक्षणिक अवसंरचना और परीक्षा स्तर है। अनुसूचित जनजातियों के अधिकतर छात्रों की पहुंच सी.बी.एस.ई. के साथ सम्बद्ध स्कूलों तक नहीं है। सी.बी.एस.ई. की पद्धति का अनुसरण करने वाले विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन वाले संस्थानों में प्रवेश लेने और संगठित सेवाओं में शामिल होने में सुविधा होती है। **इसलिए, आयोग का मत है कि शैक्षणिक पद्धति और परीक्षा की पद्धति देश भर में एक–सी होनी चाहिए, ताकि अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों को, जो आमतौर पर स्थानीय क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में दाखिल होते हैं, कोई असुविधा न हो और वे उच्च अध्ययन वाले संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता कर सकें।**

5.8 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की मौजूदा स्कीमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो कुछ अन्य विशेष उपबन्ध किए गए हैं, उनमें अन्य बातों के साथ–साथ, ये बातें शामिल हैं:

(i) प्राथमिक/ माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए ढीले बनाए गए मानदंडः 300 की जनसंख्या वाली बस्तियों के स्थान पर 200 की जनसंख्या वाली बस्तियों से 1 किलोमीटर के फासले तक एक प्राथमिक स्कूल खोला जाना चाहिए।

(ii) सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों में कम से कम अपर प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा VIII तक ट्यूशन फीस की समाप्ति। वस्तुतः, अधिकतर राज्यों ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक ट्यूशन फीस समाप्त कर दी है।

(iii) इन विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकों, वर्दियों, लेखन–सामग्री, स्कूल बैगों, आदि जैसे प्रोत्साहन।

(iv) **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमः** इस स्कीम का ज़ोर लड़कियों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, काम करने वाले बच्चों, शहरी सुविधावंचित बच्चों, निःशक्त बच्चों, आदि जैसे सुविधाहीन समूहों पर है। लड़कियों और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए विशिष्ट कार्य–नीतियां हैं; लेकिन, भौतिक लक्ष्य एकीकृत तरीके से निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें इन समूहों सम्बन्धी लक्ष्य भी होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान (एन.आई.ई.पी.ए.) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, डी.पी.ई.पी. जिलों में 74,811 स्कूलों में 60 प्रतिशत से अधिक छात्र अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों के थे।

(v) **महिला समाख्याः** इसमें शिक्षा प्राप्ति और उपलब्धि में पारम्परिक लैंगिक असन्तुलन की ओर ध्यान दिया जाता है। इसमें महिलाओं (विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से असुविधाग्रस्त और सीमान्त समूहों को अलगाव और आत्म–विश्वास की कमी, दमनकारी सामाजिक रीति–रिवाजों और जीने के लिए संघर्ष की समस्याओं को, जो उनके सशक्तीकरण के मार्ग में बाधक हैं, सुलझाने और उनसे निपटने के लिए समर्थ बनाना शामिल है।

(vi) **प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रमः** सर्व शिक्षा अभियान की मौजूदा स्कीम के अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम अल्प सुविधाप्राप्त/सुविधाहीन समूहों की लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रारम्भिक स्तर पर अतिरिक्त संघटक मुहैया करता है। यह स्कीम शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए ब्लाकों में कार्यान्वित की जा रही है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता का स्तर

राष्ट्रीय औसत से नीचा है और लैंगिक अन्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं; यह स्कीम उन जिलों में भी कार्यान्वित की जा रही है, जहां अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कम से कम 5 प्रतिशत है और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता 1991 की जनगणना के अनुसार 10 प्रतिशत से कम है।

(vii) **जन शिक्षा संस्थानः** इसका उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों और शहरी/ ग्रामीण लोगों के शैक्षिक रूप से सुविधाहीन समूहों, विशेष रूप से नव–साक्षरों, अर्ध–साक्षरों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति महिलाओं और लड़कियों, गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों, प्रवासी कामगारों, आदि का शैक्षणिक व्यावसायिक, पेशेवर विकास करना है।

(viii) **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थानः केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर की स्कीम** अनुसन्धान, जनशक्ति विकास और जनजातीय भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने की है।

(ix) **केन्द्रीय विद्यालयः** यहां नए दाखिले में 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों से कक्षा XII तक कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती।

(x) **नवोदय विद्यालयः** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए स्थानों का आरक्षण सम्बन्धित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, परन्तु ऐसा आरक्षण 22.5 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत (15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए) से कम नहीं होगा और दोनों श्रेणियों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) को मिलाकर अधिकतम 50 प्रतिशत होगा। ये आरक्षण परस्पर–विनिमेय होंगे और खुली पात्रता के अन्तर्गत चुने हुए छात्रों के अलावा होंगे।

(xi) **राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान (नेशनल ओपन शिक्षा इंस्टिट्यूट):** अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को ब्रिज पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क में 200/– रुपए तक, माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए 250/– रुपए तक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए 300/– रुपए तक की रियायत दी जाती है।

(xii) **माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की स्कीम** के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों की किशोर छात्राओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जिलों, विशेष रूप से उन जिलों को तरज़ीह दी जाती है, जहां अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बहुत अधिक हो।

(xiii) **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियांः** ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्टेज पर दी जाने वाली 43,000 छात्रवृत्तियों में, 13,000 छात्रवृत्तियां, निर्धारित किए गए मानदंडों के पूरा होने पर, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाती हैं।

(xiv) **राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कीमः** यह स्कीम एन.सी.ईआर.टी. द्वारा विज्ञान और समाज विज्ञान के पाठ्यक्रमों का डाक्टर की उपाधि के स्तर और चिकित्सा और इंजीनियरी के पाठ्यक्रमों का सैकंड–डिग्री स्तर तक, शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन, अनुसरण करने के लिए चलाई जा रही है। 1000 छात्रवृत्तियों में से 150 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों और 75 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं।

(xv) **राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान (एन.आई.ई.पी.ए.):** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास एन.आई.ई.पी.ए. की कार्रवाई का प्रमुख क्षेत्र है। यह संस्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा कार्यक्रमों और स्कीमों के सम्बन्ध में बहुत से अध्ययन करता है। यह शिक्षा संस्थाओं और अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के विकास के सम्बन्ध में सामग्री तैयार करने का काम भी कर रहा है।

(xvi) **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाई जा रही स्कीमें**

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्षों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय–वत माने जाने वाले संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 113 विश्वविद्यालयों में, जिनमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, आरक्षण की नीति का समुचित आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्ष स्थापित किए हैं। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति स्थाई समिति विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों द्वारा हाथ में लिए गए कार्य को मानीटर करती है और उसकी समीक्षा करती है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षण की नीति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों, व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अध्यापन और अध्यापन–भिन्न दोनों प्रकार के पदों पर नियुक्तियों, प्रवेश, छात्रावास आवास, आदि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया है। राज्यों के विश्वविद्यालय राज्य सरकारों द्वारा यथाविहित आरक्षण नीति का अनुसरण करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के बारे में समय–समय पर मार्ग–निर्देश/ निर्देश/ अनुदेश जारी करता रहा है।

(ग) आरक्षण के अलावा, अनुसूचित जाति/ अनसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों में भी ढील दी गई है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को उपचारी (रेमिडियल) कोचिंग देने के लिए वित्तीय सहायता देता है। यह मौजूदा कोचिंग केन्द्रों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आयोग/ सी.एस.आई.आर. द्वारा ली जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) के लिए तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देता है।

(ड.) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों का एक केन्द्रीय पूल डाटाबेस तैयार किया है और वह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आरक्षण के विहित कोटे को पूरा करने के लिए अध्यापन के स्थानों के लिए उनकी उम्मीदवारी की सिफारिश करता है।

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए एन.ई.टी. परीक्षा में बैठने के लिए अपेक्षित अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता, एम.ए. के स्तर पर, घटा कर 50 प्रतिशत कर दी है।

(xvii) **इंजीनियरी कॉलेजः** केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित उच्च शिक्षा संस्थाएं, जिनमें आई.आई.टी., आई.आई.एम., क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आदि शामिल हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करती हैं। आरक्षण के अलावा, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दाखिले के मामले में न्यूनतम अर्हकारी अंकों में भी ढील दी गई है। छात्रावासों में भी स्थान आरक्षित किए गए हैं। किन्तु, राज्य सरकारों द्वारा संचालित संस्थाओं में आरक्षण की प्रतिशतता राज्य सरकार की नीति के अनुसार, भिन्न–भिन्न है।

(xviii) आई.आई.टी. में एक स्कीम है, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के उन छात्रों को, जो प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहते हैं, आई.आई.टी. द्वारा संचालित तैयारी पाठ्यक्रमों में दाखिल कर लिया जाता है और जो तैयारी पाठ्यक्रम के अन्त में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें दाखिले की पेशकश कर दी जाती है।

5.9 नामांकन की वृद्धि

5.9.1 अनुसूचित जनजातियों के छात्रों और छात्राओं की नामांकन दरों में, शेष लोगों की नामांकन दरों के साथ, प्रगामी वृद्धि हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन ने यह दर्शाया कि अनुसूचित जनजातियों के नामांकन में प्रगति की बेहतर रफ्तार प्राथमिक स्तर पर है, अर्थात शत–प्रतिशत है और माध्यमिक और उच्च स्तरों पर नामांकन दरों की प्रतिशतता में कमी आई है। आयु–वर्गों (6–11), (11–14) और (6–14) के आधार पर वर्ष 2003–04 में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सकल अनुपात की जानकारी देने वाला विवरण **अनुलग्नक 5.II** में दिया गया है। सकल नामांकन अनुपात की परिभाषा 6 से 11 से कम वर्ष के और 11 से 14 से कम वर्ष और/ अथवा 6 से 14 वर्ष के आयु–वर्ग के बालकों की अनुमानित संख्या की तुलना में क्रमशः कक्षा I-V और V-VIII और/अथवा I-VIII में नामांकन की प्रतिशतता के रूप में की गई है।

5.9.2 आयोग के घ्यान में यह बात लाई गई थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बी.फार्मा/ डी. फार्मा और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए दिल्ली श्रेणी के लिए अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे और इसके परिणामस्वरूप दिल्ली के उम्मीदवारों के लिए अभिप्रेत अनुसूचित जनजाति स्थान खाली पड़े रहे और ये स्थान दिल्ली–श्रेणी से भिन्न अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्रस्तुत नहीं किए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली श्रेणी से भिन्न अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार बहुत बड़ी संख्या में प्रवेश पाने से वंचित हो गए। इस मामले को दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के साथ उठाया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे ये अनुदेश जारी करें कि अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए अभिप्रेत स्थानों को उस समय, जब अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलबध न हों, दिल्ली और गैर–दिल्ली उम्मीदवारों के बीच परस्पर–बदल लिया जाए, ताकि उनके लिए अभिप्रेत आरक्षण के पूरे कोटे को भरा जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया कि इस मामले पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विचार किया गया था और गहराई से विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया था कि बी. फार्मा और डी. फार्मा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार की प्रवेश की नीति के अनुसार दिया जाए। यह उल्लेख भी किया गया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में फार्मेसी का केवल एक कॉलेज है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है और दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार, 85 प्रतिशत स्थान दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं और 15 प्रतिशत स्थान दिल्ली के क्षेत्र से बाहर के विद्यार्थियों के लिए हैं और यदि अनुसूचित जनजाति का कोई विद्यार्थी उपलब्ध न हो, तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खाली स्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित मार्ग–निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से भरा जाएगा। यह स्थिति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ध्यान में भी लाई गई, जिसने आयोग को सलाह दी कि वह इस मामले को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ उठाए और तदनुसार आयोग ने 25 अगस्त, 2005 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखा। आयोग के ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए अभिप्रेत बहुत से स्थान भरे नहीं जाते, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करते, जो 40 प्रतिशत हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को सलाह दे कि वे अपनी नीति/ अनुदेशों को ये उपबन्ध करने के लिए संशोधित करें:**

(i) **बी.फार्मा/ डी. फार्मा पाठ्यक्रमों अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में दिल्ली क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों को दिल्ली से भिन्न क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों से भर लिया जाए, जब दिल्ली क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों।**

(ii) **अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को दिल्ली क्षेत्र के अनुसूचित जाति उम्मीदवारों से भरने की मौजूदा व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।**

5.10 प्राथमिक, प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों पर बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दर

5.10.1 बीच में पढ़ाई छोड़ देने की समस्या अनुसूचित जनजातियों में एक आम विशेषता है। बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की, जैसाकि नीचे की तालिका में दिखाया गया है, तुलनात्मक समीक्षा से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य समुदायों के बीच बहुत बड़ा अन्तर है।

	कक्षा 1-V			कक्षा 1-VIII			कक्षा 1-X		
श्रेणी	1980–81	1989–90	2003–04	1980–81	1989–90	2003–04	1980–81	1989–90	2003–04
सामान्य	58.70	48.08	31.47	72.70	63.40	52.32	82.46	71.34	62.69
अनु.ज.जा.	75.66	63.81	48.93	86.71	80.10	70.05	91.18	86.00	79.25

5.10.2 उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजातियों में सभी स्तरों पर बीच में पएाई छोड़ देने वालों की संख्या अन्य समुदायों से अधिक है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए, राज्य सरकारों द्वारा बहुत से शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। हालांकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, और स्कूल की शिक्षा बुनियादी रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, फिर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए बहुत–सी पहलें की गई हैं। इस सम्बन्ध में, विभिन्न कार्यक्रम, जैसे सर्व शिक्षा अभियान और उसके संघटक–जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिनका संक्षिप्त उल्लेख पूर्ववर्ती पैराग्राफों में किया गया है, कुछ ऐसी केन्द्र–प्रायोजित स्कीमें हैं, जो 6–14 वर्ष के आयु–वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और स्कूल से बाहर के बच्चों और बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलों को सहायता देने के लिए हैं। इन स्कीमों में कम साक्षरता की निरन्तर बनी हुई समस्या और अनुसूचित जनजातीय समुदायों के सभी बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने के उच्च अनुपात की समस्या से निपटने के लिए बहुत से हस्तक्षेप शामिल हैं। अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक आधार को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए गए हैं। साक्षरता में वृद्धि करने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जैसे उन क्षेत्रों के निकट, जहां जनजातीय लोग बहुत अधिक संख्या में बसे हुए हों, स्कूल/ शिक्षा संस्थाएं खोलना, शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करना, उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के मानदंडों में ढील देना, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियों, मध्याह्न समय का भोजन, मुफ्त वर्दियां, पुस्तकें और लेखन–सामग्री जैसे प्रोत्साहन, प्रतियोगिता वाली परीक्षाओं और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं चलाना, छात्रावासों की व्यवस्था, आदि। इन कदमों ने अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा–स्तर को ऊपर उठाने में बहुत योगदान दिया है। लेकिन अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा के क्षेत्र में अन्य समुदायों के स्तर पर पहुंचने के लिए अभी बहुत अधिक लम्बा सफर तय करना है। वर्ष 2003–04 में कक्षा I-V, I-VIII और I-IX में अनुसूचित जनजातियों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने की राज्य–वार दर नीचे की तालिका में दी गई है:

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	कक्षा 1-V			कक्षा 1-VIII			कक्षा 1-X		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	63.29	68.47	65.76	76.80	82.49	79.33	82.81	87.57	84.83
अरुणाचल प्रदेश	48.58	48.37	48.48	68.07	68.12	68.09	75.88	77.70	76.69
असम	61.30	53.20	57.80	71.80	75.26	73.25	77.92	75.63	76.94
बिहार	62.28	59.51	61.22	81.71	84.39	82.84	88.14	90.41	89.05
छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	36.18	43.10	39.35	66.45	68.66	67.41	80.21	82.93	81.45

हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	10.87	10.79	10.83	14.07	26.69	20.29	44.65	48.31	46.41
जम्मू और कश्मीर	43.48	39.16	41.76	41.77	50.35	45.45	73.07	77.65	75.03
झारखण्ड*	–	–	–	–	–	–	–	–	.
कर्नाटक	4.88	4.96	4.92	53.81	56.80	55.19	59.62	63.92	61.61
केरल	6.13	9.46	7.75	33.49	37.54	35.45	56.86	49.71	53.43
मध्य प्रदेश	35.26	38.91	36.89	56.80	61.61	58.80	71.23	79.28	74.51
महाराष्ट्र	34.42	42.82	38.38	59.12	65.14	61.91	70.51	82.44	76.18
मणिपुर	38.77	54.99	46.96	62.11	60.91	61.56	78.98	78.98	78.98
मेघालय	56.76	54.43	55.60	76.32	76.21	76.27	87.22	86.12	86.76
मिजोरम	55.57	54.82	55.21	64.58	62.59	63.64	71.90	66.98	69.55
नागालैंड	35.36	34.49	34.95	60.88	57.58	59.34	66.81	67.90	67.33
उड़ीसा	59.58	63.19	61.20	76.49	76.56	76.52	83.30	84.01	83.58
पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–
राजस्थान	52.19	38.31	47.80	70.42	79.63	74.00	78.77	87.04	81.53
सिक्किम	25.25	–1.13	12.60	58.18	40.44	49.74	76.94	71.79	74.52
तमिलनाडु	16.82	12.00	15.37	48.76	3.54	32.73	66.68	55.08	61.49
त्रिपुरा	58.06	61.25	59.56	79.75	82.04	80.82	85.71	87.38	86.47
उत्तर प्रदेश	25.68	19.40	23.11	34.03	31.75	33.07	46.01	60.69	52.11
उत्तरांचल*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	67.76	51.55	62.41	84.89	78.68	83.05	80.72	71.60	78.80
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.58	5.47	2.97	24.16	28.02	26.03	60.10	41.60	51.52
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दादरा और नगर हवेली	28.17	45.01	35.99	43.54	65.37	53.42	76.77	82.78	79.45
दमन और दीव	–3.88	3.48	–0.41	26.01	38.65	31.81	76.41	77.06	76.69
दिल्ली	78.66	82.72	80.62	79.62	81.42	80.49	77.81	79.81	78.83
लक्षद्वीप	0.00	1.10	3.03	–10.66	8.12	–1.38	48.04	37.55	42.98
पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत	**49.13**	**48.67**	**48.93**	**69.04**	**71.43**	**70.05**	**77.92**	**81.16**	**79.25**

स्रोतः चुने हुए शैक्षिणक आंकड़े, 2003–04, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग।

*** बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दरें माता–पिता के राज्यों के साथ मिलाकर दिखाई गई हैं।**

5.10.3 ऊपर की तालिका में दिए गए आंकड़ों को, **अनुलग्नक 5.III** में अनुसूचित जातियों के बारे में दिए गए ऐसे ही आंकड़ों के साथ और **अनुलग्नक 5.IV** में बीच में पढ़ाई छोड़ने के बारे में दी गई अखिल भारतीय दरों के साथ पढ़ने से यह प्रकट होता है कि वर्ष 2003–04 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दर प्राथमिक स्तर पर क्रमशः 36.56 प्रतिशत और 48.93 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में अखिल भारतीय दर 31.47 प्रतिशत थी। शिक्षा के मिडल स्तर पर अनु.जा. और अनु.ज.जा. की बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर क्रमशः 59.42 प्रतिशत और 70.05 प्रतिशत थी और इसकी तुलना में बीच में पढ़ाई छोड़ने की अखिल भारतीय दर 52.32 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, कक्षा I से X तक में, बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दर, इसकी अखिल भारतीय दर से ऊंची थी, अर्थात अनुसूचित जाति के मामले में यह 73.13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के मामले में 79.25 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में इसी अवधि में बीच में पढ़ाई छोड़ने की अखिल भारतीय दर 62.69 प्रतिशत थी। आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के मामले में बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दर इसकी अखिल भारतीय दर से ऊंची थी। यह भी पाया गया है कि अनुसूचित जनजातियों की प्राथमिक कक्षाओं में बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दर, जो 1991 में 62.5 प्रतिशत थी, घटकर वर्ष

2003–04 में 48.9 प्रतिशत हो गई थी। अपर प्राथमिक कक्षाओं में बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर, जो 1990–91 में 78.6 प्रतिशत थी, घटकर 70.05 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार, माध्यमिक कक्षाओं में बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दर, जो 1990–91 में 85.00 प्रतिशत थी, कम होकर 2003–04 में 79.25 प्रतिशत हो गई है।

5.10.4 ऊपर दिए गए आंकड़ों से प्रकट होता है कि कक्षा I-V, I-VIII और I-X में बीच में पढ़ाई छोड़ने की अखिल भारतीय दर क्रमशः 31.47 प्रतिशत, 52.32 प्रतिशत और 62.69 प्रतिशत है, जिसकी तुलना में अनुसूचित जनजाति बच्चों में बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर क्रमशः 48.93 प्रतिशत, 70.05 प्रतिशत और 79.25 प्रतिशत है। बीच में पढ़ाई छोड़ने की अखिल भारतीय दर और अनुसूचित जनजाति बच्चों की बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर के बीच अभी भी बहुत अन्तर है और, इसलिए **आयोग सिफारिश करता है कि स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर और उच्च शिक्षा में भी अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दर को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएं:**

(i) विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की स्थितियां संतोषजनक नहीं पाई गई हैं। यह देखा गया है कि पेय जल, सफाई, कुकिंग गैस, आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। **इसलिए, यह जरूरी है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दे, ताकि स्कूल शिक्षा के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर विद्यार्थियों को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।**

(ii) यह देखा गया है कि बहुत से छात्रावास किराए की इमारतों में चल रहे हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। आयोग ने जनजातीय क्षेत्रों में फील्ड दौरों के समय यह भी देखा है कि छात्रावासों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी स्थान–क्षमता मांग की अपेक्षा बहुत कम है। **इसलिए, आयोग की राय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को आकर्षित करने और स्कूलों में उनका अवरोधन सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केन्द्र–प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत प्रकाश, पानी, बिजली, रसोई, पुस्तकालय, आदि जैसी सुविधाओं वाले छात्रावासों की इमारतों के निर्माण का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें।**

(iii) **लिखने–पढ़ने और सीखने को एक आनन्दप्रद अनुभव बनाने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि विशेष रूप से दूर–दराज़ के जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में दृश्य माध्यमों, अर्थात दूरदर्शन, फिल्मों आदि के जरिए दूरस्थ शिक्षा पद्धति की सहायता ली जाए।**

(iv) परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों में बीच मे पढ़ाई छोड़ने का बुनियादी कारण ठहराया जा सकता है और यह स्थिति जनजातीय व्यक्तियों को अपने बच्चों को एक आर्थिक यूनिट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विवश कर देती है, जो परिवार के लिए कुछ आय अर्जित करे। **यह भी आवश्यक है कि बच्चों के ऐसे माता–पिताओं को, जिनकी आय गरीबी की रेखा से नीचे है, कुछ आर्थिक प्रोत्साहन इस उद्देश्य से दिए जाएं कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की बजाए उनका उपयोग एक आर्थिक यूनिट के रूप में करने की विवशता से उनका पीछा छूट जाए।**

(v) इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि माताएं अपने बच्चों के सोच–विचार की प्रक्रिया को आकार देने और ढालने में और उससे उनके भविष्य का निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। आधुनिक काल में शिक्षा के महत्त्व से अनजान होने के कारण, वनों और दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाली बच्चों की माताएं अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने में

संकोच करती हैं। **इसलिए, यह जरूरी है कि माता–पिता को, और विशेष रूप से माताओं को इस बात की जानकारी दी जाए कि उनके बच्चों को आत्म–निर्भर बनाने में और परिवार की आय में योगदान देने के योग्य बनाने में शिक्षा का क्या महत्त्व है। यह कार्य जनजातीय क्षेत्रों में गैर–सरकारी संगठनों, आदि के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम शुरू करके सफलतापूर्वक किया जा सकता है।**

(vi) अध्यापकों के बहुत अधिक पद खाली पड़े रहते हैं, विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या काफी अधिक होती है। इससे नामांकन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति बच्चों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने को बढ़ावा मिलता है। **जनजातीय कार्य मंत्रालय को सम्बन्धित राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सलाह देनी चाहिए कि वे अध्यापकों को बढ़िया आवास, चिकित्सा सुविधाओं, आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन देने की स्कीमें तैयार करके और यह सुनिश्चित करके कि जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों में अध्यापकों के पदों को, यथासम्भव सीमा तक, स्थानीय जनजातीय उम्मीदवारों को अध्यापक नियुक्त करके भरा जाए, खाली पदों को भरें।**

(vii) अधिकतर मामलों में, बीच में पढ़ाई छोड़ देने का एक कारण जनजातीय बच्चों का एक ही कक्षा में बार–बार फेल होना है। **इसका इलाज जनजातियों के कमजोर और औसत से कम योग्यता वाले छात्रों की पहचान करके और छुट्टी के दिनों में अथवा रात को उन्हें निःशुल्क अतिरिक्त शिक्षा देने के प्रबन्ध करके किया जा सकता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को सलाह दी जाए कि वह सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखे कि वे अध्यापकों को कुछ नकद प्रोत्साहन देकर इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध करें।**

(viii) अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रसार के मार्ग में एक प्रमुख बाधा यह है कि उनके माता–पिता अप्रैल से जून के मध्य तक की अवधि में आजीविका की तलाश में मौसमी रूप से अन्य स्थानों पर चले जाते हैं और यह वही अवधि है, जिसमें बच्चों की परीक्षाएं होती हैं। जब मां–बाप अपनी बस्तियों से अन्य स्थानों पर जाते हैं, तो उन्हें अपने पढ़ने वाले बच्चों को भी अपने साथ ले जाना पड़ता है, क्योंकि वे उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते। इससे बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। मौसमी प्रव्रजन की यह समस्या उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों में विशेष रूप से विद्यमान है, जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या काफी अधिक है (ये सभी राज्य अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य हैं)। **आयोग सिफारिश करता है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजाति परिवारों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो अपनी आजीविका की तलाश के लिए अस्थायी रूप से अन्य स्थानों पर प्रव्रजन का फैसला करें और अपने बच्चों को इसलिए पीछे छोड़ जाने के लिए राज़ी हों कि बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और परीक्षाएं दे सकें, खाने–पीने और रहने की उपयुक्त स्कीमें तैयार करें। विकल्प के रूप में, राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाए कि वे अनुसूचित जनजाति के बच्चों के अपने अस्थायी प्रव्रजन के स्थानों से अपनी मूल बस्तियों में लौटने के बाद उनकी विशेष परीक्षाएं लेने के विशेष प्रबन्ध करें। इससे अनुसूचित जनजातियों के सफल बच्चों को अगली उच्च कक्षा में चढ़ाने में सहायता मिलेगी।**

(ix) जनजातीय लड़कों में पढ़ाई बीच में छोड़ देने की घटनाएं शिक्षा के मिडल और माध्यमिक स्तरों पर विशेष रूप से अधिक होती हैं। जनजातीय परिवारों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का नामांकन और माध्यमिक स्तर तक उनका अवरोधन अर्थात पढ़ाई जारी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन गरीबी के कारण माता–पिता अपने बच्चों को, विशेष रूप से लड़कियों को स्कूलों में भेजने के लिए अनिच्छुक होते हैं। स्कूलों में अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के नामांकन और अवरोधन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों के सुझाव दिए जाते हैं:

(क) ठीक प्रवेश के समय पर ही प्रवेश शुल्क, पुस्तकों, कापियों और लेखन–सामग्री, स्कूल की पोशाक और धुलाई–व्यय/ पोशाक की सामग्री के बारे में वित्तीय सहायता

दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन से, राज्य सरकारों को शिक्षा सत्र के शुरू होने से काफी पहले आवश्यक प्रबन्ध करने चाहिएं।

(ख) विद्यार्थियों–यथास्थिति दिवा छात्रों अथवा छात्रावासों के छात्रों – की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मेट्रिक–पूर्व वजीफे नियमित रूप से दिए जाने चाहिएं, ताकि बच्चे नियमित आधार पर स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित हों।

(ग) 75 प्रतिशत उपस्थिति और स्कूल नोट बुक में किए गए कार्य वाले प्रत्येक विद्यार्थी को नकद अवार्ड के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं। इसके अलावा, परीक्षाओं में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्याार्थियों को भी नकद अवार्ड दिए जाने चाहिएं।

(घ) मध्याह्नकाल के भोजन की स्कीम का विस्तार कम से कम अनुसूचित जनजाति छात्राओं के लिए मेट्रिक के स्तर तक किया जाना चाहिए। इससे अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के परिवारों को भारी राहत मिलेगी।

(ड.) कक्षा XI और XII के छात्रों को अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन–विज्ञान, वाणिज्य और अर्थशास्त्र में विशेष शिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इससे उन्हें सामान्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वाले कॉलेजों में प्रवेश पाने में सहायता मिलेगी।

5.11.1.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग) के अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जो अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षणिक विकास का नोडल मंत्रालय है, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए विशेष स्कीमें/ कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात (i) केन्द्र–प्रायोजित स्कीमें, जिनके अन्तर्गत राज्यों को समतुल्य (50:50) सहायता दी जाती है, और (ii) केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमें, जिनके अन्तर्गत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को 100 प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं।

5.11.1 केन्द्र–प्रायोजित स्कीमें

(i) मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम

5.11.1.1 मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम, जो 1944–45 से चल रही है, अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्कीमों में से एक है, जिससे वे उच्च अध्ययन कर सकते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत, मेट्रिकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह स्कीम विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक, तकनीकी पाठ्यक्रमों को और गैर–व्यावसायिक और गैर–तकनीकी पाठ्यक्रमों को भी तथा इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा सहित पत्राचार पाठ्यक्रमों को कवर करती है। मौजूदा छात्रवृत्तियों के मूल्य में भरण–पोषण भत्ता, नेत्रीय रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए वाचक प्रभार, शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए मार्गरक्षी और परिवहन भत्ता, अध्ययन दौरा प्रभार, शोध–प्रबन्ध का टाइपिंग/मुद्रण, पत्राचार पाठ्यक्रमों का अनुशीलन करने वाले छात्रों को पुस्तक भत्ता और शिक्षा संस्थाओं द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य और गैर–प्रत्यर्पणीय शुल्क शामिल होता है।

5.11.1.2 आम जनता और उनके प्रतिनिधियों की निरन्तर मांग और उनके अनुरोध पर, मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण के सम्बन्ध में गठित कार्य–समूहों की सिफारिशों पर भरण–पोषण भत्ते, अन्य भत्तों की दरों और आय की उच्चतम सीमा को संशोधित करके 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है और ये 1.4.2003 से लागू हैं। संशोधित स्कीम के अनुसार, अनुरक्षण भत्ते की राशि, पाठ्यक्रमों के स्तर के आधार पर, छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए 235 रुपए से लेकर 740/– रुपए प्रतिमास तक और दिवा छात्रों के लिए 140/– रुपए से लेकर 330/– रुपए प्रतिमास तक है। इस स्कीम के अन्तर्गत विहित वार्षिक आय की उच्चतम सीमा 1.00 लाख रुपए है, जो अक्तूबर, 2002 के औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जुड़ी हुई है। आयोग यह कहना चाहेगा कि आय की उपर्युक्त उच्चतम सीमा और विभिन्न श्रेणियों के पाठ्यक्रमों के

लिए छात्रवृत्ति की राशि तीन वर्ष से भी पहले निर्धारित की गई थी। मंहगाई के दबाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति में निरन्तर गिरावट आई है और, इसलिए, इस स्कीम के तहत आय की उच्चतम सीमा को और छात्रवृत्तियों की राशियों को मौजूदा स्थिति के अनुरूप बनाने के लिए बढ़ाए जाने की वास्तविक आवश्यकता है। **आयोग सिफारिश करता है कि:**

(i) मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के प्रयोजन से छात्रों के माता–पिताओं के सम्बन्ध में आय की उच्चतम सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया जाए और छात्रवृत्ति की राशि को छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के मामले में 235 रुपए से बढ़कर 500 रुपए और 740 रुपए से बढ़ा कर 1000 रुपए कर दिया जाए और दिवा छात्रों के मामले में 330 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया जाए।

(ii) उन जनजातीय छात्रों के साथ, जो दिवा छात्र हैं लेकिन जो किराए के स्थान में रहते हैं, छात्रावास में रहने वाले छात्रों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके मामले में भी छात्रवृत्ति की राशि छात्रावास में रहने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति के बराबर होनी चाहिए।

5.11.1.3 आयोग ने देखा है कि राज्य सरकारों के पास भी मेट्रिक–पूर्व स्तर पर जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने की स्कीमें हैं और कुछ राज्य सरकारों (जैसे उत्तरांचल राज्य सरकार) ने कक्षा IX और X में पढ़ने वाले जनजातीय बच्चों के माता–पिता के मामले में आय की उच्चतम सीमा 2,500/– रुपए प्रतिमास रखी हुई है। **आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को उन सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को, जो ऐसी स्कीम चला रहे हैं, कक्षा I से X तक में पढ़ने वाले सभी जनजातीय बच्चों के माता–पिताओं के सम्बन्ध में आय की उच्चतम सीमा को समाप्त करने की सलाह देनी चाहिए।**

5.11.1.4 छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम की समूची अवधि के लिए उपलब्ध होती है और वार्षिक आधार पर अदा की जाती है और छात्र के सन्तोषजनक कार्य–निष्पादन ओर आचरण के अधीन होती है।

5.11.1.5 इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों और संध राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों को जनजातीय कार्य मंत्रालय से 100 प्रतिशत सहायता मिलती है, जो राज्य सरकारों और संध राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों के उस वचनबद्ध दायित्व के अलावा होती है, जिसका वहन उनके द्वारा अपनी बजटीय व्यवस्थाओं से किया जाना होता है। वचनबद्ध दायित्व पिछले पांच वर्षों के अन्तिम वर्ष में हुए वास्तविक व्यय के बराबर होता है। तदनुसार, नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात 2001–2002 में हुआ व्यय राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों का वचनबद्ध दायित्व बन गया है, जिसका वहन उनके द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान किया जाना अपेक्षित है। लेकिन, उत्तर–पूर्वी राज्यों को 1997–98 से अपने वचनबद्ध दायित्वों के सम्बन्ध में बजटीय व्यवस्थाएं करने से छूट दे दी गई है और इस स्कीम के तहत उनके सम्बन्ध में सारा व्यय भारत सरकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय) द्वारा वहन किया जाता है।

5.11.1.6 दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम का विलय पुस्तक बैंकों और पात्रता के उन्नयन की स्कीमों में कर दिया गया है और संयुक्त स्कीम के लिए 383.09 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। वर्ष 2005–06 के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए बजट अनुमानों में 229.65 करोड़ रुपए का आबंटन था और संशोधित अनुमानों में 210.15 करोड़ रुपए का था और संशोधित अनुमानों में 210.65 करोड़ रुपए का था। जिन राज्यों से संयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उन्हें 181.83 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं। वर्ष 200–2003 से 2005–06 तक के वर्षों में लाभभोगियों की राज्य–वार कवरेज और रिलीज़ की गई केन्द्रीय सहायता की जानकारी **अनुलग्नक 5.V** में दी गई है।

5.11.1.7 **आयोग ने देखा है कि अधिकतर जनजातीय माता–पिता को इस स्कीम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसलिए, देश के जनजातीय क्षेत्रों में इस स्कीम के बारे में व्यापक प्रचार किए जाने की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि अनुसूचित जनजाति के अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च और तकनीकी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए आगे आएं। जनजातीय कार्य मंत्रालय को काफी अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों को यह सलाह भी देनी चाहिए कि वे विभिन्न स्कीमों के बारे में, जिनमें मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भी शामिल है, सूचना का प्रसार करने के लिए अपने**

वेबसाइट विकसित करें। इन वेबसाइटों में जनजातीय कार्य मंत्रालय के वेबसाइट के साथ संयोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

5.11.1.8 आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि भारत सरकार द्वारा (अर्थात राज्य सरकारों के वचनबद्ध दायित्व के अलावा) और राज्य सरकारों के द्वारा धनराशियों के रिलीज़ न किए जाने के कारण मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के संवितरण में विलम्ब हो जाता है, **इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारों को, उनके बचनबद्ध दायित्व से ऊपर की राशियों का विमोचन समय पर किया जाए। मंत्रालय को राज्य सरकार को ये अनुदेश भी जारी करने चाहिएं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को इन छात्रवृत्तियों का संवितरण समय पर हो, वचनबद्ध दायित्व तक की अपेक्षित राशि जिला प्राधिकारियों को समय पर रिलीज़ की जाए। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी जाए कि वे छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खातों के माध्यम से संवितरित किए जाने की संभावनाओं का पता लगाएं।**

5.11.1.9 **आयोग यह भी सिफारिश करता है कि अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रतियोगिता करने के योग्य बनाने के लिए इन छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने की स्कीम के अनुरूप, जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रबन्धन और तकनीकी पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों में प्रवेश–पूर्व कोचिंग प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने पर भी विचार करना चाहिए। इसी के अनुरूप, राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे जनजातीय छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश–पूर्व कोचिंग प्रदान करें।**

(ii) पुस्तक बैंक स्कीम

5.11.1.10 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए चुने गए बहुत से जनजातीय छात्र अपने विषयों की पुस्तकों के अभाव के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, क्योंकि वे पुस्तकें प्रायः मंहगी होती हैं। यह स्कीम ऐसी व्यावसायिक संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए उन मेधावी जनजातीय विद्यार्थियों को, जिनके पास आवश्यक संसाधन न हों, सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की पहुंच अद्यतन पुस्तकों तक कराना और ऐसे पाठ्यक्रमों में जनजातीय विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाई छोड़ देने के अनुपात को घटाना है।

5.11.1.11 यह स्कीम चिकित्सा (जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपेथी भी शामिल है), इंजीनियरी, कृषि, पशु–चिकित्सा, पोलीटेक्निक्स, विधि, चार्टर्ड लेखापालन, व्यापार प्रबन्ध, जैव–विज्ञान आदि के सभी विषयों के लिए खुली है, जिनमें मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले जनजातीय छात्र पढ़ रहे हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं:

(i) "पुस्तक बैंकों" के लिए पुस्तकों की खरीद केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित है।

(ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और चार्टर्ड लेखापालन के सिवाय, जिनमें प्रत्येक छात्र के लिए पुस्तकों का एक सेट खरीदा जाता है, सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रत्येक दो छात्रों के लिए पुस्तकों का एक सेट खरीदा जाता है।

(iii) प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक सेट में शामिल की जाने वाली पुस्तकों के बारे में फैसला, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है।

(iv) पुस्तकों के प्रत्येक सेट की जीवन–अवधि 3 वर्ष निर्धारित की जाती है।

(v) पुस्तक बैंक स्थापित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित उच्चतम सीमा अथवा सेट की वास्तविक लागत तक, जो भी कम हो, तक सीमित है:

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	एक सेट की लागत (दो छात्रों के लिए एक सेट)
I	**स्नातक पाठ्यक्रम**	
	(i) चिकित्सा (मेडिकल)	7,500/– रुपए
	(ii) इंजीनियरी	7,500/– रुपए
	(iii) पशु–चिकित्सा	5,000/– रुपए
	(iv) कृषि	4,500/– रुपए
	(v) पोलीटेक्निक्स	2,400/– रुपए
II	**स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम** व्यापार प्रबन्धन, विधि और जैव–विज्ञान	5000/– रुपए (प्रति छात्र एक सेट)

(vi) यह स्कीम लोहे की अल्मारी खरीदने, परिवहन लागत, आदि के लिए 2000/– रुपए अथवा वास्तविक लागत में से जो भी कम हो, उतनी राशि प्रदान करती है। पुस्तकें सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ कॉलेज को मुहैया की जाती हैं और छात्रों को शिक्षा वर्ष के लिए जारी की जाती हैं।

5.11.1.12 इस स्कीम के अन्तर्गत खर्च का बंटवारा केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर किया जाता है। लेकिन संघ राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की स्कीम और पात्रता के उन्नयन की स्कीम के साथ मिला दिया गया है और मिलाई गई स्कीम के लिए 383.09 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

5.11.1.13 यह स्कीम, अपने मौजूदा रूप में, स्नातक स्तर के सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के दो छात्रों को पुस्तकों का एक सेट देने और मेडिकल, इंजीनियरी, व्यापार प्रबन्ध, विधि, जीव–विज्ञान और चार्टर्ड लेखापालन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मामले में प्रत्येक छात्र को एक सेट देने की अनुमति देती है। पूर्वोक्त स्थिति में छात्रों को स्वतंत्र अध्ययन करने में रुकावट आती है। इस असुविधा की ओर ध्यान देने और इसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। **तदनुसार, आयोग सिफारिश करता है कि स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्र को पुस्तकों का एक सेट दिया जाना चाहिए, जैसाकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मामले में होता है।**

(iii) अनुसूचित जनजाति छात्रों का पात्रता उन्नयन

5.11.1.14 यह स्कीम 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कक्षा IX से XII में अनुसूचित जनजाति छात्रों को उपचारी और विशेष कोचिंग देकर उनकी पात्रता का उन्नयन करना और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए भी उन्हें विशेष कोचिंग देना है। इस स्कीम की खास विशेषताओं में ये शामिल हैं:

(i) राज्य सरकारें/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन विभिन्न जिलों/ कस्बों में छात्रावास सुविधाओं वाले और कक्षा IX से XII की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के कार्य–निष्पादन की उत्कृष्टता वाले कुछ स्कूलों का चुनाव करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय वार्षिक रूप से प्रत्येक राज्य के लिए अवार्डों की कुल संख्या तय करता है।

(ii) अभिज्ञात स्कूलों में कक्षा IX से कोचिंग शुरू होती है और अवार्ड प्राप्त करने वाले छात्र द्वारा कक्षा XII की पढ़ाई पूरी किए जाने तक जारी रहती है।

(iii) भाषा–विज्ञान और गणित के विषयों में कोचिंग दी जाती है और इसके साथ–साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान की जाती है।

(iv) विद्यार्थियों का चुनाव करते समय उद्देश्य यह होता है कि जनजातीय समुदाय की कम से कम 30 प्रतिशत छात्राएं और 3 प्रतिशत विकलांग छात्र शामिल किए जाएं।

(v) 15,000/– रुपए प्रति वर्ष प्रति छात्र का एक पैकेज अनुदान दिया जाता है, जिसमें कोचिंग प्रदान करने वाले प्रिंसीपल अथवा विशेषज्ञों को दिया जाने वाला मानदेय और आनुषंगिक व्यय को पूरा करने वाली राशि भी शामिल होती है।

(vi) निःशक्तता वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।

(vii) यह एक केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीम है और इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है।

5.11.1.15 दसवीं पंचवर्षीय योजना में, इस स्कीम को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों और पुस्तक बैंकों की स्कीमों के साथ मिला दिया गया है और मिली–जुली स्कीम के लिए 383.09 करोड़ रुपए का आबंटन निर्धारित किया गया है। वर्ष 2005–06 के लिए, पात्रता उन्नयन स्कीम के अन्तर्गत आबंटन की 1.00 करोड़ रुपए की कुल राशि राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को रिलीज़ कर दी गई थी और इस स्कीम से 658 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा था। वर्ष 2000–2003 से 2005–2006 में लाभभोगियों की राज्य–वार कवरेज और रिलीज़ की गई राशियों की जानकारी **अनुलग्नक 5.VI** में दी गई है।

(iv) अनुसूचित जनजातियों और लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण

5.11.1.16 लड़कियों के छात्रावास बनाने की स्कीम तीसरी योजना की अवधि में शुरू की गई थी। अनुसूचित जनजातीय लड़कों के लिए छात्रावास बनाने की एक अलग स्कीम 1989–90 में शुरू की गई थी। दसवीं योजना की अवधि में इन दोनों स्कीमों का आपस में विलय कर दिया गया। यह स्कीम अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों और लड़कों में शिक्षा का प्रसार करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनजातियों के ऐसे विद्यार्थियों को, जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति और अपने गांवों के बहुत दूरी पर स्थित होने के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने की स्थिति में नहीं हैं, छात्रावास स्थान मुहैया करके जनजातीय विद्यार्थियों में साक्षरता का प्रसार किया जाए।

5.11.1.17 यह स्कीम देश की समूची जनसंख्या के लिए है, और क्षेत्र–सापेक्ष नहीं है। खर्च का बंटवारा केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में किया जाता है। जहां तक संघ राज्यक्षेत्रों का सम्बन्ध है, उन्हें 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं ये हैं:

(i) इस स्कीम में छात्रावासों की मौजूदा इमारतों का विस्तार करने और शिक्षा के मिडल, माध्यमिक, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तरों के लिए नए छात्रावासों का निर्माण करने की व्यवस्था है।

(ii) छात्रावासों की इमारतें जनजातीय उप–योजना के क्षेत्र के अन्दर अथवा बाहर किसी भी स्थान पर बनाई जा सकती हैं, लेकिन वे केवल जनजातीय विद्यार्थियों के लिए होंगी।

(iii) राज्य सरकार इमारत के लिए जमीन मुफ्त मुहैया करती है।

(iv) स्कीम छात्रावासों के संचालन के लिए आवर्ती व्यय की व्यवस्था नहीं करती।

(v) छात्रावासों का अनुरक्षण और उनके उपयोग का विनियमन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

5.11.1.18 नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दोनों स्कीमों के लिए संयुक्त आबंटन 73.30 करोड़ रुपए का किया गया था। तीसरी योजना से नौवीं योजना तक इस स्कीम के लिए आबंटन में काफी वृद्धि की गई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के अन्तर्गत कुल 134.24 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। वर्ष 2005–06 में, 14.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर राज्यों और पंजाब विश्वविद्यालय,

चंडीगढ़ को अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों और लड़कों के 13 छात्रावासों के लिए 9.92 करोड़ रुपए (20.2.06 तक) रिलीज़ किए गए थे। पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों को रिलीज़ किए गए सहायता अनुदानों का ब्योरा और मंजूर किए गए छात्रावासों का ब्योरा **अनुलग्नक 5.VII** में दिया गया है।

5.11.1.19 अनुलग्नक 5.VII की तालिका में वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान छात्रावासों की संख्या और उनकी सीटों की संख्या की जानकारी दी गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में इस स्कीम के शुरू होने के समय से लेकर (इस स्कीम को बाद में अनुसूचित जनजाति के लड़कों के छात्रावासों के निर्माण की स्कीम में मिला दिया गया था) बनाए गए लड़कियों के छात्रावासों की कुल संख्या के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार, 1989–90 से लेकर, जब यह स्कीम शुरू की गई थी, अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए बनाए गए कुल छात्रावासों की संख्या के बारे में भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। **आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को अपनी अगली वार्षिक रिपोर्ट में इस स्कीम के अन्तर्गत लड़कों और लड़कियों के लिए बनाए गए छात्रावासों की कुल संख्या के बारे में अलग–अलग सूचना राज्य–वार देनी चाहिए और इसके साथ प्रत्येक छात्रावास में स्वीकृत सीट–क्षमता की जानकारी भी देनी चाहिए। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि छात्रावासों में प्रवेश के मानदंडों को उपयुक्त रूप से ढीला बनाया जाना चाहिए, यदि सामान्य हकदारी अपेक्षाओं के संदर्भ में सभी सीटों का इस्तेमाल न होता हो।**

5.11.1.20 आयोग ने जनजातीय क्षेत्रों में अपने फील्ड दौरों के समय यह देखा है कि छात्रावासों में सीट–क्षमता, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए, आवश्यकता से बहुत कम है और यह कम नामांकन होने और छात्राओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने के मामलों में वृद्धि होने का प्रमुख कारण है, जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः अनुसूचित जनजातियों में महिला साक्षरता कम है। **इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की अवलिम्ब आवश्यकता है।**

(v) जनजातीय उप–योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना की स्कीम

5.11.1.21 यह स्कीम 1990–91 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल पद्धति के अनुरूप शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना है। यह स्कीम देश के 21 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों में फैले हुए, जनजातीय उप–योजना के सभी क्षेत्रों को कवर करती है।

5.11.1.22 इस स्कीम के तहत लागत का बंटवारा केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में किया जाता है। संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में, इस स्कीम के अन्तर्गत सारी राशि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मुहैया की जाती है।

(i) यह स्कीम प्राथमिक स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिए धन मुहैया करती है और प्राथमिक स्तर के मौजूदा आश्रम स्कूलों का उन्नयन करने की व्यवस्था करती है।

(ii) इस स्कीम के अन्तर्गत, स्कूलों की इमारतों के अलावा, छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का कार्य भी हाथ में लिया जाता है। राज्य सरकार आश्रम स्कूलों को भूमि मुहैया करती है।

(iii) व्यय की अन्य अनावर्ती मदों, जैसे स्कूल और पुस्तकालय के लिए फर्नीचर, उपस्कर, पुस्तक सेटों की खरीद, आदि के लिए भी अनुदान दिया जाता है।

(iv) इस स्कीम के अन्तर्गत केवल पूंजीगत लागत की व्यवस्था की जाती है। आवर्ती खर्च राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाने होते हैं।

(v) नए स्कूलों की अवस्थिति और प्रवेश की नीति इस प्रकार निश्चित की जाती है कि अनुसूचित जनजाति लड़कियों और आदिम जनजाति समूहों के बच्चों, प्रवासी अनुसूचित जनजातियों, श्रमिक और खानाबदोश अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाए।

5.11.1.23 नौवीं योजना में 44.86 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 78.30 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। वर्ष 2005–06 के लिए, आबंटन 6.00 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 5.50 करोड़ रुपए (20.2.06 तक) गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों को आश्रम स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिए रिलीज़ किए गए थे। वर्ष 2002–03 से 2005–06 तक रिलीज किए गए अनुदानों और मंजूर किए गए आश्रम स्कूलों की जानकारी **अनुलग्नक 5.VIII** में दी गई है।

5.11.1.24 लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की स्कीम के मामले की तरह, जनजातीय कार्य मंत्रालय की किसी भी वार्षिक रिपोर्ट (2005–06 तक) में इस स्कीम के 1990–91 में शुरू होने के समय से लेकर बनाई गई आश्रम स्कूलों की इमारतों की कुल संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। **तदनुसार, आयोग जनजातीय कार्य मंत्रालय को सलाह देता है कि उन्हें जनजातीय उप–योजना वाले 21 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों में काम कर रहे आश्रम स्कूलों की कुल संख्या (राज्य–वार) की जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। आयोग ने देखा है कि आश्रम स्कूलों के कार्यकरण, उनमें उपलब्ध सुविधाओं और अध्यापन की क्वालिटी, भोजनालय सुविधाओं, आदि के बारे में इस समय कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय को जनजातीय अनुसन्धान संस्थानों द्वारा जनजातीय उप–योजना वाले 21 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों में आश्रम स्कूलों के कार्यचालन के बारे में उपयुक्त मूल्यांकन अध्ययन कराना चाहिए।**

(vi) जनजातीय अनुसन्धान संस्थानों को अनुदान

5.11.1.25 यह स्कीम पंचवर्षीय योजना के समय से कार्यान्वित की जा रही है। इसके तीन संघटक हैं:

(i) जनजातीय अनुसन्धान संस्थानों को अनुदान, जिनका बंटवारा केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 के आधार पर किया जाता है।

(ii) जनजातीय विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में 100 प्रतिशत अनुदान आधार पर अनुसन्धान शिक्षावृत्तियां देना (डाक्टरल और डाक्टरल–पश्चात कार्यक्रमों के लिए), और

(iii) अखिल भारतीय अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता देना, जिसके अन्तर्गत संस्थानों/ अनुसन्धान संगठनों/ विश्वविद्यालयों को जनजातीय विकास से सम्बन्धित अनुसन्धान और मूल्यांकन अध्ययन करने, संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं आयोजित करने और साहित्य प्रकाशित करने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

5.11.1.26 स्कीम के जनजातीय अनुसन्धान संस्थानों को अनुदान सम्बन्धी संघटक के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों (आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) में स्थापित 16 जनजातीय अनुसन्धान संस्थानों को अनुदान दिए जाते हैं। ये संस्थान जनजातियों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों के बारे में अनुसन्धान और मूल्यांकन अध्ययन करते हैं। संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, राज्य सरकारों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और उनका दिशा–निर्देशन करते हैं तथा राज्य सरकारों को जनजातीय उप–योजनाएं तैयार करने में सहायता देते हैं। अधिकतर संस्थानों में जनजातीय कलावस्तुओं के प्रदर्शन के लिए संग्रहालय हैं। स्कीम के अन्तर्गत अंडमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र को इस संस्थान के संचालन और अनुरक्षण के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

5.11.1.27 जनजातीय विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में अनुसन्धान शिक्षावृत्तियां (डाक्टरल और डाक्टरल–पश्चात) देने से सम्बन्धित संघटक के अन्तर्गत, विद्यार्थियों/ अनुसन्धानकर्ताओं को, जो किसी विश्वविद्यालय के साथ जनजातीय कार्यक्रम/ समस्याओं के बारे में कार्य करने के लिए

पंजीयित हों, 100 प्रतिशत आधार पर अनुसन्धान छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। डाक्टरल और डाक्टरल–पश्चात पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दर क्रमशः 2800/– रुपए और 3200/– रुपए प्रति मास है। इसके अलावा, 10,000/– रुपए का एक वार्षिक आकस्मिक अनुदान भी दिया जाता है।

5.11.1.28 अखिल भारतीय अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता सम्बन्धी संघटक के अन्तर्गत अनुसन्धान और मूल्यांकन परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं। गैर–सरकारी संगठनों, सरकारी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को जो अनुसन्धान/ मूल्यांकन अध्ययन करते हैं, 8–12 महीनों की अवधि के लिए 2.50 लाख रुपए प्रति परियोजना तक अनुदान दिए जाते हैं। संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं आयोजित करने और जनजातीय मामलों सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं।

5.11.1.29 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस परियोजना के कार्यचालन का मानीटरन और मूल्यांकन करने की एक स्कीम भी शुरू की है। इस स्कीम के अन्तर्गत परियोजनाओं को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत आधार पर सहायता दी जाती है।

5.11.1.30 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में, जिनमें उनकी संस्कृति, परम्पराएं, शिक्षा भी शामिल है और मंत्रालय की सामाजिक–आर्थिक विकास और कल्याण की स्कीमों के बारे में वृत्त–चित्र (डाकुमेंटरी फिल्म) बनवाए हैं। विचार यह है कि जनजातियों को वैज्ञानिक तरीके और अनुसन्धान पर आधारित रूप से प्रलेखबद्ध किया जाए, जिसमें स्थूल रूप से जनांकिकीय, ऐतिहासिक, सामाजिक–सांस्कृतिक विवरणों, आर्थिक स्थितियों, लोक नृत्यों आदि का चित्रण हो, ताकि उसे मंत्रालय में एक सन्दर्भ अभिलेख के रूप में रखा जाए और जानकारी का प्रसार जन–साधारण में किया जा सके। मंत्रालय द्वारा निर्मित वृत्त–चित्रों को दूरदर्शन पर जनजातीय दर्पण नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत साप्ताहिक आधार पर दिखाया जाता है।

5.11.2 केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमें

(i) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम

5.11.2.1 गैर–सरकारी संगठनों को सहायता देने की स्कीम 1953–54 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों, आवश्यकता–आधारित सामाजिक–आर्थिक उन्नति के प्रयासों और उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य संगत क्रियाकलापों के प्रयासों और लक्ष्यगत समूह के सीधे लाभ वाले कार्यों के जरिए अनुसूचित जनजातियों का समूचा सुधार और विकास किया जाए। स्कीम के अन्तर्गत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा विहित फार्मेट में आवेदन दिए जाने पर, जिसकी सिफारिश सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से की गई हो, उन्हें 100 प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं।

5.11.2.2 गैर–सरकारी संगठनों के लिए जरूरी है कि वे उन्हें दिए गए अनुदानों के सम्बध में अलग लेखे रखे, जो सरकार के सभी उपयुक्त अधिकारियों/ अभिकरणों द्वारा देखे जाने के लिए खुले हों। गैर–सरकारी संगठनों के लिए यह भी जरूरी है कि वे सहायता अनुदानों के अपने लेखों की लेखा–परीक्षा चार्टर्ड लेखाकार से कराएं और लेखाओं के लेखा–परीक्षित विवरण की प्रतियों का एक पूरा सेट प्रस्तुत करें, जैसाकि मंत्रालय द्वारा विहित किया गया है। अनुदान, गैर–सरकारी संगठन के सन्तोषजनक कार्य–निष्पादन के अध्यधीन, वर्ष में दो किस्तों में रिलीज़ किए जाते हैं।

5.11.2.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 900 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत उन अनेक परियोजनाओं पर विचार किया जाता है, जो जनजातीय लागों को सीधे लाभ देने वाली हैं। इन परियोजनाओं में रिहायशी स्कूल, गैर–रिहायशी स्कूल, छात्रावास, चल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण यूनिट, आशुलिपि और टाइपिंग प्रशिक्षण यूनिट, बालवाड़ियां/शिशु सदन (उन क्षेत्रों में जो आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं), पुस्तकालय और अनुसूचित जनजातियों

के कल्याण से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारी के प्रसार के लिए श्रव्य–दृश्य यूनिट शामिल हैं। रिहायशी स्कूलों में विद्यार्थियों को खाने–पीने और रहने की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। वर्दियों, पुस्तकों, लेखन–सामग्री की लागत और अन्य आनुषंगिक व्यय को इसी स्कीम से पूरा किया जाता है। अध्यापकों और अन्य व्यक्तियों जैसे वार्डन, लेखाकार, डाक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी मानदेय सहायता अनुदान से अदा किया जाता है। स्कूलों को चलाने वाले संगठन अपना संचालन अपने स्वामित्वाधीन इमारत से अथवा किराए की इमारत से कर सकते हैं। इमारत के किराए अथवा अनुरक्षण प्रभारों की अदायगी सहायता–अनुदान से की जाती है। गैर–रिहायशी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। 100 विद्यार्थियों वाले स्कूल के लिए, कार्यान्वयन करने वाले स्वैच्छिक संगठन को 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की राशि की सहायता दी जाती है। जहां तक छात्रावास संघटक का सम्बन्ध है, इस स्कीम का उद्देश्य उन जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधाएं मुहैया करना है, जो अपने गांव के निकट के स्कूल से अपनी प्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षा पूरी कर चुके हों और गांव के निकट कॉलेज सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण और शहरों में आवास की उच्च लागत के कारण आगे शिक्षा जारी नहीं रख सकते। 100 विद्यार्थियों का छात्रावास चलाने के लिए किसी संगठन को दिए जाने वाले सहायता अनुदान की राशि लगभग 10.00 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। चल औषधालय अलग–थलग गांवों/ खेड़ों में रहने वाले जनजातीय लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करते हैं। अनुदान सामान्यतः परियोजना की कुल अनुमोदित लागत की 90 प्रतिशत राशि तक सीमित होता है और शेष 10 प्रतिशत लागत की पूर्ति स्वैच्छिक संगठनों द्वारा की जाती है। 9वीं योजना में इस स्कीम के लिए 92.09 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। दसवीं योजना की अवधि में इस स्कीम के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक आबंटन और व्यय की जानकारी नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट	आबंटन	व्यय
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
2002–03	30.50	30.50	30.53
2003–04	30.50	25.64	30.03
2004–05	30.50	29.50	29.30
2005–06	23.40	23.40	14.66*

स्रोतः जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2005–06

5.11.2.4 दसवीं पंचवर्षीय योजना में, इस स्कीम को "कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम" और "गैर–सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन" की स्कीम के साथ मिला दिया गया है। इस विलय की गई स्कीम का नाम "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान" है। वर्ष 2005–06 के लिए, विलय की हुई स्कीम के गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के भाग के लिए 23.40 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।

5.11.2.5 अनुसूचित जनजातियों के लिए स्कीम का, जो 1974–75 में शुरू की गई थी, कोचिंग और सम्बद्ध संघटक अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को पूर्व–शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कोचिंग की निःशुल्क सुविधाएं मुहैया करता है, जिसका उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, एस.एस.सी., भर्ती बोर्डों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्रीय सरकार के अन्य अभिकरणों द्वारा विभिन्न पदों के अखिल भारतीय भर्ती के स्वरूप वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगिता करने में अनुसूचित जनजाति विद्याथ्रियों को सहायता देना है। राज्य सरकारें/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/ विश्वविद्यालय और गैर–सरकारी कोचिंग संस्थान परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं। धनराशियां प्रति यूनिट आधार पर मुहैया की जाती हैं। विश्वविद्यालयों/ गैर–सरकारी संस्थाओं को संविदात्मक आधार पर 100 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है, जबकि राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 50 प्रतिशत सहायता दी जाती है। परीक्षा–पूर्व

प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त करने वाले बाहर के छात्रों को 500/– रुपए प्रति मास तक के वजीफे और स्थानीय छात्रों को 150/– रुपए प्रति मास के वज़ीफे दिए जाते हैं।

5.11.2.6 एक चयन समिति साक्षात्कार के आधार पर परीक्षा–पूर्व केन्द्रों के लिए उम्मीदवारों का चयन करती है। एक केन्द्र ऐसे 40 से अनधिक विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है, जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। यह स्कीम अनुसूचित जनजाति के केवल उन उम्मीदवारों के लिए खुली है, जिनकी आय (यदि वे रोजगार में लगे हों) अथवा उनके माता–पिता की सभी स्रोतों से होने वाली आय 44,500/– रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो। आयोग का मत है कि पिछले कुछ वर्षों में जीवन–यापन की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, आय की वर्तमान उच्चतम सीमा यथार्थवादी नहीं है और, इसलिए, वह सिफारिश करता है कि उम्मीदवारों (यदि वे रोजगार में लगे हों) अथवा उनके माता–पिता के सम्बन्ध में आय की इस उच्चतम सीमा को बढ़ा कर कम से कम 1.00 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया जाना चाहिए।

5.11.2.7 कोचिंग संस्थानों के लिए यह जरूरी है कि वे कार्यक्रम को लगातार मानीटर करते रहें और तिमाही प्रगति रिपोर्टें विहित फार्मेट में राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करें।

5.11.2.8 मंत्रालय ने ऐसे संगठनों के, जिन्होंने अपने आपको अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के क्षेत्र में स्थापित कर लिया है और अनुकरणीय सेवा मुहैया कर रहे हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और क्षमता के निर्माण के लिए स्कीमें/ विस्तृत मार्ग–निर्देश तैयार किए हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत उन संगठनों को, जिन्हें मंत्रालय द्वारा 'स्थापित स्वैच्छिक अभिकरण (ई.वी.ए.)' घोषित किया गया हो अथवा ऐसे संगठनों को, जो मंत्रालय से पांच या उससे अधिक वर्षों से, अनुदान प्राप्त कर रहे हों, ऐसे क्षेत्रों में, जहां ऐसी सुविधाएं किराए के आधार पर भी मौजूद न हों, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 10.00 लाख रुपए तक के अनुदान दिए जाते हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि**

(i) केवल ऐसे संगठनों को, जिन्हें काफी अनुभव हो और जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय उम्मीदवारों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिए जाने चाहिएं (जहां कहीं ऐसे केन्द्र गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हों)।

(ii) जहां तक सम्भव हो, ये गैर–सरकारी संगठन, जिन्हें परीक्षा–पूर्व कोचिंग केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित होने चाहिएं।

(iii) आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि किसी गैर–सरकारी संगठन को इस स्कीम के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है और उस अनुदान की सहायता से वह गैर–सरकारी संगठन परीक्षा–पूर्व केन्द्र चलाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है और अगले वर्ष उस गैर–सरकारी संगठन को अनुदान नहीं दिया जाता। इसका परिणाम यह होता है कि पिछले वर्ष में दिए गए अनुदान पूरी तरह से व्यर्थ हो जाते हैं। आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि ऐसे बुनियादी ढांचे/ इमारतों का उपयोग इन गैर–सरकारी संगठनों द्वारा रिहायशी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। **जनजातीय कार्य मंत्रालय को, इसलिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर–सरकारी संगठनों का चयन प्रारम्भिक अवस्था में बहुत ध्यानपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और जब एक बार अच्छी प्रतिष्ठा वाले किसी गैर–सरकारी संगठन का चयन कर लिया जाए, तो बाद में उसे अनुदान देना बन्द नहीं करना चाहिए, जब तक कि उस गैर–सरकारी संगठन के बारे में असन्तोषजनक कार्य–निष्पादन की शिकायत अथवा कोई अन्य शिकायतें मंत्रालय को प्राप्त न हों। जनजातीय कार्य मंत्रालय को किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदानों की सहायता से निर्मित ढांचे/ इमारत को अपने हाथ में लेने के लिए भी कदम उठाने चाहिएं, यदि मंत्रालय द्वारा खराब कार्य–निष्पादन अथवा किसी अन्य शिकायत के कारण बाद के वर्ष/वर्षों में उस गैर–सरकारी संगठन को अनुदान देना बन्द कर दिया गया हो।**

5.11.2.9 वर्ष 2004–05 के दौरान, मंत्रालय ने चंडीगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, असम और आन्ध्र प्रदेश के राज्य–संचालित परीक्षा–पूर्व कोचिंग केन्द्रों के 2482 जनजातीय उम्मीदवारों के लाभ के लिए और मध्य प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली के एक–एक गैर–सरकारी संगठन को 58.76 लाख रुपए रिलीज़ किए हैं। एच.एन. बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तरांचल को भी 45 जनजातीय उम्मीदवारों को कोचिंग प्रदान करने के लिए 2.67 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी। यह स्कीम वर्ष 2000–01 में जनजातीय कार्य मंत्रालय को अंतरित कर दी गई थी। विलय की गई स्कीम के कोचिंग और सम्बद्ध भाग के लिए वर्ष 2005–06 के लिए 1.05 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।

(ii) महिला साक्षरता विकास के लिए कम साक्षरता वाली पॉकेटों में शिक्षा काम्पलेक्स स्थापित करने की स्कीम

5.11.2.10 यह स्कीम 1993–94 में अनुसूचित जनजाति महिलाओं में 10 प्रतिशत से कम साक्षरता दर वाले 136 जिलों में शुरू की गई थी। यह गैर–सरकारी संगठनों, सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित संस्थाओं और पंजीयित सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

5.11.2.11 इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य देश के कम साक्षरता वाले अभिज्ञात जिलों में जनजातीय लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस स्कीम का दूसरा उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा के जरिए गरीब और निरक्षर जनजातीय लोगों के सामाजिक–आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना है।

5.11.2.12 इस स्कीम में महिला साक्षरता की 10 प्रतिशत से कम दर वाले 136 जिलों को (1991 की जनगणना के अनुसार) शामिल किया गया है, जो 14 राज्यों, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं। इस स्कीम में आदिम जनजाति समूहों के सभी लोगों को शामिल किया गया है, चाहे उनकी महिला साक्षरता दर कुछ भी हो। जनजातीय कार्य मंत्रालय इस स्कीम के अन्तर्गत 100 प्रतिशत निधिपोषण करता है। इस स्कीम की कुछ मुख्य विशेषताएं ये हैं:

(i) शिक्षा काम्पलेक्स अधिसूचित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं और उनमें I से V तक की कक्षाएं होती हैं और कक्षा XII तक उन्नयन की व्यवस्था होती है, बशर्ते कि वहां कक्षाओं के कमरों, छात्रावास, रसोई, बागबानी और खेलकूद की सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान हो।

(ii) ये शिक्षा काम्पलेक्स जनजातीय लड़कियों को न केवल औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि क्षेत्रों को कृषि, पशुपालन और बहुत से अन्य व्यवसायों और कला–कौशलों का प्रशिक्षण उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए देते हैं।

(iii) कक्षा I से III तक में शिक्षा जनजातीय बोलियों में दी जाती है और जनजातीय बोलियों में प्रवीण महिलाओं को अध्यापिकाओं के रूप में नियोजित किया जाता है।

(iv) प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 30 निर्धारित की गई है। किन्तु, अधिक से अधिक 10 और विद्यार्थियों को, यदि बस्ती में उपलब्ध हों, दिवा छात्रों के रूप में दाखिल कर लिया जाता है।

(v) शिक्षा काम्पलेक्सों को चलाने के लिए 9,000/– रुपए प्रति वर्ष की दर से आवर्ती अनुदान दिए जाते हैं। इसमें आवास, भोजन, कपड़ों, अध्यापकों को वेतन की अदायगी, आदि का खर्च शामिल है।

(vi) विद्यार्थियों को वर्दियों के 2 सेट, पुस्तकों का एक सेट हर वर्ष मुहैया किया जाता है, और इसके अलावा शिक्षा काम्पलेक्स में उनकी रिहायश के दौरान निःशुल्क भोजन और औषधियां दी जाती हैं।

(vii) इसके अतिरिक्त लड़कियों के माता–पिता को 50/– रुपए प्रति मास का प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि वे अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें।

(viii) चारपाइयों, गद्दों, बर्तनों और फर्नीचर की अन्य मदों की व्यवस्था करने के लिए पांच वर्षों में एक–बारगी अनुदान के रूप में 1000/– रुपए प्रति विद्यार्थी की दर से अनावर्ती अनुदान भी दिया जाता है।

(ix) प्रत्येक शिक्षा काम्पलेक्स में एक मुख्य अध्यापिका, प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक, प्रत्येक 100 छात्रों के लिए एक संगीत/ कला/ दस्तकारी अध्यापक, समूचे काम्पलेक्स के लिए एक अंशकालिक डाक्टर, 100 विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए एक रसोइया, और समूचे काम्पलेक्स के लिए एक चौकीदार और एक अंशकालिक झाड़ू–बरदार के अलावा एक सहायक और एक आया होती है।

5.11.2.13 दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए इस स्कीम के लिए 44.74 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। वर्ष 2005–06 के लिए 6.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिनमें से 3.78 करोड़ रुपए (20.2.2006 तक) आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गैर–सरकारी संगठनों को शिक्षा काम्पलेक्स चलाने के लिए रिलीज़ किए गए थे।

(iii) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा

5.11.2.14 यह स्कीम 1992–93 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जनजातीय युवाओं में विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए और स्व–रोजगार के लिए भी कौशल का विकास करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि उनकी आय को बढ़ाकर उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार किया जाए।

5.11.2.15 इस स्कीम में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह कोई क्षेत्र–सापेक्ष स्कीम नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि केवल जनजातीय लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया की जाएं। इस स्कीम के अन्तर्गत, स्कीम को कार्यान्वित करने वाले राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों और अन्य एसोसिएशनों को 100 प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं।

(i) यह स्कीम राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित संस्थाओं अथवा संगठनों, शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं, जैसे स्थानीय निकायों और सहकारी समितियों और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

(ii) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, परियोजना को तैयार किए जाने के समय, कोई पूर्व–परिभाषित लागत शीर्ष निर्धारित नहीं किए गए हैं, लेकिन प्रत्येक कार्यान्वयन अभिकरण के लिए यह जरूरी है कि वह एक विहित फोर्मेट में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करे, जिसमें कार्यक्रम की रूपात्मकताओं और व्यय के अलग–अलग शीर्षों की स्पष्ट जानकारी दी गई हो। परियोजना को अनुमोदित करते समय, परियोजना के प्रत्येक संघटक को दी जाने वाली सहायता की मात्रा सूचित कर दी जाती है।

(iii) प्रत्येक व्यावसायिक केन्द्र क्षेत्र की रोजगार क्षमता के आधार पर पारम्परिक कौशलों के पांच व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर सकता है। प्रत्येक जनजातीय लड़के/लड़की को उसकी पसन्द के दो शिल्पों का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रत्येक शिल्प का पाठ्यक्रम तीन महीनों की अवधि का होता है। छः महीनों के समाप्त होने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को किसी अर्ध–शहरी/ शहरी क्षेत्र में छः महीनों के लिए किसी प्रवीण दस्तकार के साथ लगा दिया जाता है, ताकि वह व्यावहारिक और सक्रिय अनुभव प्राप्त करके अपने कौशल को बढ़ा सके। प्रशिक्षणार्थी के लिए मासिक वजीफे और कच्ची सामग्री के लिए अनुदान की व्यवस्था है।

(iv) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने वाले अभिकरणों से यह अपेक्षित है कि वे आई.टी.डी.पी. के माध्यम से अथवा कसी अन्य अभिकरण के माध्यम से ऋण ओर सब्सिडी की व्यवस्था करें, ताकि प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी अपना नया कार्य शुरू कर सके।

(v) अभिकरणों को किराए की इमारतों में अथवा संगठन के स्वामित्व वाली इमारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए सहायता अनुदान दिए जाते हैं। अनुमत मासिक किराए की दर अधिकतम 8,000/– रुपए निश्चित की गई है और यदि इमारत संगठन/ अभिकरण के स्वामित्वाधीन हो, तो अनुरक्षण अनुदान अनुमत किराए का 10 प्रतिशत निश्चित किया गया है।

(vi) प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र को, उन पांच शिल्पों के पाठ्यक्रम चलाने के लिए, जिनका फैसला सम्बन्धित अभिकरण द्वारा किया गया हो, प्रशिक्षण उपस्कर खरीदने के लिए पांच वर्षों में एक बार 2.40 लाख रुपए प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है।

(vii) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए आवर्ती अनुदान 13,500 रुपए प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति वर्ष है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में एक मुख्य इन्स्ट्रक्टर/ फोरमैन, चार शिल्प इन्स्ट्रक्टर, एक कार्यशाला परिचर, एक चौकीदार, एक चपरासी, एक अंशकालिक सफाई कर्मचारी और एक लेखाकार होना चाहिए। केन्द्र के प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 350/– रुपए प्रति मास का वजीफा दिया जाता है और कच्ची सामग्री के लिए 1200/– रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं।

5.11.2.16 नौवीं योजना में इस स्कीम के लिए 30.25 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था, जिसके एवज में जनजातीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और स्कीम का कार्यान्वयन करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को 18.45 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे। दसवीं पंच वर्षीय योजना में इस स्कीम के लिए 67.12 करोड़ रुपए (33.56 करोड़ रुपए राज्य सरकारों के लिए और उतनी ही राशि गैर–सरकारी संगठनों के लिए) आबंटित हैं। वर्ष 2005–06 के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत 5.40 करोड़ रुपए (4.00 करोड़ रुपए राज्य सरकारों के लिए और 1.40 करोड़ रुपए गैर–सरकारी संगठनों के लिए) आबंटित किए गए हैं, जिसकी तुलना में राज्य सरकारों को 2.47 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे। आयोग यह समझ नहीं पाया है कि राज्य सरकारों को वास्तविक आबंटन का केवल 40–50 प्रतिशत भाग रिलीज़ किए जाने के क्या कारण हो सकते हैं। आयोग के विचार से स्थिति यह हो सकती है कि इस स्कीम के बारे में अनुसूचित जनजातीय लोगों में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह देनी चाहिए कि वे इस स्कीम के अन्तर्गत होने वाले लाभों के बारे में समूचे देश में जनजातीय लोगों को जानकारी देने के लिए जन–माध्यमों और अन्य चेनलों के जरिए जोरदार और व्यापक प्रचार करें, ताकि दूरस्थ और अलग–थलग पॉकेटों में रहने वाले जनजातीय लोग इस स्कीम के लाभ प्राप्त कर सकें। आयोग की राय है कि इस स्कीम के बारे में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त जानकारी न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। **इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह देनी चाहिए कि वे इस स्कीम के अन्तर्गत होने वाले लाभों के बारे में जनजातीय लोगों को जानकारी देने के लिए समूचे देश में जन–माध्यमों और अन्य चेनलों के जरिए जोरदार और व्यापक प्रचार करें, ताकि दूरस्थ और अलग–थलग पॉकेटों में रहने वाले जनजातीय लोग इस स्कीम के लाभ प्राप्त कर सकें। राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को 2002–2003 से 2005–2006 के वर्षों के दौरान रिलीज़ किए गए अनुदानों का ब्योरा अनुलग्नक 5.IX में दिया गया है।**

5.11.2.17 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान जितने व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी गई, उनकी संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
2002–2003	65
2003–2004	45
2004–2005	48
2005–2006	35

(v) राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति

5.11.2.18 यह स्कीम वर्ष 2005–06 से शुरू की गई है; इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन एम.फिल. और पीएच.डी. का अनुसरण करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में शिक्षावृत्तियां देना है। यह स्कीम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं को कवर करती है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताओं में ये शामिल हैं:

(i) इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 667 शिक्षावृत्तियां दी जाएंगी।

(ii) शिक्षावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।

(iii) इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को एम.फिल. पीएच.डी. जैसे उच्च अध्ययन करने के लिए शिक्षावृत्तियां दी जाती हैं।

(iv) यह स्कीम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित की जाएगी।

(v) स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम अंकों के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

5.11.2.19 जे.आर.एफ. और एस.आर.एफ. के लिए शिक्षावृत्ति की दर विश्वविद्यालय की समय–समय पर यथासंशोधित शिक्षावृत्ति के समान होगी। इस समय ये दरें इस प्रकार हैं:

(i)	शिक्षावृत्ति	पहले दो वर्षों के लिए 8,000/– रुपए प्रति मास (जे. आर.एफ.) शेष अवधि के लिए 9,000/– रुपए प्रति मास (एस.आर.एफ.)
(ii)	मानविकी और समाज विज्ञानों के लिए आकस्मिक व्यय	पहले दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपए प्रति वर्ष शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपए प्रति वर्ष
(iii)	विज्ञान के लिए आकस्मिक व्यय	पहले दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपए प्रति वर्ष शेष अवधि के लिए 25,000/– रुपए प्रति वर्ष
(iv)	विभागीय सहायता	आतिथेय संस्था को अवसंरचना मुहैया करने के लिए 3,000/– रुपए प्रति वर्ष प्रति छात्र

5.11.2.20 चालू वर्ष 2005–06 में इस स्कीम के अन्तर्गत 7.95 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवेदनों के लिए विज्ञापन देने का अनुरोध किया गया है, और चयन को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान रिलीज़ कर दिया जाएगा।

(v) जनजातीय लोगों द्वारा परिदर्शनों का विनिमय

5.11.2.21 यह स्कीम 2001–02 में शुरू की गई थी; इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय लोगों को, जो आमतौर पर अलग–अलग रहते हैं, 10–12 दिनों के लिए देश के विभिन्न भागों को देखने जाने के लिए प्रोत्साहित करना था, ताकि वे देश के अधिक विकसित क्षेत्रों से परिचित हो सकें। सम्बन्धित राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामज़द 10 सदस्यों के समूह राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अभिज्ञात क्षेत्र/ राज्य को देखने जाते हैं। आशा की जाती है कि इस प्रकार के भ्रमणों से जनजातीय लोग अपने परिप्रेक्ष्य का विस्तार कर सकेंगे और इससे उन्हें देश में हो रहे विकास के बारे में जानकारी मिलने में सहायता मिलेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय, इस प्रकार के भ्रमणों का समूचा व्यय, इस प्रयोजन के लिए निश्चित किए गए प्रतिमानों के अध्यधीन, पूरा करता है।

5.12 विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां

5.12.1 यह एक योजना–भिन्न स्कीम है, जो 1954–55 से चालू है और चुने हुए उम्मीदवारों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भारतीय मिशनों के माध्यम से शत–प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य केवल इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उच्च अध्ययन (मास्टर, डाक्टरल और पोस्ट–डाक्टरल) करने के लिए चुने गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित

जनजाति के विद्यार्थियों को सहायता देना है। इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के 9 उम्मीदवारों को, आदिम जनजाति समूहों के 1 उम्मीदवार को सहायता दी जा सकती है अर्थात स्नातकोत्तर और पोस्ट–डाक्टरल स्तर के पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए वार्षिक रूप से 9 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। स्कीम की मुख्य विशेषताओं में ये शामिल हैं:

(i) छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के उस उम्मीदवार (एक परिवार के एक सदस्य) को दी जाती है, जो विज्ञापन की तारीख को 35 वर्ष से कम की आयु का हो, जिसके पास मास्टर कार्यक्रम के लिए कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो, कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री हो और एम.फिल. पाठ्यक्रम के लिए अनुसन्धान/ अध्यापन/ कार्य का 2 वर्ष का अनुभव हो और पीएच.डी. के लिए वही शैक्षणिक अर्हताएं और पोस्ट–डाक्टरल अध्ययनों के लिए संगत क्षेत्र में 5 वर्ष का अध्यापन/ अनुसन्धान/ व्यावसायिक अनुभव हो, परन्तु नियोजित उम्मीदवार अथवा उसके माता–पिता/ अभिभावकों की कुल आय 18,000/– रुपए प्रति मास से अधिक न हो।

(ii) उम्मीदवार के लिए यह जरूरी है कि वह चयन की सूचना की तारीख से 3 वर्ष तक के अन्दर विदेश में किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान में अपने प्रवेश का प्रबन्ध स्वयं करे।

(iii) छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी को 8,200 अमरीकी डालर प्रति वर्ष का भरण–पोषण भत्ता दिया जाता है, जिसकी अनुपूर्ति वह अनुसन्धान/ अध्ययन/ असिस्टेंटशिप का कार्य हाथ में लेकर 2400 अमरीकी डालर प्रति वर्ष तक कर सकता है। इस सीमा से अधिक आय होने की स्थिति में, भारतीय मिशन इस स्कीम के अन्तर्गत दिए जाने वाले भरण–पोषण में तदनुरूप कमी कर सकता है।

(iv) अवार्डी को भारत लौटने पर कम से कम 5 वर्षों के लिए भारत में रहना होगा।

5.12.2 इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति समूह के उम्मीदवारों को चार वार्षिक "यात्रा व्यय (पैसेज) अनुदान" भी उपलब्ध हैं। ये यात्रा–व्यय अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए वर्ष भर उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें किसी विदेशी विश्वविद्यालय/ सरकार से अथवा किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसन्धान अथवा प्रशिक्षण के लिए पात्रता छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो, पर उसमें यात्रा–व्यय की व्यवस्था न हो। इस स्कीम के अन्तर्गत भारत से जाने और वापस लौटने के यात्रा–व्यय के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

5.12.3 यह स्कीम नवम्बर, 2000 में जनजातीय कार्य मंत्रालय को अन्तरित कर दी गई थी। वर्ष 2005–06 में उन शोधकर्ताओं के व्यय को पूरा करने के लिए, जिन्हें पिछले वर्ष प्रायोजित किया गया था और जिन्हें अभी अपने पाठ्यक्रम पूरे करने हैं, 80.00 लाख रुपए आबंटित किए गए थे।

5.13 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल

5.13.1 जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1997–98 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत निधियों के कुछ भाग का उपयोग देश के विभिन्न भागों में कक्षा VI से कक्षा XII वाले 100 मॉडल रिहायशी स्कूल स्थापित करने के लिए फैसला किया गया, ताकि जनजातीय विद्यार्थी उच्च और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों और सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की नौकरियों के उच्च स्तरों पर आरक्षण की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इन 100 स्कूलों की मंजूरी 24 राज्यों को दी गई है। इन स्कूलों में 50 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए और कुल सीटों की 3 प्रतिशत सीटें शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई हैं।

5.13.2 इन स्कूलों का प्रचालन प्रत्येक राज्य में इस प्रयोजन के लिए बनाए गए एक स्वायत्त निकाय के माध्यम से किया जाएगा। इन स्कूलों में शिक्षा की एक–समान पद्धति की व्यवस्था करने और इन स्कूलों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा कार्यक्रमों (मेडिकल, तकनीकी, आदि) के लिए प्रभावकारी ढंग से प्रतियोगिता करने में समर्थ बनाने के लिए, इन स्कूलों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा

बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) की पाठ्यचर्या लागू करने और इन स्कूलों को सी.बी.एस.ई. के साथ सम्बद्ध करने के लिए पहल की गई है। इन स्कूलों की परिकल्पना नवोदय विद्यालयों के अनुरूप की गई है। भारत सरकार स्कूलों की इमारतों और इनके संचालन, दोनों के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करती है।

5.13.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय स्कूल की इमारत के निर्माण और सम्बन्धित अवसंरचना के लिए 250 लाख रुपए मुहैया करता है। आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्कूल के लिए अधिकतम 30 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है, जो विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। वर्ष 2005–06 के दौरान, एकलव्य माडल रिहायशी स्कूलों के लिए विभिन्न राज्यों को 49.32 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे। अब तक, कुल मिलाकर, राज्यों को ई.एम.आर.एस. के लिए 246.25 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं, जिनमें 201.65 करोड़ रुपए इमारतों के लिए (अनावर्ती) और 44.60 करोड़ रुपए आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए हैं।

5.13.4 ये स्कूल अपनी स्थापना की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इनमें से, 68 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल 13 राज्यों में, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं। इन स्कूलों में, जो अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उत्कृष्टता के द्वीप बन गए हैं, कुल 16,079 विद्यार्थी हैं। ऐसे स्कूलों के विद्यार्थियों का राज्य–वार ब्योरा और 1997–98 से विभिन्न राज्यों को रिलीज की गई राशियों का ब्योरा **अनुलग्नक 5.X** में दिया गया है।

5.13.5 आयोग ने देखा है कि स्कीम के सफल कार्यान्वयन में एक प्रमुख बाधा यह है कि राज्य सरकारें कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रायः समय पर धनराशियां रिलीज़ नहीं करतीं। **इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय मंत्रालय इस मामले को सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाए और इस बात पर बल दे कि कार्यान्वयन अभिकरणों को धनराशियां समय पर रिलीज़ किए जाने की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम के विभिन्न संघटकों पर धनराशियों के विलम्ब से रिलीज़ किए जाने से किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।**

5.13.6 आयोग यह भी सिफारिश करता है कि उन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या काफी अधिक है, एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की संख्या को बढ़ाने की सचमुच आवश्यकता है और इस स्कीम के अन्तर्गत 32 रिहायशी स्कूलों को (विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत किए गए कुल 100 स्कूलों में से), जिन्होंने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है, शीघ्र ही कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए।

5.13.7 आयोग यह सिफारिश भी करता है कि जनजातीय क्षेत्रों में उत्कृष्टता वाले अधिक से अधिक सरकारी स्कूल और केन्द्रीय स्कूल खोलने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जनजातियों के सभी योग्य विद्यार्थियों को इन स्कूलों में स्थान दिया जा सके/ दाखिल किया जा सके। इसके अलावा, प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों को भी जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आमतौर पर अपने रिहायशी काम्पलेक्सों में पब्लिक स्कूलों और केन्द्रीय विद्यालयों के खोलने को प्रोत्साहन देते हैं और स्कूलों के लिए वित्तीय अवसंरचनात्मक सहायता मुहैया करते हैं। ऐसे स्कूलों में पढ़े हुए और संवारे गए विद्यार्थी यथोचित समय में सामान्य विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगिता करने के योग्य बन जाएंगे।

5.14 पब्लिक स्कूलों और अन्य स्कूलों, अस्पतालों, आदि जैसी संस्थाओं में, जो सरकार से विभिन्न प्रकार की रियायतें प्राप्त करते हैं, दाखिले में, शिक्षावृत्तियां प्रदान करने और छात्रावासों में स्थान आबंटित करने में आरक्षण

5.14.1 आरक्षण की नीति का कार्यान्वयन अब तक भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के आधार पर किया गया है। भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी पहली रिपोर्टों में इस बात पर बल देता आया है कि एक आरक्षण अधिनियम बनाए जाने की जरूरत है, जो आरक्षण की नीति के कार्यान्वन को सुव्यवस्थित बना देगा।

5.14.2 दिसम्बर, 2004 में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रारूप विधेयक की एक प्रति भेजी थी और आयोग से उस पर अपनी टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया था। आयोग ने विधेयक के बारे में अपनी टीका–टिप्पणियां दिसम्बर, 2004 में भेज दी थीं। विधेयक के राज्य–सभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद, आयोग ने राज्य सभा सचिवालय को भी अपनी टिप्पणियां भेजी थीं। आयोग ने जो टिप्पणियां भेजी थीं, उनमें अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें भी शामिल थीं:

(i) आरक्षण के दायरे का विस्तार केवल सरकार के स्वामित्व वाले और सरकार की सहायता पाने वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं तक ही नहीं किया जाना चाहिए (जैसाकि विधेयक में प्रस्तावित है), बल्कि ऐसे पब्लिक स्कूलों और अन्य स्कूलों, और अस्पतालों, आदि जैसी संस्थाओं पर भी किया जाना चाहिए, जो यद्यपि सरकार द्वारा निधिपोषित नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने सरकार से भूमि के अभिग्रहण, इमारतों के सम्बन्ध में रियायतें और इन संस्थाओं की मान्यता/ सम्बद्धन के बारे में रियायतें और इन संस्थाओं को चलाने के लिए बिजली, पानी, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था, आदि सम्बन्धी रियायतें ली हैं/ ले रहे हैं।

(ii) शिक्षावृत्तियां प्रदान करने में और/अथवा स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं, आदि में छात्रवृत्तियां देने में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए।

(iii) स्कूलों, कालेजों, शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं से संलग्न छात्रावासों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाने चाहिएं।

5.14.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग उपर्युक्त तीनों को इस रिपोर्ट के भाग के रूप में फिर से दोहराता है।

———

अनुलग्नक 5.I

अनुसूचित जनजातियों की राज्य–वार साक्षरता दरें – जनगणना – 2001

	अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर									
क्रम सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	ग्रामीण			शहरी			जोड़		
		व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	35.43	46.09	24.48	56.39	66.16	45.99	37.04	47.66	26.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.04	54.33	35.83	77.39	85.92	69.05	49.62	58.77	40.56
3.	असम	61.29	71.29	51.04	86.75	92.43	80.62	62.52	72.34	52.44
4.	बिहार	25.91	37.57	13.30	65.67	74.18	55.28	28.17	39.76	15.54
5.	छत्तीसगढ़	50.95	63.96	38.21	71.71	82.87	59.77	52.09	65.04	39.35
6.	गोवा	44.59	55.17	31.43	61.44	67.88	54.55	55.88	63.49	47.32
7.	गुजरात	46.45	58.06	34.60	61.76	71.01	51.78	47.74	59.18	36.02
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	64.78	77.18	52.50	87.19	92.03	81.15	65.50	77.71	53.32
10.	जम्मू और कश्मीर	35.74	46.44	23.88	70.37	79.01	59.34	37.46	48.16	25.51
11.	झारखण्ड	38.08	51.67	24.38	67.80	77.83	57.38	40.67	53.98	27.21
12.	कर्नाटक	45.26	56.92	33.32	64.57	74.39	54.34	48.27	59.66	36.57
13.	केरल	63.65	70.20	57.28	81.21	84.96	77.70	64.35	70.78	58.11
14.	मध्य प्रदेश	40.01	52.51	27.24	57.23	67.47	45.89	41.16	53.55	28.44
15.	महाराष्ट्र	52.31	64.52	39.88	74.18	82.98	64.70	55.21	67.02	43.08
16.	मणिपुर	65.09	72.44	57.58	80.94	87.94	74.28	65.85	73.16	58.42
17.	मेघालय	56.36	58.72	53.97	86.67	88.95	84.58	61.34	63.49	59.20
18.	मणिपुर	82.00	86.11	77.71	96.77	97.55	96.01	89.34	91.71	86.95
19.	नागालैंड	62.55	67.09	57.72	88.70	91.63	85.60	65.95	70.26	61.35
20.	उड़ीसा	36.13	50.35	22.07	58.12	69.80	45.77	37.37	51.48	23.37
21.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	43.70	61.23	25.22	60.79	75.74	42.97	44.66	62.10	26.16
23.	सिक्किम	65.37	72.32	58.03	84.89	89.32	80.59	67.14	73.81	60.16
24.	तमिलनाडु	38.41	47.19	29.48	58.60	66.56	50.68	41.53	50.15	32.78
25.	त्रिपुरा	55.46	67.19	43.35	91.97	94.45	89.26	56.48	67.97	44.60
26.	उत्तर प्रदेश	32.99	46.71	18.34	51.10	60.61	39.54	35.13	48.45	20.70
27.	उत्तरांचल	61.65	75.29	47.36	85.91	91.55	79.48	63.23	76.39	49.37
28.	पश्चिम बंगाल	42.35	56.60	27.88	58.67	68.57	48.20	43.40	57.38	29.15
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	65.82	72.68	58.62	93.71	97.01	89.49	66.79	73.61	59.58
30.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	दादरा और नगर हवेली	38.94	53.82	24.60	69.18	81.54	56.73	41.24	55.97	26.99
32.	दमन और दीव	62.83	73.95	51.05	65.72	75.34	55.40	63.42	74.23	51.93
33.	दिल्ली	.	.	.	.	.	.	.	.	.
34.	लक्षद्वीप	84.71	91.26	78.18	87.90	93.29	82.64	86.14	92.16	80.18
35.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	**45.02**	**57.39**	**32.44**	**69.09**	**77.77**	**59.87**	**47.10**	**59.17**	**34.76**

अनुलग्नक 5.II

30 सितम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार कक्षा I-V, VI-VIII और I-VIII में अनुसूचित जनजाति छात्रों का सकल नामांकन

		2003–2004								
क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	कक्षा I-V (6–11 वर्ष)			कक्षा VI-VIII (11–14 वर्ष)			कक्षा I-VIII (6–14 वर्ष)		
		लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	81.85	77.20	79.57	87.94	62.17	75.71	83.15	74.13	78.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	99.76	89.96	94.99	91.87	65.21	77.30	97.77	82.54	90.11
3.	असम	66.21	70.02	68.02	94.93	95.34	95.11	73.90	76.45	75.10
4.	बिहार	88.04	79.54	84.78	66.18	40.11	55.04	84.17	71.47	79.19
5.	छत्तीसगढ़	110.41	111.98	111.15	99.75	83.76	92.30	107.43	104.32	105.95
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	92.05	100.48	95.90	77.74	67.58	72.90	87.88	90.33	89.01
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	119.23	123.79	118.68	99.89	94.24	97.20	111.41	112.02	111.70
10.	जम्मू और कश्मीर	83.80	65.23	74.68	48.59	31.10	40.29	70.60	52.96	62.05
11.	झारखण्ड	94.89	76.50	86.03	91.56	67.94	80.63	94.26	74.98	85.03
12.	कर्नाटक	92.80	91.61	92.22	106.63	88.79	98.05	96.82	90.80	93.91
13.	केरल	116.65	116.13	116.40	99.74	93.54	96.71	110.30	107.60	108.99
14.	मध्य प्रदेश	95.12	70.97	83.03	77.32	57.05	68.15	90.65	67.95	79.55
15.	महाराष्ट्र	105.97	105.02	105.52	90.46	75.91	83.39	100.91	95.10	98.15
16.	मणिपुर	130.07	122.89	126.82	77.51	67.88	72.77	112.63	103.68	108.34
17.	मेघालय	95.05	98.94	96.97	63.71	73.67	68.70	84.81	90.49	87.62
18.	मणिपुर	122.74	117.36	120.11	77.74	69.02	73.21	105.47	97.46	101.45
19.	नागालैंड	72.40	64.17	68.31	48.72	42.26	45.46	64.07	56.31	60.19
20.	उड़ीसा	96.24	94.14	95.27	76.11	58.92	68.14	92.24	87.09	89.86
21.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	94.89	87.84	91.61	82.03	48.42	66.88	91.69	78.46	85.58
23.	सिक्किम	131.31	137.83	140.94	71.14	84.76	78.08	109.90	118.50	114.23
24.	तमिलनाडु	121.78	84.01	103.73	120.50	115.36	117.98	121.39	93.95	108.16
25.	त्रिपुरा	128.52	119.56	124.21	65.76	53.68	59.81	106.43	95.63	101.19
26.	उत्तर प्रदेश	75.06	53.32	64.67	73.88	37.90	56.71	74.72	48.87	62.37
27.	उत्तरांचल	89.33	99.50	94.21	86.36	86.28	86.32	88.33	94.99	91.53
28.	पश्चिम बंगाल	74.02	72.45	73.28	61.49	38.49	49.85	70.99	63.38	67.33
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	118.19	78.20	95.23	95.16	64.09	77.89	108.84	72.72	88.36
30.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	दादरा और नगर हवेली	100.22	92.98	96.70	101.65	64.96	84.50	100.63	85.46	93.32
32.	दमन और दीव	109.98	118.22	113.71	90.98	79.47	85.63	102.85	103.22	103.02
33.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	113.94	99.82	106.89	103.26	90.79	97.22	109.46	96.16	102.91
35.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	**94.66**	**87.77**	**91.37**	**84.00**	**66.62**	**75.76**	**90.58**	**81.10**	**86.06**

स्रोतः चुने हुए शैक्षणिक आंकड़े, 2003–2004, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग

अनुलग्नक 5.III

30 सितम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार I-V, I-VIII और I-X में अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दरें

2003.2004

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	कक्षा I-V			कक्षा VI-VIII			कक्षा I-VIII		
		लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.09	46.12	45.09	63.41	68.87	66.05	71.18	75.93	73.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.88	32.26	26.98	54.55	50.00	52.54	60.00	58.82	59.26
3.	असम	58.58	52.83	56.00	67.28	67.64	67.44	72.56	68.87	70.90
4.	बिहार	46.88	45.42	46.36	83.37	84.68	83.85	89.31	91.46	90.02
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	34.88	31.21	33.10	43.12	41.90	42.53	57.56	59.40	58.52
7.	गुजरात	28.83	23.71	26.44	39.50	59.11	48.43	69.42	80.47	74.78
8.	हरियाणा	19.29	19.90	19.58	39.14	47.82	43.20	52.25	63.83	57.70
9.	हिमाचल प्रदेश	13.01	17.54	15.27	30.19	32.52	31.33	47.70	48.46	48.06
10.	जम्मू और कश्मीर	35.54	11.15	25.78	33.66	33.98	33.80	62.94	60.84	61.99
11.	झारखण्ड*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	6.12	14.03	9.97	27.19	51.62	38.62	64.13	69.44	66.66
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.13	16.51	21.43
14.	मध्य प्रदेश	21.41	19.26	20.48	39.40	51.10	44.37	71.55	80.01	75.08
15.	महाराष्ट्र	17.02	18.21	17.59	30.03	38.22	33.98	51.46	55.89	53.59
16.	मणिपुर	31.06	19.62	25.51	0.00	0.00	0.00	18.68	19.64	19.14
17.	मेघालय	58.20	59.34	58.72	68.61	69.09	68.84	74.27	79.88	77.02
18.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	44.99	42.36	43.81	63.73	67.17	65.26	72.32	75.09	73.55
21.	पंजाब	33.22	29.27	31.37	54.67	51.50	53.19	63.75	64.83	64.27
22.	राजस्थान	53.07	36.29	47.69	69.65	80.07	73.87	78.53	87.65	81.76
23.	सिक्किम	61.07	43.05	52.99	80.51	72.58	76.98	89.12	90.11	89.56
24.	तमिलनाडु	27.08	26.75	26.95	42.97	38.90	41.09	64.23	63.13	63.71
25.	त्रिपुरा	35.85	35.88	35.87	61.95	69.07	65.41	76.61	78.62	77.55
26.	उत्तर प्रदेश	45.69	56.40	49.84	63.46	75.45	67.96	73.78	90.21	79.93
27.	उत्तरांचल*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	37.82	36.58	37.25	66.40	67.34	66.80	76.46	78.11	77.11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	चंडीगढ़	4.20	15.28	9.58	55.02	56.19	55.57	87.15	80.53	84.44
31.	दादरा और नगर हवेली	16.13	18.03	17.07	27.59	24.53	26.13	54.90	33.33	45.16
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58	33.90	31.54
33.	दिल्ली	32.64	49.05	41.62	0.00	0.00	0.00	76.27	77.30	76.75
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86	23.06	23.97
	कुल	**36.83**	**36.19**	**36.56**	**57.33**	**62.19**	**59.42**	**71.41**	**75.49**	**73.13**

स्रोतः चुने हुए शैक्षणिक आंकड़े 2003–2004, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग

*** पढ़ाई छोड़ने की दरें सम्बन्धित मूल राज्यों के साथ मिला कर दिखाई गई हैं।**

अनुलग्नक 5.IV

30 सितम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार कक्षा I-V, I-VIII और I-X में सभी श्रेणियों के सम्बन्ध में बीच में पढ़ाई छोड़ने की अखिल भारतीय दरें

2003.2004

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	कक्षा I-V			कक्षा VI-VIII			कक्षा I-VIII		
		लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.09	46.12	45.09	63.41	68.87	66.05	71.18	75.93	73.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.88	32.26	26.98	54.55	50.00	52.54	60.00	58.82	59.26
3.	असम	58.58	52.83	56.00	67.28	67.64	67.44	72.56	68.87	70.90
4.	बिहार	46.88	45.42	46.36	83.37	84.68	83.85	89.31	91.46	90.02
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	34.88	31.21	33.10	43.12	41.90	42.53	57.56	59.40	58.52
7.	गुजरात	28.83	23.71	26.44	39.50	59.11	48.43	69.42	80.47	74.78
8.	हरियाणा	19.29	19.90	19.58	39.14	47.82	43.20	52.25	63.83	57.70
9.	हिमाचल प्रदेश	13.01	17.54	15.27	30.19	32.52	31.33	47.70	48.46	48.06
10.	जम्मू और कश्मीर	35.54	11.15	25.78	33.66	33.98	33.80	62.94	60.84	61.99
11.	झारखण्ड*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	6.12	14.03	9.97	27.19	51.62	38.62	64.13	69.44	66.66
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.13	16.51	21.43
14.	मध्य प्रदेश	21.41	19.26	20.48	39.40	51.10	44.37	71.55	80.01	75.08
15.	महाराष्ट्र	17.02	18.21	17.59	30.03	38.22	33.98	51.46	55.89	53.59
16.	मणिपुर	31.06	19.62	25.51	0.00	0.00	0.00	18.68	19.64	19.14
17.	मेघालय	58.20	59.34	58.72	68.61	69.09	68.84	74.27	79.88	77.02
18.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	44.99	42.36	43.81	63.73	66.17	65.26	72.32	75.09	73.55
21.	पंजाब	33.22	29.27	31.37	54.67	51.50	53.19	63.75	64.83	64.27
22.	राजस्थान	53.07	36.29	47.69	69.65	80.07	73.87	78.53	87.65	81.76
23.	सिक्किम	61.07	43.05	52.99	80.51	72.58	76.98	89.12	90.11	89.56
24.	तमिलनाडु	27.08	26.75	26.95	42.97	38.90	41.09	64.23	63.13	63.71
25.	त्रिपुरा	35.85	35.88	35.87	61.95	69.07	65.41	76.61	78.62	77.55
26.	उत्तर प्रदेश	45.69	56.40	49.84	63.46	75.45	67.96	73.78	19.21	79.93
27.	उत्तरांचल*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	37.82	36.58	37.25	66.40	67.34	66.80	76.46	78.11	77.11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	चंडीगढ़	4.20	15.28	9.58	55.02	58.19	55.57	87.15	80.53	84.44
31.	दादरा और न. हवेली	16.13	18.03	17.07	27.59	24.53	26.13	54.90	33.33	45.16
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58	33.90	31.54
33.	दिल्ली	32.64	49.05	41.62	0.00	0.00	0.00	76.27	77.30	76.75
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86	23.06	23.97
	कुल	**36.83**	**36.19**	**36.56**	**57.33**	**62.19**	**59.42**	**71.41**	**75.49**	**73.13**

स्रोतः चुने हुए शैक्षणिक आंकड़े 2003–2004, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग

* पढ़ाई छोड़ने की दरें सम्बन्धित मूल राज्यों के साथ मिला कर दिखाई गई हैं।

अनुलग्नक 5.V

दसवीं योजना के पहले चार वर्षों में पी.एम.एस. की स्कीम के तहत रिलीज़ किए गए सहायता अनुदान और लाभभोगियों की संख्या

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2002–2003		2003–2004		2004–2005		2005–2006*	
		राशि	वास्तविक लाभभोगी	राशि	वास्तविक लाभभोगी	राशि	वास्तविक लाभभोगी	राशि	(प्रत्याशित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	774.88	60652	2435.7	69427	1084.23	107562	3606.78	118484
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	3544	65.19	8190	0	*13347	0	13347
3.	असम	1275.94	0	0	57850	100	15117	1200.32	64898
4.	बिहार	0	1929	0	1796	0	1785	0	2982
5.	गुजरात	0	74172	185.27	162446	222.43	97923	1361.07	98673
6.	हिमाचल प्रदेश	0	2280	0	2956	9.17	2810	6.61	3520
7.	जम्मू और कश्मीर	6.5	5116	0	993	196.07	5783	97.02	6600
8.	कर्नाटक	75.38	24455	0	31892	400	37468	2020.5	41218
9.	केरल	0	4624	0	5200	146.14	5783	61	6600
10.	मध्य प्रदेश	0	40032	81.62	41649	899.04	55019	288.7	46000
11.	महाराष्ट्र	165.02	55403	391.92	55449	1042.86	77923	1031.44	88908
12.	मणिपुर	820.11	32152	928.93	30274	538.97	31427	1794	34570
13.	मेघालय	805.98	39876	339.99	41869	926.28	*43962	1925.31	45000
14.	मिजोरम	370.98	14190	369	17612	900.99	38368	840.85	27475
15.	नागालैंड	697.19	24753	1028.61	27615	507	′31757	486	32000
16.	उड़ीसा	0	33526	0	39113	0	33623	0	39898
17.	राजस्थान	131.95	65199	484	68404	1792.57	73297	750	80373
18.	सिक्किम	0	689	12.69	672	15.01	647	9.94	1232
19.	तमिलनाडु	0	589	0	1545	49.05	2108	17.86	2231
20.	त्रिपुरा	0	5462	161.09	6251	296.19	7438	195.14	8802
21.	उत्तर प्रदेश	0	354	0	468	107.62	5079	56.07	4900
22.	पश्चिम बंगाल	0	13323	94.57	11135	345.31	20764	245.21	19360
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.59	199	0.89	111	2.74	184	3.09	292
24.	दमन और दीव	1.05	14	0	19	0	24	0	30
25.	उत्तरांचल	0	8582	0	9839	137.5	10277	85.05	10937
26.	छत्तीसगढ़	32.07	46907	0	54645	206.45	46752	1254.04	53658
27.	झारखण्ड	0	27272	0	8187	200	20452	841.26	21637
28.	गोवा	0	0	0	262	12.09	557	6.04	590
	जोड़	**5158.64**	**585294**	**6579.47**	**755869**	**10137.71**	**787236**	**18183.3**	**874215**

स्रोतः जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2005–06 *** 20.2.2006 तक**

अनुलग्नक 5.VI

पात्रता के उन्नयन की स्कीम के अन्तर्गत रिलीज किए गए सहायता अनुदान

(लाख रुपए)

		2002–03		2003–04		2004–05		2005–06*	
क्रम सं.	राज्य का नाम	रिलीज़ की गई राशि	लाभभोगियों की संख्या	रिलीज की गई राशि	लाभभोगियों की संख्या	रिलीज की गई राशि	लाभभोगियों की संख्या	रिलीज की गई राशि	लाभभोगियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.6	84	0	0	0	0	0	0
2.	असम	0	0	0	0	9.00	60	0	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0		0	0	0
4.	केरल	0	0	0	0	0	0	3	23
5.	उड़ीसा	10.2	136	40.8	272	0	0	0	0
6.	राजस्थान	4.45	50	7.73	51	0	0	11.36	50
7.	त्रिपुरा	2.4	16	2.4	16	2.40	16	0.96	16
8.	पश्चिम बंगाल	6.3	72	0	0	7.83	72	0	0
9.	सिक्किम	0.75	5	1.5	10	2.25	15	2.85	19
10.	मध्य प्रदेश	25.8	172	0	0	0	0	77.4	516
11.	जम्मू और कश्मीर	2.1	14	0	0	0	0	0	0
12.	अरुणाचल प्रदेश	6.45	45	0	0	0	0	0	0
13.	छत्तीसगढ़	21	140	21	140	17.55	140	0	0
14.	गुजरात	0	0	3.45	23	0	0	4.43	34
	जोड़	**92.05**	**734**	**76.88**	**512**	**39.03**	**303**	**100**	**658**

स्रोतः जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2005–2006 * 20.2.2006 तक

अनुलग्नक 5.VII

अनुसूचित जनजाति के लड़के/लड़कियों के छात्रावासों की स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों को रिलीज किए गए सहायता अनुदान

क्रम सं.	राज्य का नाम	2002–03			2003–04			2004–05			2005–06*		
		राशि	छात्रावास	स्थान	राशि	छात्रावास	सीटें	स्थान	छात्रावास	सीटें	स्थान	छात्रावास	सीटें
1.	आन्ध्र प्रदेश	332.5	18	2125	277	23	3001	0	0	0	0	0	0
2.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	67.7	बकाया	0	0	0	0
4.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	मध्य प्रदेश	862	145	0	0	0	0	300	बकाया	.	440	बकाया	0
9.	मणिपुर	0	.	.	49.84	2	100	0	0	0	142.695	6	270
10.	मेघालय	27.50	10	200	.	.	.	0	0	0	0	0	0
11.	नागालैंड	65.00	बकाया	.	150.00	2	200	151	2	200	0	0	0
12.	उड़ीसा	0	0	0	41.46	1	100	0	0	0	0	0	0
13.	राजस्थान	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0
14.	तमिलनाड	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0
15.	त्रिपुरा	0	0	0	50.00	2	100	0	0	0	0	0	0
16.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0
17.	पश्चिम बंगाल	5.00	1	100	47.76	3	180	0	0	0	6.71	1	60
18.	कर्नाटक	0	0	0	150.00	12	600	120.00	बकाया	.	86	5	250
19.	महाराष्ट्र	0	0	0	.	.	.	242.04	11	875	194.46	बकाया	0
20.	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र	0	0	0	230.62	बकाया	.	234.88	बकाया	.	0	0	0
21.	झारखण्ड	0	0	0	817.86	4	1200	98.86	18	900	0	0	0
22.	अरुणाचल प्रदेश	58.00	4	160	.	.	.	20.50	बकाया	.	21.435	1	40
23.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	65.12	2	90	100.79	बकाया	बकाया
जोड़		**1350**	**178**	**9835**	**1814.5**	**49**	**5481**	**1300**	**33**	**2065**	**992.1**	**13**	**620**

स्रोतः जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2005–2007 * 20.2.2006 तक

अनुलग्नक 5.VIII

अनुसूचित जनजाति के लिए जनजातीय उप–योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को रिलीज किए गए सहायता अनुदान

(राशिः लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002–03			2003–04			2004–05			2005–06*		
		राशि	स्कूल	स्थान	राशि	स्कूल	स्थान	राशि	स्कूल	स्थान	राशि	स्कूल	स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	380	38	3800	0	0	0	0	0	0
2.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	86.49	38	4560	200	बकाया	—
4.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	मध्य प्रदेश	820	130''	7000	0	0	0	300.00	बकाया	0	200	बकाया	0
8.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	त्रिपुरा	0	0	0	50	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
13.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	कर्नाटक	130	5	625	0	0	0	77.51	बकाया	0	150	10	1250
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	86.00	बकाया	0	0	0	0
16.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	उत्तरांचल	0	0	0	217	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
कुल		**950**	**135**	**7625**	**647**	**38**	**3800**	**550.00**	**38**	**4560**	**550**	**10**	**1250**

स्रोत' जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट

* 20.2.2006 तक

** सहायता अनुदान किस्तों के आधार पर रिलीज किया गया है और आगामी वर्षों में भी इन स्कूलों के लिए अनुदान दिए जाएंगे।

अनुलग्नक 5.IX

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज किया गया सहायता अनुदान

		2002–03		2003–04		2004–05		2005–06*	
क्रम सं.	राज्य	राशि	केन्द्र	राशि	केन्द्र	राशि	केन्द्र	राशि	केन्द्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	107.6	9	0	0	0	0
2.	असम	44.26	10	0	0	62.53	10	0	0
3.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	गुजरात	29.79	13	141.46	13	145.68	13	0	0
5.	जम्मू और कश्मीर	46.71	2	0	0	0	0	15.5	1
6.	कर्नाटक	0	0	0	0	66.73	10	68.26	10
7.	केरल	0	0	0	0	40.5	3	0	0
8.	मध्यप्रदेश	0	0	0	0	0	0	57	10
9.	महाराष्ट्र	0	0	73.52	15	0	0	0	0
10.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	मिजोरम	36	3	61.08	5	0	0	0	0
12.	उड़ीसा	64.15	15	0	0	0	0	0	0
13.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	तमिलनाड	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	त्रिपुरा	54	8	0	0	0	0	0	0
16.	पश्चिम बंगाल	6.13	1	0	0	0	0	63.6	4
17.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	छत्तीसगढ़	118.95	13	0	0	134.55	12	0	0
20.	सिक्किम	0	0	16.34	3	0	0	42.57	10
	जोड़	**399.99**	**65**	**400**	**45**	**450**	**48**	**247**	**35**

स्रोतः जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2005–06 * **20.2.2006 तक**

अनुलग्नक 5.X

एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों का ब्योरा

(लाख रुपए)

					रिलीज की गई राशियां@		
क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**आबंटित स्कूलों की संख्या**	**शुरू किए गए स्कूलों की संख्या**	**छात्रों की संख्या**	**अनावर्ती**	**आवर्ती**	**जोड़**
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	8	3853	1700.00	860.00	2660.00
2.	असम	2	—	—	200.00	—	200.00
3.	बिहार*	—	—	—	400.00	—	400.00
4.	गुजरात	10	8	1375	2200.00	690.00	2890.00
5.	हिमाचल प्रदेश	1	1	30	100.00	—	100.00
6.	जम्मू और कश्मीर	2	—	—	200.00	—	200.00
7.	कर्नाटक	4	3	808	850.00	300.00	1150.00
8.	केरल	2	2	470	350.00	110.00	460.00
9.	मध्य प्रदेश**	12	8	2248	3350.00	200.00	3550.00
10.	महाराष्ट्र	4	4	845	400.00	520.00	920.00
11.	मणिपुर	3	—	—	625.00	—	625.00
12.	उड़ीसा	10	10	2468	2500.00	1060.00	3560.00
13.	राजस्थान	7	7	1519	1750.00	70.00	1820.00
14.	सिक्किम	2	—	—	350.00	—	350.00
15.	तमिलनाडु	2	1	326	350.00	190.00	540.00
16.	त्रिपुरा	3	3	411	750.00	—	750.00
17.	उत्तर प्रदेश	1	—	—	250.00	—	250.00
18.	पश्चिम बंगाल	7	5	1246	1450.00	350.00	1800.00
19.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	205.44	—	205.44
20.	मेघालय	2	—	—	200.00	—	200.00
21.	मिजोरम	1	—	—	250.00	10.00	260.00
22.	नागालैंड	3	—	—	750.00	—	750.00
23.	झारखण्ड	4	—	—	600.00	—	600.00
24.	छत्तीसगढ़	8	8	480	285.00	—	285.00
25.	उत्तरांचल	1	—	—	100.00	—	100.00
	जोड़	100	68	16079	20165.44	4460.00	24625.44

स्रोतः जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2005–06

@ 20.2.2006 तक

* राज्य के विभाजन के समय झारखंड सरकार को बिहार के सामने दिखाया जाता रहा है, झारखंड द्वारा स्वीकार किए जाने तक।

** छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकार किए जाने तक 8.00 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को दी गई बताई गई है।

अध्याय–6

सेवा सुरक्षण

6.1 संवैधानिक उपबन्ध

6.1.1 स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद, संविधान का निर्माण करते समय यह महसूस किया गया था कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने के लिए इनके लिए विशेष उपबन्ध किए जाने की जरूरत है। तदनुसार, राज्य के अधीन सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4क), 16(4ख) और 335 में सुरक्षणों का उपबन्ध किया गया है।

6.1.2 अनुच्छेद 16(4) राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े हुए वर्ग के पक्ष में, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का उपबन्ध करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(4) में मूल रूप से यह उपबन्ध किया गया था किः

> "इस अनुच्छेद में दी गई कोई बात राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े हुए वर्ग के पक्ष में, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का कोई उपबन्ध करने से नहीं रोकेगी।"

6.1.3 उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में अपने दिनांक 16 नवम्बर, 1992 के निर्णय में, अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा था कि इस निर्णय की तारीख, अर्थात 16 नवम्बर, 1992 से पांच वर्षों के बाद पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 19 अगस्त, 1993 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को स्पष्ट किया था कि उच्चतम न्यायालय ने 16.11.92 से, अर्थात इन्दिरा साहनी के मामले में निर्णय की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के जारी रहने की अनुमति दी है।

6.1.4 माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर उल्लिखित निर्णय के प्रभाव के निराकरण के लिए, संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1955 द्वारा अनुच्छेद 16(4) को संशोधित किया गया और राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन किसी श्रेणी या श्रेणियों के पदों या सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने की शक्ति प्रदान करने के लिए एक नया अनुच्छेद 16(4क) जोड़ा गया।

6.1.5 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 13.8.1997 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को सूचित किया कि अनुच्छेद 16(4क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं और पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण को 15.11.1997 के बाद जारी रखने का फैसला किया गया है।

6.1.6 माननीय उच्चतम न्यायालय ने वीरपाल सिंह और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में दिनांक 10.10.1995 के अपने निर्णय में यह कहा था कि यदि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के किसी उम्मीदवार को निकटतम ऊपर के पद/ ग्रेड में आरक्षित रिक्ति के उस उम्मीदवार से पहले पदोन्नत कर दिया गया था, जिसे उक्त निकटतम उच्च पद/ ग्रेड में बाद में पदोन्नत किया गया था, तो सामान्य/ अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को उक्त निकटतम ऊपर के पद/ ग्रेड में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के ऐसे पहले पदोन्नत किए गए उम्मीदवार के ऊपर अपनी वरिष्ठता पुनः प्राप्त हो जाएगी।

6.1.7 माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.10.1995 के उपर्युक्त निर्णय के प्रतिकूल प्रभाव का निराकरण करने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों को

आरक्षण के नियम के कारण हुई उनकी पदोन्नति की स्थिति में अपनी वरिष्ठता बनाए रखने की अनुमति देने के उद्देश्य से "किसी श्रेणी में पदोन्नति के मामले में" शब्दों को "किसी श्रेणी में, परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामले में" शब्दों से प्रतिस्थापित करने के लिए अनुच्छेद 16(4क) को संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित किया गया। संशोधित अनुच्छेद 16(4क) को 17 जून, 1995 से, अर्थात संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल किए जाने की तारीख से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी बना दिया गया था। यह संशोधन इसलिए जरूरी था, ताकि सरकार किसी पद पर नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति की वरिष्ठता इस सामान्य सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित कर सके कि किसी पहले के चयन द्वारा पदोन्नत किए गए व्यक्ति परवर्ती चयन द्वारा पदोन्नत व्यक्तियों से सामूहिक रूप से वरिष्ठ होंगे।

6.1.8 संविधान में किए गए उपर्युक्त संशोधन के अनुसरण में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने दिनांक 21 जनवरी, 2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/1/2001–स्था.(घ) द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

6.1.9 उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में अपने दिनांक 16 नवम्बर, 1992 के निर्णय में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह भी कहा था कि किसी वर्ष में आरक्षण के आधार पर, जिसमें आगे लाया गया आरक्षण भी शामिल है, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 29 अगस्त, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/5/97–स्था.(रिज.) द्वारा सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को अनुदेश जारी किए थे, जिनमें चालू रिक्तियों और बैकलाग रिक्तियों पर 50 प्रतिशत की सीमा लागू कर दी गई थी।

6.1.10 माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.11.1992 के उपर्युक्त निर्णय के प्रभाव का निराकरण करने के लिए, संविधान (81वां संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 16(4ख) यह उपबन्ध करने के लिए जोड़ा गया था कि: "इस अनुच्छेद की कोई बात किसी वर्ष के भरे न गए रिक्त पदों को, जो खंड (4) अथवा खंड (4क) के अन्तर्गत आरक्षण के लिए किए गए किसी प्रावधान के अनुसार, उस वर्ष भरे जाने के लिए आरक्षित किए गए हों, किसी उत्तरवर्ती वर्ष अथवा वर्षों में भरे जाने के लिए रिक्तियों की एक अलग श्रेणी के रूप में विचार किए जाने से निवारित नहीं करेगी और ऐसी श्रेणी के रिक्त पदों को उस वर्ष के कुल रिक्त पदों की संख्या के आरक्षण की 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित किए जाने के लिए, उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, जिस वर्ष वे भरी जा रही हों।" इस संशोधन के अनुसरण में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 20 जुलाई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/5/97–स्था. (आरक्षण) खण्ड II के द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को आवश्यक अनुदेश जारी किए थे, जिनमें यह उपबन्ध किया गया था कि किसी वर्ष की भरी न गई रिक्तियों को, जिन्हें उस वर्ष भरे जाने के लिए रिक्तियों की एक अलग/विशिष्ट श्रेणी माना जाएगा और ऐसी श्रेणी के रिक्त पदों को, उस वर्ष के कुल पदों के आरक्षण की 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए, उस वर्ष की रिक्तियों की एक अलग/ विशिष्ट श्रेणी माना जाएगा और ऐसी श्रेणी के रिक्त पदों को, उस वर्ष के कुल पदों के आरक्षण की 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए, उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, जिस वर्ष वे भरी जा रही हों। दूसरे शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों के भरे जाने की 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा केवल उन आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी, जो चालू वर्ष में उत्पन्न हुई हों और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की पिछले वर्षों की बैकलॉग/ आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों को एक अलग और विशिष्ट समूह माना जाएगा और वह 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन नहीं होगा।

6.1.11 अनुच्छेद 335 में यह उपबन्ध किया गया है कि "संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।" माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस. विनोद कुमार बनाम भारत संघ के मामले में 1996

में यह निर्णय दिया था कि सरकार के अनुदेशों के अन्तर्गत पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अर्हक अंकों को कम करने/ मूल्यांकन के मानकों के अपेक्षाकृत कम किए जाने सम्बन्धी उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 335 के आदेश को देखते हुए अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं है। इस निर्णय के अनुसरण में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 22 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96–स्था.(रिज.) द्वारा अर्हक अंको/ कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के मानकों के मामले में जो रियायतें अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कार्मिक विभाग के दिनांक 23.12.1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/12/69–स्था.(एस.सी.टी.) और दिनांक 21 जनवरी, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/10/76–स्था.(एस.सी.टी.) द्वारा उपलब्ध कराई गई थीं, वापस ले लीं।

6.1.12 माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के प्रभाव का निराकरण करने के उद्देश्य से, संविधान (बियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के जरिए अनुच्छेद 335 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा गया:

> "इस अनुच्छेद में कोई भी बात संघ या किसी राज्य के कामकाज के सिलसिले में सेवाओं अथवा पदों के किसी वर्ग अथवा किन्हीं वर्गों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में ढील दिए जाने अथवा मूल्यांकन के मानक अपेक्षाकृत कम रखने के लिए कोई उपबन्ध करने से नहीं रोकेगी।"

6.1.13 अनुच्छेद 335 के नीचे जोड़े गए उपर्युक्त परन्तुक को देखते हुए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को वापस ले लिया गया और उनके दिनांक 3 अक्तूबर, 2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96–स्था. (रिज.)–खंड II द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के मामलों में अर्हक अंकों को कम करने और मूल्यांकन के अपेक्षाकृत कम मानकों से सम्बन्धित रियायतों को बहाल कर दिया गया।

6.2 आरक्षण की रूपरेखा

6.2.1 खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के पक्ष में आरक्षण पहली बार वर्ष 1943 में शुरू किया गया था। आरक्षण की प्रतिशतता 8.33 थी।

6.2.2 स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद, खुली प्रतियोगिता के जरिए अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की प्रतिशतता को 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने के अनुदेश 21.9.1947 को जारी किए गए थे। खुली प्रतियोगिता के स्थान पर अन्यथा की जाने वाली सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66 ($16^2/_3$) की प्रतिशतता निर्धारित की गई थी।

6.2.3 सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजातियों के लिए पहली बार 5 प्रतिशत का आरक्षण गृह मंत्रालय के दिनांक 13.9.1950 के संकल्प के लागू होने के बाद उपबन्धित किया गया।

6.2.4 1961 की जनगणना से प्रकट हुआ कि देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या क्रमशः 14.64 प्रतिशत और 6.80 प्रतिशत थी। तदनुसार, गृह मंत्रालय के 25 मार्च, 1970 के संकल्प द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता 12.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत कर दी गई।

6.2.5 जैसाकि ऊपर बताया गया है, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 7.5 प्रतिशत का आरक्षण 1970 में 1961 की जनगणना में दर्शाई गई अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। अब तक इस प्रतिशतता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 1991 की जनगणना और 2001 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की तुलना में क्रमशः 8.1 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत थी, जिसमें वे समुदाय शामिल नहीं हैं,

जिन्हें बाद में 2002 में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सेवाओं और पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

6.2.6 पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का विस्तार जनवरी, 1957 से प्रक्रमों में किया जाता रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पहली बार वर्ग I, II, III और IV के पदों में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में किया गया था। समूह 'ग' और 'घ' में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण पहली बार 1963 में किया गया था और उसी वर्ष, विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में वर्ग I में आरक्षण समाप्त कर दिया गया और केवल वर्ग I, III और IV (अब समूह 'ख', 'ग' और 'घ') के पदों तक सीमित कर दिया गया। इस स्थिति में 1968 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। जब वर्ग II, III और IV पदों में सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ग III और IV में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण इस शर्त के अधीन था कि सीधी भर्ती का भाग 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

6.2.7 समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में वरिष्ठता–व–उपयुक्तता द्वारा पदोन्नति में आरक्षण पहली बार 1972 में {कार्मिक विभाग का दिनांक 27 नवम्बर, 1972 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/71–स्था.(रिज.)} इस शर्त के अधीन लागू किया गया था कि सीधी भर्ती का भाग, यदि कोई हो, 50 प्रतिशत से अधिक न हो। 1974 में, समूह 'ग' से समूह 'ख', समूह 'ख' के अन्दर और समूह 'ख' से समूह 'क' के सबसे निचले सोपानों में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण {कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/41/73–स्था.(एस.सी.टी.), दिनांक 20 जुलाई, 1974} इस शर्त के साथ लागू किया गया था कि सीधी भर्ती का भाग, यदि कोई हो, 50 प्रतिशत से अधिक न हो। 1976 में सीधी भर्ती के 50 प्रतिशत से अधिक न होने वाले भाग को, बढ़ा कर 66–2/3 प्रतिशत {कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 25 फरवरी, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/7/75–स्था.} और 1989 में और आगे बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया {कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 25.4.1989 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/17/88–स्था.(एस.सी.टी.)}।

6.2.8 इस समय, सिविल पदों और सिविल सेवाओं के ग्रेडों में, जहां सीधी भर्ती का भाग, यदि कोई हो, 75 प्रशित से अधिक न हो और जहां पद निम्न प्रकार से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हों, पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 7.5 प्रतिशत का आरक्षण है:

(क) समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा;

(ख) समूह 'ख' पद से समूह 'क' पद में अथवा समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' में; और

(ग) समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों में चयन के बिना।

6.2.9 अनुच्छेद 16(4क) राज्य को सेवाओं के किसी वर्ग अथवा किन्हीं वर्गों के पदों में, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पक्ष में, जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, परिणामी वरिष्ठता सहित आरक्षण के उपबन्ध करने की शक्ति प्रदान करता है। नए अनुच्छेद {अर्थात 16(4क)} के उपबन्ध के अनुसार, यह अपेक्षा की गई थी कि सरकार समूह 'क' के पदों के अन्दर भी चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण लागू करेगी। लेकिन, अनुच्छेद 16(4क) में किए गए संशोधन के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 अगस्त, 1997 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अनुदेश जारी करते समय सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। **इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि अनुच्छेद 16(4क) के उपबन्धों के अनुसार समूह 'क' के पदों में चयन द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षण का नियम लागू किया जाए।**

6.2.10 संविधान के अन्तर्गत, देश के सभी नागरिक, चाहे उनका निवास–स्थान अथवा जन्म–स्थान कोई भी हो, विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं और तदनुसार किसी केन्द्रीय सेवा में ऐसी कोई भर्ती नहीं की जा सकती, जो नियमों द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र तक सीमित हो। लेकिन यह देखा गया है कि व्यवहार में समूह 'क' और समूह

'ख' की सेवाओं और पदों में भर्ती समूचे देश से उम्मीदवारों को आकर्षित करती है, लेकिन समूह 'ग' और 'घ' के अधिकतर पदों और सेवाओं में भर्ती, जो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम की बजाय अन्यथा भरे जाते हैं, केवल उन लोगों को आकर्षित करती है, जो उस क्षेत्र में अथवा स्थान पर रहते हैं, जहां पर कार्यालय स्थित होता है। उत्तरोक्त वर्ग के मामलों में, अर्थात समूह 'ग' और समूह 'घ' के मामलों में, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता निर्धारित करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा उस राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र में कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता को ध्यान में रखा जाता है।

6.3 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए पांच कार्यालय ज्ञापनों की समीक्षा

6.3.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने विभिन्न मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए जनवरी से अगस्त, 1997 की अवधि में पांच कार्यालय ज्ञापन जारी किए थे। इन अनुदेशों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण के बारे में सरकार की नीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इन कार्यालयों की बाद में समीक्षा की गई है और 4 कार्यालय ज्ञापनों के सम्बन्ध में संविधान के संगत अनुच्छेदों में किए गए संशोधनों के अनुसरण में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा संशोधित अनुदेश जारी किए गए हैं। इन पांच कार्यालय ज्ञापनों में से प्रत्येक की विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:

(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का पहला कार्यालय ज्ञापन, अर्थात दिनांक 30.1.1997 का का.ज्ञा. संख्या 20011/1/96–स्था.(डी.) वीरपाल सिंह और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि यदि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के किसी उम्मीदवार को निकटतम उच्च पद/ ग्रेड में आरक्षित रिक्ति में अपने से वरिष्ठ सामान्य श्रेणी/ अन्य पिछड़े वर्गों के उस उम्मीदवार से पहले पदोन्नत कर दिया गया था, जिसे उक्त निकटतम पद/ ग्रेड में बाद में पदोन्नत किया गया था, तो सामान्य/ अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को उक्त निकटतम उच्च पद/ ग्रेड में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के ऐसे पहले पदोन्नत किए गए उम्मीदवार के ऊपर अपनी वरिष्ठता पुनः प्राप्त हो जाएगी। यह कार्यालय ज्ञापन, जिससे सामान्य श्रेणी के उस उम्मीदवार की तुलना में, जिसे बाद में पदोन्नत किया गया था, उससे पहले पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, बाद में वापस ले लिया गया और संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4क) में किए गए उपयुक्त संशोधन के आधार पर दिनांक 21.1.2002 के समसंख्यक का.ज्ञा. के द्वारा संशोधित अनुदेश जारी किए गए। संशोधित अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह उपबन्ध किया गया है कि सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग के बाद में पदोन्नत उम्मीदवार को, आरक्षण के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पहले पदोन्नत किए गए उम्मीदवारों से कनिष्ठ रखा जाएगा।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस. विनोद कुमार बनाम भारत संघ के मामले में अपने निर्णय में 1996 में यह कहा कि सरकार के अनुदेशों के अनुसार पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अर्हक अंकों को कम करने/ मूल्यांकन के मानकों के अपेक्षाकृत कम किए जाने सम्बन्धी उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 335 के आदेश को देखते हुए अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं हैं। इस निर्णय के अनुसरण में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 22 जुलाई, 1997 के अपने कार्यालय ज्ञापन 36012/23/96–स्था.(रिजर्व) के जरिए अर्हक अंकों/ कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के मानकों के मामले में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को जो रियायतें कार्मिक विभाग के दिनांक 23.12.1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/12/69–स्था.(एस.सी.टी.) और दिनांक 21 जनवरी, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/10/76–स्था.(एस.सी.टी.) द्वारा उपलब्ध कराई गई थीं, वापस ले लीं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन (दिनांक 22 जुलाई, 1997) इस बीच वापस ले लिया गया है और संविधान (बियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 335 के नीचे जोड़े गए परन्तुक के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3.10.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96–स्था.(रिज.)–खंड II द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति के मामलों में कम अर्हक अंकों/ मूल्यांकन के अपेक्षाकृत कम मानकों से सम्बन्धित रिहायतें बहाल कर दी गई थी।

(iii) उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में यह भी कहा था कि इस निर्णय की तारीख, अर्थात 16.11.1992 से पांच वर्ष के बाद पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा और संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4) को संशोधित किया गया और एक नया अनुच्छेद 16(4क) जोड़ा गया। नए अनुच्छेद 16(4क) में, अन्य बातों के साथ–साथ यह उपबन्ध है कि कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन उन सेवाओं में किसी श्रेणी अथवा किन्ही श्रेणियों के पदों पर परिणामिक वरिष्ठता के साथ, पदोन्नति के मामलों का आरक्षण का उपबन्ध करने से नहीं रोकेगी। अनुसचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों अथवा उनकी एसोसिएशनों, आदि द्वारा यह अभ्यावेदन दिया गया था कि अनुच्छेद 16(4क) का आशय, अन्य बातों के साथ–साथ, यह था कि समूह 'क' के अन्दर पदों में भी चयन द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबन्ध किया जाए, जो अब तक समूह 'क' के सबसे निचले सोपानों तक ही सीमित था। चूंकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अनुच्छेद 16(4) में किए गए संशेधन के अनुसरण में जारी किए गए अपने दिनांक 13.8.1997 के कार्यालय ज्ञापन में पदोन्नति में आरक्षण को विद्यमान स्थिति के रूप में जारी रखने का फैसला किया था और समूह 'क' के भीतर चयन के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के बारे में मौन था, इसलिए आयोग ने इस सम्बन्ध में संशोधित अनुदेश जारी किए जाने के लिए इस मामले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ उठाया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया कि यह मामला, जिसमें एक पक्ष ने अनुच्छेद 16(4क) की वैधता को चुनौती दी है और दूसरे पक्ष ने समूह 'क' के पदों के भीतर पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रार्थना की है, माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष लम्बित है।

(iv) उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में अपने 16 नवम्बर, 1992 के निर्णय में यह भी कहा था कि किसी वर्ष में आरक्षण के आधार पर, जिसमें आगे लाया गया आरक्षण भी शामिल है, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 29 अगस्त, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/5/97–स्था.(रिज.) के द्वारा सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को अनुदेश जारी किए थे, जिनमें चालू रिक्तियों और बैकलाग रिक्तियों पर 50 प्रतिशत की सीमा लागू कर दी गई थी। संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के जरिए एक नया अनुच्छेद 16(4ख) जोड़कर संविधान के अनुच्छेद 16(4) में किए गए संशोधनों के आधार पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 जुलाई, 2000 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा यह कार्यालय ज्ञापन वापस ले लिया गया है। संशोधित अनुदेशों में यह उपबन्ध किया गया है कि किसी वर्ष की भरी न गई रिक्तियों को, जिन्हें उस वर्ष भरे जाने के लिए आरक्षित किया गया हो, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए रिक्तियों की एक अलग/ विशिष्ट श्रेणी माना जाएगा और ऐसी श्रेणी के रिक्त पदों को, उस वर्ष के कुल पदों के आरक्षण की 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए, उस वर्ष की रिक्तियों में जोड़ा नहीं

जाएगा, जिस वर्ष वे भरी जा रही हों। दूसरे शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों के भरे जाने की 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा केवल उन आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी, जो चालू वर्ष में उत्पन्न हुई हों और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की पिछले वर्षों की बैकलाग/ आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों को एक अलग और विशिष्ट समूह माना जाएगा और उस पर कोई उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी।

(v) उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य और जे.सी. मलिक बनाम रेल मंत्रालय के मुकदमें में यह निर्णय दिया था कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण पदों पर लागू होना चाहिए, रिक्तियों पर नहीं। न्यायालय ने यह भी कहा था कि रिक्ति–आधारित रोस्टर केवल उस समय तक प्रचालित हो सकता है, जब तक कि संवर्ग/ सेवा में आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण की विहित प्रतिशतता तक नहीं पहुंच जाता और उसके बाद रोस्टरों को प्रचालित नहीं किया जा सकता और सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणियों की भर्ती, उनके त्यागपत्र, पदोन्नति, आदि द्वारा रिलीज़ हुई रिक्तियों को सम्बन्धित श्रेणियों के व्यक्तियों की नियुक्तियों द्वारा भरा जाना है, ताकि आरक्षण की विहित प्रतिशतता को बनाए रखा जाए। न्यायालय ने आगे चलकर यह भी कहा कि आरक्षित श्रेणियों के उन व्यक्तियों को, जो योग्यता पर नियुक्त किए जाते हैं और आरक्षण के कारण नहीं, आरक्षण के लिए अभिप्रेत कोटे के लिए गिना नहीं जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के इन निदेशों के अनुसरण में ही, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 2.7. 1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (रिज.) रिक्ति–आधारित रोस्टर के स्थान पर पद–आधारित रोस्टर अपनाने के लिए जारी किया गया था। नई प्रक्रिया की जांच भूतपूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई और यह देखा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में अपने 10 फरवरी, 1995 के निर्णय में पद–आधारित रोस्टर शुरू करने के बारे में कोई निदेश नहीं दिया था और न्यायालय ने केवल यह कहा था कि रिक्ति–आधारित रोस्टर केवल उस समय तक प्रचालित हो सकता है, जब तक कि किसी संवर्ग में आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्धित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण की विहित प्रतिशतता तक नहीं पहुंच जाता। यह भी देखा गया कि पुराने रिक्तियां–आधारित रोस्टर की तुलना में नए पद–आधारित रोस्टर में, आरक्षित प्वाइंटों को उचित प्राथमिकता नहीं दी गई थी और पुराने रोस्टर की तुलना में नए रोस्टर में पहले छः प्वाइंट तक कोई आरक्षण नहीं था और पहले तेरह प्वाइंट तक एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति प्वाइंट का नुकसान था। आयोग ने यह विचार भी व्यक्त किया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को पद–आधारित रोस्टर को अपनाने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिएं थे कि अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत के विहित आरक्षण स्तरों को प्राप्त कर लिया जाए। तदनुसार, भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन को वापस लेने और रिक्ति–आधारित रोस्टर को जारी रखने का अनुरोध किया गया। तदोपरान्त, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस मामले में भारत के महान्यायवादी की राय लेने का फैसला किया। भारत के महान्यायवादी द्वारा 9 अप्रैल, 1999 को दी गई सलाह यह थी कि सरकार पुराने रिक्ति–आधारित रोस्टर को जारी नहीं रख सकती थी और उसके पास पद–आधारित रोस्टर को अपनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद रिक्ति–आधारित रोस्टर को जारी नहीं रखा जा सकता था।

6.3.2 उपर्युक्त से यह देखा जाएगा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए पांच कार्यालय ज्ञापनों में से, चार कार्यालय ज्ञापनों के सम्बन्ध में संशेधित अनुदेश जारी करके पूर्व–स्थिति बहाल कर दी गई है। किन्तु, यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है कि क्या संविधान में नया अनुच्छेद 16(4क) जोड़कर अनुच्छेद 16(4) में किए गए

संशोधन के आधार पर समूह 'क' के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण होना चाहिए अथवा नहीं (जिसके बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 13 अगस्त, 1997 का कार्यालय ज्ञापन मौन था)। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने 10 अगस्त, 2005 को माननीय विधि और न्याय मंत्री, नई दिल्ली को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने उनका (अर्थात मंत्री महोदय का) ध्यान एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ की 2002 की डब्ल्यू.पी.(सी.) संख्या 61 और अन्य सम्बन्धित लेख्य याचिकाओं की ओर दिलाया था, जो भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष लम्बित है और जिनमें संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (81वां संशोधन) अधिनियम, 2000 को चुनौती दी गई है, जिसके अन्तर्गत भारत के संविधान में अनुच्छेद 16(4क) और 16(4ख) को जोड़ा गया था, और माननीय विधि और न्याय मंत्री से अनुरोध किया कि वह अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करने के लिए डॉ. के. पराशरन, भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी, जैसे सुप्रतिष्ठित न्यायविदों को, जिन्होंने 1992 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की नौ–सदस्यीय संवैधानिक पीठ के समक्ष मण्डल मामले में बहस की थी, इस काम में लगाएं। उन्होंने माननीय विधि मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया कि उक्त मामला अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों के संवैधानिक अधिकारों का सुरक्षण करने के लिए संविधान पीठ के समक्ष भली–भांति पेश किया जाए और बढ़िया तरीके से बहस की जाए। **आयोग सिफारिश करता है कि सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के और अनुसूचित जातियों के भी हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मामला संविधान पीठ के समक्ष प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत किया जाए और उसके बारे में प्रभावकारी तरीके से बहस की जाए, किसी प्रतिष्ठित न्यायविद को काम पर लगाना चाहिए जो मामले की विषय–वस्तु से भली–भांति परिचित हो।**

6.4 अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए/ पदोन्नत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में गिना नहीं जाना है।

6.4.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 11 जुलाई, 2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36028/17/2001–स्था.(रिज.) के जरिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को यह स्पष्ट किया है कि उनके दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन (ऊपर हवाला दिया गया है) से यह स्पष्ट होता है कि अपनी योग्यता के आधार पर, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण रोस्टरों के अनारक्षित प्वाइंटों के सामने समायोजित किया जाएगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि:

(i) आरक्षण के कारण अथवा अर्हताओं में ढील दिए जाने के कारण नहीं, बल्कि अपनी योग्यता के कारण पदोन्नति द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को आरक्षण रोस्टरों के अनारक्षित प्वाइंटों के सामने समायोजित किया जाएगा।

(ii) यदि किसी संवर्ग में कोई अनारक्षित रिक्ति पैदा होती है और कोई अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार फीडर ग्रेड में विचार के सामान्य जोन के भीतर हो, तो ऐसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को इस तर्क के आधार पर पदोन्नति देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि पद आरक्षित नहीं है। ऐसे उम्मीदवार पर, अन्य उम्मीदवारों के साथ, पदोन्नति के लिए, यह मानते हुए विचार किया जाएगा, जैसे कि उसका सम्बन्ध सामान्य श्रेणी से हो।

(iii) अपनी योग्यता के आधार पर (सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्त और अनारक्षित प्वाइंटों के समक्ष समायोजित किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार अपनी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की हैसियत को बनाए रखेंगे और भावी/ आगामी पदोन्नति में, यदि कोई हो, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

6.5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच आरक्षित प्वाइंटों के विनिमय की अनुज्ञेयता, बैकलाग रिक्तियों को भरना और आरक्षित प्वाइंटों का व्यपगत न होना

6.5.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 6 नवम्बर, 2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/17/2002–स्था.(रिज.) द्वारा, अन्य बातों के साथ–साथ, केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच आरक्षित प्वाइंटों के विनिमय की अनुज्ञेयता और अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में निम्नलिखित अनुदेश/ स्पष्टीकरण जारी किए हैं:

(i) पद–आधारित आरक्षण का बुनियादी सिद्धान्त यह था कि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी द्वारा आरक्षण द्वारा भरे गए पदों की संख्या उस श्रेणी के लिए विहित कोटे के बराबर होनी चाहिए। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच आरक्षण के विनिमय की अनुमति दी जाएगी, तो आरक्षण द्वारा नियुक्त किए गए किसी आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या उस श्रेणी के लिए विहित आरक्षण से अधिक हो जाएगी। यह पद–आधारित आरक्षण की भावना के प्रतिकूल होगा। इसलिए, पद–आधारित आरक्षण के शुरू होने के बाद, यह सम्भव नहीं होगा कि पदोन्नति और सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच आरक्षण के विनिमय द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किसी पद को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा भर लिया जाए अथवा इसके विपरीत किया जाए।

(ii) जहां सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, वहां रिक्तियों को उन उम्मीदवारों से नहीं भरा जाएगा, जिनका सम्बन्ध इन समुदायों से न हो। दूसरे शब्दों में, सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर प्रतिबन्ध है। लेकिन, समूह 'क' सेवाओं में आपवादिक मामलों में, जहां पदों को लोक हित में रिक्त पड़े रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग अनारक्षण का प्रस्ताव तैयार करेगा और भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) से सलाह करेगा। यथास्थिति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग अनारक्षण का प्रस्ताव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियों के साथ, उस समिति के सामने रखेगा, जिसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव और सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के सचिव शामिल होंगे। समिति की सिफारिश अन्तिम निर्णय के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी जाएगी। यदि रिक्ति के अनारक्षण को अनुमोदित कर दिया जाता है, तो उसे अन्य समुदाय के उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकता है।

(iii) यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के सदस्य, पहले प्रयास में, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, तो उसी भर्ती वर्ष के दौरान सम्बन्धित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों को भर्ती करने का दूसरा प्रयास किया जाएगा। यदि अपेक्षित उम्मीदवार तब भी उपलब्ध नहीं होगे, तो न भरी गई आरक्षित रिक्तियां अगले भर्ती वर्ष तक नहीं भरी जाएंगी। इन रिक्तियों को "बैकलाग रिक्तियां" माना जाएगा।

(iv) किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष की चालू रिक्तियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बैकलाग रिक्तियों को (सीधी भर्ती के सम्बन्ध में) एक अलग–अलग और विशिष्ट समूह माना जाएगा और ये अनुदेश कि एक वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां आरक्षित नहीं की जा सकतीं, केवल चालू रिक्तियों के सन्दर्भ में लागू होंगे और अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी बैकलाग रिक्तियां, बिना किसी प्रकार के प्रतिबन्ध के, सम्बन्धित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरी जाएंगी, क्योंकि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बैकलाग रिक्तियों के एक विशिष्ट समूह की रिक्तियां हैं।

(v) सीधी भर्ती के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियां, जो भरी न गई हों, अगले भर्ती वर्ष (षों) के लिए बैकलाग रिक्तियों के रूप में आगे ले जाई जाएंगी, जब तक वे उस श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरी जातीं, जिसके लिए वे आरक्षित हैं।

(vi) पदोन्नति के मामले में, जिनमें समूह 'ग' से समूह 'ख' में, समूह 'ख' के भीतर और समूह 'ख' से समूह 'क' के सबसे निचले सोपान में चयन द्वारा पदोन्नति शामिल है, यदि आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को विहित प्रक्रिया के अनुसार अनारक्षित किया जा सकता है और इन्हें अन्य समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है।

(vii) यदि आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों और यदि पदों को भरने के लिए अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता आदि जैसे कारणों से ऐसी रिक्तियों को अनारक्षित भी नहीं किया जा सकता, तो रिक्तियों को भरा नहीं जाएगा और वे अगले भर्ती वर्ष तक बिना भरे हुए पड़ी रहेंगी। इन रिक्तियों को "बैकलाग रिक्तियां" माना जाएगा।

(viii) उपर्युक्त उप–पैरा (iv) और (v) में वर्णित स्थिति पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में भी लागू होगी।

(ix) 13 से अधिक पदों वाले संवर्गों में किसी भी समय किसी श्रेणी द्वारा आरक्षण द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या, आदर्श रूप से, उस श्रेणी के लिए विहित आरक्षण की प्रतिशतता के अनुसार निर्धारित कोटे के बराबर होनी चाहिए। जब कभी पद भरे जाएं तो सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के कोटे को पूरा करने के प्रयास किए जाने होंगे, ताकि यथास्थिति, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा आरक्षण द्वारा भरे गए पदों की संख्या उनके लिए निर्धारित किए गए पदों की संख्या के बराबर हो। इसका अर्थ यह है कि यदि आरक्षण का कोटा पूरा न हुआ हो, तो जब संवर्ग में भर्ती की जाएगी तब आरक्षण के कोटे को पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार, पद–आधारित आरक्षण के मामले में आरक्षण इस कारण व्यपगत नहीं होगा कि आरक्षित पद विनिर्दिष्ट संख्या के वर्षों के लिए भरे नहीं जा सके थे।

(x) 13 अथवा उससे कम संख्या के पदों वाले संवर्गों में, जहां 14 प्वाइंट के एल–आकार के रोस्टर लागू होते हैं, यदि भरी न गई आरक्षित रिक्तियां आगे लाए जाने के तीसरे वर्ष में आरक्षण द्वारा भरी न गई हों, तो आरक्षण को व्यपगत हुआ मान लिया जाएगा और उन्हें अनारक्षित रिक्ति के रूप में भरा जाएगा। आयोग की राय है कि सरकार का यह फैसला पद–आधारित सेक्टर के सामान्य सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है, जैसाकि ऊपर के उप–पैरा (ix) में सुस्पष्ट रूप से बताया गया है। **आयोग, इसलिए, जोर से सिफारिश करता है कि 13 अथवा उससे कम पदों वाले संवर्गों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को, जो भरी न गई हों, अनिश्चितकाल तक तब तक आगे ले जाया जाना चाहिए जब तक इन पदों को अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों द्वारा भर नहीं लिया जाता, जैसाकि 13 से अधिक पदों वाले संवर्गों के सम्बन्ध में होता है, जिनमें आरक्षित प्वाइंटों का कोई व्यापगत नहीं होता।**

6.6 पदों का अनारक्षण

6.6.1 सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनारक्षण पर प्रतिबन्ध है और भरे न गए पदों को उस समय तक आगे ले जाया जाना जरूरी है, जब तक कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाता। यह प्रतिबन्ध समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए की जाने वाली सारी सीधी भर्ती के सम्बन्ध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अप्रैल, 1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/6/88–स्था.(एस.सी. टी.) द्वारा लगाया गया था और इसे 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी बना दिया गया था। इस फैसले का प्रयोजन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि उनके लिए आरक्षित पद केवल इन समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाएं। लेकिन सरकार के मौजूदा अनुदेशों में उन आरक्षित पदों के अनारक्षण की व्यवस्था है, जो पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, मंत्रालयों/ विभागों को कतिपय चुनी हुई श्रेणियों के मामलों में अनारक्षण करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। लेकिन, उनके लिए यह जरूरी है कि वे यह प्रस्ताव, विहित प्रोफार्मा में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास भेजें और आरक्षण करने से पहले 15 दिन की अवधि तक उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करें। इन उपबन्धों के अनुसरण में, आयोग को आरक्षित पदों के आरक्षण के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों की संवीक्षा के दौरान, आयोग ने देखा है कि या तो फीडर ग्रेड में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे और यदि वे उपलब्ध भी थे तो वरिष्ठता की सूची के निम्नतम स्तर पर थे और उनके सामान्य जोन में कवर होने अथवा निकट भविष्य में विचार के विस्तारित ज़ोन में कवर होने की सम्भावना नहीं थी। आयोग का विचार है कि ऐसे मामलों में अनारक्षण की अनुमति देने से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के हितों पर इस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि उनके लिए अभिप्रेत रिक्तियां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भर ली जाती हैं और हालांकि आरक्षित प्वाइंटों को आगे ले जाया जाता है, लेकिन बहुत लम्बे समय तक पदोन्नति के लिए उन पर विचार किए जाने की बहुत कम गुंजाइश होती है। आयोग इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार अभिव्यक्त करना चाहेगाः

(i) 6 नवम्बर, 2003 से पहले, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, विनिमय द्वारा अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को दिए जा रहे थे और अब 6.11.2003 से अनुसूचित जनजाति पद अनारक्षण की मौजूदा प्रक्रिया के जरिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भेरे जा रहे हैं। 6.11.2003 के बाद भी, स्थिति में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और आरक्षण के जरिए सेवाओं में उनके हिस्से से उन्हें वंचित किया जा रहा है। निस्सन्देह रूप से, इससे अनुसूचित जनजाति समुदायों में नाराजगी की भावना उत्पन्न हुई है और इस स्थिति से निपटने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका यह है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के अनारक्षण को तत्काल रोक दिया जाए।

(ii) 2 जुलाई, 1997 से पद–आधारित रोस्टर के लागू हो जाने के बाद, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किसी भी समय, उनके लिए निर्धारित विहित प्रतिशतता से कम नहीं होना चाहिए और सेवा–निवृत्ति, आदि के कारण पदों के किसी संवर्ग में कोई कमी होने पर, उसी कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले इसे तत्काल भरा जाना जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित पदों के अनारक्षण की अनुमति देने के बारे में सरकार के मौजूदा अनुदेश पद–आधारित आरक्षण रोस्टर सम्बन्धी अनुदेशों की भावना का अतिक्रमण करते हैं।

(iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच आरक्षण प्वाइंटों के विनिमय को 6 नवम्बर, 2003 से बन्द कर दिया गया है; इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अनुसूचित जाति समुदायों के लिए आरक्षित पद केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जाएं। सरकार के इस फैसले के बुनियादी प्रयोजन को पदोन्नति में आरक्षण के

प्वाइंटों के अनारक्षण की अनुमति देने से विफल बनाया जा रहा है, जिसका परिणाम यह होता है कि पदों में उनका हिस्सा मुड़कर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के पास चला जाता है और अधिकतर मामलों में शासन में उनके वैध हिस्से से उन्हें वंचित किया जाना, फीडर ग्रेड में उनकी अनुपलब्धता के कारण लगभग स्थाई बना हुआ है।

6.6.2 उपर्युक्त को देखते हुए, आयोग जोर से सिफारिश करता है कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के अनारक्षण पर लगाए गए प्रतिबन्ध के अनुरूप, पदोन्नति में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, पद–आधारित रोस्टर के कार्यान्वयन के लिए पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित पदों का अनारक्षण किए जाने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

6.6.3 मौजूदा अनुदेशों में यह उपबन्ध है कि जहां किसी ग्रेड में भर्ती पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों तरीकों से की जाती है, अर्थात जहां भर्ती नियमों में पदोन्नति और सीधी भर्ती के लिए अलग कोटा विहित है, पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत आने वाली रिक्तियां, जो फीडर संवर्ग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सकतीं, अस्थायी रूप से सीधी भर्ती के कोटे की ओर मोड़ी जा सकती हैं और उन्हें भर्ती नियमों में सीधी भर्ती से सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की भर्ती द्वारा भरा जा सकता है। इन अनुदेशों में यह उपबन्ध भी किया गया है कि उत्तरवर्ती वर्ष(र्षों) में, जब सीधी भर्ती कोटा में आरक्षित रिक्तियां उपलब्ध हो जाएं, तो उन्हें पदोन्नति कोटा में शामिल किया जा सकता है, ताकि पहले मोड़ी गई रिक्तियों की कमी को पूरा किया जाए, और उन्हें फीडर संवर्ग के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों से भरा जा सकता है, जो फीडर संवर्ग में तब तक पदोन्नति के लिए उपलब्ध/पात्र हो गए हों। यह समस्या उन मामलों में उत्पन्न होती है, जहां भर्ती नियमों में पदो कों, 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने का उपबन्ध होता है और फीडर संवर्ग में अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, हालांकि फीडर संवर्ग के भर्ती नियमों में सीधी भर्ती के भाग का उपबन्ध होता है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि ऐसे पदों के अनारक्षण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा, तो ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षित पदों को कैसे भरा जाएगा। इसका हल यह है कि भर्ती नियमों को संशोधित किया जाए और उनमें सीधी भर्ती का भी उपबन्ध यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि यदि फीडर संवर्ग में अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो उनके लिए आरक्षित रिक्तियां, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अनारक्षित बनाए जाने की बजाय, सीधी भर्ती के जरिए भरी जाएं। **आयोग, तदनुसार, सिफारिश करता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को संवर्गों का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिएं कि वे अपने भर्ती नियमों में सीधी भर्ती के भाग की भी उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए संशोधन करें, ताकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भरे न गए प्वाइंट, अस्थाई रूप से, पदोन्नति से सीधी भर्ती कोटे की ओर मोड़े जा सकें और आरक्षण प्वाइंट के अनारक्षण की स्थिति को टाला जा सके।**

6.7 विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

6.7.1 विभागीय पदोन्नति समितियों, चयन बोर्डों अथवा भर्ती प्राधिकरणों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के बारे में इस समय ये अनुदेश विद्यमान हैं:

(i) समूह 'ग' अथवा समूह 'घ' सेवाओं/ पदों में 10 अथवा उससे अधिक रिक्तियों में भर्ती करने के लिए यदि कोई चयन बोर्ड विद्यमान है अथवा गठित किया जाने वाला है, तो यह आज्ञापक होगा कि ऐसी समिति/ बोर्ड में एक सदस्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का हो और एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय का हो। इसके अलावा, चयन समिति/ बोर्ड के सदस्यों में एक सदस्य महिला होनी चाहिए, चाहे वह सामान्य श्रेणी की हो या अल्पसंख्यक समुदाय की अथवा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग की हो और ऐसा न होने पर एक महिला सदस्य को समिति/ बोर्ड में सहयोजित किया जाना चाहिए {कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक

11.7.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42011/15/95–स्था.(एस.सी.टी.) के साथ पठित उनका दिनांक 16.8.1990 का कार्यालय ज्ञापन सं. 39016/9(5)/89–स्था. (एस.सी.टी.)}।

(ii) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों से सम्बन्धित विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष पर्याप्त रूप से उच्च स्तर का कोई अधिकारी होना चाहिए और समिति के सदस्यों में एक अधिकारी किसी ऐसे विभाग का होना चाहिए, जिसका सम्बन्ध उस विभाग से न हो, जिसमें पदोन्नतियों पर विचार किया जा रहा हो। उन मामलों में जहां कोई बाहर का सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया जा रहा हो, वहां वह अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय का अधिकारी होना चाहिए और केवल उन मामलों में जहां ऐसा सम्भव न हो, वह उसी विभाग के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति में नामज़द किया जाना चाहिए। यदि विभागीय पदोन्नति समिति में मनोनीय किए जाने के लिए अन्य विभाग से अथवा उसी विभाग से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी उपलब्ध न हो, तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक किए जाने से पहले सम्बन्धित मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय के सम्पर्क अधिकारी से इस बारे में पृष्ठांकन प्राप्त कर लेना चाहिए कि विभागीय पदोन्नति समिति के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी पाने के लिए सभी प्रयत्न किए गए हैं; किन्तु उनमें सफलता नहीं मिली {कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 18.8.1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/22/82–स्था.(एस.सी.टी.) के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन संख्या 41013/16/81–स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 10.8.1981}।

6.7.2 आयोग ने देखा है कि अधिकतर मामलों में, केवल अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित प्रतिनिधियों को ही विभागीय पदोन्नति समितियों/ चयन समितियों के साथ सहयोजित किया जाता है और उस हद तक अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों के हितों की रक्षा नहीं की जाती। **इसलिए, आयोग का विचार है कि भर्ती/ पदोन्नति में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी विभागीय पदोन्नति समितियों/ बोर्डों/ चयन समितियों में अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अलग प्रतिनिधियों को सहयोजित करने का उपबन्ध करने के लिए उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित किया जाना चाहिए।**

6.8 गैर–सरकारी क्षेत्र में आरक्षण

6.8.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग) दोनों ने अपना सुविचारित मत व्यक्त किया है कि संवैधानिक स्कीम के अनुरूप, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के सम्बन्ध में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रतिष्ठापित सकारात्मक भेदभाव के सिद्धान्त को, सामाजिक समानता के संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, गैर–सरकारी क्षेत्र पर भी लागू किया जाना चाहिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक गैर–सरकारी सदस्य के विधेयक के संदर्भ में भारत के माननीय महान्यायवादी की राय मांगी थी, जिन्होंने यह मत व्यक्त किया था कि संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को राज्य के अधीन सेवाओं में किसी पिछड़ी श्रेणी के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण की व्यवस्था करने में समर्थ बनाता है और गैर–सरकारी क्षेत्र में आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन अनुज्ञेय नहीं होगा और उससे संविधान के समानता के उपबन्धों का उल्लंघन होगा।

6.8.2 **आयोग भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपनी छठी रिपोर्ट (1999–2000 और 2000–2001) में इस बारे में दी गई सिफारिशों को दोहराना चाहता है कि सामाजिक समानता लाने के संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सकारात्मक भेदभाव के सिद्धान्त का विस्तार गैर–सरकारी क्षेत्र पर भी किया जाना चाहिए और इसकी शुरुआत उन क्रियाकलापों से की जानी चाहिए, जो संस्थात्मक वित्त का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और/ अथवा जिन्हें राज्य द्वारा कुछ अन्य तरीकों से सहायता दी जा रही है।**

6.8.3 आयोग भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपनी छठी रिपोर्ट (1999–2000 और 2000–2001) में दी गई इस सिफारिश को भी दोहराता है कि सरकार को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के समय यह बाध्यकर खंड निर्धारित करना चाहिए कि नया प्रबन्धन विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण की नीति का पालन करेगा और उसे जारी रखेगा। आयोग आगे यह सिफारिश करता है कि सरकार को इस बारे में एक विधान बनाना चाहिए।

6.9 वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

6.9.1 जून, 1975 से पहले, अनुसन्धान करने अथवा अनुसन्धान को आयोजित करने, मार्ग–निर्देश प्रदान करने और निर्देशित करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से सम्बन्धित आदेशों के अधिकार–क्षेत्र से बाहर रखा गया था। 1975 में, इन आदेशों को संशोधित किया गया और यह फैसला किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की स्कीम सम्बन्धित सेवाओं में, जहां कहीं उन्हें आरक्षण की स्कीम के अधिकार–क्षेत्र से छूट दी गई थी, वर्ग I (अब समूह 'क') के सबसे निचले ग्रेड सहित वर्ग I तक के वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए की जाने वाली नियुक्तियों को भी कवर करेगी {कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 23 जून, 1975 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/2/73–स्था.(एस.सी.टी.)}।

6.9.2 वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में आरक्षित रिक्तियों के बारे में, जिन्हें पैरा 6.9.1 में उल्लिखित फैसले के अनुसरण में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की स्कीम के दायरे के भीतर लाया जाएगा, दो बार की बजाय, जैसाकि गृह मंत्रालय के दिनांक 31.7.1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/70–स्था.(एस.सी.टी.) में निहित किया गया है, एक बार विज्ञापन दिए जाने की जरूरत है। आरक्षित समुदायों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का अनुमोदन प्राप्त किए बिना आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित माना जा सकता है {कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 23 जून, 1975 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/2/73–स्था.(एस.सी.टी.)}।

6.9.3 कार्मिक और प्रशासनिक सुधार आयोग के दिनांक 23.6.1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/2/73–स्था. में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, अब केवल उन वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, आरक्षण के आदेशों के अधिकार–क्षेत्र से छूट दिए जाने की जरूरत है:

(i) ये पद सम्बन्धित सेवा के समूह 'क' के सबसे निचले सोपान से ऊपर के ग्रेड में होने चाहिएं;

(ii) वे मंत्रिमंडल सचिवालय (मंत्रिमंडल कार्य विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 85/11/सी. एफ.–61(1), दिनांक 28.12.1961 के अनुसार 'वैज्ञानिक और तकनीकी' के रूप में वर्गीकृत होने चाहिएं।

(iii) ये पद अनुसन्धान करने अथवा अनुसन्धान आयोजित करने, मार्गदर्शन प्रदान करने और अनुसन्धान निर्देशित करने के लिए होने चाहिएं।

6.9.4 इन अनुदेशों (अर्थात दिनांक 23.6.1975 के अनुदेशों) में इसके अलावा यह भी निर्धारित किया गया है कि ऊपर की शर्तों को पूरा करने वाले किन्हीं पदों को आरक्षण की स्कीम के क्षेत्र से बाहर रखने से पहले सम्बन्धित मंत्री के आदेश प्राप्त किए जाने चाहिएं।

6.9.5 उपर्युक्त फैसले अन्तरिक्ष विभाग और इलेक्ट्रानिकी विभाग में और परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती के सम्बन्ध में लागू नहीं होते और, इसलिए, इन विभागों में अनुसन्धान सम्बन्धी वैज्ञानिक और तकनीकी पद अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के दायरे से बाहर बने हुए हैं।

6.9.6 आयोग की राय है कि वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में, जिनमें अनुसन्धान करने, अथवा अनुसन्धान को आयोजित करने, मार्ग–निर्देश देने और निर्देशित करने के लिए अभिप्रेत पद भी

शामिल हैं, आरक्षण को समूह 'क' के सबसे निचले सोपान तक सीमित रखने के बारे में सरकार द्वारा 1975 में जो फैसला (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 23 जून, 1975 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा) किया गया था, उस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। जो स्थिति 1975 में थी, उसमें शिक्षा के प्रसार के कारण, जिसमें वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का प्रसार भी शामिल है, पूरी तरह बदलाव आ गया है और अब इन विषयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के योग्यताप्राप्त और अनुभवी उम्मीदवार काफी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। **इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की स्कीम का विस्तार समूह 'क' के पदों/ सेवाओं के सबसे निचले सोपान के आगे (अर्थात समूह 'क के भीतर) बढ़ाया जाना चाहिए।**

6.10 सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को रियायतें

6.10.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में निम्नलिखित ढीलें/ रियायतें उपलब्ध हैं:

(i) किसी पद/सेवा में सीधी भर्ती के लिए विहित न्यूनतम आयु–सीमा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के मामले में 5 वर्ष की ढील दी जा सकती है।

(ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए किसी भर्ती परीक्षा/ चयन में प्रवेश के लिए कोई शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) परीक्षा द्वारा अथवा अन्यथा, सीधी भर्ती में यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदंडों के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो उनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदंडों में ढील देकर, इन समुदायों के उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाना चहिए, बशर्ते कि वे सम्बन्धित पद/ पदों में भर्ती के लिए अनुपयुक्त न पाए जाएं।

(iv) ऊपर (iv) में उल्लिखित रियायतों के अलावा, यदि लिखित परीक्षा की अपेक्षा अन्यथा भरे जाने वाले समूह 'ग' और 'घ' के गैर–तकनीकी और अर्द्ध–तकनीकी सेवाओं/ पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवार भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, जो ढीले बनाए गए मानदंडों को पूरा करते हों, तो चयन करने वाले प्राधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे उक्त सेवा/ पद के लिए ढीले बनाए गए मानदंडों वाली न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं को पूरा करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों में से सर्वोत्तम उपलब्ध उम्मीदवारों का चयन कर लें। इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों को पद के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए और प्रशासन की कुशलता को बनाए रखने के लिए उन्हें उनके अपने कार्यालयों में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(v) भर्ती नियमों में विहित अनुभव की अवधि में भर्ती करने वाले अभिकरण के विवेकानुसार ढील दी जा सकती है।

(vi) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार उस दिन से भिन्न दिन अथवा चयन समिति की उस बैठक (सिटिंग) से भिन्न बैठक में आयोजित किया जाना चाहिए, जब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जाना हो, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में न परखा जाए और साक्षात्कार करने वाले प्राधिकरण/ चयन समिति के सदस्य अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को ढीले बनाए गए मानदंडों द्वारा परखे जाने की आवश्यकता से भली–भांति परिचित हों।

(vii) समूह 'ग' और 'घ' के पदों के लिए क्षेत्रीय आधार पर भर्ती किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, जहां तक सम्भव हो, उनके मूल स्थानों के निकट तैनात किया जाना चाहिए।

(viii) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चयन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की रोजगार सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने वाले प्राधिकरणों से यह अपेक्षित है कि वे परीक्षा की वास्तविक तारीख से काफी पहले, आरक्षित रिक्तियों की सम्भाव्य संख्या और परीक्षा की पाठ्यचर्या और उसके मानदंडों की सूचना पूर्व–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों को दें, ताकि वे केन्द्र प्रशिक्षण की स्कीम तैयार कर सकें।

(ix) परीक्षा की अपेक्षा अन्यथा भरे जाने वाले पदों में से प्रत्येक आरक्षित रिक्ति के लिए, उस समुदाय के सामान्यतः छः से सात उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए, जिसके लिए वह आरक्षित हो, बशर्ते कि उस पद के लिए निर्धारित अर्हताएं पूरी करने वाले ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध हों। जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अनुक्रिया असाधारण रूप से अच्छी हो, वहां भर्ती करने वाला प्राधिकरण प्रत्येक मामले की पात्रता को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक आरक्षित रिक्ति के लिए सम्बन्धित श्रेणी के 10–12 तक उम्मीदवारों को साक्षात्कार/चयन के प्रयोजन से बुला सकता है।

(x) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सेवा सम्बन्धी अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त माध्यम से अपने अभ्यावेदन भेजे बिना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ सीधे सम्पर्क करने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन के लिए आयोग के पास पहुंचने के लिए उन्हें अपने नियोजन से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

(xi) चपरासियों के ग्रेड में उत्पन्न होने वाली 25 प्रतिशत रिक्तियों को ऐसे झाड़ूकशों, फर्राशों, चौकीदारों, आदि के स्थानान्तरण (ट्रांस्फर) द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित किया जाना जरूरी है, जिन्होंने न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा की हो, चाहे उनके पास पद में सीधी भर्ती के लिए विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं न हों। लेकिन उनमें प्रारम्भिक साक्षरता होनी चाहिए और उन्हें अग्रेजी अथवा हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने की अपनी योग्यता का प्रमाण देना चाहिए।

6.11 चयन द्वारा प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को रियायतें

(i) समूह 'क' के अन्दर

6.11.1 गृह मंत्रालय के 26.3.1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/9/69–स्था.(एस.सी.टी.) में, जिसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 23.12.1974 के का.ज्ञा. संख्या 1/10/74–स्था.(एस.सी.टी.) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.9.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/12/88–स्था.(एस.सी.टी.) द्वारा संशोधित किया गया था, यह उपबन्ध है कि समूह 'क' के अन्दर, 5700 रुपए प्रति मास अथवा उससे कम के अन्तिम वेतन वाले पदों पर चयन द्वारा पदोन्नतियों में, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उन अधिकारियों को, जो पदोन्नति के लिए विचार के ज़ोन में इतने वरिष्ठ हैं कि वे उन रिक्तियों की संख्या के भीतर आ सकते हैं, जिनके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, उस सूची में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि उन्हें पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त न समझा जाता हो। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, अन्य बातों के साथ–साथ, समूह 'क' के वेतनमानों में संशोधन होने के बाद, यह फैसला किया गया है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों में दिए गए आदेश समूह 'क' के संशोधित वेतनमानों में 18,300/– रुपए अथवा

उससे कम के अन्तिम वेतन वाले पदों में चयन द्वारा पदोन्नति पर लागू होंगे {कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 29.1.2004 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36028/21/2003–स्था.(रिज.)}।

6.11.2 सरकारी उद्यम विभाग ने भी दिनांक 8 नवम्बर, 2004 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/11/2004–डी.पी.ई.(एस.सी./एस.टी. सैल) द्वारा ऐसे ही अनुदेश जारी किए हैं, जिसमें 1.1.1996 से वेतनमानों में संशोधन होने के बाद केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिकारियों के सम्बन्ध में, समूह 'क' के अन्दर चयन द्वारा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में रियायत/ रक्षा प्रदान करने के प्रयोजन से अन्तिम वेतन को 9100 रुपए से (जो 1.1.1992 से प्रभावी था) बढ़ाकर 1.1.1996 से 20,800 रुपए कर दिया गया है।

6.11.3 जहां तक वित्तीय संस्थाओं का सम्बन्ध है, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) से इस बात का पता लगाने के लिए सम्पर्क किया गया था कि क्या उन्होंने उस प्रकार के कोई अनुदेश जारी किए हैं, जिस प्रकार के अनुदेश लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सन्दर्भ में जारी किए गए थे। आयोग को सूचित किया गया था कि बैंकिंग प्रभाग को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.1.2004 के कार्यालय ज्ञापन की (जिसका उल्लेख ऊपर पैरा 5.10.1 में किया गया है) प्रति प्राप्त नहीं हुई थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों की एक–एक प्रति बैंकिंग प्रभाग के सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराई गई थी, ताकि वह वित्तीय संस्थाओं में काम कर रहे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के सम्बन्ध में समूह 'क' के अन्दर चयन द्वारा पदोन्नति के जरिए भरे जाने वाले पदों में रियायतें/ सुरक्षा पाने के लिए अन्तिम वेतन के स्तर का फैसला करने के लिए उपयुक्त निदेश जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। लेकिन, यह पता चला है कि आर्थिक कार्य विभाग द्वारा कोई नए अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। यह भी पता चला है कि भारत सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में अन्तिम वेतन की सीमा को 2250/– रुपए से बढ़ाकर 5700/– रुपए किए जाने के बाद आर्थिक कार्य विभाग ने अपने दिनांक 20.2.1991 के पत्र संख्या 7/7/90–एस.सी.टी. द्वारा जी.जी.एम.(पी.), ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली को, जिसकी प्रतियां सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को भेजी गई थीं, यह सलाह दी थी कि सरकार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वेतनों में संशोधन भिन्न समयों पर हुआ था, इसलिए वेतन के 5700/– रुपए के अधिकतम की तुलना सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वेतन–मान के साथ करना सम्भव पाया गया है और, इसलिए, सरकारी क्षेत्र में एम.एम.जी.एस.III को भारत सरकार के उस पद के बराबर माना जाएगा, जिसका अधिकतम वेतन 5700/– रुपए है।

(ii) समूह 'ग' से समूह 'ख' में, समूह 'ख' के अन्दर और समूह 'ख' से समूह 'क' के सबसे निचले सोपान में

6.11.4 चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए चयन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के केवल उन अधिकारियों में से किया जाना चाहिए, जो विचार के सामान्य ज़ोन के भीतर हैं। यदि चयन के सामान्य क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो इसका विस्तार रिक्तियों की संख्या के पांच गुना तक किया जा सकता है और चयन के विस्तारित क्षेत्र के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों पर भी (किसी अन्य उम्मीदवार पर नहीं) उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जाना चाहिए। ऐसी पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित रिक्तियों को भरने पर निम्नलिखित अनुदेश लागू होंगे:

(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों पर, जो विचार के सामान्य ज़ोन में हों, पदोन्नति के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा और उन्हें उसी आधार पर परखा जाएगा, जिस पर अन्यों को और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन अधिकारियों को, जिनका चयन उस आधार पर हो जाएगा, सामान्य चयन सूची में शामिल किया जाएगा। यदि इस प्रकार चुने गए कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिकारियों का चयन हर पहलू से उनकी स्वयं

की पात्रता के आधार पर किया गया हो और उन्हें चयन सूची में इस रूप में रखा गया हो कि उनके नाम अनारक्षित रिक्तियों की संख्या के अन्तर्गत आते हैं, तो उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के सामने समायोजित किया जाएगा।

(ii) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों से भिन्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की संख्या, जो अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हों और जिन्हें अनारक्षित रिक्तियों के सामने समायोजित किया गया हो, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम हो, तो इस कमी को इन समुदायों के उन उम्मीदवारों का चयन करके पूरा किया जाना चाहिए, जो विचार के ज़ोन के भीतर हों, चाहे उनकी योग्यता कुछ भी हो, लेकिन जो पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे जाएं।

(iii) यदि आरक्षित रिक्तियों के लिए पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए अनु.जा./अनु.ज.जा. उम्मीदवारों की संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से फिर भी कम हो, तो इस कमी को इन समुदायों के उन उम्मीदवारों का चयन करके पूरा किया जाना चाहिए, जो विचार के विस्तारित जोन के भीतर हों, चाहे उनकी योग्यता कुछ भी हो, लेकिन जो पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे जाएं।

(iv) एक चयन सूची तैयार की जानी चाहिए, जिसमें चुने गए सभी अधिकारियों, सामान्य और इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों, के नाम चयन पदों में पदोन्नति के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार योग्यता (मेरिट) और वरिष्ठता के क्रम में क्रमबद्ध किए जाते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों को, जो चयन के विस्तारित क्षेत्र में हों और जिनका चयन सामूहिक रूप से किया गया हो, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनके बारे में निर्धारित ग्रेड के अनुसार उनकी पारस्परिक स्थिति को बनाए रखते हुए, अन्त में स्थान दिया जाएगा। इसलिए, वर्ष के दौरान रिक्तियों में, वे जब भी पैदा हों, पदोन्नतियां करते समय, चयन सूची का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(iii) समूह 'ग' और 'घ' पदों में चयन द्वारा पदोन्नतियां

(i) ऐसे पदों (अर्थात समूह 'ग' और 'घ' के पदों) में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिकारियों की चयन सूची अलग से तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इन वर्गों के पदधारियों को, अन्य पदधारियों के साथ नहीं, बल्कि आपस में ही अलग से समायोजित किया जाना अपेक्षित है और यदि वे पदोन्नति के लिए उपयुक्त न पाए जाएं, तो उन्हें सूची में शामिल करना जरूरी है, चाहे अन्य अधिकारियों की तुलना में उनकी पात्रता कुछ भी हो। ऐसी पदोन्नतियों में निम्नलिखित अनुदेश लागू हैं:

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन पदधारियों पर, जो विचार के सामान्य ज़ोन के अन्दर हों, पदोन्नति के लिए अन्यों के साथ उसी आधार पर विचार किया जाना चाहिए जिस आधार पर अन्यों पर विचार किया जाए, और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन पदधारियों को, जो उस आधार पर चुने गए हों, उन पर क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अलग–अलग चयन सूचियों के लिए विचार किए जाने के अतिरिक्त, सामान्य सूची में शामिल किया जाए।

(ख) यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उपर्युक्त सामान्य सूची में उनकी स्थिति के आधार पर, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की अपेक्षा कम रिक्तियां प्राप्त हों, तो इस अन्तर को इन समुदायों के चुने गए उन उम्मीदवारों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, जो क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अलग चयन सूचियों में हों।

6.12 आरक्षण के लिए माडल रोस्टर

6.12.1 विहित आरक्षण को अमल में लाने के लिए, प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग के लिए आरक्षित रिक्तियों के सम्बन्ध में प्वाइंट निदर्शित करने के लिए माडल रोस्टर रखना जरूरी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि माडल रोस्टर किसी खास संवर्ग/ सेवा में स्वीकृत पदों की कुल संख्या में से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने का एक साधन है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रोस्टर नियुक्ति अथवा वरिष्ठता का क्रम निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने के लिए नहीं होते।

6.12.2 प्रारम्भ में, निम्नलिखित तीन प्रकार के माडल रोस्टर होते थे, जिनका उपयोग रिक्तियों को भरने के लिए किया जाता था और उन्हें 'रिक्तियां आधारित रोस्टर' कहा जाता थाः

(i) पहले माडल रोस्टर में 40 प्वाइंट होते थे, जिसका उपयोग खुली प्रतियोगिता के जरिए अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों और सभी श्रेणियों में पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों, दोनों के लिए किया जाता था। यह रोस्टर आरक्षण की अखिल भारतीय प्रतिशतताओं के लिए लागू था, जैसे अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित प्वाइंट 1, 8, 14, 22, 28 और 36 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 4, 17 और 31 थे।

(ii) 40 प्वाइंटों वाले दूसरे रोस्टर का उपयोग अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता की बजाय अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए किया जाता था, जिनमें आरक्षण की प्रतिशतता अनुसूचित जातियों के लिए 16.66 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित प्वाइंट 1, 7, 13, 20, 25, 32 और 37 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 4,17 और 29 थे। रोस्टर के प्रत्येक तीसरे चक्र में, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्वाइंट संख्या 37 को 'अनारक्षित' माना जाना अपेक्षित था।

(iii) तीसरे प्रकार का माडल रोस्टर, जिसमें 100 प्वाइंट होते थे, समूह 'ग' और 'घ' के पदों के लिए स्थानीय/ क्षेत्रीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों और दिल्ली के सिवाय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने की अपेक्षा अन्यथा भरे जाने वाले पदों के लिए था, जहां अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए आरक्षण की प्रतिशतता का अनुसरण किया जाना आवश्यक होता है। आरक्षण की प्रतिशतता सामान्यतः राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात पर आधारित होनी अपेक्षित है। जहां भर्ती एक से अधिक राज्यों वाले सर्कलों अथवा क्षेत्रों में की जाती है, वहां प्रतिशतता समूचे सर्कल अथवा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी।

6.12.3 रिक्ति–आधारित रोस्टर रखने से सम्बन्धित अनुदेशों को, सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षण शुरू किए जाने के बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्था.(एस.सी.टी.) द्वारा बदल दिया गया था। संशोधित अनुदेशों का ब्योरा इस प्रकार हैः

(i)(क) खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण है, 40 प्वाइंट वाले रोस्टर को 200 प्वाइंट वाला रोस्टर बना दिया गया। उस आरक्षण को, जिसे पिछले रोस्टर में आगे ले जाया जाना जरूरी था, अब नए रोस्टर में आगे ले जाया जाना अपेक्षित है।

(ख) नए रोस्टर के 200 प्वाइंटों में, 30 प्वाइंट अनुसूचित जातियों के लिए, 15 प्वाइंट अनुसूचित जनजातियों के लिए और 54 प्वाइंट अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित किए गए थे।

(ii) चूंकि पदोन्नति में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए पदोन्नति के लिए मौजूदा रोस्टर और 40–प्वाइंट वाले मौजूदा रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(iii) खुली प्रतियोगिता के स्थान पर अखिल भारतीय आधार पर अन्यथा भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए अनुसूचित जातियों के लिए 16.66 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण है, 40 प्वाइंट वाले रोस्टर को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 29 दिसम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा 120–प्वाइंट वाला रोस्टर बना दिया गया। 120–प्वाइंट वाले रोस्टर में आरक्षण के प्वाइंटों की संख्या अनुसूचित जातियों के लिए 20, अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 31 थी।

(iv) समूह 'ग' और 'घ' के पदों के बारे में, जो सामान्यतः किसी जगह या क्षेत्र के उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, सीधी भर्ती के लिए 100 प्वाइंट वाले रोस्टर को भी, अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया था। इस रोस्टर में प्वाइंटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, जो 100 ही बने रहे।

6.12.4 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में और जे.सी. मलिक बनाम रेल मंत्रालय के मामले में यह निर्णय दिया था कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण पदों पर लागू होना चाहिए, रिक्तियों पर नहीं। न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया कि रिक्ति–आधारित रोस्टर केवल उस समय तक प्रचालित किया जा सकता है, जब तक कि किसी संवर्ग/ सेवा में आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण की विहित प्रतिशतता तक नहीं पहुंच जाता और उसके बाद रोस्टर को प्रचालित नहीं किया जा सकता और सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की भर्ती, त्यागपत्र, पदोन्नति, आदि द्वारा विमोचित रिक्तियां सम्बन्धित श्रेणी के व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरी जानी होती हैं, ताकि आरक्षण की प्रतिशतता बरकरार रखी जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि आरक्षित श्रेणियों के उन व्यक्तियों को, जो आरक्षण के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता के आधार पर नियुक्त किए जाएं, उन्हें आरक्षण के लिए अभिप्रेत कोटे के लिए नहीं गिना जाना है।

6.12.5 आरक्षण की नीति को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप बनाने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा रिक्ति–आधारित रोस्टरों को प्रतिस्थापित किया गयाः

(i) खुली प्रतियोगिता के जरिए अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों सम्बन्धी मौजूदा माडल रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। रोस्टर में 200 प्वाइंट बने रहे, जिनमें अनुसूचित जातियों को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इस रोस्टर में 30 प्वाइंट अनुसूचित जाति, 15 अनुसूचित जनजाति और 54 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं।

(ii) खुली प्रतियोगिता की अपेक्षा अखिल भारतीय आधार पर अन्यथा भरे जाने वाले पदों के बारे में 120–प्वाइंटों के रोस्टर में, जिसमें आरक्षण की प्रतिशतता अनुसूचित जाति के लिए 16.66 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 25.84 प्रतिशत है, आरक्षित प्वाइंटों की व्यवस्था को बदला गया था, हालांकि आरक्षित प्वाइंटों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 20, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 31 हैं। 120 प्वाइंटों वाले पहले रोस्टर में, जो सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के बाद शुरू किया गया था, प्रत्येक तीसरे प्वाइंट को उल्टा कर दिया गया था। इस स्थिति को बदला गया था।

(iii) 40 प्वाइंट वाले रिक्ति–आधारित रोस्टर में, जिसमें पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण निदर्शित किया गया था, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के बाद रोस्टरों को संशोधित करते

समय सितम्बर, 1993 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था और उसे 200 प्वाइंट वाले रोस्टर से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। इस संशोधित रोस्टर में अनुसूचित जाति के लिए 30 प्वाइंट और अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्वाइंट हैं।

6.12.6 छोटे संवर्गों में, जिनमें 13 अथवा उससे कम स्वीकृत पद होते हैं, दो अलग रोस्टर निर्धारित किए गए हैं – एक सीधी भर्ती के लिए, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू है और दूसरा पदोन्नति के लिए, जो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लागू है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नहीं। इसे एल. आकार वाले रोस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस रोस्टर के क्रम संख्या 1 से 13 तक में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई प्वाइंट आरक्षित नहीं है। इसलिए, यह रोस्टर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद को कवर करने के लिए केवल 14वें प्वाइंट तक प्रचालित किया जाता है। वस्तुतः, यह एक 14–प्वाइंट वाला रोस्टर है।

6.13 विचार का ज़ोन

6.13.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 अप्रैल, 1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/1/90–स्था.(डी.) के साथ पठित दिनांक 12 अक्तूबर, 1990 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा यथा–विहित 'चयन' द्वारा पदोन्नति के लिए विचार के ज़ोन का आकार इस प्रकार है:

रिक्तियों की संख्या	विचार के ज़ोन का सामान्य आकार	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए विस्तारित ज़ोन
1	5	5
2	8	10
3	10	15
4	12	20
5 और उससे अधिक	रिक्तियों की संख्या से दोगुना+4	रिक्तियों की संख्या से पांच गुना

6.13.2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 6 जनवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/2/2002–स्था.(डी.) द्वारा विचार के ज़ोन के आकार (ऊपर उल्लिखित) से सम्बन्धित मौजूदा उपबन्धों को निम्नलिखित रूप से उपान्तरित किया है:

(i) 10 तक (और उसके सहित) रिक्तियों के लिए, विचार के ज़ोन के सामान्य आकार से सम्बन्धित मौजूदा उपबन्ध लागू रहेंगे;

(ii) 10 से अधिक रिक्तियों के लिए, विचार के ज़ोन का सामान्य आकार अब रिक्तियों की संख्या से ड्योढ़ा, जो अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाएगा +3 होगा, लेकिन दस रिक्तियों के विचार के ज़ोन के आकार से छोटा नहीं होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए विचार के विस्तारित ज़ोन का मौजूदा आकार, अर्थात रिक्तियों की कुल संख्या से पांच गुना, लागू होता रहेगा।

6.13.3 माननीय उच्चतम न्यायालय यू.पी. राज्य विद्युत परिषद अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ बनाम यू.पी. राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य के बारे में 1988 की सिविल अपील संख्या 4026 में 23 नवम्बर, 1994 के फैसले में पहले से यह कह चुका है कि "हम प्रथम दृष्टया आवेदनकर्ता के विद्वान वकील के इस दावे से सहमत हैं कि जहां तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, विचार का एक अलग ज़ोन होना चाहिए। अनुसूचित जाति को विचार के उसी ज़ोन में सामान्य श्रेणी के साथ रखने से आरक्षण का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा।" माननीय उच्च न्यायालय ने सी.डी. भाटिया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य की दिनांक 31.10.1994/ 3.4.1995 की अपील की विशेष अनुमति की याचिकाओं (सिविल/सी. एच.) संख्या 14568–69/95 में स्पष्ट किया था कि "किन्तु, हमारा यह मत है कि इस न्यायालय द्वारा यू.पी. राज्य विद्युत परिषद मामले (उपर्युक्त) में निर्धारित किया गया कानून सभी प्राधिकरणों के लिए, जिनमें भारत संघ भी शामिल है, आबद्धकर है।" **तदनुसार, आयोग सिफारिश करता है कि सामान्य और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिकारियों के लिए विचार का एक ही ज़ोन**

तैयार करने की मौजूदा प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और फीडर ग्रेड के केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उन अधिकारियों के लिए, विचार का एक अलग ज़ोन तैयार किया जाना चाहिए, जो सेवा के न्यूनतम अपेक्षित वर्ष पूरे कर चुके हों और पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए हकदार हों, चाहे वरिष्ठता सूची में उनकी स्थिति कुछ भी हो और उसके बाद अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए अलग चयन सूचियां तैयार की जानी चाहिएं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वस्तुतः अपने दिनांक 24 जनवरी, 2006 के पत्र संख्या पालिसी–1/2006/एस.टी./एस.एस.डब्ल्यू. द्वारा सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से यह अनुरोध कर चुका है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने ऊपर उल्लिखित निर्णय में निर्धारित किए गए सिद्धान्त का पालन करने के लिए समूह 'ग' से समूह 'ख' में समूह 'ख' के भीतर और समूह 'ख' से समूह 'क' के सबसे नीचे के सोपान में चयन द्वारा पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए विचार का अलग ज़ोन तैयार करने के लिए संशोधित अनुदेश जारी किए जाएं।

6.14 समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों के लिए सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजाति (और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी) के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण की प्रतिशतता

6.14.1 समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों में, जो सामान्यतः किसी जगह और क्षेत्र से उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता साधारण रूप से सम्बन्धित राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती है। ऐसे मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की प्रतिशतता इससे पहले 1985 में 1981 की जनगणना के आधार पर तय की गई थी। जब 1993 में ऐसे मामलों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू किया गया था, तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सम्बन्धित राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात को और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया था कि यह 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.14.2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 12 जनवरी, 2005 के पत्र संख्या 36017/1/2004–स्था.(रिज.) के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सूचित किया कि उनका प्रस्ताव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की प्रतिशतता को 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर संशोधित करने का है। यह बताया गया था कि चूंकि जनगणना के आंकड़ों में अन्य पिछड़े वर्गों का अनुपात नहीं दिखाया गया है, इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता साधारणतः उस आरक्षण के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव है, जो उन्हें पहले से उपलब्ध है। यह भी बताया गया था कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गोवा राज्यों में और दमन और दीव के संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या में, इन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र के पुनर्गठन के बाद, काफी अधिक परिवर्तन हो गया है।

6.14.3 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की प्रस्तावित प्रतिशतता के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विचार मांगे थे। आयोग ने दिनांक 7.2.2005 की अपनी टिप्पणियों में यह कहा था कि उन्हें साधारण रूप से इस बारे में कोई टिप्पणियां नहीं करनी हैं, क्योंकि समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर स्थानीय/ क्षेत्रीय आधार पर भर्ती के लिए विभिन्न राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में आरक्षण की प्रतिशतता का प्रस्तावित पुनः निर्धारण एक सामान्य कार्य है, जो जनगणना की ताजा रिपोर्टों के आधार पर जनसंख्या के बदले हुए आंकड़ों के उपलब्ध होने पर किया जाता है। लेकिन, आयोग ने यह नोट किया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने, अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रस्ताव किया है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 0.1 प्रतिशत है। आयोग ने इस सम्बन्ध में यह नोट किया कि उत्तर प्रदेश से 10 अतिरिक्त समुदायों को

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था और, इसलिए, यह कहना सही नहीं होगा कि उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 0.1 प्रतिशत है। इस स्थिति को देखते हुए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में समूह 'ग' और 'घ' के पदों में, जो सामान्य रूप से किसी स्थान अथवा क्षेत्र से उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 12 समुदाय (10 अतिरिक्त और दो पहले से मान्यताप्राप्त अनुसूचित जनजाति) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं और पदों में आरक्षण के लाभों से वंचित न रहें।

6.14.4 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 5 जुलाई, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36017/1/2004–स्था.(रिज.) द्वारा, जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया था, समूह 'ग' और 'घ' के पदों में, जो सामान्यतः किसी स्थान अथवा क्षेत्र से उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता, 2001 की जनगणना के जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए संशोधित की है। आयोग को यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि समूह 'ग' और 'घ' के पदों में, जो सामान्य रूप से किसी स्थान या क्षेत्र से उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सामान्यतः किसी स्थान अथवा क्षेत्र से उम्मीदवारों को आकर्षित करने वाले समूह 'ग' और 'घ' के पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की संशोधित प्रतिशतता की जानकारी देने वाली तालिका की एक प्रति इस अध्याय के **अनुलग्नक 6.I** में दी गई है।

6.14.5 आयोग की राय है कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में आरक्षण की प्रतिशतता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 2002 और 2001 की जनगणना के पूरा होने के बाद जारी किए गए अन्य ऐसे ही आदेशों/ संशोधनों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यताप्राप्त समुदायों की जनगणना के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन समुदायों के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित न रहें। आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनंसख्या, जो 2001 की जनगणना के आधार पर 0 प्रतिशत दर्शाई गई थी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा, जो 07.01.2003 को अधिसूचित किया गया था, कुनबी, गावडा और वेलिप नामक तीन समुदायों को अनुसूचित जनजातियां मान लिए जाने के कारण, अब लगभग 12 प्रतिशत बढ़ गई है। इस अधिनियम में आन्ध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के सम्बन्ध में कतिपय जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों अथवा जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों के भागों अथवा उनके अन्दर के समूहों, ऐसी जनजातियों अथवा समूहों के समानार्थक अथवा पर्यायवाची नामों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने, क्षेत्र प्रतिबन्धों को हटाने और प्रविष्टियों के विभाजन और सम्मिलन, अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय जातियों के सम्बन्ध में क्षेत्र प्रतिबन्ध लगाने, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में से कुछ जातियों और जनजातियों को बाहर करने का उपबन्ध किया गया है। **आयोग सिफारिश करता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को 2001 की जगनणना के बाद गोवा में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, गोवा राज्य में समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों में स्थानीय/ क्षेत्रीय आधार पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण की प्रतिशतता को संशोधित करके 0 प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर देना चाहिए।**

6.14.6 भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस. पुष्पा और अन्य (अपीलकर्ता) बनाम शिवचनमुगवेलु और अन्य (प्रतिवादी) की 1998 की सिविल अपील संख्या 6–7 में अपने दिनांक 11 फरवरी, 2005 के निर्णय में यह कहा था कि पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र द्वारा केन्द्रीय सरकार की इस नीति को अपनाए जाने से, जिसके अन्तर्गत सभी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, चाहे उनके मूल का राज्य कोई भी हो, उन पदों के लिए, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के

लिए आरक्षित हैं, हकदार हैं, ऐसी नीति में कोई कानूनी अशक्तता नहीं ठहराई जा सकती और उसे कानून के किसी उपबन्ध के विपरीत नहीं माना जा सकता। गृह मंत्रालय के एक निर्देश पर, विधि मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) ने यह सलाह दी थी कि ऊपर निर्दिष्ट निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र पर भी लागू होती है। विधिक कार्य विभाग ने गृह मंत्रालय की इस राय का भी समर्थन किया था कि किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अन्तर्गत पदों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के मामले में, जैसीकि केन्द्रीय सरकार की नीति है, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सभी सदस्य, उनका जन्म–स्थान चाहे कुछ भी हो, उन पदों के लिए आरक्षण के हकदार हैं, जो उनके लिए आरक्षित हैं। उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय और विधिक कार्य विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने अपने दिनांक 30.6.2005 के पत्र संख्या एफ.16(73)/97–एस.III/710 द्वारा ये अनुदेश जारी किए हैं कि सभी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार, चाहे उनका मूल स्थान कुछ भी हो, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अन्तर्गत उन सिविल पदों में आरक्षण के हकदार हैं, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। {यह याद किया जा सकता है कि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल फाउंडेशन (रजिस्टर्ड) और अन्य बनाम भारत संघ ओर अन्य के 2003 के सी. डब्ल्यू. संख्या 6546 में अपने 5 जुलाई, 2004 के निर्णय में यह कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने वाली राष्ट्रपति की अधिसूचना की अनुपस्थिति में, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अन्तर्गत और उस सरकार के अन्तर्गत स्थानीय निकायों अथवा सांविधिक निकायों के अन्तर्गत किसी पद को अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता}।

6.14.7 गृह मंत्रालय ने अगस्त, 2003 में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को स्पष्टीकरण जारी किए थे कि गृह मंत्रालय के दिनांक 14 अक्तूबर, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/2/55–एस.सी.टी. में दिए गए अनुदेश, जिनके अनुसार अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए विहित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की प्रतिशतता का दिल्ली में अनुसरण किया जाना जरूरी था, प्रवृत्त रहेंगे और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के तहत सिविल पदों के सम्बनध में लागू रहेंगे, बाद में इन्हें 2003 की सी.डब्ल्यू. संख्या 6546 में दिल्ली के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी (जैसाकि इससे पहले के पैरा में उल्लेख किया गया है)। गृह मंत्रालय के दिनांक 14 अक्तूबर, 1955 के उपर्युक्त अनुदेश अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को, चाहे उनका जन्म–स्थान किसी भी राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र में हों, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सिविल पदों में आरक्षण के लाभ उठाने में समर्थ बनाते थे। अब माननीय उच्चम न्यायालय के निर्देशों के पालन के लिए इन अनुदेशों को उपयुक्त रूप में उपान्तरित किए जाने की आवश्यकता है। **आयोग, तदनुसार, सिफारिश करता है कि गृह मंत्रालय को सभी राज्य सरकारों को यह अनुदेश जारी करने चाहिएं कि अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार, चाहे उनका मूल किसी भी राज्य का हो, उन संघ राज्यक्षेत्रों में अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों/ संगठनों में सिविल पदों/ सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवेदन करने और विचार किए जाने के हकदार होंगे।**

6.15 तदर्थ पदोन्नतियों में आरक्षण

6.15.1 कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 30 अप्रैल, 1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/14/83–स्था.(एस.सी.टी.) में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह उपबन्ध है कि चूंकि तदर्थ पदोन्नतियां वरिष्ठता–व–उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं, इसलिए ऐसी रिक्तियों की कुल संख्या के भीतर, जिन पर तदर्थ पदोन्नतियां की जानी हैं, संगत वरिष्ठता सूची में कवर होने वाले सभी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों पर, ग्रेडेशन सूची के अनुसार उनकी सामान्य वरिष्ठता के क्रम में, वरिष्ठता–व–उपयुक्तता के सिद्धान्त के अनुसार, विचार किया जाना चाहिए और यदि वे अनुपयुक्त न पाए जाएं तो उन सबको तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया जाना चाहिए। इन अनुदेशों में इसके अलावा यह उपबन्ध भी किया गया है कि यदि वास्तविक रिक्तियों के

दायरे में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों की संख्या, जो उपयुक्त पाए गए हों, उन रिक्तियों की संख्या से कम हों, जो उनके हिस्से के अन्तर्गत आने वाली रिक्तियां निर्धारित की गई हों, यदि रिक्तियां नियमित आधार पर भरी जानी हों, तो वरिष्ठता सूची में नीचे जाकर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त उम्मीदवारों का अपेक्षित सीमा तक पता लगाया जाना चाहिए, बशर्ते कि वे ऐसी तदर्थ नियुक्ति के लिए हकदार हों और उपयुक्त पाए जाएं।

6.15.2 उपर्युक्त अनुदेशों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 30 सितम्बर, 1983 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा यह उपबन्ध करने के लिए उपान्तरित किया गया ाि कि यदि वास्तविक रिक्तियों के दायरे के अन्दर उपयुक्त पाए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की संख्या उन रिक्तियों की संख्या से कम हों, जो उनके हिस्से में आने वाली रिक्तियां निर्धारित की गई हों, तो वरिष्ठता सूची के नीचे जाते हुए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त उम्मीदवारों को पता अपेक्षित सीमा तक, लेकिन किसी खास मौके पर भरी जा रही रिक्तियों की पांच–गुना संख्या के भीतर, उनकी पात्रता और उपयुक्तता के अधीन, लगाया जाना चाहिए।

6.15.3 माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ ओर अन्य बनाम श्री बासुदेव और अन्य के मामले में 1992 की सिविल अपील संख्या 1194 में अपने 7 सितम्बर, 2000 के निर्णय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 30 सितम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन (जिसका उलेख ऊपर किया गया है) को रद्द कर दिया, और, उसके परिणामस्वरूप, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अपने 30 सितम्बर, 1983 के उपर्युक्त का.ज्ञा. द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 15 मार्च, 2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/277/2000–स्था.(रिज.) द्वारा वापस ले लिया और उनके द्वारा अपने दिनांक 30 अपैल, 1983 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए (जिसका उल्लेख पैरा 5.17.1 में किया गया है), अपने द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को फिर से वैध बना दिया।

6.16 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान

6.16.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 5 अगस्त, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36038/1/2004–स्था.(रिज.) द्वारा सभी मंत्रालयों/ विभागों से सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का अनुरोध किया। मंत्रालयों/ विभागों से निम्नलिखित तीन रिपोर्टें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजने का अनुरोध किया गया ताकि अभियान की प्रगति का जायज़ा लिया जा सके:

क्रम सं.	रिपोर्टों का ब्योरा	जिस तारीख तक रिपोर्ट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास पहुंच जानी चाहिए
1	प्रगति रिपोर्ट I–आरक्षित रिक्तियां अभिज्ञात करने के बारे में रिपोर्ट	15.10.2004
2.	प्रगति रिपोर्ट II–भर्ती अभिकरणों को रिक्तियों की सूचना देने के बारे में रिपोर्ट	15.11.2004
3.	प्रगति रिपोर्ट III–पदों को भरने के बारे में रिपोर्ट	30.6.2005

6.16.2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त पत्र में मंत्रालयों/ विभागों का ध्यान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 जुलाई, 2000 के का.ज्ञा. संख्या 36012/5/97–स्था(रिज.) खंड II की ओर दिलाया गया था, जिसमें यह उपबन्ध है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने में 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा केवल उन आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी, जो चालू वर्ष में पैदा होती हैं और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछले वर्षों की बैकलाग आरक्षित रिक्तियों को

एक अलग और विशिष्ट समूह समझा जाना चाहिए, जिन पर कोई उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। यह भी उल्लेख किया गया था कि सरकार के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह भी अपेक्षित था कि सभी आरक्षित पद एक समयबद्ध तरीके से भर लिए जाएंगे। मंत्रालयों/ विभागों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे मंत्रालय/ विभाग द्वारा किए गए विशेष प्रयासों को मानीटर करने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त सचिव का पद अथवा उसके समकक्ष पद को धारण करने वाले किसी अधिकारी को विशेष भर्ती अभियान के प्रभारी के रूप में नामजद करें।

6.16.3 अपने दिनांक 26 अगस्त, 2004 के परवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या 36038/2/2004–स्था.(रिज.) द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उन बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए, जो पदोन्नति द्वारा भरी जानी हों, विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया था। कार्यालय ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि पदोन्नति के मामले में, कार्यालय ज्ञापन में यह उपबन्ध था कि यदि आरक्षित रिक्तियों के लिए पदोन्नति के लिए उपयुक्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों का अनारक्षण पदों को भरने के लिए अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने जैसे कारणों से न किया जा सकता हो, तो ये रिक्तियां अगले भर्ती वर्ष तक बिना भरे हुए पड़ी रहेंगी और ऐसी रिक्तियों को "बैकलाग आरक्षित रिक्तियां" माना जाना है, जिन्हें विशेष अभियान के अन्तर्गत कवर किया जाना है। यह भी कहा गया था कि जैसाकि सीधी भर्ती के मामले में होता है, बैकलाग आरक्षित रिक्तियां पद–आधारित रोस्टरों के अनुसार निर्धारित की जानी हैं, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा शुरू किए गए थे। मंत्रालयों/ विभागों से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को 31.12.2004 तक रिपोर्टें भेज देने का अनुरोध किया गया था। आयोग, विशेष भर्ती अभियान के परिणाम की जानकारी प्राप्त करने के लिए निरन्तर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सम्पर्क में रहा था।

6.16.4 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने 31 जनवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36038/1/2004–स्था.(रिज.) द्वारा, जो अन्यों के साथ–साथ, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को भेजा गया था, सूचित किया है कि कार्मिक राज्य मंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बैकलाग रिक्तियों को भरने के विशेष भर्ती अभियान की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 2005 के अन्तिम सप्ताह में विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक की थी। निम्नलिखित समस्याओं को आरक्षित रिक्तियों के भरे न जाने के मुख्य कारण बताया गया था:

(i) सीधी भर्ती में बैकलाग रिक्तियों के मामले में कुछ तकनीकी पदों के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे;

(ii) कुछ मामलों में भर्ती अभिकरणों के पास मांगें भेजी गई थीं; लेकिन भर्ती अभिकरणों ने अब तक उम्मीदवार का चयन नहीं किया था;

(iii) सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में भर्तियां नहीं की जा रही थीं और इसलिए ऐसे उद्यमों में बैकलाग रिक्तियों को भरना सम्भव नहीं था।

6.16.5 उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में यह भी बताया गया था कि बैकलाग रिक्तियों को भरने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए, जैसाकि ऊपर बताया गया है, निम्नलिखित फैसले किए गए थे:

(i) जहां सीधी भर्ती के प्रथम प्रयास में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार उपलब्ध न हुए हों, वहां मंत्रालय/ विभाग रिक्तियों को भरने के लिए एक और प्रयास करें।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उन रुग्ण उपक्रमों में, जहां कोई भर्ती न की जा रही हो, बैकलाग रिक्तियों को इस अभियान के दायरे में न रखा जाए।

(iii) विभाग संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग (स्टाफ सिलेक्शन कमीशन) से उन उम्मीदवारों का चयन तेजी से करने का अनुरोध करेगा, जिनकी मांग उनके पास भेजी गई है। अन्य मंत्रालय/ विभाग अपने नियंत्रणाधीन भर्ती अभिकरणों को इस अभियान के

अन्तर्गत उम्मीदवारों के चयन को अन्तिम रूप देने के काम में तेजी लाने के लिए आवश्यक अनुदेश दे सकते हैं।

(iv) पदोन्नति कोटे में उन बैकलाग रिक्तियों के बारे में, जिनके लिए विचार के विस्तारित ज़ोन में भी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, सही सूचना प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी जाए।

(v) ऊपर के उप–पैरा (ii) और (iv) में उल्लिति रिक्तियों के सिवाय, सभी बैकलाग रिक्तियों को 31.3.2006 तक भरा जाए।

6.16.6 उसी कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी मंत्रालयों/ विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे आवश्यक कार्रवाई करें और अभिज्ञात बैकलाग रिक्तियों और भर्ती अभियान के दौरान भरी गई ऐसी रिक्तियों के बारे में एक रिपोर्ट एक बार 15.2.2006 तक और अन्तिम रूप से 15.4.2006 तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजें। अभिज्ञात बैकलाग रिक्तियों की संख्या और अभियान के दौरान अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में भरी गई रिक्तियों के बारे में स्थिति (जैसाकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने 7 जून, 2006 के पत्र द्वारा सूचित किया गया है) की जानकारी नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	संस्थापना	सीधी भर्ती		पदोन्नति		जोड़	
		बैकलाग	भरी गई	बैकलाग	भरी गई	बैकलाग	भरी गई
1.	**सरकार खास** (i) आंकड़े	11,263	7,474	24,585	10,980	35,848	18,454
	(ii) प्रतिशत उपलब्धि		66.36		44.66		51.48
2.	**स्वायत्त निकाय** (i) आंकड़े	4,027	952	1411	190	5438	1142
	(ii) प्रतिशत उपलब्धि		26.34		13.47		21.00
3.	**जोड़** (i) आंकड़े	15,290	8,426	25,996	11,170	41,246	19,596
	(ii) प्रतिशत उपलब्धि		55.11		42.97		47.46

6.16.7 उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि 31 मई, 2006 की स्थिति के अनुसार, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल 41,286 बैकलाग रिक्तियां अभिज्ञात की गई थीं, जिनमें से 19,596 रिक्तियां भरी गई थीं, जो कुल अभिज्ञात बैकलाग रिक्तियों की 47.46 प्रतिशत हैं।

6.17 अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां

6.17.1 काम करते हुए मरने वाले अथवा स्वास्थ्य के कारणों से सेवा–निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए जाने के बारे में मौजूदा अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह उपबन्ध है कि:

(i) ये नियुक्तियां नियमित रिक्तियों में नियमित आधार पर की जानी हैं।

(ii) ये नियुक्तियां समूह 'ग' अथवा समूह 'घ' के किन्हीं पदों में सीधी भर्ती के कोटे के अन्तर्गत आने वाली अधिकतम 5 प्रतिशत तक की रिक्तियों में की जा सकती हैं। नियुक्ति करने वाले प्राधिकरणों के लिए यह जरूरी है कि वे इन श्रेणियों की 5 प्रतिशत रिक्तियों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अथवा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए रखें, ताकि ऐसी रिक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के लिए भरा जा सके।

(iii) अनुकम्पा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां उस मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय तक सीमित नहीं होतीं, जिसमें मृत कर्मचारी/ स्वास्थ्य के आधार पर सेवा–निवृत्त कर्मचारी

काम कर रहा था। ऐसी नियुक्तियां भारत सरकार के तहत समूह 'ग' और समूह 'घ्ज्ञ' के पदों में रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किसी भी जगह दी जा सकती हैं।

(iv) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के लिए रिक्तियों की गणना करने के प्रयोजन से, समूह 'ग' और 'घ' के पदों को, जिनमें सीधी भर्ती की रिक्तियां 20 से कम हों, आपस में समूहबद्ध किया जाना होता है और रिक्तियों की कुल संख्या में से 5 प्रतिशत रिक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर भरा जाना अपेक्षित है, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे किसी पद में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति एक से अधिक पद पर नहीं होनी चाहिए। रिक्ति का भिन्न (फ्रेक्शन), चाहे आधा हो या आधे से अधिक, लेकिन एक से कम हो तो उसे एक रिक्ति के रूप में लिया जाएगा {कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 28.12.1999 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/24/99–स्था.(डी.)}।

(v) ये नियुक्तियां कर्मचारी के देहान्त अथवा मेडिकल आधार पर सेवा–निवृत्ति की तारीख से एक वर्ष तक की समय–सीमा के भीतर की जानी अपेक्षित हैं {कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/19/2002–स्था.(डी.), दिनांक 5.5.2003}।

(vi) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों सम्बन्धी अनुदेशों में यह उपबन्ध भी किया गया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए चुने गए अनु.ज.जा./अनु.जा./ अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को सम्बन्धित श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर समायोजित किया जाएगा।

6.17.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को और भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को भी अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन/ आवेदन प्राप्त होते रहे हैं/थे और आयोग उनके अनुरोधों को सम्बन्धित मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजते रहे हैं/ थे। अधिकतर मामलों में, आयोग को यह उत्तर प्राप्त होते रहे हैं कि उनके लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अनुरोधों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है, क्योंकि वे ऐसी नियुक्तियों के 5 प्रतिशत के अपेक्षित कोटे को पहले ही पूरा कर चुके हैं। **इसलिए, आयोग जोर से सिफारिश करता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के प्रयोजन के लिए सीधी भर्ती के कोटे की 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा को हटाने पर विचार करे। आयोग का विचार है कि इस ढील से, सरकारी कर्मचारी के अकस्मात देहान्त से अथवा मेडिकल आधार पर सरकारी कर्मचारी की सेवा–निवृत्ति से अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के सदस्यों को जो कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं और कष्ट झेलने पड़ते हैं,उन्हें कम करने में बहुत सहायता मिलेगी।**

6.17.3 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के बारे में जारी किए गए पहले के अनुदेशों में एक वर्ष की समय–सीमा विहित है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने 5 मई, 2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/19/2002–स्था.(डी.) द्वारा सूचित किया है कि सरकार द्वारा इस मुद्दे की जांच प्राप्त हुए अभ्यावेदनों को देखते हुए की गई है, जिनमें यह कहा गया था कि अनुकम्पापूर्ण नियुक्तियां करने के लिए एक वर्ष की जो समय–सीमा निर्धारित है, उसका परिणाम प्रायः यह होता है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां प्राप्त करने की मांग करने वाले वास्तविक मामलों में लोग एक वर्ष की विहित अवधि के अन्दर और सीधी भर्ती के कोटे की 5 प्रतिशत की विहित उच्चतम सीमा के भीतर नियमित रिक्तियों के उपलब्ध न हो पाने के कारण वंचित रह जाते हैं, और अब इस सीमा को 3 वर्ष करने का फैसला किया गया है। दिनांक 5 मई, 2003 के कार्यालय ज्ञापन में यह उपबन्ध है कि यदि अनुकम्पापूर्ण नियुक्ति वास्तविक और सुपात्र मामलों में एक वर्ष की विहित अवधि में नियमित रिक्ति के उपलब्ध न होने के कारण सम्भव नहीं है, तो निर्धारित समिति यह फैसला करने के लिए कि क्या 5 प्रतिशत के विहित कोटे के भीतर स्पष्ट रिक्ति की उपलब्धता के अध्यधीन, अनुकम्पापूर्ण नियुक्ति का विचार करने के लिए किसी मामले में समय–सीमा को एक वर्ष बढ़ाने के बारे में फैसला करने के लिए परिवार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के वास्ते ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकती है। संशोधित अनुदेशों में यह उपबन्ध भी किया गया है कि इस शर्त के अधीन कि विहित समिति ने पहले और दूसरे वर्ष के अन्त में

आवेदनकर्ता की वित्तीय स्थिति का जायजा लिया है और उसे प्रमाणित किया है, किसी व्यक्ति के नाम को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश करने के लिए अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक विचाराधीन रखा जा सकता है। 3 वर्ष के बाद, यदि आवेदनकर्ता को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देना सम्भव नहीं होगा, तो उसके मामले को अन्तिम रूप से बन्द कर दिया जाएगा और उस पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा।

6.18 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बहाली के लिए आयोग द्वारा निरन्तर संघर्ष

6.18.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार में और उसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों/ संगठनों और पदों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण का मुद्दा पहली बार अगस्त, 2001 में उठाया गया था, जब भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अखिल भारतीय मीना जनजाति विकास संघ के अध्यक्ष से, जिसका पंजीचित कार्यालय मुनीरका, दिल्ली में है, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। तत्कालीन आयोग (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग) के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के लिए 4500–7000/– रुपए के वेतनमान में सहायक अध्यापकों के 1674 पदों के लिए 21.9.2000 को नवभारत टाइम्स में विज्ञापन दिया था और 21.9.2000 को प्रकाशित विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि 316 पद अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन, 21.8.2001 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित परिणामों में अनुसूचित जनजाति के एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं था।

6.18.2 उस समय के आयोग द्वारा अगस्त, 2001 में यह मामला सचिव, शिक्षा विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के साथ उठाया गया और उनसे तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के साथ 23 अगस्त, 2001 को इस बारे में चर्चा करने के लिए आने का अनुरोध किया गया कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा 12 अगस्त, 2001 को सामान्य श्रेणी/ अन्य पिछड़े वर्गों/ अनुसूचित जाति के सफल उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करते समय अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के परिणामों को रोक लिया गया है। यह बैठक नहीं हो सकी। इस बारे में एक अन्य सन्देश दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के मुख्य सचिव को भेजा गया, जिसमें उनसे 27 अगस्त, 2001 को आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक के लिए अन्य अधिकारियों के साथ आने का अनुरोध किया गया। मुख्य सचिव का ध्यान, अन्य बातों के साथ–साथ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 मई, 1985 के कार्यालय ज्ञापन की ओर दिलाया गया, जिसमें यह उपबन्ध किया गया था कि दिल्ली के सिवाय, जहां अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए विहित आरक्षण की प्रतिशतता का अनुसरण किया जाना चाहिए, आरक्षण सामान्य रूप से सम्बन्धित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात पर आधारित होगा, और दिल्ली में नियुक्तियों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर विहित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा। यह भी कहा गया था कि आयोग द्वारा दिए गए उक्त स्पष्टीकरण के बावजूद दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के सेवा विभाग ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखा था, जिसमें यह कहा गया था कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 342 (1) के अन्तर्गत दिल्ली के लिए अनुसूचित जनजातियों की कोई सूची अधिसूचित नहीं की गई थी, इसलिए यह मामला गृह मंत्रालय को निर्दिष्ट किया गया था और उनसे दिल्ली के लिए अनुसूचित जनजातियों की कोई अधिसूचित सूची न होने की स्थिति में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के बारे में सलाह मांगी गई थी। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष के ध्यान में निम्नलिखित तथ्य लाए गए थेः

(i) केवल वे व्यक्ति जिनका सम्बन्ध दिल्ली के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में उल्लिखित जातियों से है और जिनके मूल का राज्य दिल्ली है, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के तहत नौकरियों में आरक्षण के लाभों के हकदार हैं।

(ii) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में यह निर्धारित किया गया है कि यदि कोई एक राज्य से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन करता है, तो वह केवल उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित होने का दावा कर सकता है, जिसके साथ उसका मूल रूप से सम्बन्ध हो, उस राज्य के सम्बन्ध में नहीं, जिसमें उसने प्रव्रजन किया हो। उच्चतम न्यायालय ने भी एक्शन कमेटी बनाम भारत संघ के मामले (1994) में इन अनुदेशों की वैधता का समर्थन किया था।

6.18.3 भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के मुख्य सचिव के साथ उपर्युक्त बैठक 29.8.2001 को हुई। बैठक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव, विधिक कार्य मंत्रालय के सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के समाज कल्याण सचिव ने भी भाग लिया। बैठक में निम्नलिखित बातें कही गईं:

(i) दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के फैसले को दोहराया और कहा कि उच्चतम न्यायालय के 1994 के निर्णय {जिसका उल्लेख पैरा 5.13. 2(ii) में किया गया है} को और इस तथ्य को देखते हुए कि दिल्ली में किन्हीं भी समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में सरकार के अनुदेशों को प्रचालित करना सम्भव नहीं है।

(ii) विधिक कार्य विभाग के सचिव ने स्पष्ट किया कि जब तक दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कोई समुदाय नहीं है, देश में सभी समुदाय, जो विभिन्न राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित हैं, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं।

(iii) जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने विधिक कार्य मंत्रालय के विचारों का समर्थन किया और कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण सम्बन्धी अनुदेशों का पालन अभी हाल तक दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा था और, इन अनुदेशों को संशोधित करने अथवा इन्हें वापस लेने के बारे में केन्द्रीय सरकार का कोई आदेश न होने के कारण, अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली सुविधाओं को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है।

(iv) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में नीति निर्धारित करने के मामले में नोडल मंत्रालय है और, इसलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के प्रयोजन से दिल्ली को एक अलग श्रेणी मानने के बारे में 1955 में जारी किए गए अनुदेश (ऊपर उल्लिखित) उनके द्वारा न तो वापस लिए गए हैं और न ही उपान्तरित किए गए हैं और, इसलिए, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार इन अनुदेशों को मानने के लिए बाध्य है।

(v) विशेष सचिव, गृह मंत्रालय ने बताया कि उन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 23 अगस्त, 2001 को एक निर्देशन प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे, और यह कहा कि गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय के साथ सलाह करके यथोचित समय के भीतर आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करेगा।

(vi) भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्रालय के अक्तूबर, 1955 में जारी किए गए अनुदेशों (ऊपर उल्लिखित) को देखते हुए, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को न केवल अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के मामले

में, बल्कि अन्य सभी श्रेणियों के पदों और नियुक्तियों में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण देना चाहिए।

6.18.4 29.8.2001 को हुई बैठक में विधि मंत्रालय के सचिव द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों (ऊपर उल्लिखित) को देखते हुए, जिनका समर्थन जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया गया था, भूतपूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने दिल्ली के मुख्य मंत्री को सितम्बर, 2001 में लिखे गए एक अर्ध सरकारी पत्र के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को सलाह दी कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी श्रेणियों के पदों और नियुक्तियों में, जिनमें अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां भी शामिल हैं, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की सुविधाएं दी जाएं।

6.18.5 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने संयुक्त सचिव (संघ राज्यक्षेत्र), गृह मंत्रालय को लिखे गए दिनांक 27 सितम्बर, 2001 के अपने पत्र द्वारा गृह मंत्रालय का ध्यान उनके द्वारा 1975 और 1977 में जारी किए गए कुछ अनुदेशों की ओर दिलाया, जिनमें यह निर्धारित किया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग केवल अपने मूल वाले राज्य में आरक्षण के लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उच्चतम न्यायालय ने भी एक्शन कमेटी बनाम भारत संघ, 1994 (ऊपर उल्लिखित) मामले में इन फैसलों की वैधता का समर्थन किया था। उस पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि गृह मंत्रालय से पहले ही यह अनुरोध किया जा चुका है कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को यह समझाएं कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 7.5 प्रतिशत पदों को उस समय तक कैसे भरा जाए जब तक कि अनुसूचित जनजातियां अभिज्ञात करने की प्रक्रिया और दिल्ली के सम्बन्ध में अपेक्षित सूची को अधिसूचित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

6.18.6 दिल्ली की मुख्य मंत्री ने भूतपूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को लिखे गए अपने दिनांक 19 अक्तूबर, 2001 के अर्ध–सरकारी पत्र में सूचित किया कि उन्होंने इस बीच स्थिति का पुनरीक्षण किया है और उनकी सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लाभ उसी तरह दिए जाते रहें, जैसेकि पहले दिए जाते थे और जैसाकि आयोग (भूतपूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग) द्वारा सलाह दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने अधिकारियों को अनुदेश दिया है कि डी.एस.एस.एस.बी. और अन्य विभागों को इस बारे में आवश्यक अनुदेश तत्काल जारी करें। लेकिन, उसके बाद भूतपूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को लिखे अपने दिनांक 5 दिसम्बर, 2001 के पत्र में, दिल्ली के मुख्य मंत्री ने सूचित किया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भेजे गए दिनांक 13 नवम्बर, 2001 के अपने पत्र में यह बताया है कि उन्होंने यह मामला भारत के विद्वान महान्यायवादी की सलाह प्राप्त करने के लिए उन्हें निर्दिष्ट करने का फैसला किया है और उन्होंने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार से यह कहा है कि महान्यायवादी की सलाह प्राप्त होने तक वह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण के लाभों को जारी रखने के बारे में उनके द्वारा किए गए फैसले को, जैसाकि दिल्ली के मुख्य मंत्री द्वारा अपने दिनांक 19 अक्तूबर, 2001 के अर्ध–सरकारी पत्र (ऊपर उल्लिखित) द्वारा बताया गया था, आस्थगित रखें।

6.18.7 गृह मंत्रालय ने ऊपर उल्लिखित अपने दिनांक 13 नवम्बर, 2001 के पत्र में, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण को जारी रखने के बारे में दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए फैसले को फिलहाल रोकने के बारे में उन्हें सलाह देते हुए, निम्नलिखित बातें कही थीं:

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, राष्ट्रपति किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, और यदि कोई राज्य हो तो उसके राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों अथवा जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों के भागों अथवा उनके भीतर समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकता है, जो यथा–स्थिति उस राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, संविधान के

प्रयोजन से अनुसूचित जनजातियां मानी जाएंगी। अब भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एक्शन कमेटी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में (जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है) यह निर्णय दिया गया है कि अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों को किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट किया जाना जरूरी है और प्रदत्त जाति अथवा जनजाति उस राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति हो सकती है, जिसके लिए वह विनिर्दिष्ट की गई है।

(ii) भारत सरकार का यह दृढ़ मत रहा है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति रोजगार की तलाश में अथवा शिक्षा के प्रयोजनों और उसी प्रकार के प्रयोजनों से अपने मूल के राज्य से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन करता है, तो उसे उस राज्य की अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति नहीं माना जा सकता, जिसमें वह प्रव्रजन करता है और वह उत्तरोक्त राज्य में ऐसे लाभों की मांग नहीं कर सकता। सरकार के इस मत को उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति–प्रमाणपत्र देने के मुद्दे पर एक्शन कमेटी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में चुनौदी दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस मत की वैधता का समर्थन किया और निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के होने का विशेषाधिकार और लाभ अपने साथ उस राज्य में नहीं ले जा सकता, जिसमें वह प्रव्रजन करे।

(iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करने वाली राष्ट्रपति की अधिसूचना की अनुपस्थिति में, उस संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के पदों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण को स्थानीय निकाय प्रशासन बनाम ए. एन. प्रशासन और अन्य के 1992 के सी.ओ. 39(डब्ल्यू) में चुनौती दी गई थी। उक्त मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने निर्णय दिया कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए पदों के आरक्षण से संविधान का उल्लंघन होता है। सरकार द्वारा उक्त निर्णय के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन पीठ के समक्ष दायर की गई एल.पी.ए. को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 341 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अधिसूचना की अनुपस्थिति में, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में किसी भी लोक सेवा के सम्बन्ध में कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार के जो आरक्षण किए जा रहे थे, उन्हें माननीय विचारण न्यायाधीश ने उचित रूप से रद्द किया। उक्त निर्णय के खिलाफ जो विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय में पेश की गई थी, उसे भी रद्द कर दिया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन पीठ के निर्णय के खिलाफ गृह मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय में जो पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे भी रद्द कर दिया गया।

6.18.8 गृह मंत्रालय ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के मुख्य सचिव को लिखे गए उपर्युक्त पत्र में कहा था कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाली राष्ट्रपति की अधिसूचना की अनुपस्थिति में, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अन्तर्गत सिविल पदों में आरक्षण करना कानूनी और संवैधानिक रूप से अनुमति–योग्य नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ–साथ, गृह मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त पत्र में यह स्वीकार किया गया कि उपर्युक्त स्थिति भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के दिनांक 14 अक्तूबर, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/2/55–एस.सी.टी. द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से मेल नहीं खाती, जिनके अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि दिल्ली के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार के लिए भर्ती के लिए विहित आरक्षण की प्रतिशतता (अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत) का अनुसरण किया जाना चाहिए।

6.18.9 गृह मंत्रालय ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को उनके 22 अगस्त, 2001 के पत्र के उत्तर में अन्तिम रूप से अपेक्षित स्पष्टीकरण 21 अगस्त, 2003 को जारी किए, जिनमें यह कहा गया था कि गृह मंत्रालय के दिनांक 14 अक्तूबर, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/2/55–एस.सी.टी. में दिए गए अनुदेश, जिनके अनुसार अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए विहित अनुरक्षण की प्रतिशतता का दिल्ली में पालन किया जाना जरूरी था, प्रवृत्त रहेंगे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अन्तर्गत सिविल पदों के सम्बन्ध में लागू होंगे और तदनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों में से भरा जाना जरूरी है, चाहे उनका जन्म–स्थान कोई भी हो। गृह मंत्रालय के 21 अगस्त, 2003 के उपर्युक्त पत्र के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने डी.एस.एस.एस.बी. के अध्यक्ष, अपने प्रशासनकि नियंत्रणाधीन सभी विभागाध्यक्षों/ स्थानीय/ स्वायत्त निकायों/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, अन्य बातों के साथ–साथ, सूचित किया कि यह फैसला किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अपने तहत सिविल पदों में विहित प्रतिशत पदों का आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए करना जारी रखेगी, जैसाकि पहले किया जाता था।

6.18.10 गृह मंत्रालय के दिनांक 21 अगस्त, 2003 के ऊपर उल्लिखित पत्र और, उसके आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा अपने दिनांक 27 अगस्त, 2003 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल फाउंडेशन (रजि.) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 2003 की सी.डब्ल्यू. संख्या 6546 में दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने अपना अन्तिम निर्णय 5 जुलाई, 2004 को सुनाया। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने वाली राष्ट्रपति की अधिसूचना की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, स्थानीय निकायों अथवा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अन्तर्गत सांविधिक प्राधिकरणों के अन्तर्गत कोई पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने गृह मंत्रालय के दिनांक 21 अगस्त, 2003 के पत्र (ऊपर उल्लिखित) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के दिनांक 27 अगस्त, 2003 के पत्र (जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है) को भी रद्द कर दिया, जो सभी विभागाध्यक्षों आदि को जारी किया गया था, और जिसमें सरकार के अन्तर्गत सेवाओं और पदों में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को जारी रखने की सलाह दी गई थी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली की एक न्यायाधीश वाली पीठ के 5 जुलाई, 2004 के निर्णय की समीक्षा करने के लिए एक एल.पी.ए. दायर की।

6.18.11 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने दिनांक 6 जनवरी, 2005 के पत्र द्वारा गृह मंत्रालय को अनुरोध किया कि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में जो एल.पी.ए. दायर की है, उसकी एक प्रति आयोग के अवलोकनार्थ भेज दें, जो फरवरी, 2005 में भेज दी गई। इस बीच, आयोग को समाचारपत्रों के माध्यम से यह पता चला कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 11 फरवरी, 2005 के निर्णय में, जो एक तीन–सदस्यीय पीठ द्वारा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, श्री आर.सी. लोहाटी, न्यायाधीश श्री के.जी. बालकृष्ण और न्यायाधीश श्री जी.पी. माथुर शामिल थे, श्रीमती पुष्पा और अन्य बनाम शिवचनमुगवेलु और अन्य (1998 की सिविल अपील संख्या 6–7) के मामले में दिया गया था, यह कहा कि संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी ने केन्द्रीय सरकार की जो नीति अपनाई है, जिसके अन्तर्गत सभी अनुसूचित जातियां, चाहे वे किसी भी राज्य की हों, उन पदों के लिए हकदार हैं, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों, उसमें कोई कानूनी निःशक्तता आरोपित नहीं की जा सकती और यह नहीं ठहराया जा सकता कि वह कानून के किसी उपबन्ध के विपरीत है। गृह मंत्रालय से उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय की एक प्रति आयोग को भेजने का अनुरोध किया गया था। इस बीच, आयोग ने उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 फरवरी, 2005 की एक प्रति मार्च, 2005 में उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार से प्राप्त कर ली। गृह मंत्रालय ने भी उक्त निर्णय की एक प्रति 14 जून, 2005 को अपने दिनांक 1 जून, 2005 के पत्र संख्या 14011/23/2005–दिल्ली–I के साथ भेजी, जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के

सचिव (सेवाएं) को सम्बोधित थी, और उसके साथ विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) से प्राप्त उनके दिनांक 24 मई, 2005 के नोट की प्रति भी भेजी, जिसमें दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 फरवरी, 2005 के निर्णय की प्रयोज्यता के बारे में उनकी राय दी गई थी।

6.18.12 गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 1 जून, 2005 के पत्र द्वारा सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को सूचित किया कि विधिक कार्य विभाग ने यह राय व्यक्त की है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2005 के अपने निर्णय में घोषित किया गया कानून दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर भी लागू होता है। विधिक कार्य विभाग के दिनांक 24 मई, 2005 के नोट (जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है) की एक प्रति भी सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को भेजी गई। गृह मंत्रालय के दिनांक 1 जून, 2005 के पत्र (ऊपर उल्लिखित) और विधिक कार्य विभाग के दिनांक 24 मई, 2005 के परामर्श पर आयोग की 15.6.2005 को हुई बैठक में चर्चा की गई। आयोग की इच्छानुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से अनुरोध किया गया कि वह आयोग को इस बात से अवगत कराएं कि विधिक कार्य विभाग द्वारा दिए गए इन स्पष्टीकरणों के प्रकाश में कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 11 फरवरी, 2005 के निर्णय में घोषित किया गया कानून संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली पर भी लागू होता है, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण को पुनः प्रारम्भ करने के लिए उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। इस बीच, गृह मंत्रालय से भी यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा दिल्ली में उस न्यायालय के 5 जुलाई, 2004 के निर्णय के खिलाफ दायर की गई एल.पी.ए. की मौजूदा स्थिति क्या है और क्या उन्होंने (गृह मंत्रालय ने), जैसीकि इस आयोग द्वारा सलाह दी गई थी, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने 11 फरवरी, 2005 के निर्णय में दिए गए आदेश के प्रकाश में, दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके द्वारा पहले से दायर की गई एल.पी.ए. के सन्दर्भ में अनुपूरक शपथपत्र/ आवेदन दायर किया है अथवा नहीं।

6.18.13 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल को लिखे गए अपने दिनांक 28 जून, 2005 के पत्र में उनका ध्यान गृह मंत्रालय के दिनांक 1 जून, 2005 के पत्र (जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है) और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 फरवरी, 2005 के निर्णय के बारे में विधिक कार्य विभाग द्वारा दी गई सलाह की ओर दिलाया और इस बात पर बल दिया कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार में अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों की कमी/ बैकलाग को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए अवलिम्ब कार्रवाई की जानी चाहिए।

6.18.14 अन्ततः सुरंग के अन्त में प्रकाश दिखाई दिया। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने अध्यक्ष, डी.एस.एस.एस.बी., दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, सभी विभागध्यक्षों/ दिल्ली सरकार के अन्तर्गत स्थानीय निकायों/ स्वायत्त निकायों/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सम्बोधित अपने दिनांक 30 जून, 2005 के पत्र संख्या एफ.16(73)/97–एस.III में उन्हें सूचित किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 फरवरी, 2005 के निर्णय (ऊपर उल्लिखित) के संदर्भ में विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) द्वारा दी गई सलाह की रोशनी में, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार, चाहे उनका मूल–स्थान कोई भी हो, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अन्तर्गत उन सिविल पदों में आरक्षण के लिए हकदार हैं, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं और भर्ती के लिए तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाए। आयोग ने भी अपने दिनांक 14 जुलाई, 2005 के पत्र द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के मुख्य सचिव से अध्यक्ष, डी.एस.एस.एस.बी. और अन्य को भेजे गए उनके दिनांक 30 जून, 2005 के पत्र (ऊपर उल्लिखित) के अनुसरण में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। आयोग को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को फिर से शुरू करने के अनुसरण में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित

बैकलाग रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। **आयोग सिफारिश करता है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष समयबद्ध भर्ती अभियान चलाना चाहिए और इस अभियान के परिणाम के बारे में आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजनी चाहिए।**

6.19 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004

6.19.1 अब तक आरक्षण की नीति को भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के आधार पर कार्यान्वित किया गया है। भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी पहली रिपोर्टों में शीघ्र ही आरक्षण अधिनियम बनाए जाने की आवश्यकता पर बल देता रहा था, जो आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित बना देगा। इन रिपोर्टों में इस बारे में यह भी कहा गया था कि इस अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाना चाहिए ताकि इसका बार–बार न्यायिक निर्वचन न किया जाए।

6.19.2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को लिखे अपने दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 के पत्र संख्या 41018/1/2004–स्था.(रिज.) द्वारा सूचित किया कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण की स्कीम का कार्यान्वयन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों द्वारा होता है और भारत सरकार के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, बैंकों, बीमा कम्पनियों, आदि जैसी वित्तीय संस्थाएं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करती हैं। यह भी बताया गया था कि उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्णय दिया था कि इन अनुदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त है और यह भी कि इसके बावजूद, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में कानून बनाने की मांग समय–समय पर विभिन्न संगठनों/एसोसिएशनों द्वारा की जाती रही है। इसके अलावा, साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया था कि आरक्षण के सभी अनुदेशों को संहिताबद्ध करने के लिए एक आरक्षण अधिनियम बनाया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग के साथ परामर्श करते हुए, भारत सरकार के अन्तर्गत सेवाओं, भारत सरकार के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, आदि में आरक्षण के सम्बन्ध में जो प्रारूप विधेयक तैयार किया गया है, उसकी एक प्रति आयोग के पास भी उसकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। आयोग ने अपनी टिप्पणियां दिसम्बर, 2004 में भेज दी थीं। फरवरी, 2005 में राज्य सभा सचिवालय ने आयोग को सूचित किया कि राज्य सभा में यथा–पुरःस्थापित और लम्बित उक्त विधेयक कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय से सम्बन्धित संसदीय स्थाई समिति के पास जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए भेजा गया है और विधेयक के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विचारों का लाभ प्राप्त करने का फैसला किया गया है। पदों/ सेवाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के कुछ पहलुओं के बारे में आयोग की टिप्पणियों का सारांश इस प्रकार हैः

(i) अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 को संविधान की नौवीं अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 284 के बाद प्रविष्टि संख्या 285 (नया उपबन्ध) के रूप में शामिल किया जाए।

(ii) भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जो उसकी वर्ष 2001–02 की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 4.75 और 4.77 में दी गई हैं, न्यायपालिका, लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय और सशस्त्र बलों को भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के दायरे के अन्दर लाया जाए।

(iii) कार्य–भारित पदों के लिए नियुक्तियों और 45 दिनों से कम अवधि की नियुक्तियों में भी आरक्षण होना चाहिए।

(iv) **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के दायरे का विस्तार वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के सम्बन्ध में, जिनकी आवश्यकता अनुसन्धान करने अथवा अनुसन्धान** को आयोजित करने, मार्गनिर्देश प्रदान करने और निर्देशित करने के लिए होती है, समूह 'क' के सबसे निचले सोपान के ऊपर भी किया जाना चाहिए (मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, ऐसे पदों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण समूह 'क' के केवल सबसे नीचे के सोपान तक उपलब्ध है)।

(v) **किसी पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव में अनुसूचित जनजातियों के** सदस्यों के मामले में ढील दी जाए, यदि ऐसी पदोन्नति के लिए उन पर विचार किए जाने के समय, इन समुदायों के ऐसे उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, जिनको पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव प्राप्त हो।

(vi) प्रस्तावित विधेयक की धारा 13(3) में यह उपबन्ध है कि यदि सम्पर्क अधिकारी को अपने द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान अथवा अन्यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उपेक्षा अथवा चूक के किसी मामले का पता चले तो वह यथास्थिति सम्बन्धित सचिव अथवा विभागाध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और वह सचिव अथवा विभागाध्यक्ष नियुक्ति करने वाले सम्बन्धित प्राधिकरण को इस मामले में उपयुक्त आदेश जारी करेगा। आयोग ने अपनी टिप्पणियों में इस धारा के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ने का सुझाव दिया था:

> "सचिव अथवा विभागाध्यक्ष की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति आरक्षण के मामलों के बारे में कार्रवाई करने वाले नोडल विभाग, अर्थात कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को और यथास्थिति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास भेजेगा।"

6.19.3 आयोग इस रिपोर्ट के भाग के रूप में उक्त सिफारिश को सरकार के विचार के लिए पुनः दोहराता है।

6.20 आरक्षण सम्बन्धी अनुदेशों का समेकन

6.20.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 2005 के पत्र द्वारा आयोग से उस प्रारूप कार्यालय ज्ञापन की विषय–वस्तु के बारे में अपनी टिप्पणियां देने का अनुरोध किया, जिसे उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सम्बन्धी अनुदेशों के, यथावश्यकता संशोधन सहित, समेकन के रूप में जारी किए जाने का प्रस्ताव है। आयोग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी टिप्पणियां 29 अगस्त, 2005 को भेज दी थीं। लेकिन, आयोग ने अभी तक इस बारे में अन्तिम कार्यालय ज्ञापन जारी नहीं किया है। आयोग द्वारा भेजी गई टिप्पणियों में ये बातें शामिल थीं:

(i) **समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर, जो सामान्यतः किसी स्थान और क्षेत्र के उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 और 2001 की जनगणना की समाप्ति के बाद जारी किए गए इसी प्रकार के संशोधनों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यताप्राप्त समुदायों/ जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि इन समुदायों के** व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित न हों।

(ii) **आयोग ने देखा है कि अखिल भारतीय सेवाओं, जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई. एफ.एस. की संवर्ग संख्या का एक–तिहाई भाग राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों में से नामजदगी द्वारा भरा जाता था। आयोग ने सिफारिश की थी कि इस प्रकार के प्रवेश/ नामज़दगी में अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होना चाहिए।**

(iii) अनुसूचित जनजातियों के जो अधिकारी अपने संगठनों में काफी वरिष्ठ हों, उन्हें भी सम्पर्क अधिकारियों के रूप में नामजद किए जाने और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्षों में भी काम करने के अवसर दिए जाने चाहिएं।

6.20.2 आयोग इस रिपोर्ट के भाग के रूप में उक्त सिफारिशों को सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए दोहराता है।

6.21 केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

6.21.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 1.1.2003 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार था:

(1.1.2003 को)

समूह	जोड़	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)
क	85938	3593	4.18
ख	181905	7863	4.32
ग	2121697	138685	6.54
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	879805	61204	6.96
सफाई कर्मचारी	126131	5605	
जोड़ (सफाई कर्मचारियों सहित)	**3395476**	**216950**	**6.39**

6.21.1.2 उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अपेक्षित प्रतिनिधित्व से कम है और, इसलिए **आयोग सिफारिश करता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी मंत्रालयों और विभागों और विशेष रूप से उन विभागों पर, जो विभिन्न पदों/ सेवाओं में नियुक्तियों के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण हैं, जोर देना चाहिए कि वे इन सभी समूहों में और विशेष रूप से समूह 'क' और 'ख' में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के द्वारा विशेष प्रयास करें।**

6.21.2 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

6.21.2.1 लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने 218 उद्यमों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में 1.1.2003 की स्थिति और 189 उद्यमों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर 1.1.2004 की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की है। नीचे की तालिका में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सेवाओं में 1.1.2003 को और 1.1.2004 को अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में सूचना दी गई है।

(1.1.2003 को)

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व	
		अनुसूचित जनजाति की संख्या	प्रतिशतता
समूह 'क'	1,88,846	6577	3.48
समूह 'ख'	1,81,088	9335	5.15
समूह 'ग'	9,32,261	86,105	9.24
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	3,30,803	36,487	11.03
जोड़	**16,32,998**	**1,38,504**	**8.48**
सफाई कर्मचारी	18,880	583	3.09
कुल जोड़	**16,51,878**	**1,39,087**	**8.42**

(1.1.2004 को)

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व	
		अनुसूचित जनजाति की संख्या	प्रतिशतता
समूह 'क'	1,65,320	6,032	3.65
समूह 'ख'	1,56,822	8,980	5.73
समूह 'ग'	7,14,125	67,396	9.44
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	2,58,663	32,073	12.40
जोड़	**12,94,930**	**1,14,481**	**8.84**
सफाई कर्मचारी	17,778	568	3.19
कुल जोड़	**13,12,708**	**1,15,049**	**8.76**

6.21.2.2 उपर्युक्त तालिका में 1.1.2004 की स्थिति से यह पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व समूह 'क' में लगभग 4 प्रतिशत और समूह 'ख' में लगभग 2 प्रतिशत कम है, जबकि इसकी तुलना में दोनों समूहों में अपेक्षित प्रतिनिधित्व 7.5 प्रतिशत है। आयोग सिफारिश करता है कि लोक उद्यम विभाग को यह मामला उन प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के साथ उठाना चाहिए, जो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का नियंत्रण करते हैं, और उन्हें (केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को) सलाह देनी चाहिए कि वे इन समूहों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को 7.5 प्रतिशत के वांछित स्तर तक बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें।

6.21.3 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

6.21.3.1 आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग प्रभाग ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में वर्ष 2002 के लिए 1.1.2003 की स्थिति, वर्ष 2003 के बारे में 31.3.2004 की स्थिति और वर्ष 2004 के लिए 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार सूचना प्रस्तुत की है। नीचे की तालिका में अधिकारियों, क्लर्कों और उप–स्टाफ के संवर्गों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी दी गई है।

क. अधिकारियों के संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

(1.1.2003 को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल कर्मचारी	अ.ज.जा.	प्रतिशतता
1.	इलाहाबाद बैंक	6731	436	6.48
2.	आन्ध्र बैंक	6451	434	6.73
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	11798	588	4.98
4.	बैंक ऑफ इंडिया	10704	757	7.07
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3731	222	5.95
6.	केनरा बैंक	13814	898	6.5
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11292	639	5.65
8.	कॉरपोरेशन बैंक	3753	129	3.43
9.	देना बैंक	2906	220	7.57
10.	इंडियन बैंक	7123	405	5.69
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6910	406	5.87
12.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	5101	207	4.05
13.	पंजाब नेशनल बैंक	16111	702	4.32

14.	पंजाब ऐण्ड सिन्ध बैंक	4223	106	2.51
15.	सिंडिकेट बैंक	7688	394	5.12
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	7597	513	6.75
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4502	299	6.64
18.	यूको बैंक	6715	366	5.45
19.	विजया बैंक	3596	176	4.89
20.	भारतीय स्टेट बैंक	53421	2484	4.65
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर	3247	188	5.78
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4288	216	5.03
23.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1854	104	5.61
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2379	154	6.47
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3461	62	2.36
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1944	101	5.19
27.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	2864	67	2.34
28.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	—	—	—

(31.3.2004 को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल कर्मचारी	अ.ज.जा.	प्रतिशतता
1.	इलाहाबाद बैंक	6891	449	6.5
2.	आन्ध्र बैंक	7753	464	5.9
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	11928	675	5.6
4.	बैंक ऑफ इंडिया	12058	880	7.2
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4063	230	5.6
6.	केनरा बैंक	14480	946	6.5
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11508	658	5.7
8.	कॉरपोरेशन बैंक	3811	143	3.7
9.	देना बैंक**	2906	220	7.5
10.	इंडियन बैंक	7583	413	5.4
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	7453	408	5.4
12.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	5229	209	3.9
13.	पंजाब नेशनल बैंक	17716	814	4.5
14.	पंजाब ऐण्ड सिन्ध बैंक	4183	106	2.5
15.	सिंडिकेट बैंक	8753	471	5.3
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8745	566	6.4
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4755	307	6.4
18.	यूको बैंक*	6715	366	5.4
19.	विजया बैंक	3615	190	5.2
20.	भारतीय स्टेट बैंक	59447	3688	6.2
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर	3659	221	6.0
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4607	231	5.0
23.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1962	118	6.0
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2532	165	6.5
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3432	83	2.4
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र**	1944	101	5.1

27.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	3263	80	2.4
28.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया**	6128	305	4.9

* **30.6.2003 को** ** **1.1.2003 को**

(31.12.2004 को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल कर्मचारी	अ.ज.जा.	प्रतिशतता
1.	इलाहाबाद बैंक	7935	485	6.1
2.	आन्ध्र बैंक	8023	468	5.8
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	11779	667	5.6
4.	बैंक ऑफ इंडिया	12010	886	7.3
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4078	231	5.6
6.	केनरा बैंक	14974	978	6.5
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11508	658	5.7
8.	कॉरपोरेशन बैंक	3985	149	3.7
9.	देना बैंक**	2968	238	8.0
10.	इंडियन बैंक	7565	413	5.4
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	7547	408	5.4
12.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	5370	222	4.1
13.	पंजाब नेशनल बैंक	17729	863	4.8
14.	पंजाब ऐण्ड सिन्ध बैंक	4425	107	2.4
15.	सिंडिकेट बैंक	8669	471	5.4
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8671	580	6.6
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4691	302	6.4
18.	यूको बैंक*	7223	428	5.9
19.	विजया बैंक	3822	194	5.0
20.	भारतीय स्टेट बैंक	59447	3688	6.2
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर	3828	245	6.4
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4784	236	4.9
23.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	2098	124	5.9
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2794	185	6.6
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3401	83	2.4
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र**	2308	117	5.0
27.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	3241	450	13.8
28.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया**	6128	305	4.9

* **30.6.2003 को** ** **1.1.2003 को**

6.21.3.2 ऊपर की तालिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि 31.12.2004 को अधिकारियों के संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर (13.8 प्रतिशत), देना बैंक (8.0 प्रतिशत) में बहुत सन्तोषजनक और बैंक ऑफ इंडिया (7.3 प्रतिशत) में सन्तोषजनक था। 1.1.2003 को इस संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम अर्थात स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर में 2.34 प्रतिशत, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में 2.36 प्रतिशत, पंजाब और सिन्ध बैंक में 2. 51 प्रतिशत, कॉरपोरेशन बैंक में 3.43 प्रतिशत, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 4.05 प्रतिशत और पंजाब नेशनल बैंक में 4.32 प्रतिशत था। 31.3.2004 को अधिकारियों के संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला दोनों में से प्रत्येक में 2.4 प्रतिशत था, पंजाब और सिंध बैंक में 2.5 प्रतिशत, कॉरपोरेशन बैंक में 3.7 प्रतिशत

और ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में 3.9 प्रतिशत था, जिसे भी बहुत समझा जाता है। 31.12.2004 को अधिकारियों के संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और पंजाब ऐण्ड सिंध बैंक दोनों में से प्रत्येक में 2.4 प्रतिशत, कॉरपोरेशन बैंक में 3.7 प्रतिशत था, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत की विहित प्रतिशतता की तुलना में बहुत कम था। शेष 22 बैंकों में उनका प्रतिनिधित्व 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच था, जोकि अपेक्षित स्तर का नहीं था।

ख. क्लर्कों के संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

(1.1.2003 को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल कर्मचारी	अ.ज.जा.	प्रतिशतता
1.	इलाहाबाद बैंक	8811	287	3.26
2.	आन्ध्र बैंक	4097	57	1.39
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	19512	1016	5.2
4.	बैंक ऑफ इंडिया	22156	1371	6.19
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7228	424	5.87
6.	केनरा बैंक	22393	1053	4.7
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	18696	1015	5.42
8.	कॉरपोरेशन बैंक	5213	214	4.1
9.	देना बैंक	4883	526	10.77
10.	इंडियन बैंक	11430	324	2.83
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	12634	315	2.49
12.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	5550	214	4.03
13.	पंजाब नेशनल बैंक	30190	1101	3.64
14.	पंजाब ऐण्ड सिन्ध बैंक	3795	54	1.42
15.	सिंडिकेट बैंक	13766	719	5.22
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	12588	516	4.1
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	9123	292	3.2
18.	यूको बैंक	12935	562	4.34
19.	विजया बैंक	5553	189	3.4
20.	भारतीय स्टेट बैंक	102455	5851	5.71
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर	6177	448	7.25
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	6027	229	3.8
23.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	3335	382	11.45
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	5426	237	4.36
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5883	35	5.94
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3600	391	10.86
27.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	6301	205	3.25
28.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	—	—	—

(31.3.2004 को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल कर्मचारी	अ.ज.जा.	प्रतिशतता
1.	इलाहाबाद बैंक	8732	301	3.4
2.	आन्ध्र बैंक	3124	51	1.6
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	18928	940	4.9
4.	बैंक ऑफ इंडिया	20682	1267	6.1

5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7065	428	6.0
6.	केनरा बैंक	21819	1013	4.6
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	18252	997	5.4
8.	कॉरपोरेशन बैंक	5009	211	4.2
9.	देना बैंक**	4883	526	10.7
10.	इंडियन बैंक	10871	309	2.8
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	12313	327	2.6
12.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	5479	216	3.9
13.	पंजाब नेशनल बैंक	29847	1056	3.5
14.	पंजाब ऐण्ड सिन्ध बैंक	3802	53	1.3
15.	सिंडिकेट बैंक	12545	643	5.1
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	11315	369	3.2
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	9099	258	2.8
18.	यूको बैंक*	12935	562	4.3
19.	विजया बैंक	5462	173	3.1
20.	भारतीय स्टेट बैंक	95582	5331	5.5
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर	3659	221	6.0
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	5837	235	4.0
23.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	3208	366	11.4
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	5209	225	4.3
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5933	37	0.61
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र**	3600	391	10.8
27.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	5896	196	3.3
28.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया**	10644	960	9.0

* **30.6.2003 को** ** **1.1.2003 को**

31.12.2004 को

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल कर्मचारी	अ.ज.जा.	प्रतिशतता
1.	इलाहाबाद बैंक	7630	266	3.4
2.	आन्ध्र बैंक	2893	48	1.6
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	18840	989	4.9
4.	बैंक ऑफ इंडिया	20722	1254	6.0
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7036	432	6.1
6.	केनरा बैंक	21545	1001	4.6
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	18252	997	5.4
8.	कॉरपोरेशन बैंक	4794	201	4.1
9.	देना बैंक**	4665	504	10.8
10.	इंडियन बैंक	10743	305	2.8
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	12228	329	2.6
12.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	5437	217	3.9
13.	पंजाब नेशनल बैंक	29746	1057	3.5
14.	पंजाब ऐण्ड सिन्ध बैंक	3559	52	1.4
15.	सिंडिकेट बैंक	12444	637	5.1
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	11302	370	3.2
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	8884	263	2.9

18.	यूको बैंक*	12557	539	4.4
19.	विजया बैंक	5217	169	3.2
20.	भारतीय स्टेट बैंक	95582	5331	5.5
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर	5611	364	6.4
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	5576	226	4.0
23.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	3259	372	11.4
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	4882	201	4.1
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5912	37	0.6
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र**	3456	381	11.0
27.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	5865	738	12.5
28.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया**	10644	960	9.0

' **30.6.2003 को** ** **1.1.2003 को**

6.21.3.3 उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि 1.1.2003 को लिपिकों (क्लर्कों) के संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर (11.45 प्रतिशत), स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (10.86 प्रतिशत), देना बैंक (10.77 प्रतिशत) में बहुत सन्तोषजनक और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर (7.25 प्रतिशत) में सन्तोषजनक था। अन्य कई बैंकों में उनका प्रतिशत बहुत कम, जैसे पंजाब और सिन्ध बैंक में 1.42 प्रतिशत, आन्ध्र बैंक में 1.39 प्रतिशत, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 2.49 प्रतिशत, इंडियन बैंक में 2.83 प्रतिशत, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में 3.2 प्रतिशत, विजय बैंक में 3.4 प्रतिशत, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में 3.8 प्रतिशत, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर में 3.25 प्रतिशत, और इलाहाबाद बैंक में 3.26 प्रतिशत था। 31.3.2004 को लिपिकों के संवर्ग में उनका प्रतिनिधित्व स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में बहुत कम अर्थात 0.61 प्रतिशत, पंजाब और सिन्ध बैंक में 1. 3 प्रतिशत, आन्ध्र बैंक में 1.6 प्रतिशत, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 2.6 प्रतिशत, इंडियन बैंक में 2.8 प्रतिशत, विजय बैंक में 3.1 प्रतिशत, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 3.2 प्रतिशत, इलाहाबाद बैंक में 3. 4 प्रतिशत, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर में 3.3 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक में 3.5 प्रतिशत और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 3.9 प्रतिशत था। हालांकि 31.12.2004 को लिपिकों के संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर (12.5 प्रतिशत), स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर (11.4 प्रतिशत), स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (11.00 प्रतिशत), देना बैंक (10.8 प्रतिशत) और भारतीय रिजर्व बैंक (9.00 प्रतिशत) में काफी अच्छा था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में बहुत कम अर्थात 0.6 प्रतिशत, पंजाब और सिंध बैंक में 1.4 प्रतिशत, आन्ध्र बैंक में 1.6 प्रतिशत, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 2.6 प्रतिशत, इंडियन बैंक में 2.8 प्रतिशत, विजय बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोनों में से प्रत्येक में 3.2 प्रतिशत, इलाहाबाद बैंक में 3.4 प्रतिशत और पंजाब नेशनल बैंक में 3.5 प्रतिशत था।

ग. उप–कर्मचारियों (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत

(1.1.2003 को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल कर्मचारी	अ.ज.जा.	प्रतिशतता
1.	इलाहाबाद बैंक	3601	270	7.5
2.	आन्ध्र बैंक	2775	174	7.65
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	7521	661	8.78
4.	बैंक ऑफ इंडिया	7381	609	8.25
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3122	284	9.1
6.	केनरा बैंक	8866	424	4.78
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9437	638	6.76
8.	कॉरपोरेशन बैंक	1371	67	4.88
9.	देना बैंक	2604	352	13.52

10.	इंडियन बैंक	3567	159	4.46
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	3756	160	4.25
12.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	2785	154	5.52
13.	पंजाब नेशनल बैंक	11272	635	5.63
14.	पंजाब ऐण्ड सिन्ध बैंक	1834	46	2.50
15.	सिंडिकेट बैंक	4062	291	7.16
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5131	289	5.63
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4103	148	3.6
18.	यूको बैंक	4372	239	5.46
19.	विजया बैंक	1952	126	6.45
20.	भारतीय स्टेट बैंक	43049	2396	5.57
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर	3008	277	9.21
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3083	150	4.86
23.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1365	190	13.92
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1801	82	4.55
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2374	40	16.8
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1999	205	10.25
27.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	2172	99	4.56
28.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	—	—	—

(31.3.2004 को)

क्रम सं.	**बैंक का नाम**	**कुल कर्मचारी**	**अ.ज.जा.**	**प्रतिशतता**
1.	इलाहाबाद बैंक	3249	234	7.2
2.	आन्ध्र बैंक	2218	158	7.1
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	7209	656	9.0
4.	बैंक ऑफ इंडिया	7260	646	8.8
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3044	267	8.7
6.	केनरा बैंक	8725	412	4.7
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9173	649	7.0
8.	कॉरपोरेशन बैंक	1356	69	5.0
9.	देना बैंक**	2604	352	13.5
10.	इंडियन बैंक	3352	154	4.5
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	3454	139	4.0
12.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	2665	147	5.5
13.	पंजाब नेशनल बैंक	10813	645	5.9
14.	पंजाब ऐण्ड सिन्ध बैंक	1793	44	2.4
15.	सिंडिकेट बैंक	3845	275	7.1
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5174	343	6.6
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4033	159	3.9
18.	यूको बैंक*	4372	239	5.4
19.	विजया बैंक	1925	126	6.5

20.	भारतीय स्टेट बैंक	41738	2511	6.0
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर	2923	268	9.1
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2834	139	4.9
23.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1370	189	13.7
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1773	81	4.5
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2309	40	1.7
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र**	1999	205	10.2
27.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	2152	98	4.5
28.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया**	8222	761	9.2

*** 30.6.2003 को ** 1.1.2003 को**

(31.12.2004 को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल कर्मचारी	अ.ज.जा.	प्रतिशतता
1.	इलाहाबाद बैंक	3164	232	7.3
2.	आन्ध्र बैंक	2229	156	6.9
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	7143	656	9.1
4.	बैंक ऑफ इंडिया	7068	639	9.0
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3041	264	8.6
6.	केनरा बैंक	8340	382	4.5
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9173	649	7.0
8.	कॉरपोरेशन बैंक	1389	68	4.8
9.	देना बैंक**	2539	350	13.7
10.	इंडियन बैंक	3319	149	4.4
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	3480	140	4.0
12.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	2594	135	5.2
13.	पंजाब नेशनल बैंक	10607	636	5.9
14.	पंजाब ऐण्ड सिन्ध बैंक	1699	43	2.5
15.	सिंडिकेट बैंक	3762	269	7.1
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5264	392	7.4
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4015	140	3.4
18.	यूको बैंक*	4217	227	5.3
19.	विजया बैंक	1886	125	6.6
20.	भारतीय स्टेट बैंक	41738	2511	6.0
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर	2734	270	9.8
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2777	139	5.0
23.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1129	170	15.0
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1741	80	4.5
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2353	41	1.7
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र**	1812	205	11.3
27.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	2133	614	28.7
28.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया**	8222	761	9.2

*** 30.6.2003 को ** 1.1.2003 को**

6.21.3.4 जहां तक उप–कर्मचारियों के संवर्ग का सम्बन्ध है, तीन मौकों पर अर्थात 1.1.2003, 31.3.2004 और 31.12.2004 को उप–कर्मचारियों (सब–स्टाफ) के संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व इलाहाबाद बैंक, आन्ध्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बेंक, सिंडीकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में सन्तोषजनक/ बहुत सन्तोषजनक था। शेष 19 बैंकों में इस संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम/ बहुत कम था।

6.21.3.5 तालिकाओं और उनमें से प्रत्येक के अन्त में संलग्न विश्लेषणात्मक टिप्पणियों से पता चलेगा कि अधिकतर बैंकों में सभी तीनों श्रेणियों के संवर्गों, अर्थात अधिकारियों के संवर्ग, लिपिकों के संवर्ग और उप–कर्मचारियों के संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निरन्तर बहुत कम रहा है और इस प्रवृत्ति से संकेत मिलता है कि सम्बन्धित बैंकों ने परवर्ती वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। बैंकों में अनुसूचित जनजातियों के कम और अत्यल्प प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी स्वयं सम्बन्धित बैंकों पर ही डालनी होगी, क्योंकि वर्ष 2001 में बैंकिंग सर्विसेज़ भर्ती बोर्ड का विघटन हो जाने के बाद से तीनों श्रेणियों के कर्मचारियों को भर्ती करने वाले अभिकरण वे स्वयं ही हैं। आयोग यह समझने में असमर्थ रहा है कि भारत सरकार की आरक्षण नीति को शब्दशः और अर्थपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में बैंकों में उदासीनतापूर्ण और गैर–जिम्मेदार रुख के क्या कारण हैं। आयोग को इस बात से और भी विक्षोभ होता है कि लिपिकों के संवर्ग और उप–कर्मचारियों के संवर्ग में भी अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम और अत्यन्त कम है, जबकि सम्बन्धित बैंकों के लिए इन संवर्गों के लिए अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त कर्मचारियों का पता लगाना कठिन नहीं होना चाहिए था। इस बात का कोई अभिलेख नहीं है जिससे यह पता चल सकता हो कि चूककर्ता बैंकों ने अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की इस विपुल कमी को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न किए हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग प्रभाग को (जिसका इन बैंकों पर प्रशासनिक नियंत्रण है) इस बात को देखते हुए कि अधिकतर बैंकों में अनुसूचित जनजातियों के कम और अत्यन्त कम प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत गम्भीर है, उन बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिएं, जो अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में भारत सरकार की आरक्षण की नीति को कार्यान्वित करने के मामले में अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में विफल रहे हैं। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि बैंकिंग प्रभाग को चूककर्ता बैंकों को अनुसूचित जनजाति रिक्तियों के बैकलाग/ कमी को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए अनुदेश जारी करने चाहिएं। आयोग का यह भी मत है कि यदि बैंकों द्वारा समाचारपत्रों में दिए गए विज्ञापनों के प्रति, जिनमें बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हों, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अनुक्रिया अच्छी न हो, तो बैंकों को विभिन्न पदों में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए भर्ती करने वाले दलों (टीमों) को देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बहुलता वाले क्षेत्रों में भेजना चाहिए।**

6.21.4 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

6.21.4.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने दिनांक 20 जून, 2005 के पत्र संख्या 1–13/2005(एस.सी.टी.) द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर, वर्ष 2003–04 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन पदों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी नीचे की तालिका में दी गई है

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम		प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	कुल	277	411	544
		अनुसूचित जनजाति	–	–	–
		प्रतिशतता	–	–	–
2.	असम विश्वविद्यालय	कुल	24	47	89
		अनुसूचित जनजाति	–	–	04
		प्रतिशतता	–	–	04.49

3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	कुल	414	365	315
		अनुसूचित जनजाति	—	—	07
		प्रतिशतता	—	—	2.2
4.	इग्नू	कुल	33	67	103
		अनुसूचित जनजाति	—	—	04
		प्रतिशतता	—	—	3.88
5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	कुल	128	212	152
		अनुसूचित जनजाति	2	4	3
		प्रतिशतता	1.6	1.9	1.5
6.	जामिया मिलिया इस्लामिया	कुल	121	126	242
		अनुसूचित जनजाति	—	—	2
		प्रतिशतता	—	—	0.8
7.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	कुल	54	57	66
		अनुसूचित जनजाति	—	—	02
		प्रतिशतता	—	—	03
8.	विश्व भारती	कुल	115	92	167
		अनुसूचित जनजाति	1	1	2
		प्रतिशतता	0.86	1.08	1.19
9.	तेजपुर विश्वविद्यालय	कुल	20	30	54
		अनुसूचित जनजाति	—	1	3
		प्रतिशतता	—	—	5.55
10.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	कुल	84	113	148
		अनुसूचित जनजाति	23	22	38
		प्रतिशतता	—	—	25.57
11.	बी.बी.ए. विश्वविद्यालय, लखनऊ	कुल	2	3	8
		अनुसूचित जनजाति	—	—	1
		प्रतिशतता	—	—	12.5
13.	एम.ए.एन.यू., हैदराबाद	कुल	—	2	5
		अनुसूचित जनजाति	—	—	—
		प्रतिशतता	—	—	—
14.	मिजोरम विश्वविद्यालय	कुल	24	41	145
		अनुसूचित जनजाति	2	5	51
		प्रतिशतता	8.33	12.2	35.17
15.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	कुल	96	74	63
		अनुसूचित जनजाति	—	4	3
		प्रतिशतता	—	5.4	4.8
16.	नागालैंड विश्वविद्यालय	कुल	30	56	89
		अनुसूचित जनजाति	4	16	40
		प्रतिशतता	7.00	28.5	28.4

6.21.4.2 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर के पदों में अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में आरक्षण की रूपरेखा का निरूपण करना जरूरी है। लेक्चरर का पद, जो भारत सरकार में समूह 'क' के पदों में सबसे निचले सोपान के समकक्ष होता है, 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है और, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार, इस ग्रेड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 7.5 प्रतिशत की दर से लागू है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और रीडर के पद

पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों द्वारा भरे जाते हैं। यद्यपि भारत सरकार के अनुदेशों में उन सभी पदों में, जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण का उपबन्ध है, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सीधी भर्ती में रीडर और प्रोफेसर के पदों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रोफेसर और रीडर के ग्रेड में भारत सरकार की आरक्षण की नीति का पालन शब्द या अर्थ किसी भी रूप में नहीं किया जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह पद्धति भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के उपबन्धों के अनुसरण में आरक्षण की नीति के बारे में जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन करती है।

6.21.4.3 उपर्युक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि वर्ष 2003–04 में लेक्चरर के ग्रेड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, बी.बी.ए. विश्वविद्यालय, लखनऊ, मिजोरम विश्वविद्यालय और नागालैंड विश्वविद्यालय में क्रमशः 25.57 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत, 35.17 प्रतिशत और 28.4 प्रतिशत थी, जिसे एक बहुत अच्छी स्थिति समझा जाता है। इस अवधि में असम विश्वविद्यालय, इग्नू, तेजपुर विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय में आरक्षण की प्रतिशतता 3 से 5.555 प्रतिशत के बीच रही। जहां तक शेष विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, इस अवधि में इस ग्रेड में आरक्षण की प्रतिशतता बहुत कम थी। यह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (2.2), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (1.5), जामिया मिलिया इस्लामिया (0.8) और विश्व भारती (1.19) में लगभग 2 अथवा 2 से कम थी। लेक्चरर, और रीडर तथा प्रोफेसर के पदों में आरक्षण के मामले पर, भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की छठी रिपोर्ट (1999–2000 और 2000–2001) में भी चर्चा की गई थी और यह देखा गया था कि अधिकतर विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व असन्तोषजनक था।

6.21.4.4 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आरक्षण की स्थिति बहुत खराब है। विश्वविद्यालय में लेक्चरर के 544 पद हैं, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि इस श्रेणी में अनुसूचित जनजातियों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को भारत सरकार की आरक्षण नीति को जानबूझ कर कार्यान्वित न करने की संदिग्ध प्रतिष्ठा प्राप्त है। भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सातवीं रिपोर्ट (2001–2002) में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी और यह कहा गया था कि विश्वविद्यालय आरक्षण की नीति को अमल में नहीं ला रहा है और, इसके परिणामस्वरूप, अध्यापन की श्रेणी में लेक्चरर के ग्रेड में इस विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व शून्य है।

6.21.4.5 यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन नहीं कर रहा है और अतीत में उन्हें इस सम्बन्ध में रोकने के लिए जो सारे प्रयास किए थे, उनसे उनके रवैए और दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है और वे बड़े धड़ल्ले से अनुरक्षण के अनुदेशों का उल्लंधन करते चले आ रहे हैं। उन्हें संवैधानिक दायित्वों का घोर उल्लंघन करने की गलत नीति का अनुसरण करने से रोके जाने की आवश्यकता है। यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं होगा कि आरक्षण की नीति का पालन करने में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सहयोग न करना भारत के संविधान का अपमान करना है और, इसलिए, उन्हें, केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों की अवज्ञा करने के लिए ताड़े जाने की भी आवश्यकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका मौजूदा कार्य चूक के कारण नहीं बल्कि सोचा–समझा हुआ कार्य है और, इसलिए, चिन्ताजनक रूप धारण कर लेता है। उनका यह अपराध और भी अधिक गम्भीर हो जाता है, क्योंकि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण, वे भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं और इस कारण उनका यह प्राथमिक कर्त्तव्य है कि वे आरक्षण के अनुदेशों को शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियों से कार्यान्वित करें। **आयोग, इसलिए, पुरजोर सिफारिश करता है कि:**

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को तब तक वार्षिक अनुदान देना पूरी तरह बन्द कर देने पर अथवा अनुदान की राशि में समुचित कटौती करने पर, जो वह उचित समझे, विचार करना चाहिए, जब तक वे लेक्चररों की नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में भारत सरकार की आरक्षण की नीति को कार्यान्वित

करने के लिए सहमत नहीं हो जाता और एक समुचित अवधि में अनुसूचित जनजातियों के लेक्चररों की नियुक्ति करके इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई शुरू नहीं करता।

(ii) **मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ये अनुदेश जारी करने चाहिएं कि वे रीडरों और प्रोफेसरों के उन पदों पर नियुक्तियों में, जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, आरक्षण का अनुसरण भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करते हुए करें, जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्धारित है कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सभी पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होगा, जब तक कि ऐसे पद/ पदों को सरकार द्वारा जारी किए गए विशेष अथवा सामान्य अनुदेशों द्वारा छूट न दी गई हो।**

(iii) **जैसाकि ऊपर बताया गया है, अधिकतर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन श्रेणी में लेक्चरर के ग्रेड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 7.5 प्रतिशत की विहित प्रतिशतता से बहुत कम है और, इसलिए, आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सलाह देना चाहेगा कि वे इस मामले को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ उठाएं और उनसे यह कहें कि वे लेक्चरर के ग्रेड में बैकलाग रिक्तियां अभिज्ञात करें और इन बैकलाग रिक्तियों को दो वर्ष की विहित अवधि में भरने का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। यदि चूककर्ता विश्वविद्यालय अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को दो वर्ष की उस अवधि के अन्दर भरने में असफल रहें, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान की किस्त रिलीज़ करते समय यह शर्त लगा देनी चाहिए कि जब तक वे अनुसूचित जनजाति रिक्तियों की कमी को पूरा नहीं करेंगे, तब तक अनुदान की अगली किस्त रिलीज़ नहीं की जाएगी।**

6.21.4.6 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने उपर्युक्त पत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वर्ष 2003–04 के दौरान गैर–अध्यापन पदों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी नीचे की तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	**विश्वविद्यालय का नाम**		**समूह 'क'**	**समूह 'ख'**	**समूह 'ग'**	**समूह 'घ'**
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	कुल	170	220	2255	2855
		अनुसूचित जनजाति	.	.	4	7
		प्रतिशतता	.	.	**0.18**	**0.25**
2.	असम विश्वविद्यालय	कुल	16	21	149	90
		अनुसूचित जनजाति	.	2	13	5
		प्रतिशतता	**.**	**9.52**	**8.72**	**5.55**
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	कुल	103	87	2135	3040
		अनुसूचित जनजाति	1	1	13	89
		प्रतिशतता	**0.97**	**1.15**	**0.61**	**2.93**
4.	इग्नू	कुल	181	161	989	219
		अनुसूचित जनजाति	5	5	54	9
		प्रतिशतता	**2.76**	**3.11**	**5.46**	**4.11**
5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	कुल	101	230	490	674
		अनुसूचित जनजाति	1	3	15	10
		प्रतिशतता	**1**	**1.30**	**3.06**	**1.48**
6.	जामिया मिलिया इस्लामिया	कुल	46	55	464	401
		अनुसूचित जनजाति	.	.	2	.

		प्रतिशतता	**.**	**.**	**0.43**	**.**
7.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	कुल	45	24	267	301
		अनुसूचित जनजाति	1	.	.	1
		प्रतिशतता	**2.22**	**.**	**.**	**0.33**
8.	विश्व भारती	कुल	69	88	555	697
		अनुसूचित जनजाति	1	3	16	79
		प्रतिशतता	**1.44**	**3.40**	**2.88**	**11.33**
9.	तेजपुर विश्वविद्यालय	कुल	23	15	67	.
		अनुसूचित जनजाति	.	.	.	.
		प्रतिशतता	**.**	**.**	**.**	**.**
10.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	कुल	61	167	484	350
		अनुसूचित जनजाति	25	62	231	259
		प्रतिशतता	**40.98**	**37.12**	**47.72**	**74.00**
11.	बी.बी.ए. विश्वविद्यालय, लखनऊ	कुल	8	.	36	26
		अनुसूचित जनजाति	.	.	.	.
		प्रतिशतता	**.**	**.**	**.**	**.**
12.	दिल्ली विश्वविद्यालय	कुल	133	515	1079	1068
		अनुसूचित जनजाति	3	1	8	16
		प्रतिशतता	**2.26**	**0.19**	**0.74**	**1.50**
13.	एम.ए.एन.यू., हैदराबाद	कुल	7	3	27	10
		अनुसूचित जनजाति	.	.	1	.
		प्रतिशतता	**.**	**.**	**3.70**	**.**
14.	मिजोरम विश्वविद्यालय	कुल	22	18	95	135
		अनुसूचित जनजाति	10	8	90	112
		प्रतिशतता	**45.45**	**44.44**	**94.74**	**82.96**
15.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	कुल	64	84	441	497
		अनुसूचित जनजाति	4	2	18	31
		प्रतिशतता	**6.25**	**2.38**	**4.08**	**6.24**
16.	नागालैंड विश्वविद्यालय	कुल	24	30	140	157
		अनुसूचित जनजाति	17	12	124	137
		प्रतिशतता	**70.83**	**40.00**	**88.53**	**87.26**

6.21.4.7 ऊपर की तालिका से देखा जाएगा कि अध्यापन श्रेणी में लेक्चरर के पदों की तरह, लगभग सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में, उत्तर–पूर्व के तीन विश्वविद्यालयों, अर्थात असम विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्वविद्यालय को छोड़कर, गैर–अध्यापन श्रेणी के पदों में भी अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व असन्तोषजनक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, तेजपुर विश्वविद्यालय, बी.बी.ए., लखनऊ, और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 'शून्य' है और शेष विश्वविद्यालयों में इन समूहों के पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व विहित प्रतिशतता से बहुत कम था। कुल मिलाकर, समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों के सम्बन्ध में स्थिति भी लगभी वैसी ही है, सिवाय उत्तर–पूर्व विश्वविद्यालयों (ऊपर उल्लिखित) और इग्नू (क्रमशः 5.46 प्रतिशत और 4.11 प्रतिशत), हैदराबाद विश्वविद्यालय (क्रमशः 4.08 प्रतिशत और 6.24 प्रतिशत) और विश्व भारती (क्रमशः 2.88 प्रतिशत और 11.33 प्रतिशत) के, जहां अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से बेहतर है, हालांकि यह 7.5 प्रतिशत की विहित सीमा से नीचे है। जहां तक अन्य विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, इन समूहों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया,

पांडिचेरी विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय और बी.बी.ए., लखनऊ में या तो शून्य है अथवा 1 प्रतिशत से कम है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व समूह 'घ' के पदों में मामूली सा बेहतर है (क्रमशः 2.93 प्रतिशत और 1.50 प्रतिशत) है, लेकिन समूह 'ग' में 1 प्रतिशत से कम है।

6.21.4.8 ऊपर के पैरा में दर्शाई गई स्थिति से पता चलता है कि गैर–अध्यापन पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व उत्तर–पूर्व के विश्वविद्यालयों (तेजपुर विश्वविद्यालय के सिवाय) और कुछ अन्य को छोड़कर, बहुत कम है। इस निराशाजनक दृश्य से जो सन्देश उभरता है, वह बिल्कुल स्पष्ट है। अधिकतर केन्द्रीय विश्वविद्यालय पूरी जागरूकता से, गैर–अध्यापन पदों में और अध्यापन पदों में भी भारत सरकार की आरक्षण नीति को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल शुरू से ही यह स्थिति बनी हुई है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस निरन्तर जारी प्रवृत्ति को पलटने के लिए और भारत सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कुछ ठोस नहीं किया गया है। आयोग इस बारे में चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकता। **आयोग सिफारिश करता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस समस्या की ओर गम्भीर रूप से ध्यान देना चाहिए और उन सभी चूककर्ता केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को, जो समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में गैर–अध्यापन पदों में आरक्षण की नीति को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं, अनुदेश जारी करने चाहिएं कि वे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियां अभिज्ञात करें और उन बैकलाग रिक्तियों को एक वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि में भरने का एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। यदि चूककर्ता विश्वविद्यालय एक वर्ष की उस अवधि में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने में असफल रहें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और अनुदानों की किस्तें रिलीज़ करते समय यह शर्त लगानी चाहिए कि जब तक वे अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों की कमी को पूरा नहीं करेंगे, तब तक अनुदान रिलीज़ नहीं किया जाएगा।**

6.22 सीधी भर्ती में आदिम जनजाति समूहों के सदस्यों को विशेष रियायतें

मध्य प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती में आदिम जनजाति समूहों के सदस्यों के पक्ष में विशेष उपबन्ध करने के लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में उपयुक्त संशोधन किए हैं। संशोधित अधिनियम में, अन्य बातों के साथ–साथ यह उपबन्ध किया गया है कि शिवपुर, मोरेना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवुपरी और गुना जिलों में रहने वाले सहारिया जनजाति के उम्मीदवारों और मंडला, डिंडोरी, शाहडोल, उमरिया और बालाघाट जिले में रहने वाले बैगा जनजाति के उम्मीदवारों और छिंदवाड़ा जिले के तमिया खंड में रहने वाले भारिया जनजाति के उम्मीदवारों को ग्रेड–I, II और III के संविदा अध्यापकों के पदों और समूह 'ग' और 'घ' के पदों के लिए, भर्ती की प्रक्रिया से गुजारने के बिना, नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि उनके पास पदों के लिए न्यूनतम अर्हता हो। **आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को आदिम जनजाति समूहों वाले 15 अन्य राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश से भिन्न) को सलाह देनी चाहिए कि वे समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों और अध्यापन श्रेणी के विभिन्न ग्रेडों के संविदा पदों में आदिम जनजाति समूहों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए इसी प्रकार के उपबन्ध करें।**

6.23 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशनों को मान्यता

भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण एसोसिएशनों को मान्यता दिए जाने के बारे में विभिन्न सूत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते थे और आयोग अपनी पहले की रिपोर्टों में, जिनमें आयोग की वर्ष 2001–2002 की पिछली रिपोर्ट (सातवीं रिपोर्ट) भी शामिल है, सरकार को ऐसी मान्यता के बारे में सिफारिशें देता रहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 15 अक्तूबर, 2004 के पत्र संख्या 2/10/2004–जे.सी.ए. द्वारा सूचित किया था कि उनके द्वारा इस प्रश्न की विस्तृत रूप से

जांच की गई थी और मान्यता प्रदान करना और ऐसी सुविधाएं प्रदान करना, जो मान्यताप्राप्त सेवा एसोसिएशनों को उपलब्ध हैं, निम्नलिखित कारणों से सम्भव नहीं पाया गयाः

(i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों द्वारा बनाई गई सेवा एसोसिएशनें सी.सी.एस. (आर.सी.ए.) नियमावली, 1993 के नियम 5(ख), (ग) और (च) में विहित शर्तों को पूरा नहीं करतीं।

(ii) मान्यता प्रदान करने के नियम कई वर्षों तक व्यापक परामर्श करने के बाद बनाए गए हैं, जिसमें प्रमुख एसोसिएशनें शामिल थीं और चर्चाओं के दौरान किसी अलग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन की मांग नहीं की गई थी।

(iii) सी.सी.एस. (आर.सी.ए.) नियमावली, 1993 के विभिन्न उपबन्ध डी.के. छंगानी और अन्य बनाम नित्य रंजन मुकर्जी और अन्य के मामले (जे.टी. 1996(9) एस.सी.456 में 1996 में उच्चतम न्यायालय की संवीक्षा के अन्तर्गत आए और न्यायालय ने नियमों में कुछ अनियमित अथवा असंवैधानिक नहीं पाया।

(iv) यदि उपर्युक्त नियमों को संशोधित करके अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की एसोसिएशनों को मान्यता दे दी जाएगी, तो अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, भाषाई, क्षेत्रीय वर्गों आदि से सम्बन्धित कर्मचारियों के अन्य समूह भी अपनी सेवा एसोसिएशनों को मान्यता दिए जाने की मांग करेंगे। यह एक एकीकृत सिविल सेवा के हित में नहीं होगा। इससे मुकदमेबाजी और औद्योगिक अशान्ति उत्पन्न होगी।

(v) मौजूदा संस्थात्मक सुरक्षण विभागीय सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति और अन्य प्रशासनिक अनुदेशों के जरिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (अब 19 फरवरी, 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) को ऐसे मामलों की तफतीश करने और उन्हें मानीटर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग विशिष्ट शिकायतों की जांच भी कर सकता है।

6.24 आयोग द्वारा निपटाए गए सफल मामले

आयोग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों, संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत स्वायत्त संगठनों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में काम करने वाले अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से बहुत बड़ी संख्या में याचिकाएं प्राप्त होती हैं। आयोग में इन याचिकाओं/ अभ्यावेदनों की जांच की जाती है और सम्बन्धित संगठनों से उनकी पैरा–वार टिप्पणियां मांगी जाती हैं। आयोग याचिकाओं में कही गई बातों और सम्बन्धित संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर याचिकादाता की शिकायत के बारे में अपना मत निर्धारित करता है और तदनुसार उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह देता है। यदि आयोग सम्बन्धित संगठन द्वारा की गई कार्रवाई से सन्तुष्ट हो जाता है तो उस संगठन द्वारा भेजे गए उत्तर की एक प्रति याचिकादाता के पास सूचनार्थ भेज दी जाती है और उसके बाद मामला बन्द कर दिया जाता है, जब तक कि याचिकादाता प्रति–प्रत्युत्तर न भेज दे और यदि उसमें कोई अतिरिक्त सामग्री होती है तो सम्बन्धित संगठन की सलाह से उसकी आगे जांच की जाती है। यदि आयोग को याचिका में उठाई गई गातों के बारे में सम्बन्धित संगठन से, बार–बार स्मारक दिए जाने के बावजूद, कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो आयोग द्वारा उस संगठन के अध्यक्ष अथवा किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य के साथ चर्चा करने के लिए आयोग में हाजिर होने के लिए बुलाया जाता है। चर्चा के बाद जो निर्णय लिए जाते हैं, वे उसी दिन अभिलेखबद्ध कर लिए जाते हैं और उन पर सभी सम्बन्धितों से हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं और उसके बाद सम्बन्धित संगठन से एक विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर सलाह/ सिफारिश पर आवश्यक कार्रवाई करने और आयोग को यह सूचित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय का क्या परिणाम निकला है। स्थान की तंगी की वजह से, आयोग द्वारा हाथ में लिए गए सभी मामलों/ याचिकाओं और उनके परिणाम का उल्लेख करना सम्भव नहीं है। लेकिन, सेवा सम्बन्धी

शिकायतों के समाधान से सम्बन्धित कुछ सफल मामले, जो आयोग द्वारा सम्बन्धित संगठनों के साथ उठाए गए थे, इस प्रकार हैं:

(1) न्यू इंडिया एश्युरेंस कम्पनी लिमिटेड में उप प्रबन्धक के रूप में काम कर रहे अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी ने आयोग से प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति के लिए सम्पर्क किया। उन्होंने यह कहा था कि उन्हें पदोन्नति के मामले में आरक्षण से सम्बन्धित नियमों/ अनुदेशों का उल्लंघन करके, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति में पदोन्नति नहीं दी गई। आयोग ने इस मामले को कम्पनी के साथ उठाया और अन्त में अनुसूचित जनजाति अधिकारी को प्रबन्धक के पद पर पदोन्नत किया गया।

(2) मयूरभंज जिला (उड़ीसा) से अनुसूचित जनजाति की एक महिला ने अभ्यावेदन दिया कि कार्यकारी इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), ई.एच.टी. अनुरक्षण डिवीज़न, ग्रिडको (जी.आर.आई.डी. सी.ओ.), बालासोर ने उसे उसके पति का देहान्त होने पर, जो रायरंगपुर में ग्रिडको के इलेक्ट्रिकल डिवीजन में एस.बी.ओ. के रूप में काम करता था, परिवार पेंशन की अदायगी के सम्बन्ध में परेशान किया है। उसने कहा था कि उसे वर्ष 2003 से परिवार पेंशन अदा की जा रही है, जबकि वह 1.1.1996 से संशोधित परिवार पेंशन पाने की हकदार है। उसकी शिकायत को उक्त संगठन के साथ उठाया गया और अन्त में मामला तय हो गया और उसे बकाया राशि के रूप में चेक के द्वारा 1.20 लाख रुपए अदा किए गए।

(3) अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति ने आयोग को अभ्यावेदन दिया कि उसे माध्यमिक प्रासारका समिति, यदाहल्ली में अंग्रेजी का सहायक अध्यापक नियुक्त किया गया था। उसने कहा था कि उसने अपनी नियुक्ति के समय अपना मूल अंक–पर्चा (मार्क शीट) प्रस्तुत किया था। बाद में उसने त्यागपत्र दे दिया और समिति से अपना मूल मार्कशीट लौटाने के लिए कहा, क्योंकि वह कहीं और चुन लिया गया था। उसने शिकायत की कि समिति ने उसे उसके मूल पत्र वापस नहीं किए। आयोग ने यह मामला कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर कन्नडा जिला (कर्नाटक) के साथ उठाया। आयोग को सूचित किया गया कि माध्यमिक प्रसारका समिति ने याचिकादाता को मूल पत्र लौटाना मान लिया है और अन्त में याचिकादाता को वांछित राहत मिल गई।

(4) एक अनुसूचित जनजाति अधिकारी ने, जो प्रधान वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान), आई.सी.ए.आर., उत्तरी–पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र अनुसन्धान काम्पलेक्स, उमियम, मेघालय के रूप में काम कर रहा था, जून, 2002 में आयोग से सम्पर्क किया और यह आरोप लगाया कि 28.7.1998 से वरिष्ठ वैज्ञानिक से प्रधान वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान) के रूप में पदोन्नत होने के बाद वह सस्य–विज्ञान डिवीजन में वरिष्ठ हो गया था, लेकिन उसे उस डिवीजन का प्रभारी बनाए जाने के वैध अधिकार से वंचित कर दिया गया। संस्थान के निदेशक ने स्वयं यह स्वीकार किया कि याचिकादाता ने अपनी शिकायत में जो कुछ कहा है, वह सच है और आयोग को सूचित किया कि याचिकादाता को सस्य–विज्ञान डिवीजन का कार्य–भार ग्रहण करने के आदेश जारी करके उसकी शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

(5) यूनाइटेड इन्श्युरेंस कम्पनी, शिलांग में वरिष्ठ सहायक के रूप में काम कर रही अनुसूचित जनजाति की एक महिला ने वर्ष 2002 में आयोग के साथ सम्पर्क किया और यह कहा कि उसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पदोन्नत करने से वंचित कर दिया गया है। उसने बताया कि वह 1989 से वरिष्ठ सहायक के रूप में काम कर रही थी और उसके 8 कनिष्ठ सहकर्मियों को उससे ऊपर का स्थान दे दिया गया है। आयोग द्वारा यह मामला कम्पनी के कोलकाता में स्थित मुख्य कार्यालय के साथ उठाया गया। कम्पनी के गुवाहाटी के क्षेत्रीय कार्यालय ने आयोग को 2003 में सूचित किया कि याचिकादाता को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है।

(6) अन्वेषण और अनुसन्धान के परमाणु खनिज निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, नान्गमिनसांग, शिलांग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करने वाले एक अनुसूचित जनजाति अधिकारी ने सितम्बर, 2003 में आयोग से सम्पर्क किया और आरोप

लगाया कि उसकी पदोन्नति और उसके ट्रांस्फर के सम्बन्ध में उसे परेशान किया जा रहा है। उसने अभ्यावेदन दिया कि परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 11.8.2003 के आदेश द्वारा उसे लेखापालन अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नत किया गया था और मुम्बई में परमाणु ऊर्जा विभाग के मुख्यालय में तैनात किया गया था। पदोन्नति का आदेश 15 दिन के भीतर कार्यान्वित किया जाना था और ऐसा न होने पर अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नति से वंचित हो जाता। याचिकादाता ने अनुरोध किया कि उसे 18.8.2003 से कार्य–मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि उसने अपने ट्रेन की टिकट 19.8.2003 के लिए पहले से बुक करा ली है, क्योंकि उस तारीख से पहले की कोई टिकट उपलब्ध नहीं थी। याचिकादाता को सूचित किया गया कि उसे उसके बाद कार्य–मुक्त किया जाएगा, जब उसका स्थानापन्न शिलांग में ड्यूटी के लिए उपस्थित हो जाएगा। याचिकादाता ने परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई और ए.एम.बी. हैदराबाद से स्थानापन्न मुहैया करने और उसे शिलांग में उसके स्थानापन्न के ड्यूटी में आने तक लेखापालन अधिकारी का कार्य–भार ग्रहण करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। आयोग ने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ यह मामला उठाया और इस बात पर बल दिया कि आवेदनकर्ता को परेशानी से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं जाएं कि उसे उसकी यथोचित पदोन्नति दी जाए। परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई ने उसे सूचित किया कि आवेदनकर्ता ने अनुमत छुट्टी, एल.टी.सी. और कार्य–ग्रहण समय के बाद लेखापालन के नए पद का कार्य–भार 20.10. 2003 से संभाल लिया है।

(7) नार्थ ईस्टर्न पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जनजातीय कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने उक्त कॉरपोरेशन में उप–प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति न दिए जाने के बारे में आयोग को एक अभ्यावेदन अगस्त, 2003 में दिया। अभ्यावेदन में यह कहा गया था कि अनुसूचित जनजाति अधिकारी से कनिष्ठ सामान्य श्रेणी के एक अधिकारी को इस तर्क के आधार पर पदोन्नति दे दी गई कि कॉरपारेशन की हाल की पदोन्नति नीति में अधीनस्थ लेखा सेवा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। आयोग ने इस मामले को कॉरपोरशन के साथ उठाया। आयोग को सूचित किया गया कि अनुसूचित जनजाति अधिकारी को 5.9.2003 को पदोन्नति आदेश जारी करके उसकी शिकायत का सामधान कर दिया गया है और उसने तदनुसार पदोन्नति के पद का कार्य–भार ग्रहण कर लिया है।

(8) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में सहायक अनुसन्धान अधिकारी के रूप में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी ने आयोग को अक्तूबर, 2004 में अभ्यावेदन दिया कि उसे अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं दी जा रही है। आयोग ने इस मामले को सम्बन्धित विभाग के साथ उठया, जिसने यह सूचित किया कि 7.2.2005 को पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया गया है।

(9) बर्दवान जिला (पश्चिम बंगाल) की एक अनुसूचित जनजाति महिला ने आयोग से सम्पर्क किया और यह आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करने और चयन सूची में उसे शामिल किए जाने के बावजूद उसे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। यह मामला पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के साथ उठाया गया। अनुसूचित जनजाति आयोग को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा यह सूचित किया गया कि इस बीच उसे जिला हावड़ा में थूलूबेरिया बीनापाणी कन्या हाई स्कूल, थूलूबेरिया में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है। आयोग को सितम्बर, 2003 में अनुसूचित जनजाति की एक लड़की से इसी प्रकार की एक और शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि यद्यपि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की 2001 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसे सहायक अध्यापक के पद के लिए चुन लिया गया था, लेकिन उसे नियुक्ति की पेशकश प्राप्त नहीं हुई। आयोग ने यह मामला पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के साथ उठाया और आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उसे बाराकार श्री मारवाड़ी विद्यालय, बाराकार, बर्दवान में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पेशकश की गई।

(10) हाल्दिया डक काम्पलेक्स के एक सहायक प्रबन्धक ने मार्च, 2005 में आयोग को शिकायत की कि उसे पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है और उसके संगठन ने उसके एक कनिष्ठ सहकर्मी को जानबूझ कर पदोन्नत कर दिया है। आयोग द्वारा दखल दिए जाने पर, याचिकादाता को हाल्दिया डक काम्पलेक्स में 29.4.2005 से उप–प्रबन्धक (रेलवे) के पद पर पदोन्नति दे दी गई।

(11) कोटा में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सीमा शुल्क और उत्पाद–शुल्क प्रभाग के एक अनुसूचित जनजाति निम्न श्रेणी लिपिक ने आयोग से सम्पर्क किया और यह शिकायत की कि उसने कर सहायक के पद के लिए लिखित परीक्षा दी थी और कम्प्यूटर प्रेक्टिकल पेपर में अर्हता प्राप्त नहीं की थी और उसने आयुक्त, सीमाशुल्क और उत्पादशुल्क, जयपुर को बहुत से अभ्यावेदन दिए थे कि उसे अनुसूचित जनजाति श्रेणी का होने के कारण रियायत/ढील देकर कम्प्यूटर प्रेक्टिकल पेपर में अर्हताप्राप्त घोषित कर दिया जाए। आयोग द्वारा यह मामला सीमाशुल्क और उत्पादशुल्क आयुक्त, जयपुर के साथ उठाया गया। लेकिन, याचिकादाता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और उसे प्रस्तावित पदोन्नति नहीं दी गई। आयोग द्वारा सीमाशुल्क और उत्पादशुल्क आयुक्त, जयपुर से इस मामले पर पुनर्विचार करने और संविधान (बियासीवां संशोधन) अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 335 में किए गए संशोधनों के अनुसार याचिकादाता को ढील देने का फिर अनुरोध किया गया। आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, याचिकादाता को मार्च, 2004 में कोटा में सीमाशुल्क और उत्पादशुल्क प्रभाग में कर सहायक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया।

(12) अनुसूचित जनजाति की एक महिला ने आयोग से यह सूचित करने के लिए सम्पर्क किया कि उसके पति का, जो जिला पाली (राजस्थान) में वन विभाग में कार्य–भारित कर्मचारी के रूप में काम करता था, 8.12.1994 को देहान्त हो गया था और उसके बाद उसने उसे उस कार्यालय में सरकार के अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन दिया था। आयोग ने यह मामला मुख्य वन संरक्षक और राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव के साथ उठाया। आयोग को सूचित किया गया कि रिक्त पद के उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश नहीं कर सका था और वन विभाग ने राजस्थान सरकार के महिला और बाल विकास विभाग से उसे अपने विभाग में समूह 'घ' के कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया था। आयोग ने यह मामला महिला और बाल विकास विभाग के साथ उठाया और अन्ततः उसे 8.4.2003 से देसूरी, पाली (राजस्थान) में समूह 'घ' के कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया।

(13) एस.आई.डी.बी.आई., पांडिचेरी शाखा कार्यालय, पांडिचेरी के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सहायक महाप्रबन्धक ने आयोग को एक अभ्यावेदन भेजा, जिसमें यह कहा गया था कि उसे परेशान करने के लिए उसे हैदराबाद स्थानान्तरित कर दिया गया है। आयोग ने इस शिकायत पर तुरन्त कार्रवाई की और मामले को मुख्य महाप्रबन्धक, एस.आई.डी.बी.आई., चेन्नई के साथ उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए उठाया। उन्हें मामले को तय करने के लिए चर्चा करने के लिए भी बुलाया गया। आयोग द्वारा समय पर तुरन्त कार्रवाई किए जाने पर, एस.आई.डी.बी.आई. के प्रबन्धन ने उम्मीदवार को उसके घर के शहर, चेन्नई में बनाए रखा।

(14) भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के एक सदस्य के दौरे के दौरान उन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणी की एक महिला द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया। वह महिला विकलांग थी और उसने नियोजन के लिए अनुरोध किया था। आयोग द्वारा दखल दिए जाने पर, उसे केनरा बैंक द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण की पेशकश की गई। लेकिन वह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी। लेकिन, केरल सरकार ने आयोग को

अश्वासन दिया था कि वह उपयुक्त नियोजन के लिए उसके अनुरोध पर, लागू नियमों के अनुसार विचार करेगी।

(15) जनगणना प्रचालन निदेशालय, जयपुर के एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' ने अगस्त, 2003 में आयोग को जूनियर सुपरवाइज़र के पद पर पदोन्नति के बारे में एक याचिका दी, जिसे भारत के महा पंजीयक, नई दिल्ली और जनगणना प्रचालन निदेशालय, जयपुर (राजस्थान) के साथ उठाया गया। उत्तरोक्त ने आयोग को सूचित किया कि:

(i) वहां जूनियर सुपरवाइज़र के केवल 12 पद हैं और पद–आधारित रोस्टर लागू हो जाने पर और उसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के पुनर्निर्धारण के बाद जूनियर सुपरवाइज़र का कोई पद अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं पाया गया।

(ii) चार सीनियर सुपरवाइज़रों को सहायक निदेशकों के पदों पर पदोन्नत किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2003 में सीनियर सुपरवाइजरों की चार अल्पकालिक रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं।

(iii) इस बात के बावजूद कि सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति से एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा रिक्त किया गया था, जनगणना प्रचालन निदेशालय, जयपुर ने सीनियर सुपरवाइज़रों के पदों को भरते समय अनुसूचित जाति के किसी उम्मीदवार को पदोन्नत नहीं किया था।

(16) भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर, एक अनुसूचित जाति उम्मीदवार को सीनियर सुपरवाइज़र के पद पर पदोन्नत किया गया था। जहां तक अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार (डी.ई.ओ., ग्रेड 'बी') का सम्बन्ध है, आयोग को सूचित किया गया था कि जूनियर सुपरवाइज़र के पद की चार रिक्तियों में से तीन रिक्तियों को भर लिया गया था और सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को पदोन्नत नहीं किया गया था, क्योंकि वह न तो सामान्य ज़ोन के भीतर था और न ही विस्तारित ज़ोन के भीतर। वह विस्तारित ज़ोन में वरिष्ठता सूची की क्रम संख्या 23 पर था, जब चार रिक्तियों के लिए विस्तारित ज़ोन वरिष्ठता सूची की क्रम संख्या 20 तक था। बाद में, अनुसूचित जाति के अन्य उम्मीदवार की पदोन्नति के मामले को लिया गया और आयोग के हस्तक्षेप पर एक समीक्षा डी.पी.सी. आयोजित की गई और डी.पी.सी. की सिफारिश पर सामान्य श्रेणी के उस उम्मीदवार को, जिसे पहले पदोन्नत किया गया था, जुलाई, 2003 में प्रत्यावर्त कर दिया गया और अनुसूचित जाति उम्मीदवार को पदोन्नत कर दिया गया और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की सहायक निदेशक के रूप में पदोन्नति के कारण हुई रिक्ति के बारे में प्रतिस्थापन रोस्टर सम्बन्धी अनुदेशों के अनुसार उसे क्रम संख्या 3 पर रख दिया गया।

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को प्रत्यावर्त करने के उपर्युक्त निर्णय को बाद में उसके (अर्थात सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार) द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, जयपुर शाखा में चुनौती दी गई। माननीय ट्रिब्यूनल ने अपने दिनांक 19.4.2004 के आदेश द्वारा अनुसूचित जाति उम्मीदवार की पदोन्नति के फैसले को उचित ठहराया और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की याचिका को खारिज कर दिया। माननीय ट्रिब्यूनल के निर्णय के उपरान्त, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार (डी.ई.ओ., ग्रेड 'बी') के जूनियर सुपरवाइज़र के पद पर पदोन्नति के मामले को जनगणना प्रचालन निदेशालय, जयपुर के साथ फिर से उठाया गया और उनसे मामले का पुनरीक्षण करने और जनगणना प्रचालन निदेशालय, जयपुर में अनुसूचित जनजाति के एक पद के रिक्त पड़े होने के कारण अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया। हालांकि अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार वरिष्ठता सूची की क्रम संख्या 20 पर था और सामान्य और विस्तारित ज़ोन के भीतर नहीं आता था, लेकिन प्राधिकारियों ने उस पर विचार किया और दिनांक 11.5.2005

के आदेश द्वारा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को उक्त अनुसूचित जनजाति रिक्ति में जूनियर सुपरवाइज़र के पद पर पदोन्नत कर दिया।

(17) स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के एक जूनियर इंजीनियर ने आयोग को उसे सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किए जाने के बारे में एक अभ्यावेदन दिया। इस मामले को प्रधान सचिव, स्थानीय स्वायत्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के साथ उठाया गया। अनेक स्मारक दिए जाने के बाद, आयोग को अगस्त, 2004 में सूचित किया गया कि वर्ष 2002–2003 के दौरान सहायक इंजीनियरों के सात पद पदोन्नति के लिए रिक्त थे, जिनमें 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे। जब सम्बन्धित विभाग के साथ पत्राचार करने से कोई परिणाम नहीं निकला, तो आयोग ने इस मामले पर सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने का फैसला किया। तदनुसार, उन्हें 8.11.2005 को माननीय अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। डॉ. मनजीत सिंह से, जो उक्त तारीख को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे, याचिकादाता को जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई करने और 28.12.2005 तक आयोग को सूचित करने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा अपने दिनांक 21.12.2005 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि याचिकादाता को सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। आयोग ने नोट किया कि याचिकादाता के साथ तीन अन्य अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों और दो अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को भी सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है।

(18) दक्षिण रेलवे प्रेस, चेन्नई में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के जूनियर इंजीनियर ने 4.1.1990 से उक्त पद में अपनी प्रोफार्मा पदोन्नति के बारे में आयोग को अगस्त, 2004 में एक अभ्यावेदन दिया। इस मामले को सितम्बर, 2004 में महा प्रबन्धक, दक्षिण रेलवे, चेन्नई के साथ उठाया गया। आयोग से कई स्मारक प्राप्त होने के बाद रेल प्राधिकारियों ने 23.12.2004 को सूचित किया कि याचिकादाता इससे पहले चयन परीक्षा में बैठा था, लेकिन वह उसके लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सका, और इसलिए, उसे 4.1.1990 से प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ देने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। आयोग को यह भी सूचित किया गया कि याचिकादाता द्वारा बाद में हुई नई चयन परीक्षा में सफलता प्राप्त किए जाने के बाद ही उसे प्रोफार्मा आधार पर पदोन्नत किया जा सकता था और उसके द्वारा उत्तरवर्ती चयन परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद उसे 12.8.03 से प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई थी और उसकी प्रोफार्मा पदोन्नति को पिछली तारीख, अर्थात 4.1.1990 से लागू करना सम्भव नहीं है।

आयोग द्वारा इस मामले को दक्षिण रेल प्राधिकारियों के साथ और आगे उठाया गया और तदनुसार, मुख्य कार्मिक अधिकारी (श्री एन. स्वामीनाथन, दक्षिण रेलवे, चेन्नई) अन्य अधिकारियों के साथ 4.8.2005 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान, रेल प्राधिकारियों पर इस बात का बल दिया गया कि जब अनुसूचित जनजाति आरक्षित प्वाइंट को 4.1.1990 से नियमित आधार पर भरा गया था, तो याचिकादाता को 4.1.1990 से प्रोफार्मा पदोन्नति दी जानी चाहिए थी और यदि उसे 4.1.1990 से जूनियर इंजीनियर ग्रेड II के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति दे दी गई होती, तो वह तदोपरान्त अपने संवर्ग में उच्चतम ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र बन गया होता। रेल प्राधिकारियों से यह अनुरोध भी किया गया कि याचिकादाता और जनजातियों के अन्य कर्मचारियों को ऐसे पाठ्यक्रमों सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, जो उनके लिए समय–समय पर विभिन्न पदों में अपनी ड्यूटियां निभाने के लिए उपयोगी हों।

दक्षिण रेल प्राधिकारियों ने अपने दिनांक 22.11.2005 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि याचिकादाता को 4.1.1990 से प्रोफार्मा पदोन्नति की अनुमति देने के सम्बन्ध में दक्षिण

रेलवे के प्रस्ताव को इस बीच रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) ने अपना अनुमोदन दे दिया है, जो आयोग को दिए गए वचन को पूरा करने और लम्बे समय से लम्बित मामले को बन्द करने के लिए एक विशेष मामले के रूप में दिया गया है। 4.1.1990 से उसकी प्रोफार्मा पदोन्नति के बारे में संशोधित आदेश 22.11.2005 को जारी किए गए थे। याचिकादाता को पिछली तारीख अर्थात 18.6.1992 से 5000–9000 रुपए के वेतनमान में जूनियर इंजीनियर (I) के रूप में दी गई प्रोफार्मा पदोन्नति के आधार पर, उसे 17.5.1999 से एक अनुसूचित जनजाति प्वाइंट के एवज़ में 6500–10500 रुपए के वेतनमान में सेक्शन इंजीनियर के रूप में और आगे प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है।

(19) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागबानी प्रभाग, नई दिल्ली में काम कर रहे, अनुसूचित जनजाति के एक सहायक निदेशक ने मार्च, 2005 में आयोग को अभ्यावेदन दिया कि इस सगठन में सहायक निदेशक के कुल 64 पदों में से 4 पद अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए जाने चाहिएं थे। उन्होंने कहा कि 1997 में जब उन्हें सहायक निदेशक (बागबानी) के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था, तो अनुसूचित जनजाति का कोई अन्य उम्मीदवार नियमित रूप से पदोन्नत नहीं किया गया था और उस समय अनुसूचित जनजाति का कोई अन्य उम्मीदवार भी सहायक निदेशक (बागबानी) के रूप में काम नहीं कर रहा था और, ऐसी स्थिति में, उस दिन से, जब वह नियमित आधार पर सहायक निदेशक के रूप में विचार किए जाने के लिए पात्र बन गया था, अनुसूचित जनजाति की उपलब्ध रिक्ति में नियमित पदोन्नति के लिए उस पर विचार किया जाना चाहिए था। उसने यह अभ्यावेदन भी किया कि उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ था कि उसकी पदोन्नति को 27.6.1997 से नहीं बल्कि 31.8.2001 से नियमित बनाया गया है। उसने कहा था कि निरन्तर तदर्थ सेवा का विनियमन न होने से उसकी जीवन–वृत्ति पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि वह उप निदेशक (बागबानी) के पद पर अपनी अगली पदोन्नति से वंचित हो गया है। याचिकादाता ने अनुरोध किया कि जून, 1997 से अगस्त, 2001 तक की उसकी तदर्थ सेवा को विनियमित करने के लिए इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए और उसकी वरिष्ठता तदनुसार पुनः निर्धारित की जाए और इस वरिष्ठता के आधार पर, अनुसूचित जनजाति रिक्ति में, उप निदेशक (बागबानी) के पद पर पदोन्नति के किए उस पर विचार किया जाए।

आयोग द्वारा इस मामले को अप्रैल, 2005 में महा निदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के साथ उठाया गया, जिन्होंने सूचित किया कि प्रारम्भ में याचिकादाता को 27.6.1997 से सहायक निदेशक (बागबानी) के पद पर तदर्थ आधार पर छः महीनों के लिए पदोन्नत किया गया था, लेकिन वह उक्त पद पर काम करता रहा, जब तक उसे डी.पी.सी. के अनुमोदन के आधार पर 31.8.2001 से विनियमित नहीं किया गया और याचिकादाता 31.8.2001 के स्थान पर 27.6.1997 से नियमित आधार पर पदोन्नत किए जाने के लिए अभ्यावेदन देता रहा है। आयोग को यह भी सूचित किया गया कि उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जिस रिक्ति के सम्बन्ध में उसे तदर्थ पदोन्नति दी गई थी, उसका सम्बन्ध सीधी भर्ती के कोटे से था, जबकि याचिकादाता को पदोन्नति कोटे के खांचे में विनियमित किया जाना था।

श्री बी. मजूमदार, महा निदेशक केन्द्रीय, लोक निर्माण विभाग 21.10.2005 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। विस्तृत चर्चा के बाद, उन्होंने आयोग को आश्वासन दिया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए मार्ग–निर्देशों के प्रकाश में इस सारे मामले की फिर से जांच की जाएगी और 15 दिन के अन्दर कार्रवाई की जाएगी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के महा निदेशक ने 5 दिसम्बर, 2005 को आयोग को सूचित किया कि इस बीच याचिकादाता की सहायक निदेशक (बागबानी) के रूप में पदोन्नति को 27.6.1997 से विनियमित बना दिया गया है।

(20) स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय परिचर (अटेंडेन्ट) के रूप में काम करने वाली अनुसूचित जनजाति की एक महिला ने दिल्ली विश्वविद्यालय और कॉलेज अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के महा मंत्री के माध्यम से अगस्त, 2005 में आयोग को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अर्ध–व्यावसायिक (सेमी प्रोफेशनल) सहायक के पद पर उसे पदोन्नति न दिए जाने और उक्त स्कूल में आरक्षण के नियमों को कार्यान्वित न किए जाने के बारे में अभ्यावेदन दिया। यह भी अभ्यावेदन दिया गया कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अर्ध–व्यावसायिक सहायक का पद अनुसूचित जनजाति के लिए अभिप्रेत था और यह एक बैकलाग रिक्ति थी और उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से भरा गया है और नियमों के अनुसार डी.पी.सी. में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसी प्रतिनिधि को सहयोजित नहीं किया गया था।

आयोग द्वारा यह मामला 24.8.2005 को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के कार्यकारी निदेशक के साथ उठाया गया, जिन्होंने सूचित किया कि डी.पी.सी. की बैठक में कोई अनियमितता नहीं थी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सदस्य को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह कुछ पूर्व–व्यस्तताओं के कारण बैठक में भाग नहीं ले सका और उसे डी.पी.सी. में शामिल न करने का जानबूझ कर कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन, स्कूल का सम्पर्क अधिकारी डी.पी.सी. की बैठक में उपस्थित था। आयोग को यह भी सूचित किया गया कि स्कूल, पदोन्नति के उन्हीं नियमों का पालन कर रहा है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रचलित हैं और आरक्षण की नीति का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन, डी.पी.सी. ने यह देखा था कि याचिकादाता को अपेक्षित अनुभव प्राप्त नहीं है, जैसाकि विश्वविद्यालय द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित किया गया है। डी.पी.सी. का यह भी मत था कि एस.पी.ए. के अगले पद के 2005 में रिक्त होने की संभावना है और तदनुसार, डी.पी.सी. द्वारा उस समय पदोन्नति के लिए उसके मामले पर विचार किया जाएगा। याचिकादाता ने परिचर के रूप में अपनी पांच वर्ष की सेवा 18.9.2005 को पूरी कर ली थी और उसके बाद भी उसे एस.पी.ए. के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया।

यह मामला स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली के साथ उठाया गया और प्रोफेसर एच.सी. पोखरियाल 22.11.2005 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें सलाह दी गई कि वह डी.पी.सी. की बैठक में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक प्रतिनिधि को शामिल करके और याचिकादाता के मामले पर विचार करने के लिए डी.पी.सी. की समीक्षा बैठक आयोजित करें। कार्यकारी निदेशक ने 29.12.2005 को आयोग को सूचित किया कि याचिकादाता को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति में सेमी–प्रोफेशनल सहायक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है।

(21) पश्चिम रेलवे के एक सीनियर गुड्स गार्ड ने, जो अनुसूचित जनजाति का था, भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को यात्री गार्ड के पद पर और वरिष्ठ यात्री गार्ड के अगले उच्च पद पर अपनी पदोन्नति के लिए फरवरी, 1999 में अभ्यावेदन दिया था। उसके मामले को रेलवे बोर्ड के साथ उठाया गया। रेल प्राधिकारी भूतपूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष छः बार, अर्थात 18.1. 2000, 26.7.2001, 25.7.2002, 31.12.2002, 24.4.2003 और 17.2.2004 को उपस्थित हुए थे। लेकिन रेल प्राधिकारियों ने उसकी इस याचिका को स्वीकार नहीं किया कि उसे यात्री गार्ड और वरिष्ठ यात्री गार्ड के पद पर पदोन्नति दे दी जाए। याचिकादाता ने अपना मामला अक्तूबर, 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पेश किया। मामले पर चर्चा करने के लिए सचिव, रेलवे बोर्ड को आयोग के समक्ष बुलाने का फैसला किया गया। तदनुसार, रेलवे बोर्ड के सचिव अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोग के समक्ष 25 जनवरी, 2005 को उपस्थित हुए। सचिव, रेलवे बोर्ड ने आयोग को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को नए सिरे से देखेगा और समूचे मामले की समीक्षा करेगा और आयोग को रेलवे बोर्ड के सुविचारित फैसले से अवगत कराएगा। हालांकि रेलवे बोर्ड ने, जैसाकि आयोग द्वारा चाहा गया था, फरवरी, 2005 में यात्री गार्डों के पदों के लिए पात्रता सूची

और उन 71 चुने गए उम्मीदवारों की सूची के बारे में कुछ सूचना उपलब्ध की (उस सूची में याचिकादाता स्थान प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि वह चयन परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक हासिल नहीं कर सका था और चूंकि यह एक सुरक्षा श्रेणी का पद है, इसलिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए अंकों में कोई ढील नहीं है), जो वर्ष 1998 में पैनल में रखे गए थे, लेकिन बोर्ड द्वारा याचिकादाता के मामले पर पुनर्विचार करने और उसके परिणाम से आयोग को अवगत कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच, याचिकादाता ने आयोग से फिर सम्पर्क किया और यह अनुरोध कि उसे यात्री गार्ड और वरिष्ठ यात्री गार्ड के पद पर पदोन्नत किए जाने के लिए रेलवे बोर्ड पर जोर डाला जाए।

आयोग द्वारा 19.5.2005 को सचिव, रेलवे बोर्ड को एक विस्तृत पत्र भेजा गया, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि याचिकादाता को वरिष्ठ यात्री गार्ड के रूप में उस पद पर (बकाया वेतन सहित सभी मौद्रिक लाभों के साथ) फिर पदोन्नत किया जाए, जिस पद से उसे मई, 1998 में प्रत्यावर्तित किया गया था। आयोग ने नोट किया कि याचिकादाता को नवम्बर, 1993 में सीनियर गुड्स गार्ड के पद से यात्री गार्ड के पद पर पदोन्नत किया गया था। दिनांक 18.3.1996 के कार्यालय आदेश द्वारा यात्री गार्ड के पद से वरिष्ठ यात्री गार्ड के पद पर और आगे पदोन्नत कर दिया गया था। बाद में, रेल प्राधिकारियों का कहना यह था कि यात्री गार्ड और वरिष्ठ यात्री गार्ड के रूप में याचिकादाता की पदोन्नति तदर्थ आधार पर थी, हालांकि यात्री गार्ड और वरिष्ठ यात्री गार्ड के रूप में उसकी पदोन्नति के सम्बन्ध में जारी किए गए किसी कार्यालय आदेश में शब्द 'तदर्थ' का उल्लेख नहीं था। रेल प्राधिकारियों ने अगस्त, 2005 में सूचित किया कि दिनांक 3.11.1993 के पदोन्नति आदेश में 'तदर्थ' शब्द का उल्लेख करना गलती से छूट गया था और इस प्रशासनिक गलती को बाद में सुधार लिया गया था। रेल प्राधिकारियों ने यह भी कहा कि ऐसे 17 तदर्थ यात्री गार्ड थे, जो चयन परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे थे और उन्हें 1998 में प्रत्यावर्तित करना पड़ा था, ताकि उन उम्मीदवारों के लिए स्थान की व्यवस्था की जाए, जिन्होंने चयन परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली थी और तदनुसार, उनके द्वारा फैसला किया गया था कि चूंकि यात्री गार्ड का पद एक सुरक्षा श्रेणी का पद और चयन पद है, इसलिए याचिकादाता को परीक्षा में अर्हता प्राप्त किए बिना यात्री गार्ड के रूप में पदोन्नति नहीं दी जा सकती।

आयोग याचिकादाता को वरिष्ठ यात्री गार्ड के पद पर पदोन्नत न किए जाने के बारे में रेल प्राधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों से सन्तुष्ट नहीं था और तदनुसार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को 9.1.2006 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाने का फैसला किया गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अपनी अन्यत्र पूर्व–व्यस्तताओं के कारण नहीं आ सके और उस तारीख को उनके स्थान पर श्री आर.एस. वार्ष्णेय, सदस्य (स्टाफ), अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। रेल प्राधिकारियों ने आयोग के मत की सराहना की और बताया कि उन्होंने याचिकादाता को, यदि वह मौखिक परीक्षा देने के लिए तैयार हो और उस परीक्षा में सफल हो जाए, वर्ष 2000 से नियमित आधार पर यात्री गार्ड के रूप में पदोन्नत करने के बारे में और यात्री गार्ड के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से उसकी पदोन्नति के कारण उसे प्राप्त वरिष्ठता के आधार पर उसे वरिष्ठ यात्री गार्ड के रूप में पदोन्नत करने के बारे में अपने अधिकारियों से चर्चा की है। आयोग को आश्वासन दिया गया कि यह सारी प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी हो जाएगी और अन्तिम आदेश एक महीने के अन्दर जारी कर दिए जाएंगे। आयोग को यह देखकर बड़ी प्रसन्नत हुई कि उसके और भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के 8 वर्षों की अवधि में किए गए निरन्तर प्रयासों का आखिर फल निकला है और पश्चिमी रेलवे ने याचिकादाता को 15.9.2000 से यात्री गाड़ी (5500–8000 रुपए के वेतनमान में) और 1.11.2003 से वरिष्ठ यात्री गार्ड (5500–9000 रुपए के वेतनमान में) के रूप में पुनः पदोन्नत करने के आवश्यक आदेश 31.1.2006 को जारी कर दिए हैं।

(22) नई दिल्ली नगर पालिका में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के एक सहायक इंजीनियर ने आयोग को दिसम्बर, 2005 में एक अभ्यावेदन दिया, जो अनुसूचित जनजाति कोटे के अन्तर्गत कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के पद पर उसकी पदोन्नति के बारे में था। उसने कहा कि यद्यपि सामान्य श्रेणी के बहुत से उम्मीदवारों को कार्यकारी इंजीनियर के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति दे दी गई है, लेकिन अनु.ज.जा. उम्मीदवारों के आरक्षित रिक्तियों के तदर्थ आधार पर पदोन्नति देने के लिए उस पर विचार नहीं किया गया। उसने यह भी बताया कि उसने फीडर ग्रेड में अर्थात सहायक इंजीनियर के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा 8.10.2005 को पूरी कर ली थी और वह तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र है, और यदि किसी व्यक्ति ने सेवा के अपेक्षित वर्ष पूरे कर लिए हों, तो ऐसी पदोन्नति के लिए विचार के ज़ोन के आकार की कोई सीमा नहीं है। आयोग द्वारा 14.12.2005 को यह मामला नई दिल्ली नगरपालिका, नई दिल्ली के साथ उठाया गया। आयोग को 30.1.2006 को सूचित किया गया कि याचिकादाता के मामले पर विचार किया गया था और डी.पी.सी. की सिफारिश पर उसके बाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर याचिकादाता को दिनांक 30.1.2006 के आदेश द्वारा तदर्थ आधार पर कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है।

(23) नई दिल्ली नगरपालिका, नई दिल्ली में काम कर रहे, अनुसूचित जनजाति के एक जूनियर इंजीनियर ने अनुसूचित जनजाति कोटा के अन्तर्गत सहायक इंजीनियर के पद पर अपनी पदोन्नति के सम्बन्ध में आयोग को फरवरी, 2002 में एक अभ्यावेदन दिया। यह मामला 27.2.2002 को नई दिल्ली नगरपालिका, नई दिल्ली के अध्यक्ष के साथ उठाया गया। इस मामले में उत्तर प्राप्त करने के लिए नगरपालिका को कई पत्र भेजे गए, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला। अन्ततः, आयोग ने इस मामले पर वैयक्तिक रूप से चर्चा करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष को बुलाने का फैसला किया। तदनुसार, एन.डी.एम.सी. की अध्यक्षा, श्रीमती सिन्धुश्री खुल्लर 15.7.2005 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुईं। चर्चा के बाद, यह फैसला किया गया कि एन.डी.एम.सी. द्वारा इस मामले की एन.डी.एम.सी. के सम्पर्क अधिकारी और आयोग के अधिकारियों के साथ सलाह करते हुए नए सिरे से जांच की जाएगी और फैसला किया जाएगा और कार्यान्वित किया जाएगा। बाद में, नई दिल्ली नगरपालिका के सचिव ने 29.12.2005 को आयोग को सूचित किया कि इस बीच डी.पी.सी. की बैठक की गई है और उसने याचिकादाता के इस अभ्यावेदन पर विचार किया है कि उसे सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया जाए और उसे 29.12.2005 से सहायक इंजीनियरी (सिविल) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है।

(24) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सहायक के रूप में काम करने वाली, अनुसूचित जनजाति की एक महिला ने अक्तूबर, 2005 में एक अभ्यावेदन दिया कि उसे अगस्त और सितम्बर, 2005 का वेतन अदा न किए जाने, वेतन निर्धारित न किए जाने और तैनाती आदेश जारी न किए जाने के जरिए परेशान किया जा रहा है। आयोग ने 17.10.2005 को यह मामला सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ उठाया, जिसने 13.12.2005 को आयोग को सूचित किया कि याचिकादाता को 2.8.2005 से, अर्थात भारत के समाचारपत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसके द्वारा कार्य–भार ग्रहण करने की तारीख से उसका वेतन रिलीज़/ अदा किया जा चुका है और 2.8.2005 से उसका वेतन 5500–175–9000/– रुपए के वेतनमान में 5500/– रुपए के प्रारम्भिक स्तर पर निर्धारित किया गया। उसकी तैनाती के आदेश भी 2.11.2005 को जारी कर दिए गए थे।

(25) दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के एक अनुसूचित जनजाति के जूनियर इंजीनियर (सिविल) आई ऐण्ड एफ.सी. ने नवम्बर, 2004 में आयोग को अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित बैकलाग रिक्तियों में सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के बारे में अभ्यावेदन दिया। उसके मामले को जनवरी, 2005 में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के साथ उठाया गया। आयोग को सूचित किया गया कि याचिकादाता पर अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित 4 बैकलाग रिक्तियों में सहायक इंजीनियर/

सहायक निर्माण–कार्य सर्वेक्षक (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसका नाम विचार के सामान्य अथवा विस्तारित ज़ोन के अन्तर्गत नहीं आता था। इस मामले पर चर्चा की गई और संगठन का ध्यान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 15.3.2002 के अनुदेशों की ओर दिलाया गया, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ यह उपबन्ध किया गया था कि आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियमित पदोन्नति के लिए विचार के ज़ोन का रिक्तियों की संख्या से पांच गुना तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता है, आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति के प्रयोजन से विचार के जोन के बारे में कोई पाबन्दी नहीं है और वरिष्ठता सूची में से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसी उपयुक्त उम्मीदवार को चुना जा सकता है, बशर्ते कि उसने न्यूनतम अपेक्षित सेवा कर रखी हो, और उस पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता हो। इन अनुदेशों को देखते हुए, आयोग ने जनवरी, 2006 में सम्बन्धित संगठन को सलाह दी है कि याचिकादाता पर सहायक इंजीनियर/ सहायक निर्माण–कार्य सर्वेक्षक (सिविल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार किया जाए। आयोग ने संगठन को यह सलाह भी दी है किः (i) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और अन्य की 1988 की सिविल अपील संख्या 4026 दिनांक 23 नवम्बर, 1994 में और (ii) सी.डी. भाटिया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य की अपील की विशेष अनुमति की याचिका (सिविल/ सी.एच.) संख्या 14568–69/95 दिनांक 31.10. 1994/ 3.4.1995 में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए, केवल अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों के सम्बन्ध में विचार का एक अलग ज़ोन तैयार करके याचिकादाता को (तदर्थ आधार पर उसकी पदोन्नति के आदेशों के जारी होने के बाद) नियमित आधार पर पदोन्नत करने पर विचार किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 23 नवम्बर, 1994 के प्रथम–उल्लिखित निर्णय में यह कहा था कि "हम प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत हैं कि जहां तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, विचार का एक अलग ज़ोन होना चाहिए, अनुसूचित जातियों को विचार के उसी ज़ोन में सामान्य श्रेणी के साथ जोड़ने से आरक्षण का मूल प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा।" उनके दूसरे उल्लिखित निर्णय, दिनांक 31.10. 1994/ 3.4.1995 में, माननीय उच्चतम ने यह स्पष्ट किया था कि "लेकिन, हमारा यह मत है कि इस न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के मामले में (जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है) निर्धारित किया गया कानून सभी प्राधिकरणों के लिए, जिनमें भारत संघ भी शामिल है, बाध्यकारी है।"

अनुलग्नक 6.I

समूह 'ग' और 'घ' के पदों पर, जो सामान्यतः किसी स्थान या क्षेत्र के उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जनजातियों के लिए, जनगणना–2001 के आधार पर, आरक्षण की संशोधित प्रतिशतता, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जुलाई, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36017/1/2004–स्था.(रिज.) द्वारा परिचालित की गई

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	आरक्षण का प्रतिशत		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछड़े वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	16	7	27
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	45	0
3.	असम	7	12	27
4.	बिहार	16	1	27
5.	छत्तीसगढ़	12	32	6
6.	गोवा	2	0	18
7.	गुजरात	7	15	27
8.	हरियाणा	19	0	27
9.	हिमाचल प्रदेश	25	4	20
10.	जम्मू और कश्मीर	8	11	27
11.	झारखण्ड	12	26	12
12.	कर्नाटक	16	7	27
13.	केरल	10	1	27
14.	मध्य प्रदेश	15	20	15
15.	महाराष्ट्र	10	9	27
16.	मणिपुर	3	34	13
17.	मेघालय	1	44	5
18.	मिजोरम	0	45	5
19.	नागालैंड	0	45	0
20.	उड़ीसा	16	22	12
21.	पंजाब	29	0	21
22.	राजस्थान	17	13	20
23.	सिक्किम	5	21	24
24.	तमिलनाडु	19	1	27
25.	त्रिपुरा	17	31	2
26.	उत्तरांचल	18	3	13
27.	उत्तर प्रदेश	21	1	27
28.	पश्चिम बंगाल	23	5	22
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	8	27
30.	चंडीगढ़	18	0	27
31.	दादरा और नगर हवेली	2	43	5
32.	दमन और दीव	3	9	27
33.	दिल्ली	15	7.5	27
34.	लक्षद्वीप	0	45	0
35.	पांडिचेरी	16	0	27

अध्याय–7

अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करना और उसका सत्यापन

7.1 प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

7.1.1 सामुदायिक प्रमाणपत्र जारी करने के अनुदेशों में यह उपबन्ध है कि अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित होने का दावा करने वाला व्यक्ति नियुक्ति करने वाले प्राधिकरण/चयन समिति/बोर्ड आदि के सामने अपने दावे का समर्थन करने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, ताकि वह आरक्षण और विभिन्न अन्य ढीलों/ रियायतों का हकदार बन सके। केवल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विहित फार्मेट में निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा जाति/ जनजाति/ समुदाय के बारे में जारी किए गए प्रमाणपत्रों को ही किसी उम्मीदवार के अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित होने के दावे के समर्थन का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है:

(i) जिला मेजिस्ट्रेट/ अपर जिला मेजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ डिप्टी कमिश्नर/ अपर डिप्टी कमिश्नर/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मेजिस्ट्रेट/ सब डिवीजनल मेजिस्ट्रेट/ तालुका मेजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मेजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक कमिश्नरी।
(ii) मुख्य प्रेज़ीडेन्सी मेजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेज़ीडेन्सी मेजिस्ट्रेट/ प्रेज़ीडेन्सी मेजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से निचले रैंक का न हो; और
(iv) उस इलाके का सब–डिवीज़नल अधिकारी, जहां पर उम्मीदवार और/ अथवा उसका परिवार सामान्य रूप से रहता हो।

7.1.2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणपत्र का जो फार्मेट विहित किया गया है, उससे झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की चालू प्रथा पर काबू पाने में सहायता नहीं मिलती, जो बड़ा चिन्ताजनक रूप धारण करती जा रही है। प्रमाणपत्रों का दुरुपयोग किए जाने और झूठे सामुदायिक प्रमाणपत्र जारी किए जाने को रोकने के लिए विहित फार्मेट में कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। सामुदायिक प्रमाणपत्र जारी करने के मौजूदा फार्मेट में, प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि वे फार्मेट के पैरा 1 में उस आदेश अथवा अधिनियम के नाम का उल्लेख करें, जिसके तहत जाति/ जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, जैसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950। आयोग ने देखा है कि प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा सम्बन्धित आदेश अथवा अधिनियम की सही जानकारी नहीं दी जाती, जिससे सामुदायिक प्रमाणपत्रों की वास्तविकता का सत्यापन करते समय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विहित किए गए फार्मेट के पीछे की ओर ऐसे सभी आदेशों/ अधिनियमों की सूची दिए जाने के लिए, जिनमें जातियों/ जनजातियों को अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई है, मौजूदा फार्मेट को संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र में सम्बन्धित आदेश/ अधिनियम का नाम लिख सकें। संशोधित फार्मेट जिसमें अधिक स्पष्टता एवं सुगमता हेतु एक प्रति अनुलग्नक 7.I में दी गई है, अन्य परिवर्तन भी शामिल हैं।**

7.1.3 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथाविहित फार्मेट अपने मूल रूप में अथवा आयोग द्वारा सुझाए गए अपने संशोधित रूप **(अनुलग्नक 7.1)** में अनुसूचित जनजातियों/ अनुसूचित जातियों के उन सदस्यों के लिए है, जो अपने मूल के राज्य से सम्बन्धित होने के कारण, मूल रूप में समुदाय प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे। आयोग ने नोट किया है कि पहले सरकार ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उन लोगों के लिए दूसरा जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र फार्मेट विहित किया था, जिन्होंने अपने मूल राज्य से किसी अन्य राज्य को प्रव्रजन किया था और वे अपने पिता/ माता को जारी किए गए जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर प्रव्रजन के राज्य से प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते थे। इसका प्रयोजन उन्हें इस सीमा तक असुविधा और कठिनाई से बचाना था कि उनके लिए यह

जरूरी नहीं था कि वे अपने मूल के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में जाएं और विहित प्राधिकारी से जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र प्राप्त करें। **इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को दूसरा फार्मेट फिर से शुरू करना चाहिए, जो उनके द्वारा वर्ष 1982 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उन लोगों के लिए विहित किया गया था, जो मूल राज्य से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन कर गए थे ताकि वे अपने पिता/ माता को जारी किए गए जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर प्रव्रजन के राज्य से प्रमाणपत्र हासिल कर सकें। इस फार्मेट की एक प्रति, आवश्यक संशोधनों सहित, अनुलग्नक 7.II में दी गई है।**

7.2 नियुक्ति करने वाले अधिकारियों का प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने संबंधी कर्त्तव्य

7.2.1 मौजूदा अनुदेशों के अनुसार यह भी आवश्यक है कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी अनुसूचित जनजातियों/ अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को दी जाने वाली नियुक्ति की पेशकश में निम्नलिखित खण्ड शामिल करें:

> "यह नियुक्ति अनन्तिम है और जाति/जनजाति प्रमाणपत्र को उपयुक्त माध्यमों के जरिए सत्यापित कराए जाने के अध्यधीन है और यदि सत्यापन से यह प्रकट होगा कि यथास्थिति अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित होने का दावा झूठा है, तो सेवाओं को, बिना कोई कारण बताए, और छूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के बारे में भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के अंतर्गत की जा सकने वाली किसी आगे की कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।"

7.2.2 अनुसूचित जनजातियों/ अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को समुदाय प्रमाणपत्र जारी करते समय, निर्गम अधिकारियों के लिए, और समुदाय प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की जांच करते समय, नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के लिए जरूरी है कि वे निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान में रखें:

(i) नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण, यदि वह किसी कारण से आवश्यक समझे, उस स्थान के जिला मेजिस्ट्रेट से, जहां उम्मीदवार और/ अथवा परिवार साधारण रूप से रहता हो, उम्मीदवार के दावे का सत्यापन करा सकता है। यदि किसी खास मामले में, नियुक्ति के बाद जांच से प्रकट हो कि उम्मीदवार का दावा झूठा था, तो उसकी सेवाओं को सम्बन्धित नियमों/ आदेशों के अनुसार समाप्त कर दिया जाए।

(ii) नियुक्ति करने वाले प्राधिकरण को अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नति के समय अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के अधिकारी की समुदाय स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रयोजन से, उस समुदाय का नाम, जिससे अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के अधिकारी सम्बन्धित हों, उसके रहने के स्थान और राज्य का नाम, उसकी सर्विस बुक, वैयक्तिक फाइल अथवा अन्य किसी दस्तावेज पर चिपका दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसा सत्यापन करने में सुविधा हो। यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति का वह उम्मीदवार, जिसके समुदाय/ जनजाति को; उसकी नियुक्ति अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में किए जाने के बाद, गैर–अनुसूचित कर दिया गया हो, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं रहता। कर्मचारी की जीवन–वृत्ति (कैरियर) के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर उसकी सामुदायिक स्थिति का सत्यापन करना जरूरी है, ताकि अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के लिए अभिप्रेत आरक्षण के लाभ और अन्य रियायतें केवल उनके सही हकदारों को प्राप्त हों, उन्हें नहीं जो अब उनके हकदार न रहे हों। आयोग को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पदोन्नति के समय सामुदायिक स्थिति का सत्यापन प्रशासनिक मं.त्रालयों और विभागों द्वारा स्वयं किया जा रहा है अथवा जिला कलेक्टरों के माध्यम से कराया जा रहा है और, यदि उत्तरोक्त पद्धति अपनाई जा रही है, तो आयोग के लिए यह सोचने का औचित्य है कि उक्त सत्यापन की प्रक्रिया में काफी लम्बा समय लग जाता होगा और उसके परिणामस्वरूप,

अनुसूचित जनजाति के सम्बन्धित व्यक्ति की पदोन्नति में अनुचित रूप से विलम्ब हो जाता होगा। **आयोग की राय है कि यह मामला प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है और आयोग, तदनुसार सिफारिश करता है कि**

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को यह अनुदेश जारी करने चाहिएं कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति के समय उन अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों,, जिन्हें पदोन्नत किए जाने का प्रस्ताव हो, की समुदाय स्थिति का सत्यापन, उन्हें उन अभिलेखों से स्वयं करना चाहिए, जो उनके पास उपलब्ध हों और यदि उनके पास अद्यतन अभिलेख उपलब्ध न हों तो उन्हें यह पता लगाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से सम्पर्क करना चाहिए कि क्या उक्त अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार का समुदाय पदोन्नति के समय अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल बना हुआ है अथवा नहीं।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय को, जो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित अथवा गैर–अनुसूचित करने वाला नोडल मंत्रालय है, उस अधिसूचना की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जारी की जाती है। सभी मंत्रालयों को उनकी सूचना, अभिलेख और उपयुक्त समय पर उपयोग के लिए हमेशा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iii) जिन मामलों में किसी व्यक्ति अथवा समुदाय की अनुसूचित जनजाति संबंधी स्थिति के बारे में सन्देह उत्पन्न हो जाए, वे जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को निर्दिष्ट किए जाएं।

(iv) जब कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति का होने का दावा करे तो यह सत्यापन किया जाना चाहिए किः

(क) वह व्यक्ति और उसके माता–पिता वास्तविक रूप से उस समुदाय से सम्बन्धित हैं, जिससे सम्बन्धित होने का वे दावा करते हैं;

(ख) उक्त समुदाय उस राष्ट्रपति आदेश में शामिल है, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियां विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

(ग) उस व्यक्ति का सम्बन्ध उस राज्य से और उस राज्य के भीतर उस क्षेत्र से है, जिसके बारे में वह समुदाय अनुसूचित/ अधिसूचित किया गया है।

(घ) यदि वह व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है, तो किसी भी धर्म का हो सकता है।

(v) जहां कोई व्यक्ति किसी राज्य के किसी भाग से, जिसके सम्बन्ध में उसका समुदाय अनुसूचित/ अधिसूचित है, उसी राज्य के किसी अन्य भाग में प्रव्रजन करता है, जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित / अधिसूचित नहीं है, वहां वह उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का सदस्य माना जाता रहेगा।

(vi) जहां कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रव्रजन करता है, वहां वह केवल उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित होने का दावा कर सकता है, जिसके साथ उसका मूल रूप से सम्बन्ध था, उस राज्य के संबंध में नहीं, जिसमें उसने प्रव्रजन किया हो।

(vii) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था, केवल इस कारण अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा कि उसने अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति से शादी की थी। दूसरी ओर, कोई व्यक्ति, जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करने के बाद भी, जो अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित न हो, अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

(viii) वह अथवा उसके माता–पिता/ दादा–दादी आदि, उसके मामले में लागू होने वाले राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना की तारीख को, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिएं।

(ix) उस व्यक्ति को भी, जो उसके मामले में लागू होने वाले राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना की तारीख को अपने स्थायी निवास के स्थान से अस्थायी रूप से, उदाहरणतः रोज़ी कमाने अथवा शिक्षा प्राप्त करने, आदि के लिए, दूर हो, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उस आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो। लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य के सम्बन्ध में, जहां वह अस्थायी रूप से रह रहा हो, किसी राष्ट्रपति आदेश में उसकी जनजाति को अनुसूचित किया गया हो, उसे अपने अस्थायी निवास के राज्य के सम्बन्ध में ऐसा नहीं माना जा सकता।

(x) सम्बन्धित राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना की तारीख के बाद जन्मे व्यक्ति के मामले में, अनुसूचित जनजाति की स्थिति प्राप्त करने के प्रयोजन से निवास का स्थान, उस राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना के समय, जिसके अन्तर्गत उसके माता–पिता अनसूचित जनजाति से सम्बन्धित होने का दावा करते हैं, उसके माता–पिता के स्थायी निवास का स्थान है।

7.2.3 इस बात के बावजूद कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकरणों के लिए यह जरूरी है कि वे अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की प्रारम्भिक नियुक्ति के समय और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में उनकी पदोन्नति के समय उन उम्मीदवारों की सामुदायिक स्थिति का सत्यापन करें और इस प्रयोजन के लिए यह जरूरी है कि उनकी सर्विस बुक, वैयक्तिक फाइल अथवा अन्य किसी संगत दस्तावेजों पर उस समुदाय का नाम, जिससे अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सम्बन्धित हों, उनके रहने के स्थान और राज्य का नाम चिपका दिया जाए, ताकि ऐसा सत्यापन करने में सुविधा हो, बहुत बड़ी संख्या में लोग झूठे समुदाय प्रमाणपत्रों के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन रोजगार और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हुए हैं। यह समस्या बहुत चिन्ताजनक रूप धारण करती जा रही है और आयोग बहुत बड़े पैमाने पर जाली और झूठे प्रमाणपत्रों के मामलों के बने रहने पर चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकता। आयोग महसूस करता है कि इस मुद्दे की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए और झूठे समुदाय प्रमाणपत्रों के बहुत से धारक इस प्रणाली का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और अनुसूचित जनजाति के असली लोगों को सरकारी सेवाओं में उनके हिस्से से वंचित कर रहे हैं। पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अपनी सिफारिशों के जरिए सम्बन्धित प्राधिकरणों का ध्यान इस ओर दिलाता रहा है। तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग इस बारे में विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्राधिकारियों को लिखता भी रहा है। भारत सरकार समय–समय पर इस बारे में अनुदेश जारी करती रही है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करते समय क्या सावधानियां बरती जानी चाहिएं और जहां ये प्रमाणपत्र झूठे पाए जाएं, वहां क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी पाया गया है कि बहुत से मामलों में, जिनमें झूठे जाति/ समुदाय प्रमाणपत्रों के मामले भी शामिल हैं, ऐसे प्रमाणपत्रों के धारक अदालतों में चले गए थे और किसी न किसी बहाने के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लाए थे और इस प्रकार सेवा में बने रहे थे और सभी लाभ उठाते रहे थे। तमिलनाडु में इस प्रकार के मामलों की संख्या बहुत अधिक थी। आयोग ने यह भी देखा है कि उन मामलों में भी, जहां प्रमाणपत्र जिला और राज्य प्राधिकारियों द्वारा झूठे प्रमाणित किए जाते हैं, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जा रहे हैं और उन्हें कोई दंड नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर, वे उच्च न्यायालयों में पहुंच रहे हैं और स्थगन आदेशों के रूप में सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं और राज्य सरकारें इन स्थगन आदेशों को रद्द कराने और दोषियों को दंड दिलाने के लिए कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं करतीं। तत्कालीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट (1994–95 और 1995–96) में सिफारिश की थी कि "यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के झूठे प्रमाणपत्र का धारक न्यायालय का सहारा ले, तो स्थगन आदेश को, यदि जारी किया गया हो, रद्द कराने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह व्यक्ति वे लाभ न उठाता रहे, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए अभिप्रेत हैं, मामले को उच्च प्राथमिकता के आधार पर अन्तिम रूप से तय कराने के लिए न्यायालय के पास पहुंचना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो

जाएगा कि दोषी व्यक्तियों को न केवल उपयुक्त रूप से दंड मिलेगा, बल्कि उन्हें विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा।" सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था और तदनुसार जनवरी, 1999 में सभी मंत्रालयों/ विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे इसका कड़ाई से अनुपालन करने के लिए इसे सभी सम्बन्धितों के ध्यान में लाएं। आयोग द्वारा राज्यों के प्राधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठकों में यह भी देखा गया है कि जहां एक ओर, बहुत बड़ी संख्या में लोग झूठे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए अभिप्रेत लाभ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के असली लोग समुदाय प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने में अनुचित विलम्ब होने के कारण कष्ट उठा रहे हैं और उस सीमा तक, संविधान में प्रतिष्ठापित अपने वैध अधिकारों और विशेषाधिकारों से और विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं। आयोग अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त समुदाय से सम्बन्धित होने के दावों का सत्यापन और पुनःसत्यापन करने और आवेदकों को प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन से एक स्पष्ट प्रशासनिक तंत्र के विद्यमान होने की पृष्ठभूमि में यह समझने में असमर्थ है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। **आयोग सिफारिश करता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी राज्य सरकारों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे सभी जिला प्राधिकारियों (प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम) को यह अनुदेश दें कि उनके कार्यालयों में आवेदनों के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन तक की अधिकतम अवधि में समुदाय प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाने चाहिएं।**

7.3 समुदाय प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देश

7.3.1 उन कर्मचारियों के खिलाफ, जिनके बारे में यह पाया जाए कि उन्होंने झूठे जाति/समुदाय प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की है, न केवल अनुशासनिक कार्रवाई करने बल्कि भारतीय दंड संहिता के संगत उपबन्धों के अधीन दांडिक कार्रवाई करने के लिए भी अनुदेश जारी किए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुमारी माधुरी पाटिल और अन्य बनाम अपर आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार और अन्य की 1994 की सिविल अपील संख्या 5854 में झूठे प्रमाणपत्र से सम्बन्धित मामले पर विचार करते समय यह कहा था कि झूठे सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्र के आधार पर गलत रूप से लिए गए दाखिले और गलत रूप से प्राप्त की गई नियुक्ति का प्रभाव यह होता है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के वास्तविक उम्मीदवार उन लाभों से वंचित हो जाते हैं, जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। वास्तविक उम्मीदवार सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्र के अभाव में शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने अथवा पदों और नौकरियों में नियुक्ति प्राप्त करने से भी वंचित हो जाते हैं। वे अपात्र और अप्रामाणिक लोग, जो गलत तरीके से प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं, विलम्बकारी दांवपेच अपनाते हैं और संवीक्षा समितियों द्वारा की जा रही जांच को पूरा होने के रास्ते में अड़चनें पैदा करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि यह जरूरी है कि जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संवीक्षा शीघ्रातिशीघ्र और तेज़ी तथा तत्परता से की जाए और इसलिए, यह जरूरी है कि समाजिक स्थिति प्रमाणपत्रों को जारी करने, उनकी संवीक्षा करने और उन्हें अनुमोदित करने की प्रक्रिया को चुस्त–दरुस्त बनाया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने समाजिक स्थिति प्रमाणपत्रों को जारी करने और उनके सत्यापन के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देश निर्धारित किए:

(i) समाजिक स्थिति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन राजस्व सब–डिवीजनल अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर अथवा डिप्टी कमिश्नर को दिए जाएंगे और प्रमाणपत्र तालुका अथवा मंडल स्तर के अधिकारी की बजाय ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(ii) यथास्थिति, माता–पिता, अभिभावक अथवा उम्मीदवार विधिवत रूप से सशपथ और किसी सक्षम राजपत्रित अथवा अ–राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हलफनामा दायर करेगा, जिसमें जातियों और उप–जातियों, जनजातीय समुदाय, जनजातियों अथवा जनजातीय

समुदायों के हिस्सों अथवा समूहों, उस स्थान का, जिससे वह मूल रूप से सम्बन्धित है, ब्योरा और सम्बन्धित निदेशालय द्वारा यथा निर्धारित अन्य ब्योरा होगा।

(iii) संवीक्षा समिति द्वारा जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन करने के लिए आवेदन शिक्षा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने अथवा किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने से कम से कम छः महीने पहले दिया जाएगा।

(iv) सभी राज्य सरकारें एक जाति संवीक्षा समिति गठित करेंगी, जिनमें ये तीन अधिकारी होंगे, अर्थात (i) अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव अथवा सम्बन्धित विभाग का निदेशक के ऊपर के स्तर का कोई अधिकारी, (ii) यथास्थिति समाज कल्याण/ जनजातीय कल्याण/ पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग का निदेशक, और (iii) अनुसूचित जाति के मामले में, एक अन्य अधिकारी, जिसे समाज स्थिति प्रमाणपत्र के सत्यापन और जारी किए जाने के बारे में पूरी जानकारी हो। अनुसूचित जनजाति के मामले में, एक अनुसंधान अधिकारी, जिसे जनजातियों, जनजातीय समुदायों, जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों के समूहों के भागों की पहचान करने की गहरी जानकारी हो।

(v) प्रत्येक निदेशालय को एक सतर्कता कक्ष गठित करना चाहिए, जिसमें पुलिस का एक वरिष्ठ उप–अधीक्षक, जो कक्ष का सम्पूर्ण प्रभारी हो, और समाजिक स्थिति दावों की तफतीश करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस निरीक्षक हों।

(क) निरीक्षक उम्मीदवार के स्थानीय निवास स्थान और मूल निवास स्थान पर जाएगा, जहां वह आमतौर पर रहता हो अथवा कस्बे या शहर में प्रव्रजन के मामले में उस स्थान पर जाएगा, जहां वह मूल रूप से रहता था।

(ख) सतर्कता अधिकारी को, यथास्थिति, उम्मीदवार या माता–पिता या अभिभावक द्वारा समाजिक स्थिति के बारे में किए गए दावे के सभी तथ्यों को स्वयं एकत्र करना चाहिए, उनका स्वयं सत्यापन करना चाहिए। उसे स्कूल के रिकार्ड, जन्म के पंजीयन, यदि कोई हो, की जांच करनी चाहिए।

(ग) सतर्कता अधिकारी को माता–पिता, अभिभावक अथवा उम्मीदवार की जाति, आदि के बारे में उनकी ओर से ऐसे अन्य व्यक्तियों की जांच करनी चाहिए, जिन्हें उम्मीदवार की समाज स्थिति के बारे में जानकारी हो और विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रोफार्मा में परिकल्पित सारे ब्योरे सहित, निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के बारे में उनकी विशिष्ट मानव–शास्त्रीय और नृतत्वशास्त्रीय विशेषताओं, उनके देवता, कर्मकांडों, रीति–रिवाजों, विवाह की रीतियों, मृत्यु–उपरान्त अन्तिम संस्कारों, सम्बन्धित जातियों अथवा जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों, आदि द्वारा शवों को दफनाने के तरीकों, आदि के बारे में ब्योरा भी होना चाहिए।

(v) (क) सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सम्बन्धित निदेशक यह पाए कि समाजिक स्थिति का दावा 'सही नहीं', अथवा 'संदिग्ध' अथवा 'अप्रामाणिक' है अथवा 'दावा झूठे रूप से अथवा गलत रूप में किया गया है', तो उस उम्मीदवार को रसीदी रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सम्बन्धित शिक्षा संस्था के अध्यक्ष के माध्यम से, जिसमें वह पढ़ रहा हो अथवा नियोजित हो, सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति भेजने के साथ–साथ 'कारण बताओ' नोटिस जारी करना चाहिए।

(ख) नोटिस में यह सूचित किया जाना चाहिए कि अभ्यावेदन अथवा उत्तर, यदि कोई हो, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह तक के भीतर और किसी भी हालत में, अनुरोध किए जाने पर, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 से अनधिक दिन तक के भीतर दिया जाएगा।

(ग) यदि उम्मीदवार सुनवाई का अवसर मांगे और मांग करे कि इस बारे में जांच की जाए, तो निदेशक ऐसा अभ्यावेदन/ उत्तर प्राप्त होने पर गठित समिति अर्थात संवीक्षा समिति की बैठक आयोजित करेगा और संयुक्त/ अपर सचिव समिति के अध्यक्ष के रूप में उम्मीदवार/ माता–पिता/ अभिभावक को उनके दावे के समर्थन में सारे प्रमाण प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।

(घ) ढोल बजा कर अथवा किसी अन्य सुविधाजनक तरीके से गांव अथवा इलाके में सार्वजनिक नोटिय दिया/ प्रकाशित किया जाएगा और यदि कोई व्यक्ति अथवा एसोसिएशन ऐसे दावे का विरोध करे तो उसे प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

(ड.) वैयक्तिक अथवा वकील की मार्फत ऐसा अवसर दिए जाने के बाद, समिति ऐसी जांच करेगी, जो वह उचित समझे, और उम्मीदवार अथवा विरोधी द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करेगी और उपयुक्त आदेश पारित करेगी और उसके समर्थन में संक्षिप्त रूप से कारण बताएगी।

(vi) यदि रिपोर्ट उम्मीदवार के पक्ष में हो और सही और सच्ची पाई जाए तो आगे और कार्रवाई करने की जरूरत नहीं, सिवाय उस मामले में, जहां यह पाया जाए कि रिपोर्ट अथवा दिए गए विवरण झूठे हैं अथवा छलपूर्वक प्राप्त किए गए हैं।

(vii) यदि उम्मीदवार अवयस्क हो, तो पैरा (v) में अपेक्षित नोटिस माता–पिता/ अभिभावक को समिति के समक्ष समाजिक स्थिति प्रमाणपत्रों के बारे में दावे के अपने समर्थन में सभी प्रमाणों के साथ उपस्थित होने के लिए दिया जाना चाहिए।

(viii) यह जांच यथासम्भव शीघ्र और तरज़ीही रूप से दिन–प्रति–दिन की कार्यवाही आयोजित करके दो महीने से अनधिक अवधि में पूरी की जानी चाहिए। यदि जांच के बाद, जाति संवीक्षा समिति यह पाए कि दावा झूठा अथवा अप्रामाणिक है, तो उसे जारी किए गए प्रमाणपत्र को रद्द करने और जब्त करने का आदेश जारी करना चाहिए। उसे कार्यवाही के पूरा होने की तारीख से एक महीने तक के भीतर माता–पिता/ अभिभावक और आवेदक को जांच के परिणाम की सूचना दे देनी चाहिए।

(ix) यदि कार्यवाही को अन्तिम रूप देने में कोई विलम्ब हो, और इस बीच शिक्षा संस्था में प्रवेश अथवा किसी कार्यालय/पद में नियुक्ति की अन्तिम तारीख बीत रही हो, तो प्रिंसीपल अथवा इस बारे में सक्षम ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार को पहले से जारी समाजिक स्थिति प्रमाणपत्र के आधार पर अथवा माता–पिता/ अभिभावक/ उम्मीदवार द्वारा किसी सक्षम अधिकारी अथवा गैर–सरकारी व्यक्ति के सामने शपथ लेकर दिए गए हलफनामे के आधार पर प्रवेश दे दिया जाना चाहिए अथवा नियुक्त कर दिया जाना चाहिए और ऐसा प्रवेश अथवा नियुक्ति, संवीक्षा समिति द्वारा की जा रही जांच के परिणाम के अध्यधीन, केवल अनन्तिम होनी चाहिए।

(x) समिति द्वारा पारित किया गया आदेश अन्तिम और केवल संविधान के अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय की कतिपय लेख्य जारी करने की शक्तियों के सम्बन्ध में) के अन्तर्गत कार्यवाहियों के अध्यधीन, निर्णायक होगा। किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष किसी वाद अथवा कार्यवाही की अनुमति नहीं होगी।

(xi) उच्च न्यायालय इन मामलों को तीन महीनों की अवधि के भीतर यथासम्भव शीघ्र निपटाएगा। यदि, उसकी प्रक्रिया के अनुसार, लेख्य याचिका/विविध याचिका/ मामला एकल न्यायाधीश द्वारा निपटाया जाएगा, तो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के अध्यधीन के अलावा, इस आदेश के खिलाफ डिवीजन पीठ के समक्ष आगे और कोई अपील नहीं होगी।

(xii) यदि प्राप्त किया गया प्रमाणपत्र झूठा पाया जाए अथवा समाज स्थिति, जिसका दावा किया गया हो, झूठी पाई जाए, तो माता–पिता/ अभिभावक/ उम्मीदवार के खिलाफ झूठा दावा

करने का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यदि मुकदमे की समाप्ति अभियुक्त की दोषसिद्धि और उसे दंड दिए जाने के रूप में हो, तो इसे नैतिक चरित्रहीनता, राज्य अथवा संघ के तहत निर्वाचन–सापेक्ष पदों अथवा कार्यभार के लिए अथवा किसी स्थानीय निकाय, विधान मंडल अथवा संसद में निर्वाचन के लिए अनर्हता वाला अपराध समझा जा सकता है।

(xiii) संवीक्षा समिति द्वारा निष्कर्ष अभिलेखबद्ध किए जाते ही, जिनमें यह निर्णय दिया गया हो कि प्राप्त किया गया प्रमाणपत्र झूठा था और उसे रद्द करने और जब्त किए जाने का निर्णय दिया गया हो, तो प्रवेश अथवा नियुक्ति को रद्द करने के अनुरोध के साथ उसकी सूचना सम्बन्धित शिक्षा संस्था अथवा नियुक्ति करने वाले प्राधिकरण को रसीदी रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जाएगी। यथास्थिति, प्रवेश देने के लिए जिम्मेदार शिक्षा संस्था के प्रिंसीपल, आदि अथवा नियुक्ति करने वाले प्राधिकरण को उम्मीदवार को कोई और नोटिस दिए बिना प्रवेश/ नियुक्ति को रद्द कर देना चाहिए और उम्मीदवार को आगे पढाई करने अथवा पद में जारी रहने से रोक देना चाहिए।

7.3.2 झूठे समुदाय प्रमाणपत्रों के मामलों की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए और सरकारी अनुदेशों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, बहुत से राज्यों ने जिला और राज्य स्तरों पर संवीक्षा समितियां गठित करने के लिए कदम उठाए हैं। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में ऐसी समितियां गठित कर दी गई हैं। **आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय/ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को यह सलाह देना चाहेगा कि वह बाकी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के साथ इस मामले को उठाए और इस बात पर जोर दे कि अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित होने का दावा करने वाले कर्मचारियों की समुदाय स्थिति के सत्यापन के प्रयोजन से इसी प्रकार के तंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है।**

7.4 प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश

7.4.1 श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई 2003 की सिविल रिट याचिका संख्या 5976 में, याचिकादाता ने, अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा था कि बहुत अधिक उम्मीदवारों ने अनुसूचित जनजाति के जाली/ झूठे प्रमाणपत्रों के आधार पर भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और उसके अभिकरणों के तहत रोजगार प्राप्त किया है और उससे अनुसूचित जनजातियों के असली उम्मीदवारों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। सी.बी.आई. द्वारा किए गए प्रारम्भिक नमूने के सत्यापन से प्रकट हुआ कि उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों में से 30 प्रतिशत प्रमाणपत्र या तो जाली थे अथवा झूठे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 5 मई, 2005 के आदेश द्वारा भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय तंत्र तैयार करने का निदेश दिया कि ऐसे व्यक्तियों का पता लगाया जाए और उनके साथ कानून के अनुसार निपटा जाए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा, तदनुसार, भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को 1995 से अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के आधार पर मंत्रालयों/ विभागों अथवा उनके अभिकरणों में नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों के अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र एकत्र करने का निदेश दिया गया है। इन प्रमाणपत्रों को सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों अर्थात जिला कलेक्टरों, डिप्टी कमिश्नरों, जिला मेजिस्ट्रेटों, आदि के पास इन प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की पुष्टि किए जाने के लिए और यदि किसी कारणवश अभिलेख उपलब्ध न हों तो यह प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए भेजा जाएगा कि सरकारी कर्मचारी वास्तव में अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 16 जून, 2005 के अर्ध–शासकीय पत्र संख्या 230/08/005–ए.वी.डी.II के द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से यह अनुरोध किया था कि वे अपने राज्य में सभी सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों को अनुदेश दें कि जब कभी मंत्रालयों/ विभागों अथवा इसके अभिकरणों द्वारा, जिनमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं, उनसे अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बारे में सम्पर्क किया जाए, तो वे तुरन्त कार्रवाई करें।

7.4.2 सी.बी.आई. ने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के पुनः सत्यापन के मुद्दे पर भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ 14 जून, 2005 को एक बैठक की थी। बैठक में कड़ाई से अनुपालन किए जाने के बारे में ये निर्णय लिए गए थेः

(i) प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने सम्बन्धित मंत्रालयों/ विभागों/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/ बैंकों/ अन्य संस्थापनों, आदि के नोडल अधिकारी होने चाहिएं;

(ii) मंत्रालयों/ विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/ बैंकों/ संस्थानों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। लेकिन, मुख्य सतर्कता अधिकारियों को अपने कार्य का विकेन्द्रीकरण करने की स्वतंत्रता होगी;

(iii) सत्यापन फाइलों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों का सत्यापन, प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियां प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों, जैसे जिला मेजिस्ट्रेटों/ सब डिवीज़नल मेजिस्ट्रेटों के पास भेज कर किया जाएगा;

(iv) उन सभी मामलों में, जहां कर्मचारी 1.1.1995 से नियुक्त किए गए थे और उनके अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों का सत्यापन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 27.2. 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/16/80–स्था.(एस.सी.टी.) में शामिल अनुदेशों के अनुसार किया गया था और जिला प्राधिकारियों द्वारा यह पुष्टि की गई थी कि प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र असली हैं, दिनांक 25 मई, 2005 के कार्यालय ज्ञापन में विहित पुनःसत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं होगी;

(v) यदि किसी अनुसूचित जनजाति कर्मचारी ने 1.1.1995 को अथवा उसके बाद किसी कारणवश संगठन छोड़ दिया हो, तो दिनांक 25 मई, 2005 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार उसके अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का पुनःसत्यापन किए जाने की आवश्यकता नहीं है;

(vi) केवल संदिग्ध मामलों में मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों को मुख्य सतर्कता अधिकारी/ फील्ड यूनिटों द्वारा जब्त/ एकत्र किया जाना है;

(vii) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य संस्थापनाओं के मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने नियंत्रक मंत्रालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को समय–समय पर रिपोर्टें भेजेंगे और उनकी प्रतियां सी.बी.आई. को भेजेंगे।

(viii) उन मामलों में, जहां प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हों, लेकिन सम्बन्धित व्यक्ति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के न हों, मामले सी.बी.आई. को आगे सत्यापन/ अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ix) मंत्रालयों/ विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए यह जरूरी था कि वे माननीय उच्च न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए अन्तरिम रिपोर्ट सी.बी.आई. को 10.7. 2005 तक भेज दें।

7.4.3 मामले की गम्भीरता को समझते हुए, आयोग ने भी 6.7.2005 को सभी मंत्रालयों/ विभागों को पत्र लिखा, जिसमें 1995–2000 के दौरान जाली अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के आधार पर आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के बारे में सी.बी.आई. द्वारा की जा रहीं जांच का उल्लेख करते हुए उनसे अनुरोध किया कि उनके ध्यान में जाली अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के जो मामले लाए गए हैं और उनके बारे में उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है, उनसे आयोग को अवगत कराएं। दिनांक 27.7.2005 के एक अन्य अर्ध–शासकीय पत्र द्वारा मंत्रालयों/ विभागों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और दिल्ली के स्वायत्त निकायों से अनुरोध किया गया है कि वे, अन्य बातों के साथ–साथ उन कर्मचारियों का ब्योरा भेजें, जिनके प्रमाणपत्र अथवा दावे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय सत्यापन के दौरान जाली पाए गए थे, अथवा जिनके खिलाफ उनके

समुदाय प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इसके बारे में उनके द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भेजें।

7.5 जाति/ जनजाति प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने और उनके सत्यापन का विनियमन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव

7.5.1 माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनजातीय कल्याण निदेशक, आन्ध्र प्रदेश सरकार बनाम लावेट्टी गिरि और अन्य के मामले में अपने दिनांक 18.4.1995 के निर्णय में निदेश दिया कि "भारत सरकार इस मामले की अधिक विस्तृत रूप से जांच कराएगी और संविधान का उल्लंघन करने वाले और वास्तविक जनजातीय लोगों के लिए आरक्षित लाभों को समेटने वाले लोगों के लिए दाण्डिक परिणाम विहित करने वाले आवश्यक मार्गनिर्देशों और नियमों वाला एक एकरूपात्मक विधान तैयार करेगी, ताकि जाली/ कपटी व्यक्तियों द्वारा झूठे रिकार्ड गढ़ने और असंवैधानिक लाभ उठाने के संकट को रोका जा सके।

7.5.2 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय को देखते हुए, भारत सरकार (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) ने अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम बनाने का निर्णय किया है। इस निर्णय को अमल में लाने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक विधेयक तैयार किया था और सभी राज्यों के पास उनके विचार जानने के लिए भेजा था। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक सु–परिभाषित प्रक्रिया निर्धारित करना है, जो समूचे देश में लागू होगी। विधेयक में एक सक्षम प्राधिकरण की व्यवस्था करने का भी वायदा किया गया है, जो स्वतः अथवा किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत पर अथवा किसी नियोजन प्राधिकरण या किसी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए मामले में प्रमाणपत्र जारी करेगा। प्रारूप विधेयक की एक प्रति तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पास भी भेजी गई थी और आयोग से अपने विचार देने का अनुरोध किया गया था। उसके उस समय के रूप पर विस्तारपूर्वक विचार करने के बाद, भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने विधेयक में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया था। तत्कालीन आयोग के मुख्य विचार और टिप्पणियां ये थीं कि दंड अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए, ताकि वह कारगर निवारक के रूप में काम कर सके। तत्कालीन आयोग ने यह मत भी व्यक्त किया था कि निर्वाचित पदों के मामले में भी, झूठे प्रमाणपत्रों के धारकों को, कानून के अन्तर्गत विहित दंड का सामना करने के अलावा, छः वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से वर्जित कर दिया जाना चाहिए।

7.6 झूठे/जाली समुदाय प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने को रोकने के लिए उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम

7.6.1 कुछ राज्यों में स्थानीय–सत्यापन के अभाव में स्थायी प्रमाणपत्र जारी किए जाने तक अस्थायी समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने का चलन है। यह भी देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों के पास अपने पिता या अपने दादा या परिवार के किसी सदस्य के नाम में पहले से अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र है, उन्हें भी अस्थायी प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाते हैं। अस्थायी प्रमाणपत्रों की वैधता सामान्य रूप से छः महीनों के लिए होती है। लेकिन, प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी वैधता की अवधि में स्थानीय–जांच शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। परिणामस्वरूप, बहुत से वास्तविक अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार, नियमित प्रमाणपत्रों के न होने के कारण, शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश पाने से अथवा उनके लिए आरक्षित पदों और सेवाओं में नियुक्ति प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। इसी पद्धति के जरिए, कुछ बेईमान लोग अस्थायी प्रमाणपत्रों के आधार पर उन स्थानों को हथियाने में सफल हो जाते हैं, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होते हैं। जब एक बार अस्थायी प्रमाणपत्र के आधार पर स्थान प्राप्त कर लिया जाता है, तो दावेदार, जो वास्तव में अनुसूचित जनजाति का नहीं होता, न्यायालय में चला जाता है और अनुसूचित जनजाति कोटा के आधार पर प्राप्त किए गए प्रवेश के रद्दकरण अथवा प्राप्त की गई नियुक्ति की समाप्ति के बारे में

स्थगन आदेश प्राप्त कर लेता है। **इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दे कि वे अस्थायी जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने की पद्धति को तत्काल बंद कर दें और उन्हें समुदाय प्रमाणपत्र आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन तक की अवधि के भीतर आवेदनकर्ता की समुदाय स्थिति की पूरी जांच करने के बाद ही जारी करने चाहिएं।**

7.6.2 समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने से सम्बन्धित स्थायी सरकारी अनुदेशों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के फार्मेट में यह उपबन्ध किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के पुत्र अथवा पुत्री को, जिसके पास किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी किया गया समुदाय प्रमाणपत्र पहले से ही हो, जिसमें उस व्यक्ति की स्थिति के बारे में सारी संगत सूचना और उसके सामान्य निवास स्थान का पता शामिल हो, समुदाय प्रमाणपत्र कोई नई जांच किए बिना जारी कर दिए जाने चाहिएं, जब तक कि उस प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता के बारे में कोई सन्देह न हो। प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे प्रमाणपत्रों के आवेदकों को कठिनाइयां और परेशानियां होती हैं। **इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि इस विषय में भारत सरकार के अनुदेशों का ध्यानपूर्वक पालन करने हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन व्यक्तियों के पुत्रों और पुत्रियों को, जिनके पास किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी किए गए जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र पहले से हों, कोई नई जांच किए बिना समुदाय प्रमाणपत्र जारी किए जाएं। इस सम्बन्ध में, पैरा 7.1.3 में वर्णित स्थिति की ओर तथा अनुलग्नक 7.I की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जो वह फार्मेट है, जिसे ऐसे मामलों में समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लागू करने का सुझाव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया गया है।**

7.6.3 भारत सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने के फार्मेटों में समय–समय पर संशोधन करती रही है। लेकिन, सभी राज्य सरकारें समुदाय प्रमाणपत्र विहित प्रोफार्मा में जारी नहीं कर रही हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जो फार्मेट निर्धारित किया गया है, वह भारत सरकार द्वारा विहित फार्मेट से बहुत भिन्न है, हालांकि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश स्पष्ट हैं कि प्रत्येक राज्य के जिला स्तर के प्राधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि वे भारत सरकार द्वारा विहित किए गए फार्मेट का अनुसरण करें। **तदनुसार, आयोग सिफारिश करता है कि:**

(i) जनजातीय कार्य मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को निदेश देना चाहिए कि उनके द्वारा जिला और तालुका स्तर के प्राधिकारियों को जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बारे में जो अनुदेश जारी किए गए हैं, वे उनकी समीक्षा करें और उन्हें यह सलाह दें कि वे समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उस मानक फार्मेट का उपयोग करें, जो भारत सरकार द्वारा विहित किया गया है।

(ii) जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोधों को उस रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, जो इस प्रयोजन से तालुका/ जिला स्तर पर रखा गया हो और प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के अनुरोधों को अभिलेखबद्ध करने वाले रजिस्टर में दर्ज क्रम संख्या अथवा रजिस्ट्रेशन संख्या, प्रमाणपत्र पुस्तक संख्या और प्रमाणपत्र संख्या प्रमाणपत्र के मुखपृष्ठ पर होनी चाहिए और उस पर निर्गम प्राधिकारी की मुद्रा और मोहर स्पष्ट रूप से लगी होनी चाहिए।

7.6.4 लोगों को जारी किए गए समुदाय प्रमाणपत्र राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ और सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए जाने जरूरी होते हैं। अधिकतर मामलों में राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में जारी किए गए प्रमाणपत्र को भारत सरकार के पदाधिकारियों द्वारा समझे जाने की सम्भावना नहीं होती। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक जनजातीय व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि स्थानीय अथवा राज्य भाषा में उल्लिखित

शब्दों के गलत अर्थ–निर्णय के जरिए इसका दुरुपयोग किया जाए। **इसलिए, आयोग का विचार है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे जिला/ तालुका प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दें कि प्रमाणपत्र द्विभाषिक रूप से, अर्थात क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी अथवा हिन्दी, दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं, ताकि प्रमाणपत्रों के धारकों को परेशानी से बचाया जाए और प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग को रोका जाए।**

7.6.5 कुछ राज्यों के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 342(I) के अन्तर्गत जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट करने वाला संविधान आदेश 1950 में जारी किया गया था। तब भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में एक ऐसा ही अन्य आदेश 1951 में जारी किया गया था। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के बारे में आदेश पहली बार 1967 में जारी किए गए थे। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण इस विशेष संविधान आदेश के जारी होने की तारीख को उसके सामान्य निवास स्थान के संदर्भ में किया जाएगा। लेकिन, ये अनुदेश राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में विद्यमान अनुसूचित जनजाति सूची में पहली बार शामिल किए गए अनुसूचित जनजाति समुदाय से सम्बन्धित व्यक्तियों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। किसी आदेश में संशोधित कर पहली बार शामिल किए गए किसी समुदाय के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की स्थिति पर सम्मिलन की तारीख के सन्दर्भ में विचार किया जाना चाहिए, मूल आदेश की तारीख के सन्दर्भ में नहीं, जिसे बाद में उक्त जनजातीय समुदाय/ समुदायों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। संशोधन आदेशों में स्पष्टता के अभाव की स्थिति में, लगभग सभी राज्यों में जनजातियों के लोगों को 1950 और 1951 में जारी किए गए मूल आदेशों में संशोधनों के बाद अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। **इसलिए, आयोग की राय है कि संविधान के अनुच्छेद 342(1) के अन्तर्गत जारी किए गए मूल राष्ट्रपति आदेशों में किए जाने वाले संशोधनों में हमेशा यह स्पष्ट करने वाला खंड होना चाहिए कि अनुसूची में पहली बार शामिल किए गए समुदायों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में साधारण निवास स्थान अथवा उन मामलों में, जहां क्षेत्र प्रतिबन्धों को हटा दिया गया है, साधारण निवास स्थान का निर्धारण मूल आदेश/ अधिनियम में संशोधन की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा।**

7.6.6 इस बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि किसी राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में कतिपय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट करने वाले, समय–समय पर जारी किए गए, मूल संविधान आदेशों और उनमें किए गए संशोधनों की सार्वभौम उपलब्धता से न केवल उपयुक्त तरीके से और बिना किसी परेशानी के समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने में सुविधा होगी, बल्कि इससे झूठे प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने को रोकने में भी सहायता मिलेगी। **आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को सभी मूल आदेशों को, उनमें किए गए संशोधनों के साथ, अपनी वेबसाइट में शामिल करना चाहिए और अपनी वेबसाइट पर अनुसूचित जनजातियों की अद्यतन राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची भी उपलब्ध करानी चाहिए।**

7.6.7 रोकथाम इलाज से हमेशा बेहतर होती है और यदि सरकार को जाली/ झूठे समुदाय प्रमाणपत्रों के संकट का सामना करना है, तो उसे इस समस्या की जड़ पर आघात करने के उद्देश्य से, नियुक्ति के बाद सत्यापन की मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर, समुदाय प्रमाणपत्र की वास्तविकता के नियुक्ति–पूर्व सत्यापन के लिए विश्वसनीय तंत्र विकसित करना होगा। मौजूदा अनुदेशों और प्रक्रिया के अनुसार, उम्मीदवारों को, जिनमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनकी सिफारिश नियुक्ति करने वाले विभिन्न अभिकरणों द्वारा की गई हो, सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकरणों द्वारा नियुक्ति की पेशकश उनके चरित्र और पूर्व–वृत्त के बारे में सम्बन्धित राज्य के पुलिस प्राधिकारियों से सन्तोषजनक सत्यापन रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही की जाती है। **इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि:**

(i) उस अवधि का उपयोग, जिसमें सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व–वृत्त का सत्यापन पुलिस प्राधिकारियों से कराया जाता है, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को जारी किए गए समुदाय प्रमाणपत्रों का सत्यापन जिला अधिकारियों से कराने के लिए भी किया जाना चाहिए।

नियुक्ति करने वाले सम्बन्धित प्राधिकारियों को, जो चरित्र और पूर्व–वृत्त के सत्यापन के लिए सम्बन्धित राज्य के पुलिस प्राधिकारियों को पत्र लिखते हैं, यह सलाह भी दी जानी चाहिए कि वे उसी के साथ–साथ जिला प्राधिकारियों, अर्थात जिला कलेक्टरों, डिप्टी कमिश्नरों, जिला मेजिस्ट्रेटों, आदि को प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने अथवा यदि किसी कारण अभिलेख उपलब्ध न हों तो यह प्रमाणित करने के लिए लिखें कि उम्मीदवार वास्तव में अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है।

(ii) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों द्वारा सामान्यतः नियुक्ति की पेशकश उम्मीदवारों द्वारा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित होने के अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए समुदाय प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता के बारे में सन्तोषजनक सत्यापन रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के बाद देनी चाहिए। लेकिन, यदि जिला प्राधिकारियों से उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदनपत्रों के साथ प्रस्तुत किए गए समुदाय प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता (अथवा अन्यथा) के बारे में सत्यापन रिपोर्ट छः महीने की अधिकतम अवधि में प्राप्त न हो, तो अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को अंतरिम आधार पर नियुक्ति की पेशकश इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि उसकी परिवीक्षा तब तक स्वीकृत नहीं होगी, जब तक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाएगी {इस सम्बन्ध में पैरा 6.6.7 (iv) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है}।

(iii) उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले उनके समुदाय प्रमाणपत्रों का सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों से करा लेने की प्रस्तावित प्रणाली (पूर्ववर्ती उप–पैरा में उल्लिखित) को अपनाए जाने तक, उम्मीदवार को अंतरिम आधार पर नियुक्त किए जाने के बाद समुदाय प्रमाणपत्रों का सत्यापन जारीकर्त्ता प्राधिकारियों के माध्यम से कराने की मौजूदा प्रणाली को उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद छः महीने तक की अवधि में अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिए और सत्यापन का कार्य विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा न होने की स्थिति में, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को इस विफलता की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी पर डालनी चाहिए और इस विफलता के लिए जिम्मेदार निर्धारित किए गए अधिकारी/ पदाधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

(iv) भर्ती करने वाले अभिकरणों द्वारा नियुक्ति के लिए जिन नए उम्मीदवारों की सिफारिश की जाती है, उन्हें नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों द्वारा आम तौर पर प्रारम्भिक रूप से एक वर्ष अथवा दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है और परिवीक्षा अवधि के सन्तोषजनक रूप से पूरा हो जाने पर उन्हें नियमित सारभूत आधार पर नियुक्त किया जाता है। आयोग सिफारिश करता है कि यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसी उम्मीदवार को, उसके समुदाय प्रमाणपत्र का सत्यापन होने तक, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किसी रिक्ति में अंतरिम आधार पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी परिवीक्षा को तब तक समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए समुदाय प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों से इस बारे में सन्तोषजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती। यदि उसके/ उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाणपत्र/ किए गए प्रमाणपत्र जाली/ नकली अथवा झूठा (ठे) पाया जाए/ पाए जाएं, तो इससे सरकार को उसे/ उन्हें लिखित रूप से एक महीने का नोटिस दे कर केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5 के अन्तर्गत ऐसे उम्मीदवार (रों) की सेवाओं को सीधे समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

(v) यदि नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों/ संवीक्षा समितियों के माध्यम से कराए गए नियुक्ति–पश्चात सत्यापन से यह प्रकट हो कि उम्मीदवार ने नकली/ जाली अथवा झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है और उसका सम्बन्ध मान्यताप्राप्त अनुसूचित जनजाति से नहीं है, तो उसकी सेवाओं को (यदि उसे नियमित/ पक्के आधार पर नियुक्त किया गया हो), माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल बनाम महाराष्ट्र सरकार, 1994 की सिविल अपील संख्या 5834 {पैरा 7.3.1(xiii) में उल्लिखित} में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार, उसे कोई नोटिस दिए बिना सीधे समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति करने

वाले प्राधिकारी को इसके साथ–साथ जाली/ झूठे सामुदायिक प्रमाणपत्रों के धारकों के खिलाफ आई.पी.सी. के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के प्रयोजन से इस मामले को सी.बी.आई. के साथ उठाना चाहिए। आम तौर पर यह देखा गया है कि यद्यपि जाली/ झूठे समुदाय प्रमाणपत्रों के धारकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा उनके (अर्थात झूठे समुदाय प्रमाणपत्र–धारकों) के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

7.6.8 यह देखा गया है कि कुछ मामलों में, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी झूठे अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के धारकों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में काम करने की छूट दे देते हैं। यह सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन है। **आयोग का विचार है कि अनुसूचित जनजाति के झूठे प्रमाणपत्र के धारकों को किसी भी हालत में सामान्य उम्मीदवार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ऐसे झूठे/जाली प्रमाणपत्रों के धारकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इस प्रकार रिक्त हुए पदों/ स्थानों को अनुसूचित जनजाति में से भरा जाना चाहिए, जिनके लिए वे मूल रूप से आरक्षित थे। आयोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को यह सलाह देना चाहेगा कि वे इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति को टालने के लिए नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को यह अनुदेश पुनः दें।**

7.6.9 जैसाकि ऊपर बताया गया है, आन्ध्र प्रदेश सरकार के जनजातीय कल्याण निदेशक बनाम लावेट्टी गिरी और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 18.4.1995 के निर्णय में की गई अभिव्यक्तियों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित लोगों के बारे में समुदाय प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम बनाने की कार्रवाई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पहले से शुरू कर चुका है और इस फैसले को मूर्त रूप देने के लिए मंत्रालय द्वारा एक विधेयक का प्रारूप पहले से तैयार किया जा चुका है और राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए इसे उनके पास भेजा गया था। **आयोग सिफारिश करता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सलाह की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, विधेयक को अन्तिम रूप देना चाहिए और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से सलाह करने के बाद इसे जल्दी ही संसद में प्रस्तुत करना चाहिए और राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को सलाह देनी चाहिए कि वे झूठे समुदाय प्रमाणपत्र जारी किए जाने के इस बढ़ते हुए संकट पर काबू पाने के लिए इस प्रकार के कानून बनाने का कार्य शुरू करें।**

7.6.10 आयोग यह भी सिफारिश करता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ये अनुदेश दोहराने चाहिएं कि किसी व्यक्ति की जनजाति/ समुदाय स्थिति का निर्धारण उसके पिता की जनजाति/ समुदाय स्थिति के आधार पर किया जाता है, माता की जनजाति/समुदाय के आधार पर नहीं, और इसलिए, किसी महिला आवेदक के प्रमाणपत्रों का सत्यापन (i) उसकी माता की नहीं बल्कि उसके पिता की जनजाति/ समुदाय स्थिति के संदर्भ में और (ii) उसके पति के परिवार के निवास–स्थान के संदर्भ में नहीं, बल्कि उसके पिता अथवा दादा के सामान्य निवास स्थान के सन्दर्भ में किया जाना जरूरी है। इन अनुदेशों का अर्थ यह भी है कि किसी गैर–अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह करने वाली अनुसूचित जनजाति की महिला अनुसूचित जनजाति बनी रहेगी। इसी प्रकार, अन्तर्जातीय विवाह के मामले में, उस परिवार के बच्चों को उनके पिता की समुदाय/जनजाति स्थिति प्राप्त होगी।

7.6.11 चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और हितों का सुरक्षण करने वाला एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए यह जरूरी है कि राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल की गई अथवा उसमें से बाहर की गई अनुसूचित जनजातियों के नामों की अद्यतन जानकारी आयोग के पास हो। इसलिए, आयोग जनजातीय कार्य मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करना चाहेगा कि किसी राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियां विनिर्दिष्ट करने वाले अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 में किए जाने वाले संशोधनों की प्रतियां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को हमेशा उपलब्ध कराई जाएं।

7.7 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.एस. नागेन्द्र और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य की 2003 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 76 में इस बारे में आयोग के विचार मांगे कि क्या 'मालेरु' समुदाय वही 'मलेरु' है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत जारी किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में शामिल है

7.7.1 उपर्युक्त रिट याचिका में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आयोग को निम्नलिखित निदेश दिया था:

"याचिकादाताओं के अनुसार निर्णय का रिट याचिका में उठाए गए मुद्दे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि याचिकादाता राष्ट्रपति आदेश में किसी परिवर्तन या संशोधन की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल उसके अर्थ–निर्णय की मांग कर रहे हैं।

हमारी राय में इस मुद्दे का फैसला करने, अर्थात, 1950 के राष्ट्रपति आदेश का अर्थ–निर्णय करने का उचित प्राधिकरण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है, जो संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है। हम इस मामले को कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत गठित राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को निर्दिष्ट करने पर विचार कर सकते थे, यदि राज्य सरकार ने इस मुद्दे को पहले की रिट याचिका में इस न्यायालय के आदेश द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार हल करने की प्रवृत्ति दिखाई होती।

तदनुसार, हम राष्ट्रीय आयोग को इस मामले की जांच करने और सभी प्रभावित पक्षों की बात सुनने के बाद इस आदेश की तामील की तारीख से छः महीने तक की अवधि में न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देते हैं। सभी पक्षों को राष्ट्रीय आयोग के समक्ष, पहले उल्लिखित सामग्री के अलावा, ऐसी सामग्री, जो वे उपयुक्त समझें, प्रस्तुत करने की छूट है, ताकि राष्ट्रीय आयोग इस मुद्दे को सही रूप से तय कर सके।"

7.7.2 माननीय उच्चतम न्यायालय का उपर्युक्त आदेश भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 23.11.2004 को प्राप्त हुआ था। इस बीच, 1.12.2004 को जारी किए गए कार्यालय आदेश द्वारा भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का द्विभाजन दो अलग–अलग आयोगों, अर्थात – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोगों के रूप में हो गया। इसलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए 22 मई, 2005 को अथवा उससे पहले अपनी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करना जरूरी था।

7.7.3 2003 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 76–ए.एस. नागेन्द्र और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में, याचिकादाताओं ने, अन्य बातों के साथ–साथ, यह दावा किया कि:

(i) ऐसे लोग हैं, जो मलेरु समुदाय से सम्बन्धित हैं, जो संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में शामिल है। उन्होंने कहा है कि 'मालेरु' और 'मलेरु' के बीच कोई अन्तर नहीं है और ये दोनों एक ही समुदाय के द्योतक हैं और इनमें केवल वर्ण–विन्यास के सम्बन्ध में अन्तर है और देशी बोली में दीर्घ स्वर के प्रयोग की वजह से रिधेमिक उच्चारण के कारण, सरकार के कुछ प्राधिकरणों ने मलेरु का वर्ण–विन्यास अंग्रेजी में उक्त मलेरु शब्द के साथ एक और 'ए' जोड़कर मालेरु के रूप में करना शुरू कर दिया और वर्ण–विन्यास के इस अन्तर के कारण मौजूदा भ्रम उत्पन्न हुआ है और इन दोनों समुदायों को अलग–अलग समुदाय माने जाने के कारण परेशानी पैदा हुई है।

(ii) कर्नाटक सरकार ने अपने दिनांक 23.1.1986 के आदेश द्वारा शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण के लाभ और शैक्षणिक रियायतें, जो अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध थीं, विभिन्न समुदायों के सदस्यों को, जिनमें मालेरु समुदाय के सदस्य भी शामिल थे, प्रदान कर दीं। यह बताया गया कि मालेरु समुदाय के उन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने मलेरु समुदाय से सम्बन्धित होने के जाति प्रमाणपत्र हासिल किए थे, कोई दाण्डिक अथवा अनुशासनिक

कार्रवाई नहीं की जाएगी और यदि कोई अभियोजन शुरू किया गया है तो उसे आस्थगित रखा जाएगा ओर उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, और यदि कोई निलम्बन आदेश जारी किए गए हैं तो उन्हें इन मामलों में वापस ले लिया जाएगा और जिन व्यक्तियों की छंटनी कर दी गई है, उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। उस आदेश में इसके अलावा यह कहा गया था कि मालेरु और मलेरु और कुछ अन्य समुदायों से सम्बन्धित मुद्दों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, ताकि सरकार इन समुदायों के सम्बन्ध में भारत सरकार को उपयुक्त सिफारिशें दे सके।

(iii) कर्नाटक सरकार के दिनांक 23.1.1986 के आदेश (ऊपर उल्लिखित) की, जिसके द्वारा शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण के लाभ और शैक्षणिक रियायतें प्रदान की गई थीं, समीक्षा की गई और उसे कर्नाटक सरकार द्वारा अपने दिनांक 11 मार्च, 2002 के आदेश द्वारा वापस ले लिया गया। इस आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चला कि भारत सरकार ने अपने दिनांक 10.6.1986 और 17.12.1993 के पत्रों द्वारा इस बात पर आपत्ति की थी कि जो लाभ अनुसूचित जनजातियों के लिए अभिप्रेत थे, वे उन समुदायों से सम्बन्धित लोगों को दे दिए गए थे, जो अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं थे। इन पत्रों में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबन्धों के अनुरूप नहीं थे और तदनुसार, राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में और लाभ के लिए इन आदेशों को तत्काल वापस लिए जाने की आवश्यकता महसूस की। यह भी कहा गया था कि राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि इन आदेशों की वजह से, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, निगमों और विभागों को उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में कठिनाई आ रही है, जिनके प्रमाणपत्र सिविल अधिकार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सत्यापन किए जाने के दौरान झूठे प्रमाणित हुए थे और माननीय उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालय ने भी उक्त आदेश के आधार पर इन समुदायों से सम्बन्धित याचिकादाताओं को राहत प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि हालांकि इन समुदायों के व्यक्तियों को केवल शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण के लाभ और शैक्षणिक रियायतें प्रदान की गई थीं, लेकिन वस्तुतः उन्होंने अपने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों अथवा विभागों, आदि में रोजगार प्राप्त कर लिया था, क्योंकि अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र शिक्षा और रोजगार के बीच भेद नहीं करते।

7.7.4 इस रिट याचिका में पांच याचिकादाताओं ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय से निम्नलिखित राहतें मांगी हैं:

(i) कर्नाटक सरकार के दिनांक 11 मार्च, 2002 के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट (सर्टिओरेरी) अथवा कोई अन्य रिट अथवा आदेश अथवा निदेश जारी करें।

(ii) आर्देश अथवा निर्देश अथवा परमादेश रिट जारी करके कर्नाटक सरकार को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 6.9.1989 के आदेश में शामिल निदेशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया जाए और मलेरु और मालेरु समुदाय अथवा समुदायों के मुद्दे की विस्तृत जांच के बाद अन्तिम निर्णय लिया जाए।

(iii) निर्देश अथवा आदेश अथवा परमादेश लेख्य जारी करके कर्नाटक राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाए कि वास्तव में मलेरु नाम से पुकारा जाने वाला केवल एक समुदाय है और अन्य सभी व्यक्तियों को, जिनके पास मलेरु अथवा मालेरु के रूप में उक्त जाति प्रमाणपत्र हैं, उन्हें एक और वही समुदाय माना जाना चाहिए।

(iv) ऐसी अन्य और अतिरिक्त राहत प्रदान की जाए, जो इस मामले की परिस्थितियों के अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय उपयुक्त समझे।

7.7.5 यह आयोग के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। चूंकि आयोग को अपने विचार उच्चतम न्यायालय को उसके आदेश की तामील की तारीख, अर्थात 23.11.2004 से छः महीने तक की अवधि

में प्रस्तुत करना जरूरी था, जिसमें से एक महीना कोई कार्रवाई किए बिना पहले से बीत चुका था, क्योंकि भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन दो अलग–अलग आयोगों, अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में करने का काम किया जा रहा था, जिसके बारे में आदेश 1.12.2004 को जारी किए गए थे। इस प्रकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास सभी प्रभावित पक्षों की सुनवाई करने और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय को 22 मई, 2005 से पहले अपने विचार प्रस्तुत करने का समूचा कार्य पूरा करने के लिए केवल पांच महीने का समय बाकी था। आयोग ने इस चुनौती की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी कमर कस ली और इसे पूरी गम्भीरता के साथ सम्पन्न करने का काम हाथ में लिया। इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग ने निम्नलिखित कार्य किया:

(i) आयोग ने शिमोगा जिला (कर्नाटक) के डिप्टी कमिश्नर से 24.12.2004 को अनुरोध किया कि वह अपने पास उपलब्ध दस्तावेज़ी रिकार्ड के आधार पर और स्थानीय पूछताछ के आधार पर इस बारे में एक विस्तृत गोपनीय रिपोर्ट भेजें कि क्या मलेरु समुदाय, जिसे कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में शामिल किया गया है, और मालेरु समुदाय दो भिन्न–भिन्न समुदाय हैं अथवा एक ही समुदाय है। आयोग के पत्र में यह भी कहा गया था कि यदि मलेरु और मालेरु दो विभिन्न समुदायों के द्योतक हैं, तो मालेरु समुदाय के लोगों की विशिष्टताओं को भी, जिनमें उनकी सामाजिक और धार्मिक आदतें/ रीति–रिवाज, बोली जाने वाली भाषा, खान–पान की आदतें, रहन–सहन का स्तर, आदिम जातीय विशेषताएं, शेष समाज के साथ उनके अलगाव की सीमा, आदि भी शामिल हैं, रिपोर्ट में शामिल किया जाए। इसी प्रकार का एक पत्र उसी तारीख (अर्थात 24.12.2004) को चिकमगलूर जिले के डिप्टी कमिश्नर और कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को भेजा गया था। चिकमगलूर के डिप्टी कमिश्नर और शिमोगा के डिप्टी कमिश्नर से क्रमशः 24 जनवरी, 2005 और 2 मार्च, 2005 को रिपोर्टें प्राप्त हो गई थीं, और कर्नाटक सरकार से 31 जनवरी, 2005 को रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(ii) आयोग ने इस मामले में याचिकादाताओं और प्रतिवादियों के साथ पहली सुनवाई 10 जनवरी, 2005 को की, जिसके बाद क्रमशः 9 मार्च और 8 अप्रैल, 2005 को क्रमशः दूसरी और तीसरी सुनवाई की गई। इन सभी तीनों सुनवाइयों में, जिनकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, श्री कुंवर सिंह, द्वारा की गई थी, याचिकादाताओं का प्रतिनिधित्व भारत के उच्चतम न्यायालय के एड्वोकेट, श्री जी.वी. चन्द्रशेखर द्वारा किया गया था। एक प्रतिवादी, नामशः साहित्य अकादमी, रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली (प्रतिवादी संख्या 5) का प्रतिनिधित्व श्री सी. जगदीश, एड्वोकेट द्वारा किया गया था, और शेष प्रतिवादी सुनवाई के दौरान या तो स्वयं वैयक्तिक रूप से उपस्थित हुए अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी उनकी ओर से हाजिर हुए।

(iii) आयोग के सदस्य, श्री बुदुरु श्रीनिवासुलु, भोपाल में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय (कर्नाटक जिसके अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत आता है) में निदेशक, श्री आर.सी. दुर्गा, आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में सहायक निदेशक, श्री सोहन लाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बंगलौर स्थित राज्य कार्यालय में अन्वेषक श्री एस.बी. मुनिराजू के साथ कर्नाटक राज्य के शिमोगा और चिकमगलूर जिलों में मलेरु और मालेरु की स्थिति के बारे में मौके पर पूछताछ के आधार पर जमीनी सचाइयों की जांच करने के लिए गए। इस दल ने इन जिलों में 22 से 25 जनवरी, 2005 तक चार दिन बिताए। इस दल की सहायता कर्नाटक सरकार के जनजाति कल्याण विभाग के उप–निदेशक, श्री के.एस. मृत्युंजय और कन्नड विश्वविद्यालय, हाम्पी के जनजातीय अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉ. के.एम. मेत्री द्वारा की गई। इस दल ने आयोग को अपनी रिपोर्ट 10 मार्च, 2005 को प्रस्तुत की।

(iv) भारत के महा पंजीयक और जनगणना आयुक्त से भी उसी तारीख, अर्थात 24.12.2004 को उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विवादास्पद मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया। भारत के महा पंजीयक के कार्यालय से 18 जनवरी, 2005 को रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(v) आयोग ने 22.12.2004 को प्रभारी निदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण संगठन से भी मलेरु और मालेरु की स्थिति के बारे में उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया और आयोग को उनकी रिपोर्ट 2 फरवरी, 2005 को प्राप्त हो गई थी।

7.7.6 याचिकादाताओं और प्रतिवादियों द्वारा तीन सुनवाइयों में कही गई बातों और उनके द्वारा उपलब्ध किए गए दस्तावेज़ों, कर्नाटक सरकार, शिमोगा और चिकमगलूर जिलों के डिप्टी कमिश्नरों, भारत के महा पंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण संगठन, कोलकाता की रिपोर्टों/ निष्कर्षों और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य, श्री बुदुरु श्रीनिवासुलु की अध्यक्षता वाले दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, आयोग ने अपनी 220 पृष्ठों की रिपोर्ट (जिसमें 25 अनुलग्नक शामिल थे) माननीय उच्चतम न्यायालय को 13 मई, 2005 को प्रस्तुत की।

अनुलग्नक 7.I

अनुसूचित जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र का फार्म

पुस्तिका संख्या ..... प्रमाणपत्र संख्या ..... आवेदन की पंजीयन तारीख .....
.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी .....
पुत्र/पुत्री श्री ..... , जो इस समय मकान संख्या .....,
गांव/ शहर ..... जिला/डिवीजन ....., राज्य/संघ राज्यक्षेत्र.....
का/की निवासी है, का सम्बन्ध ..... से है, जो संगत संविधान आदेश और/ अथवा अधिनियम ..... की क्रम संख्या ..... की प्रविष्टि के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त है। उसका सम्बन्ध .... धर्म से है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... और/अथवा उसका परिवार ऊपर उल्लिखित आदेश/ अधिनियम की अधिसूचना के जारी होने की तारीख को साधारण रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ..... के जिला/डिवीजन ..... के गांव/शहर .....
. के मकान संख्या ..... में रहता <u>था/रहती</u> थी

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

(कार्यालय की मुद्रा सहित)

(प्रमाणपत्र धारक के हस्ताक्षर)

स्थान : .....

दिनांक : .....

* अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त जाति/जनजाति का नाम लिखें।

@ उस संविधान आदेश और/अथवा अधिनियम का नाम लिखें, जिसके अन्तर्गत जाति/जनजाति अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित की गई थी/ जोड़ी गई थी, जैसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (कृपया पन्ने की दूसरी ओर की सूची को देखें)

टिप्पणी: यहां पर उपयोग किए गए "साधारण रूप से रहता था" शब्दों का अर्थ वही होगा, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

अनुलग्नक 7.II

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का फार्म

{उनके लिए, जिनके पास अपने पिता के नाम अथवा अपनी माता के नाम में (उन समुदायों के संबंध में, जो मातृसत्तात्मक परिवार प्रणाली का अनुसरण करते हैं) जारी किए गए प्रमाणपत्र पहले से हैं}

पुस्तिका संख्या ..... प्रमाणपत्र संख्या ..... आवेदन की पंजीयन तारीख .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... का, जो इस समय मकान संख्या ....., गांव/ शहर .... जिला/डिवीजन ....., राज्य/संघ राज्यक्षेत्र..... का/की निवासी है, सम्बन्ध ..... * से है, जो पन्ने के पिछली ओर उल्लिखित संगत संविधान आदेश और/ अथवा अधिनियम'' .....@ की क्रम संख्या ..... की प्रविष्टि के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त है। उसका सम्बन्ध ..... धर्म से है।

2. यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती..... (श्री/श्रीमती/कुमारी..... के पिता/माता*) को, जो मकान संख्या....., गांव/शहर..... जिला/डिवीजन....., राज्य/संघ राज्यक्षेत्र..... ..... का/की निवासी है, जिसका सम्बन्ध ..... से है, जो ..... द्वारा जारी*** किए गए ऊपर उल्लिखित आदेश/अधिनियम के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र .....के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त है, जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/अथवा उसका परिवार ऊपर उल्लिखित आदेश/अधिनियम के जारी होने की तारीख को साधारण रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र..... के जिला/डिवीजन..... के गांव/शहर ..... के मकान संख्या ..... में रहता था।

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....
(कार्यालय की मुद्रा सहित)

(प्रमाणपत्र धारक के हस्ताक्षर)

स्थान : .....
दिनांक : .....

* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नाम लिखें।

@ उस संविधान आदेश अथवा अधिनियम का नाम लिखें, जिनके अन्तर्गत वह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित की गई थी, जैसे संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 (कृपया पन्ने की दूसरी ओर देखें)।

*** जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम लिखें।

टिप्पणीः यहां पर उपयोग किए गए "साधारण रूप से रहता है" शब्दों का अर्थ वही होगा, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

अध्याय–8

अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध और अत्याचार

8.1 प्रस्तावना

8.1.1 भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ सामाजिक न्याय, स्थिति और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा प्राप्त करना चाहता है। देश के लोगों का एक भाग, जो अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित है, दूर–दराज़ के क्षेत्रों में रहता है, विभिन्न विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं उठा सका है और आर्थिक पिछड़ेपन में जीवन बिता रहा है और इस कारण विभिन्न बेईमान तत्त्वों द्वारा उसका शोषण किया जाता रहता है। राज्य की कार्य–नीति उनके लिए अनुपाती न्याय प्राप्त करना है और उन्हें न्याय प्रदान करने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करने के लिए विशिष्ट और पहले से अधिक संसाधनों का आबंटन करना है। संविधान के अनुच्छेद 46 में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। संविधान में मुहैया किए गए सामाजिक सुरक्षणों को सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए, समाज के इन कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें सभी प्रकार के अत्याचारों और भेदभाव से बचाने के लिए, जिनके वे पारम्परिक रूप से शिकार हैं, विशेष कानून बनाए गए हैं।

8.1.2 संविधान के अनुच्छेद 17 के उपबन्धों को अमल में लाने के लिए, जिसके द्वारा 'अस्पृश्यता' और किसी भी रूप में उसके व्यवहार को समाप्त कर दिया गया है, संसद ने 'अस्पृश्यता' (अपराध) नियम, 1955 बनाया था। इसके उपबन्धों को और अधिक कड़ा बनाने के लिए 'अस्पृश्यता' (अपराध) अधिनियम, 1955 को 1976 में संशोधित किया गया था और इसका नया नाम सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम (पी.सी.आर.), 1955 रख दिया गया था। सरकार ने पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के उपबन्धों को कार्य–रूप देने के लिए सिविल अधिकार सुरक्षा नियम, 1977 अधिसूचित किए थे। लेकिन, समय पा कर यह महसूस किया गया कि सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 में शामिल कड़े उपबन्ध और भारतीय दंड संहिता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। यह देखा गया था कि इस स्थिति का मुख्य कारण यह तथ्य है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के मामले पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 और भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अंतर्गत कवर नहीं होते। इस कमी को दूर करने के लिए, संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार को विशिष्ट उपाय करने की शक्ति प्रदान करने के लिए एक अन्य महत्त्वपूर्ण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 31 जनवरी, 1990 से लागू हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबन्धों को अमल में लाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 में अधिसूचित किए गए थे। इस अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों का उल्लेख परवर्ती पैराग्राफों में अधिक विस्तार से किया गया है।

8.1.3 आयोग ने देखा है कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के सदस्यों की रक्षा करने के लिए बनाए गए विशेष कानूनों के बावजूद, उन पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं की संख्या में कोई पर्याप्त रूप से कमी नहीं हुई है। आयोग के लिए यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। आपराधिक न्याय प्रशासन की मौजूदा प्रणाली के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के प्रति अपराधों की घटनाओं का विश्लेषण करते समय, यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि सरकारी रिपोर्टों में इन घटनाओं की जो संख्या दिखाई जाती है, वह हिम–शैल का ऊपरी हिस्सा है

और वास्तविकता उससे कहीं अधिक व्यापक और जटिल है। अधिकतर अनुसूचित जनजातियां, स्वतंत्रता–प्राप्ति के 58 वर्षों के बाद भी, अलग–थलग पॉकेटों में रह रही हैं और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और निरक्षर हैं और, इसके परिणामस्वरूप, उनके प्रति होने वाले अपराधों की घटनाओं की रिपोर्ट नहीं की जाती और जिनकी रिपोर्ट की जाती है, वे हमेशा अभिलेखबद्ध नहीं की जातीं और जो अखिलेखबद्ध की जाती हैं, उन्हें प्रायः न्यूनतम बना दिया जाता है। यह भी एक सचाई है कि जब कभी वे लोग अपने जन्मजात अधिकारों और संविधान में भूमि, वन, जल, न्यूनतम मजदूरी, ऋणग्रस्तता, आदि के बारे में मुहैया किए गए सुरक्षणों से वंचित किए जाने का विरोध करते हैं, तो उनके जीवन और सम्पत्ति के सम्बन्ध में उन पर हिंसा की जाती है।

8.1.4 कुछ अन्य कारकों का, जिनसे अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध करने में योगदान मिलता है, उल्लेख दलित घोषणापत्र, नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस, नई दिल्ली के निम्नलिखित उद्धरण में किया गया है:

> "अनुसूचित जनजातियों को, जो अपने पारम्परिक क्षेत्र की स्वाभिमानी स्वामी हैं, उत्तरोत्तर उनकी भूमि से वंचित किया जा रहा है और, बहुत से मामलों में, उन्हें उनकी अपनी गृहभूमियों में अल्पसंख्यक बना दिया गया है। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जो शताब्दियों से चल रही है और इसने स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद तेज गति पकड़ ली है। जो भूमियां उनके पास अभी भी बनी हुई हैं, वे बहुत कम विकसित हैं, बिरले रूप से उनकी सिंचाई होती है और मार्केटों से जुड़ी हुई नहीं हैं अथवा बहुत कम जुड़ी हुई हैं, जिससे उनका क्षेत्र बाहर के शोषणकर्ताओं और बिचौलियों के लिए खुल जाता है। सरकारों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में जो सिंचाई परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं, वे जनजातीय क्षेत्रों में बांध बनाने के कार्यक्रम हैं, जिनसे जनजातीय क्षेत्र जलाप्लावित हो जाते हैं, उनकी बस्तियां और लोग बिखर जाते हैं और उन परियोजनाओं के जरिए जल जनजातीय क्षेत्रों से गैर–जनजातीय क्षेत्रों में ले जाया जाता है; ऐसी परियोजनाओं पर किए गए खर्च को अकारण और निर्लज्जतापूर्वक उस जनजातीय उप–योजना का हिस्सा दिखाया जाता है, जिसे भी नेमी और नगण्य बना दिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुसूचित जनजाति के अधिक से अधिक लोग दिहाड़ीदार कृषि मजदूर बनने पर विवश हो जाते हैं और हाल के दशकों में कृषि मजदूरों में अनुसूचित जनजाति के मजदूरों का अनुपात बढ़ गया है। वर्षों में पारम्परिक जनजातीय अधिकार को, जिसका भोग वे जनजातियों और वनों के बीच के पारम्परिक सहजीवी सम्बन्ध के माध्यम से कर रहे हैं, औपनिवेशिक सरकार द्वारा एकपक्षीय रूप से रद्द कर दिया गया और घटा दिया गया था; इसे रद्द करने और घटाने का कार्य स्वतंत्रता के बाद भी जारी है, जिससे अनुसूचित जनजाति के लोग अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए अपने जिन्दा रहने के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। गौण वन उत्पादों के व्यापार में, जिन्हें एकत्र करने में जनजातीय लोगों को विशेष निपुणता प्राप्त है, उनका शोषण गैर–सरकारी व्यापारियों और सरकारों द्वारा स्थापित सहकारी समितियों/ निगमों दोनों द्वारा किया जा रहा है। गौण वन उत्पादों की उपलब्धता, जो अनुसूचित जनजाति के बहुत अधिक लोगों की आजीविका का मुख्य अथवा बहुत बड़ा स्रोत है, तेजी से सिकुड़ रही है।

8.2 अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों की घटनाएं

8.2.1 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्टों और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा किए गए संकलन और विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2001 से 2003 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर गैर–अनुसूचित जातियों और गैर–अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति किए गए अपराधों की घटनाएं इस प्रकार थीं:

क्रम सं.	वर्ष	अपराध की घटनाएं
1.	2001	6,217
2.	2002	6,774

3.	2003	5,889
		औसत संख्या 6,293

8.2.2 रिपोर्ट किए गए अपराधों के, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं, विश्लेषण से प्रत्येक वर्ष 6,293 की औसत संख्या से थोड़ी–बहुत घट–बढ़ का पता चलता है, जबकि औसत संख्या अपने आप में बहुत अधिक चिन्ताजनक है और, इसलिए, समाज के इन कमजोर वर्गों पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता है।

8.3 अपराधों का वर्गीकरण

8.3.1 अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति किए गए अपराधों की, जिनमें उन पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं, अखिल भारतीय स्तर की संख्या की जानकारी अपराधों के स्वरूप के अनुसार नीचे की तालिका में दी गई है:

वर्ष	अपराधों का स्वरूप और उनकी संख्या					
	हत्या	गहरी चोट	बलात्कार	आगज़नी	अन्य अपराध	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2001	167	756	573	108	4,613	6,217
2002	189	788	597	58	5,142	6,774
2003	185	790	551	38	4,325	5,889
औसत	**180**	**778**	**574**	**68**	**4,693**	**6,293**

स्रोतः क्राइम इन इंडिया–2001, 2002 और 2003– राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

8.3.2 अपराध–वार दर्ज किए गए मामलों के स्वरूप से (जो ऊपर की तालिका में दिया गया है) पता चलता है कि हत्या, गहरी चोट और बलात्कार के जघन्य अपराधों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए तत्काल कारगर निवारक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने वाले तंत्र को ऐसे अपराधों को जन्म देने वाले कारकों के बारे में माइक्रो स्तरीय अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद अनुसूचित जनजातियों के लोगों के खिलाफ किए जाने वाले जघन्य अपराधों पर काबू पाने और उन्हें घटाने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने चाहिएं।

8.4 अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों की राज्य–वार घटनाएं

8.4.1 अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के प्रति किए गए राज्य–वार अपराधों के गहन अध्ययन से यह प्रकट होता है कि अपराध के पंजीयित मामलों की सबसे अधिक संख्या पांचवीं अनुसूची के राज्यों की है। यह बात विशेष रूप से चिन्ताजनक है, क्योंकि इन राज्यों पर भूमि, वनों, जल और ऋणग्रस्तता, आदि के बारे में जनजातीय अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें विनियमित करने और अनुसूचित जनजातियों को समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए विशिष्ट उपाय करने की विशेष जिम्मेदारी है। पांचवीं अनुसूची के राज्यों और उनसे भिन्न राज्यों में **अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों** के प्रति किए गए अपराधों की संख्या का तुलनात्मक विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है:

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	अपराधों की वर्ष–वार घटनाएं			देश में अपराधों की कुल संख्या की तुलना में प्रतिशतता		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4	(5)	(6)	(7)
पांचवीं अनुसूची के राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	512	525	571	8.2	7.8	9.7
हिमाचल प्रदेश	04	03	12	0.1	0.0	0.2

गुजरात	309	340	241	5.0	5.0	4.1
उड़ीसा	734	480	484	11.8	7.1	8.2
राजस्थान	1023	930	912	16.5	13.7	15.5
महाराष्ट्र	238	271	217	3.8	4.0	3.7
छत्तीसगढ़	486	508	774	7.8	7.5	13.1
झारखंड	282	124	108	4.5	1.8	1.8
मध्य प्रदेश	1535	2504	1779	24.7	37.0	30.2
उप–जोड़	**5123**	**5685**	**5098**	**82.4**	**83.9**	**86.5**
गैर–अनुसूचित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1094	1089	791	17.6	16.1	13.5
कुल जोड़	**6217**	**6774**	**5889**	**100**	**100**	**100**

स्रोतः क्राइम इन इंडिया–2001, 2002 और 2003 – राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

8.4.2 हत्या के मामलों में भी, जिनमें उत्पीड़ित लोग अनुसूचित जनजातियों के थे, ऐसा ही स्वरूप उभर कर सामने आता है, जैसाकि नीचे की तालिका से देखा जा सकता हैः

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	हत्या के वर्ष–वार मामले			देश में हत्या के मामलों की कुल संख्या की तुलना में प्रतिशतता		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पांचवीं अनुसूची के राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	04	02	09	2.4	1.1	4.9
हिमाचल प्रदेश	00	00	01	0.0	0.0	0.5
गुजरात	07	16	05	4.2	8.5	2.7
उड़ीसा	04	10	10	2.4	5.3	5.4
राजस्थान	14	10	11	8.4	5.3	5.9
महाराष्ट्र	06	10	08	3.6	5.3	4.3
छत्तीसगढ़	18	12	13	10.8	6.3	7.0
झारखंड	20	11	32	12.0	5.8	17.3
मध्य प्रदेश	28	49	34	16.8	25.9	18.4
उप–जोड़	**101**	**120**	**123**	**60.6**	**63.5**	**66.4**
गैर–अनुसूचित राज्य	66	69	62	39.4	36.5	33.6
कुल जोड़	**167**	**189**	**185**	**100**	**100**	**100**

स्रोतः क्राइम इन इंडिया–2001, 2002 और 2003 – राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

8.4.3 यह पाया गया है कि बलात्कार के उन मामलों में, जिनमें उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों के थे, 90 प्रतिशत मामले पांचवीं अनुसूची के राज्यों से हैं।यह भी देखा गया है कि इस अवधि (अर्थात 2001–2003) में बलात्कार के सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश के थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान आता है। पांचवीं अनुसूची के राज्यों और उनकी तुलना में उनसे भिन्न राज्यों में बलात्कार की घटनाओं की जानकारी नीचे दी गई हैः

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	बलात्कार के वर्ष–वार मामले			देश में बलात्कार के मामलों की कुल संख्या की तुलना में प्रतिशतता		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पांचवीं अनुसूची के राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	21	24	32	3.7	4.0	5.8
हिमाचल प्रदेश	00	01	02	0.0	0.2	0.4

गुजरात	23	18	20	4.0	3.0	3.6
उड़ीसा	28	14	20	4.9	2.3	3.6
राजस्थान	45	39	26	7.9	6.5	4.7
महाराष्ट्र	60	48	34	10.5	8.0	6.2
छत्तीसगढ़	87	67	103	15.2	11.2	18.7
झारखंड	22	13	14	3.8	2.2	2.5
मध्य प्रदेश	238	312	263	41.5	52.3	47.7
उप–जोड़	**524**	**536**	**514**	**91.5**	**89.7**	**93.2**
गैर–अनुसूचित राज्य	49	61	37	8.5	10.3	6.8
कुल जोड़	**573**	**597**	**551**	**100**	**100**	**100**

स्रोतः क्राइम इन इंडिया–2001, 2002 और 2003 – राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

8.5 पुलिस द्वारा मामलों का निपटान

8.5.1 जब अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के प्रति कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है और उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में की जाती है, तो एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है और तफतीश शुरू होती है। पुलिस तफतीश करती है और दांडिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित उपबंधों के अनुसार मामले का निपटान करती है। लेकिन यह देखा गया है कि तफतीश की प्रक्रिया में अत्यधिक लम्बा समय लग जाता है, जिसका कारण आम तौर पर, अभियुक्तों द्वारा और उनके साथ सम्बन्धित अन्य चरित्रहीन तत्त्वों द्वारा मामले को पटरी से उतारने के लिए किए जा रहे भरसक प्रयासों को ठहराया जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शीघ्र की जाने वाली और उच्च कोटि की जांच कारगर दांडिक न्याय प्रणाली की नींव हैं, क्योंकि न्याय मिलने में विलम्ब होने का अर्थ है न्याय न मिलना। इसलिए, आयोग का यह सुविचारित मत है कि यह अत्यावश्यक है कि जांच करने वाले तंत्र को न केवल सुदृढ़ और चुस्त–दुरुस्त बनाया जाए, बल्कि उसे इस सर्वोपरि आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाया जाए कि दोषी को उचित अवधि में सजा मिलनी चाहिए, विशेष रूप से उस समय जब उत्पीड़ित व्यक्ति समाज के सबसे अधिक कमजोर वर्ग, जैसे अनुसूचित जनजातियों का हो। वर्ष 2001 से 2003 तक की अवधि में पुलिस द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति किए गए अपराधों के सम्बन्ध में निपटाए गए मामलों की जानकारी नीचे की तालिका में दी गई है:

वर्ष	**अपराध के मामलों की कुल संख्या**	**उन मामलों की संख्या, जिनकी जांच की गई और जिन्हें समाप्त किया गया और कुल मामलों की तुलना में उनकी प्रतिशतता (कोष्ठकों में)**			**जांच के लिए लम्बित मामले**
		अन्तिम रिपोर्ट	**आरोप पत्र**	**जोड़**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2001	7246 (100)	1200 (16.6)	4925 (68.0)	6125 (84.6)	1121 (15.4)
2002	7842 (100)	1170 (14.9)	5527 (70.5)	6697 (85.4)	1145 (14.6)
2003	7120 (100)	998 (14.0)	4793 (67.3)	5791 (81.3)	1329 (18.7)
औसत	**7403 (100)**	**1123 (15.2)**	**5082 (68.6)**	**6205 (83.8)**	**1198 (16.2)**

स्रोतः क्राइम इन इंडिया–2001, 2002 और 2003 – राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

टिप्पणीः स्तम्भ (2) के अन्तिम रिपोर्ट वाले मामलों में वापस लिए गए मामले और वे मामले शामिल हैं, जिनमें आरोप झूठे/ गलत तथ्यों पर आधारित पाए गए थे।

8.5.2 पुलिस द्वारा अपराध के मामलों के निपटान से पता चलता है कि औसत रूप से पुलिस ने 83.8 प्रतिशत मामलों में जांच पूरी कर ली और 68.6 प्रतिशत मामलों में न्यायालय में आरोप–पत्र दायर किए गए थे। जांच के बाद, लगभग 15 प्रतिशत मामले झूठे पाए गए थे अथवा गलत तथ्यों के कारण अथवा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं किए जा सके थे।

8.6 न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान

8.6.1 मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, जब न्यायालय में एक बार आरोप–पत्र दाखिल कर दिया जाता है तो वाद का विचारण शुरू हो जाता है। विचारण के पूरा होने के बाद, न्यायालय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराता है या दोषमुक्त कर देता है। **अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के सम्बन्ध में** वर्ष 2001 से 2003 तक की अवधि में न्यायालय द्वारा मुकदमों के निपटान की स्थिति नीचे की तालिका में दर्शाई गई है:

वर्ष	न्यायालयों में दायर किए गए मामलों की संख्या	शमन किए गए अथवा वापस किए गए मामलों की संख्या	निपटाए गए और निम्न रूप से समाप्त हुए मामलों की संख्या			विचारण के लिए लम्बित
			दोषमुक्ति	दोषसिद्धि	जोड़	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2001	18896 (100)	275 (1.5)	2335 (12.4)	860 (4.6)	3195 (17.0)	15426 (81.5)
2002	20930 (100)	302 (1.4)	2316 (11.1)	1053 (5.0)	3369 (16.1)	17259 (82.5)
2003	21680 (100)	361 (1.7)	2640 (12.2)	1027 (4.7)	3667 (16.9)	17652 (81.4)
जोड़	**20502 (100)**	**313 (1.5)**	**2430 (11.9)**	**980 (4.8)**	**3410 (16.7)**	**16779 (81.8)**

स्रोतः क्राइम इन इंडिया – 2001, 2002 और 2003, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

टिप्पणीः कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अपराधों के मामलों की कुल संख्या की तुलना में प्रतिशतता के हैं।

8.6.2 उपर्युक्त तालिका से, जिसमें न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या दी गई है, प्रकट होता है कि औसत रूप से न्यायालय द्वारा हर वर्ष 16.7 प्रतिशत मामलों का फैसला किया गया था, जिनमें से 11.9 प्रतिशत मामलों की समाप्ति दोषमुक्ति के रूप में हुई, जबकि केवल 4.8 प्रतिशत मामले दोषसिद्धि के रूप में समाप्त हुए। इससे यह भी पता चलता है कि दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें उत्पीड़ित सामान्य श्रेणी के हैं/ थे और दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थे, न्यायालयों द्वारा निर्णीत मामलों की कुल संख्या पर आधारित दोषसिद्धि की तुलनात्मक स्थिति नीचे की तालिका में दर्शाई गई है:

वर्ष	दोषसिद्धि की दर		
	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(1)	(2)	(3)	(4)
2001	40.8	34.1	26.9
2002	40.6	32.1	31.3
2003	40.1	28.5	28.0
औसत	**40.5**	**31.6**	**28.7**

स्रोतः क्राइम इन इंडिया – 2001, 2002 और 2003, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

8.6.3 उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अपराधों के सम्बन्ध में न्यायालयों द्वारा निर्णीत मामलों में दोषसिद्धि की दर, सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जातियों के मामलों की तुलना में नीची है।

8.7 अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

8.7.1 'अत्याचार' शब्द की परिभाषा पहली बार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 2(1)(क) में उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध के रूप में की गई थी। धारा 3(1) में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रति 3(1)(i) से 3(1)(xv) तक में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी, लेकिन जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 3(2) में उप–धारा (i) से उप–धारा (vii) तक में गैर–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के प्रति किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए विभिन्न श्रेणी के दंड और जुर्माने के साथ अपराध विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

8.7.2 ये अपराध जो मुख्यतः व्यवहार के तरीकों से सम्बन्धित हैं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आत्म–सम्मान और स्वाभिमान को चकनाचूर करते हैं और स्थूल रूप से आर्थिक अधिकारों और लोकतांत्रिक सम्मान को नकारने, महिलाओं पर हमला करने अथवा उनका यौन शोषण करने, सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने और/ अथवा उसे नष्ट करने और कानूनी और/ अथवा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का जानबूझ कर दुरुपयोग करने के बारे में होते हैं। इनमें व्यक्ति और सम्पत्ति के प्रति जघन्य अपराध और लोक सेवकों द्वारा अपने उन कर्त्तव्यों का, जिनका पालन इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके द्वारा किया जाना जरूरी है, पालन करने में उपेक्षा करना भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 244 में यथानिर्दिष्ट 'अनुसूचित क्षेत्रों', अथवा 'जनजातीय क्षेत्रों' में शामिल किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाने वाला संभाव्य अपराध भी इनमें शामिल है।

8.7.3 इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय, गैर–जमानती और गैर–शमनीय होंगे। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के इलजाम के आधार पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के मामले के सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के उपबन्ध, जो प्रत्याशी जमानत के बारे में हैं, लागू नहीं होते। इसी प्रकार, पेरोल के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के उपबन्ध अठारह वर्ष से अधिक आयु वाले किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होते, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध करने का दोषी पाया गया हो। इस अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य कारावास की अवधि छः मास से कम की नहीं होगी, जो जुर्माने सहित पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। दूसरी बार अपराध करने के दोषी व्यक्ति के लिए कारावास का न्यूनतम दंड एक वर्ष का है। भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दस वर्ष तक के कारावास के दंड वाले अपराध इस अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माने के अलावा आजीवन कारावास से दंडनीय हैं।

8.7.4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियमए 1989 में मामलों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, अदालतों में मामलों को चलाने के प्रयोजन से विशेष लोक अभियोजकों और 'अनुसूचित क्षेत्र' अथवा 'जनजातीय क्षेत्रों' में किसी अपराध के लिए, किसी क्षेत्र को अत्याचार–प्रवण क्षेत्र घोषित करने और इन क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा निवारक और दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए विशिष्ट रूप से उपबन्ध किए गए हैं। कानूनी सहायता मुहैया करने, तफतीश और विचारण के दौरान गवाहों को यात्रा और भरण–पोषण व्यय देने, अत्याचारों के उत्पीड़ितों को आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करने, अभियोजन शुरू करने और उसकी देखरेख करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने, समितियां स्थापित करने, नियतकालिक सर्वेक्षण करने और अत्याचार–प्रवण क्षेत्र परिलक्षित करने, जो राज्यों के लिए आदेशात्मक है, के बारे में भी उपबंध हैं। धारा 21(4) में यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार हर वर्ष

उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के बारे में एक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखेगी। इस अधिनियम की धारा 22 में यह उपबन्ध है कि इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

8.8 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995

8.8.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए कुछ कर्त्तव्य और जिला प्रशासन द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए कुछ कर्त्तव्य समनुद्दिष्ट किए गए हैं। राज्य सरकारों को ये कार्य सौंपे गए हैं:

(i) एहतियाती और निवारक उपाय करना, जैसे अत्याचार–प्रवण क्षेत्र परिलक्षित करना, अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में सरकार को सहायता देने के लिए उच्च स्तरीय राज्य समिति, जिला और डिवीजनल समितियां गठित करना, सतर्कता और मानीटरी समिति स्थापित करना और जागरूकता केन्द्र स्थापित करना, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को उनके अधिकारों, आदि के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्रों में कार्यशाला आयोजित करना;

(ii) विशेष न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए जिला मेजिस्ट्रेटों की सिफारिश पर अधिवक्ताओं का एक पेनल तैयार करना;

(iii) राज्य मुख्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष स्थापित करना;

(iv) जिला मेजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार के सचिव स्तर का नोडल अधिकारी नामांकित करना;

(v) वार्षिक बजट में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना;

(vi) उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए एक माडल आकस्मिकता योजना तैयार करना;

(vii) मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक सतर्कता और मानीटरी समिति स्थापित करना;

(viii) यह सुनिश्चित करना कि अत्याचार–प्रवण क्षेत्र में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं के प्रति सही प्रवृत्ति और समझ हो; और

(ix) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों के बारे में केन्द्रीय सरकार को 31 मार्च से पहले एक रिपोर्ट भेजना।

8.8.2 जैसाकि ऊपर बताया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में जिला प्रशासन द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। जिला मेजिस्ट्रेट को ये कार्य सौंपे गए हैं:

(i) घटना स्थल पर जाना और जीवन हानि और सम्पत्ति को हुए नुकसान को आंकना;

(ii) तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करना; विशेष न्यायालय को राहत और पुनर्वास के बारे में सूचना देना;

(iii) यदि उत्पीड़ित चाहे, तो मुकदमा लड़ने के लिए किसी प्रतिष्ठित वकील की सेवाएं मुहैया करना; और

(iv) अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिले में एक सतर्कता और मानीटरी समिति स्थापित करना।

8.8.3 इसी प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अन्तर्गत जिला पुलिस अधीक्षक के लिए यह कर्त्तव्य निर्धारित किए गए हैं:

(i) घटना–स्थल पर जाना;

(ii) क्षेत्र में ऐसा पुलिस बल तैनात करना और ऐसे अन्य निवारक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जाएं;

(iii) एक अन्वेषक अधिकारी नियुक्त करना, जो पुलिस के उप–अधीक्षक से नीचे के रैंक का न हो और नियुक्ति करने से पहले उसके पूर्व–अनुभव, योग्यता और न्याय की भावना को ध्यान में रखना; और

(iv) यह सुनिश्चित करना कि अन्वेषण 30 दिन के अन्दर पूरा हो जाए।

8.9 अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की राज्य–वार संख्या

8.9.1 संविधान के अनुच्छेद 338(क) के खंड (5) के अन्तर्गत समनुद्दिष्ट कर्त्तव्यों के अनुसरण में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे इसके बाद आयोग कहा गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम, 1995 के कार्यचालन को अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में मानीटर करता है। तदनुसार, आयोग ने सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर अत्याचार के मामलों के बारे में, जिनमें उत्पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों के थे, यह ब्योरा भेजने के लिए अनुरोध किया था कि वर्ष 2002 से 2004 तक ऐसे कितने मामले पुलिस द्वारा दर्ज किए गए और पुलिस द्वारा तथा न्यायालयों द्वारा निपटाए गए। राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना नीचे की तालिका में दी गई है:

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	अत्याचार के मामलों की संख्या और प्रतिशतता, 2002–2004					
	2002	प्रतिशतता	2003	प्रतिशतता	2004	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5वीं अनुसूची के राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	279	**7.1**	348	**9.5**	299	**7.9**
हिमाचल प्रदेश	01	**0.0**	02	**0.1**	02	**0.1**
गुजरात	160	**4.1**	136	**3.7**	149	**3.9**
उड़ीसा	307	**7.8**	256	**7.0**	316	**8.3**
राजस्थान	930	**23.4**	912	**24.8**	1031	**27.2**
महाराष्ट्र	252	**6.4**	223	**6.1**	233	**6.1**
छत्तीसगढ़	493	**12.5**	457	**12.4**	433	**11.4**
मध्य प्रदेश	1424	**36.1**	1235	**33.6**	1191	**31.4**
उप–जोड़	3846	**97.4**	3569	**97.2**	3654	**96.3**
गैर–5वीं अनुसूची के राज्य						
बिहार	उ.न.	**0.0**	उ.न.	**0.0**	14	**0.4**
केरल	67	**1.2**	57	**1.6**	83	**2.2**
मणिपुर	01	**0.0**	01	**0.0**	00	**0.0**
तमिलनाडु	05	**0.1**	11	**0.3**	14	**0.4**
उत्तरांचल	03	**0.1**	03	**0.1**	10	**0.3**
पश्चिम बंगाल	20	**0.5**	13	**0.4**	13	**0.3**
दिल्ली	05	**0.1**	08	**0.2**	05	**0.1**
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	01	**0.0**	01	**0.0**	01	**0.0**

दादरा और नगर हवेली	00	**0.0**	08	**0.2**	00	**0.0**
दमन और दीव	00	**0.0**	01	**0.0**	01	**0.0**
उप–जोड़	102	**2.6**	103	**2.8**	141	**3.7**
कुल जोड़	**3948**	**100**	**3672**	**100**	**3795**	**100**

टिप्पणी:(i) अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, पांडिचेरी और लक्षद्वीप के राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों ने अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी है।

(ii) झारखंड राज्य (पांचवीं अनुसूची का राज्य) और कर्नाटक(जो पांचवीं अनुसूची का राज्य नहीं) ने अभी तक सूचना नहीं भेजी है।

(iii) प्रतिशतता देश में अत्याचार के मामलों की कुल संख्या की तुलना में है।

8.9.2 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अत्याचार के जिन मामलों की रिपोर्ट दी गई है, उनसे प्रकट होता है कि औसत रूप से 97 प्रतिशत मामलों का सम्बन्ध पांचवीं अनुसूची के राज्यों से है, जो गहरी चिन्ता का विषय है। इन राज्यों में, अनुसूचित जनजातियों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास की कार्य–नीति केन्द्रीय सरकार और पांचवीं अनुसूची में शामिल होने के कारण इन राज्यों की विशेष जिम्मेदारी है। उक्त अनुसूची का पैरा 5(1) राज्यपाल को यह प्राधिकार देता है कि वह लोक अधिसूचना द्वारा 'यह निदेश दे कि संसद का अथवा राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी हिस्से पर लागू नहीं होगा अथवा उक्त क्षेत्र में ऐसे अपवादों अथवा उपान्तरों के अधीन लागू होगा, जो वह विनिर्दिष्ट करे'। पैरा 5(2) राज्यपाल को यह प्राधिकार देता है कि वह 'राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में शान्ति और सुशासन के लिए और, विशेष रूप से, उसमें विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में विनियम बनाए'। पैरा 5(2) के तहत राज्यपाल की विनियम बनाने की शक्ति में कानून बनाने और उन्हें लागू करने की उच्चतम शक्ति शामिल है। अनुच्छेद 339(ii) और पांचवीं अनुसूची के तहत, संघ सरकार की शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण कार्यक्रमों और प्रशासन के सम्बन्ध में निदेश देने तक है। यह बहुत दुखद स्थिति है कि संवैधानिक संरक्षणों के बावजूद, पांचवीं अनुसूची के राज्यों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। इन अनुसूची के राज्यों में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, तदनुसार, पांचवीं अनुसूची के राज्यों में स्थित प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से, अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक–आर्थिक अध्ययन करने का प्रस्ताव है, जिसमें उन पर होने वाले अत्याचारों के लिए जिम्मेदार कारणों का अध्ययन करना भी शामिल है।

8.10 अनुसूचित जनजातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्गीकरण

8.10.1 अत्याचारों के आकार का जायज़ा लेते समय, यह जांच करना जरूरी है कि गैर–अनुसूचित जाति और गैर–अनुसूचित जनजाति लोगों द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। वर्ष 2004 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर किए गए अत्याचारों के स्वरूप की जानकारी नीचे दी गई है:,

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	अत्याचारों का स्वरूप और उनकी संख्या					
	हत्या	गहरी चोट	बलात्कार	आगजनी	अन्य	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5वीं अनुसूची के राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	03	32	23	03	130	191
हिमाचल प्रदेश	00	00	01	00	01	02
गुजरात	06	14	28	02	99	149
उड़ीसा	04	15	30	01	266	316

राजस्थान	15	36	25	08	947	1031
महाराष्ट्र	06	08	39	10	170	233
छत्तीसगढ़	16	08	105	04	300	433
मध्य प्रदेश	39	35	272	15	830	1191
उप–जोड़	**89**(96.7)	**148**(95.5)	**523**(95.4)	**43**(95.6)	**2743**(96.3)	**3546**(96.2)
गैर–5वीं अनुसूची के राज्य						
बिहार	00	02	00	00	12	14
केरल	02	02	18	02	59	83
तमिलनाडु	00	00	02	00	12	14
उत्तरांचल	00	03	00	00	07	10
पश्चिम बंगाल	01	00	04	00	08	13
दिल्ली	00	00	00	00	05	05
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	00	00	00	00	01	01
दमन और दीव	00	00	01	00	00	01
उप–जोड़	**03**(3.3)	**07**(4.5)	**25**(4.6)	**02**(4.4)	**104**(3.7)	**141**(3.8)
कुल जोड़	**92(100)**	**155(100)**	**548(100)**	**45(100)**	**2847(100)**	**3687(100)**

टिप्पणी:(i) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, पांडिचेरी और लक्षद्वीप के राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों ने अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी है।

(ii) झारखंड राज्य और कर्नाटक राज्यों ने अभी तक सूचना नहीं भेजी है।

(iii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या की तुलना में प्रतिशतता के द्योतक हैं।

(iv) पांचवीं अनुसूची के राज्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2004 के अत्याचारों के मामलों की कुल संख्या (3546) और पैरा 7.9.1 के नीचे की तालिका में उसी वर्ष के बारे में दिए गए आंकड़ों के बीच अन्तर होने का कारण यह है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा भेजी गई सूचना में अन्तर है।

8.10.2 उपर्युक्त से यह देखा जाएगा कि सामान्य रूप के अत्याचारों के मामलों की तरह (पैरा 7.9.1 और 7.9.2), वर्ष 2004 में हत्या के 96.7 प्रतिशत मामलों, गहरी चोटों के 95.5 प्रतिशत मामलों, बलात्कार के 95.4 प्रतिशत मामलों की, जो अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, रिपोर्टें पांचवीं अनुसूची के राज्यों से मिली हैं।

8.11 अत्याचार के मामलों का पुलिस द्वारा निपटान

8.11.1 वर्ष 2001 से वर्ष 2004 के दौरान पुलिस द्वारा अत्याचार के जितने मामले दर्ज किए गए और जितने (प्रतिशत) मामलों की जांच की गई, उनकी संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	अत्याचार के मामलों की संख्या				
	पंजीकृत मामलों की संख्या	आरोपपत्र प्रस्तुत	अन्तिम रिपोर्ट (बंद कर दिए गए)	जोड़ (3+4)	अन्वेषणाधीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2002	3948 (100)	2952 (74.8)	816 (20.6)	3768 (95.4)	180 (4.6)
2003	3672 (100)	2802 (76.3)	696 (19.0)	3498 (95.3)	174 (4.7)

2004	3781 (100)	2523 (66.7)	694 (18.4)	3217 (85.1)	564 (14.9)

टिप्पणी:

(i) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, पांडिचेरी और लक्षद्वीप राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों ने अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार की कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

(ii) बिहार, झारखंड और कर्नाटक राज्यों ने अभी सूचना नहीं भेजी है।

8.11.2 पुलिस के पास जांच के मामलों के विश्लेषण से प्रकट होता है कि औसत रूप से 92 प्रतिशत मामलों में पुलिस ने जांच पूरी कर ली थी, जिनमें से 73 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र जारी किए गए थे और 27 प्रतिशत मामलों में अन्तिम रिपोर्टें न्यायालयों में पेश कर दी गई थीं। जिन मामलों में अन्तिम रिपोर्टें प्रस्तुत की गई थीं, उनमें वे मामले भी शामिल थे, जो गलत रिपोर्टिंग/ गलत तथ्यों के कारण बंद कर दिए गए थे। अत्याचारों के मामलों की तफतीश ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, जो पुलिस उप–अधीक्षक के रैंक से नीचे का नहीं होता और पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है। पुलिस का उप–अधीक्षक ऐसे मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी होता है, जिनकी जांच पुलिस स्टेशन स्तर के अधिकारियों, जैसे सर्कल अधिकारियों द्वारा की जाती है, जो कानून और व्यवस्था सम्बन्धी विविध कार्य करते हैं और इसके परिणामस्वरूप शीघ्रतापूर्वक अन्वेषण करने के महत्त्वपूर्ण कार्य की प्राथमिकता का क्रम नीचे चला जाता है। तदनुसार, भूतपर्वू राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 को संशोधित करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ताकि पुलिस उप–अधीक्षकों के अलावा पुलिस निरीक्षकों को भी अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त हो जाए। भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 की छठी वार्षिक रिपोर्ट में भी यह प्रस्ताव शामिल किया गया था। यह कहा गया था कि गृह सचिवों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दिसम्बर, 1996 में हुए सम्मेलन में आम सहमति यह थी कि अधिकतर राज्यों में पुलिस उप–अधीक्षकों के स्तर के अधिकारियों की कमी को देखते हुए, अन्वेषण का काम केवल पुलिस उप–अधीक्षकों के स्तर के अधिकारियों को सौंपना मुश्किल है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से इस मुद्दे पर तेजी से फैसला करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अभी तक भूतपूर्व आयोग के इस प्रस्ताव के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तदनुसार, भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की इस पहले की सिफारिश को दोहराता है कि अत्याचार के मामलों/ शिकायतों के अन्वेषण में तेजी लाने के लिए पुलिस के उप–अधीक्षकों के अलावा, पुलिस निरीक्षकों को भी शक्ति प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 7(1) और नियम 5(3) में उपयुक्त संशोधन किए जाएं।**

8.11.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में अपने दौरों के दौरान यह देखा है कि पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों के स्तर से जिला पुलिस अधीक्षकों के स्तर तक के पुलिस तंत्र को अत्याचारों के उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम, 1995 के उपबन्धों के बारे में नियमित अन्तराल पर संवेदनशील बनाने की जरूरत है। सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों से, तदनुसार, पुलिस अधिकारियों के लिए नियमित अन्तराल पर भली–भांति संरचित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

8.12 विशेष न्यायालयों द्वारा अत्याचारों के मामलों का निपटान

8.12.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की उद्देशिका में, अन्य बातों के साथ–साथ, अत्याचारों के अपराधों के शीघ्रतापूर्वक विचारण के लिए विशेष न्यायालय का उपबन्ध किया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि अत्याचारों के उत्पीड़ितों को विचारण

की न्यूनतम अवधि में न्याय प्राप्त हो। इस अधिनियम के अन्तर्गत नामोद्दिष्ट/स्थापित विशेष न्यायालयों द्वारा किए गए मामलों के निपटान की स्थिति इस प्रकार है:

वर्ष	अत्याचार के मामलों की संख्या				अन्वेषणाधीन
	न्यायालयों के पास	न्यायालयों द्वारा निर्णीत और निम्न रूप में समाप्त			
		दोषसिद्धि	दोषमुक्ति	जोड़	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2002	9086 (100)	517 (18.9)	2218 (81.1)	2735 (30.1)	6351 (69.9)
2003	8762 (100)	416 (17.2)	2001 (82.8)	2417 (27.6)	6345 (72.4)
2004	8712 (100)	397 (14.7)	2297 (85.3)	2694 (30.9)	6018 (69.1)
औसत	8853 (100)	443 (16.9)	2172 (83.1)	2615 (29.54)	6238 (70.46)

टिप्पणियां:

(i) अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, गोवा, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, पांडिचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों ने अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी है।

(ii) आन्ध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र के राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में जो अन्तर है, उसका मिलान किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) बिहार, झारखंड और कर्नाटक राज्यों ने अभी तक सूचना नहीं भेजी है।

(iv) कोष्ठकों के आंकड़े देश में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों की कुल संख्या की तुलना में प्रतिशतता के हैं।

8.12.2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम, 1995 के कार्यचालन की सफलता, अन्य बातों के साथ–साथ, उन अपराधियों की दोषसिद्धि की सफलता पर निर्भर करती है, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार किए हों। लेकिन, अखिल भारतीय स्तर पर विशेष न्यायालयों द्वारा निर्णीत अत्याचार मामलों में दोषसिद्धि की दर, औसत रूप से, केवल 17 प्रतिशत है। दोषमुक्ति की दर, औसत रूप से, 83 प्रतिशत है, जो बहुत ऊंची है। यह स्थिति विशेष अन्वेषण अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, विशेष न्यायालय और अन्वेषण तथा विचारण के दौरान गवाहों और उत्पीड़ित को टी.ए. और डी.ए. की विशेष राशि के उपबन्धों के बावजूद है। दोषमुक्ति के उच्च स्तर की यह चिन्ताजनक प्रवृत्ति दाण्डिक न्याय प्रणाली के बारे में एक दुखद टिप्पणी है। यह प्रवृत्ति, एक ओर तो अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नजर में अधिनियम और नियमों के प्रवर्तन की विश्वसनीयता को कम कर देती है और, दूसरी ओर इससे गैर–अनुसूचित जाति/ गैर–अनुसूचित जनजाति के सम्भाव्य अपराधियों के कानून को अपने हाथ में लेने के झुकाव को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है।

8.12.3 दोषमुक्ति की ऊंची दर का कारण या तो मानवीय गलतियां अथवा प्रणालीगत कमियां अथवा दोनों बाते हो सकती हैं। मानवीय गलतियों को अन्वेषण करने वाले अधिकारियों और विशेष लोक अभियोजकों को नियमित अन्तराल पर जोरदार प्रशिक्षण देकर और फीडबैक सेवा प्रदान करके सुधारा जा सकता है। मौजूदा प्रणाली से इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के सुचारु कार्यान्वयन और प्रवर्तन में जहां कहीं बाधा आती है, वहां उसका गहराई से अध्ययन करके प्रणाली की कमियों को दूर किया जा सकता है। **आयोग का विचार है कि पांचवीं अनुसूची के सभी राज्यों के सभी जिलों में अतिरिक्त सत्र न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किए जाने के बजाय, नियमों के उपबन्धों के अनुसार अनन्य रूप से विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने**

चाहिएं। जिला मेजिस्ट्रेट को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार विशेष लोक अभियोजकों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि राज्य सरकार को यह तसल्ली हो जाए कि विशेष लोक अभियोजक ने अपनी पूरी योग्यता और समुचित ध्यानपूर्वक और सावधानी से मामलों का संचालन नहीं किया है, तो उसका नाम, लिखित रूप से अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अनधिसूचित कर दिया जाए।

8.12.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने विभिन्न राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में अपने दौरों के दौरान यह देखा है कि न केवल पुलिस अधिकारियों (जैसाकि पैरा 7.11.3 में उल्लेख किया गया है) को, बल्कि अभियोजन अभिकरणों को भी अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़ितों की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों और लक्ष्यों और अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में उनकी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। आयोग ने, तदनुसार, इस मामले को राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया है और उनसे विशेष लोक अभियोजकों को गुणात्मक अभियोजन के लिए संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से उनके लिए भली–भांति संरचित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुरोध किया है, ताकि वे अपने क्षेत्र–आधारित व्यावहारिक अनुभवों को आपस में बांट सकें और दोषसिद्धि की दर को बढ़ाने के लिए उपचारी उपाय ढूंढ सकें।

8.13 राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके तहत बनाए गए नियम, 1995 के अन्तर्गत किए गए विशेष प्रबन्ध

8.13.1 जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे इसके आगे अधिनियम कहा गया है) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसके आगे नियम कहा गया है) के अन्तर्गत, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के लिए यह आदेशात्मक है कि वे शीघ्रतापूर्वक विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करें, लोक अभियोजक अधिसूचित करें, कानूनी सहायता सहित पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करें, अत्याचारों के उत्पीड़ितों के लिए आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित करें, अभियोजनों के पर्यवेक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त करें, इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन का नियतकालिक सर्वेक्षण करने के लिए उपयुक्त स्तर पर समितियां स्थापित करें, राज्य स्तर पर सतर्कता और मानीटरी समिति स्थापित करें, अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए माडल आकस्मिकता योजनाएं तैयार करें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2002 की उन्नीसवीं रिपोर्ट में, जो 2004 के दौरान तैयार की गई थी, उपलब्ध सूचना के अनुसार पांचवीं अनुसूची के नौ राज्यों और कुछ अन्य राज्यों द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(क) आन्ध्र प्रदेश

(i) इस समय अनन्य रूप से अत्याचारों के मामलों की जांच करने के लिए 12 पुलिस उप–अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं और डी.एस.पी., सी.आई.डी. शेष जिलों में अत्याचारों के मामलों की जांच करते हैं।

(ii) राज्य स्तरीय समीक्षा समिति और जिला स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समितियां गठित की गई हैं। यद्यपि पूर्वोक्त समिति अत्याचारों के मामलों की समीक्षा हर छः महीनों में एक बार करती है, लेकिन उत्तरोक्त समितियां हर तीन महीनों में एक बार समीक्षा करती हैं।

(iii) राज्य सरकार ने राज्य के 8 जिलों को अत्याचार–प्रवण जिले घोषित किया है, जहां इससे पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार होते रहे हैं। ये जिले हैं, गुन्तूर, चित्तूर, सिकन्दराबाद, प्रकाशम, नेल्लोर, कुरनूल, महबूबनगर और मेडक।

(iv) अत्याचार–प्रवण क्षेत्रों में मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनन्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आठ विशेष सत्र न्यायालय स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने कुड्डप्पा, निजामाबाद, कृष्णा और करीमनगर के जिलों के लिए 4 अन्य सत्र न्यायालयों की मंजूरी दी है।

(ख) हिमाचल प्रदेश

(i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है, जिसमें टी.ए./डी.ए. के व्यय और न्यायालय शुल्क भी शामिल है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति महिलाओं और बच्चों के लिए कोई आय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ii) अत्याचारों के उत्पीड़ितों को नियमों के नियम 12(4) के अन्तर्गत विहित मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है।

(iii) अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट के दर्जे के अधिकारियों को विशेष अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है और पुलिस के उप–अधीक्षक को प्रत्येक जिले में अन्वेषण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(iv) राज्य स्तर पर, एक सतर्कता और शिकायत समाधान समिति है, जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं। प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति जिला मेजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में काम करती है।

(v) पुलिस मुख्यालय में एक कक्ष अधिनियम के अन्तर्गत मामलों के पंजीयन की प्रगति का पर्यवेक्षण करता है। नियमों के नियम 8 के अनुसार, पुलिस महा निदेशक की अध्यक्षता में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष स्थापित किया गया है।

(vi) हिमाचल प्रदेश में किसी विशिष्ट क्षेत्र को अत्याचार–प्रवण क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) गुजरात

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कानूनी सहायता मुहैया की जा रही है, जिसके लिए आय की सीमा 12,000/– रुपए प्रति वर्ष है। वित्तीय सहायता की मौजूदा दर 3000/– रुपए प्रति आपराधिक मामला है।

(ii) उत्पीड़ितों और गवाहों द्वारा न्यायालय की कार्यवाहियों में उपस्थित होने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिसकी दर 10/– रुपए प्रति दिन है, यदि व्यक्ति उसी तालुका से हो, 15/– रुपए प्रति दिन है, यदि व्यक्ति उसी जिले के किसी अन्य तालुका से हो, और 20/– रुपए प्रति दिन है, यदि व्यक्ति किसी अन्य जिले से हो। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को 15/– रुपए प्रति दिन की अदायगी व्यय के रूप में भी की जाती है।

(iii) राज्य सरकार अत्याचार के पीड़ितों को नियमावली के नियम 12(4) के अन्तर्गत विहित मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता देती है।

(iv) सचिवालय स्तर पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव, उप सचिव और अवर सचिव कार्य की देखरेख करते हैं, जबकि निदेशालय के स्तर पर निदेशक कार्य को देखते हैं। निदेशालय में 'नागरिक कक्ष' नाम से एक विशेष कक्ष भी है। वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट में तीन क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी काम कर रहे हैं, जो अपने अधिकार–क्षेत्र के अन्दर अत्याचारों की घटनाओं को देखने के लिए नियमों के नियम 10 के तहत विशेष अधिकारियों के रूप में मनोनीत किए गए हैं।

(v) अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें वित्त मंत्री, संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्य शामिल हैं।

(vi) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति कार्य कर रही है, जो तीन सतर्कता दस्तों के सतर्कता अधिकारियों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। समिति में गृह सचिव, विधि सचिव, विशेष पुलिस महा निरीक्षक, आदि शामिल हैं। समिति अत्याचारों के मामलों और मामलों के विचारण के अन्य पहलुओं की और राज्य की आकस्मिकता योजना के अन्तर्गत पीड़ितों के पुनर्वास की समीक्षा करती है।

(vii) जिला स्तर पर, सम्बन्धित जिले के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सतर्कता समितियां बनी हुई हैं, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले की सामाजिक न्याय समिति के सभापति, जिला विकास अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, जिले का सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सम्बन्धित जिले का संसद सदस्य/ विधायक शामिल होते हैं।

(viii) ग्यारह जिलों, अर्थात मेहसाना, अहमदाबाद, जूनागढ़, सबरकंठा, खेडा, राजकोट (ग्रामीण), अमरेली, कच्छ, सुरेन्द्रनगर, बडोदरा (ग्रामीण) और भड़ोच को अत्याचारों के घटनाओं की दृष्टि से संवेदनशील निर्धारित किया गया है।

(ix) राज्य सरकार ने सभी जिलों में सत्र न्यायालयों को अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया हुआ है। राज्य सरकार ने राज्य के 10 जिलों में सहायक सत्र न्यायाधीश के पद और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पदों के सृजन द्वारा 10 अनन्य विशेष न्यायालय भी स्थापित किए हैं।

(घ) उड़ीसा

(i) अत्याचारों के पीड़ितों सहित गवाहों के यात्रा और भरण–पोषण व्यय को वकील की फीस, न्यायालय शुल्क और प्रोसेसिंग फीस, आदि के साथ कानूनी सहायता की व्यवस्था के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

(ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचारों के उत्पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा विहित राहत के मानदंड के अनुसार मौद्रिक राहत दी जाती है।

(iii) जिला मानव अधिकार संरक्षण कक्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

(iv) राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियां स्थापित की हैं। मुख्य मंत्री की अध्यक्षता के अन्तर्गत राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति कल्याण और परामर्श बोर्ड में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के विधायक और गैर–सरकारी सदस्य शामिल हैं।

(v) गृह विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही में अत्याचारों की घटनाओं की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।

(vi) जैसाकि नियमों के नियम 17 के तहत अपेक्षित है, सभी जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समितियां गठित की गई हैं। अत्याचारों की घटनाओं की समीक्षा करने के लिए इन समितियों की तिमाही बैठकें की जाती हैं।

(vii) विशेष अधिकारियों द्वारा अपने सम्बन्धित जिलों के अत्याचार–प्रवण क्षेत्रों के सम्बन्ध में नियतकालिक सर्वेक्षण किए जाते हैं।

(viii) राज्य सरकार ने अत्याचार–प्रवण क्षेत्रों की एक समेकित सूची तैयार की है। राज्य ने नियमावली के नियम 10 के अन्तर्गत विशेष अधिकारियों के कर्त्तव्यों और कृत्यों का निष्पादन करने के लिए जिलों के अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेटों को सम्बन्धित जिलों में विशेष अधिकारी नियुक्त किया है।

(ix) सभी जिलों के न्यायालयों और सत्र न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों को अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय अधिसूचित किया है।

(ड.) राजस्थान

(i) विधिक सेवा प्राधिकारी अधिनियम, 1987 और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी नियम, 1995 के अन्तर्गत हकदार व्यक्तियों को उक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार कानूनी सेवाएं मुहैया की जाती हैं।

(ii) मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है।

(iii) जिला स्तर पर जिला मेजिस्ट्रेट के कार्य–भार के अन्तर्गत जिला सतर्कता और मानीटरी समितियां गठित की गई हैं। समिति को अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत लोक सेवकों द्वारा अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा किए जाने के मामलों में तत्काल कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है।

(iv) पुलिस महा निरीक्षक, सी.आई.डी. (एच.ए.) के पर्यवेक्षण के अधीन पुलिस मुख्यालय में एक नागरिक अधिकार कक्ष स्थापित किया गया है। 18 जिलों में 21 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कक्ष भी स्थापित किए गए हैं।

(v) जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली, मेदता (नागौर), अल्वर, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़), दौसा, गंगानगर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बारां, टोंक और भीलवाड़ा में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। शेष जिलों में अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण के लिए जिला सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है। इस प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किए गए हैं।

(vi) राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को अपने जिलों में अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेटों और जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया है।

(च) महाराष्ट्र

(i) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणियों के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया करने के जरिए सहायता देने के लिए प्रत्येक जिले और तालुका में कानूनी सहायता समितियां स्थापित की गई हैं। जिन लोगों की वार्षिक आय 6000/– रुपए से कम है, वे कानूनी सहायता का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ii) महाराष्ट्र सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के विचारण के लिए प्रत्येक जिले के लिए सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया है।

(iii) सामाजिक न्याय, गृह और भू–राजस्व विभागों द्वारा अधिनियम का कारगर कार्यान्वयन संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

(iv) उन मामलों में, जिनमें पीड़ितों को तफतीश की प्रक्रिया के दौरान और न्यायालयों में विचारण के दौरान पुलिस स्टेशन अथवा जिला मेजिस्ट्रेट के कार्यालय में बुलाया जाता है, पीड़ितों को भरण–पोषण और यात्रा भत्तों की अदायगी करने की व्यवस्था है।

(v) जिला स्तर पर, सतर्कता समिति की अध्यक्षता जिला मेजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। समिति की बैठक महीने में एक बार होती है और वह अपराधों, अन्वेषण और पीड़ितों को मौद्रिक सहायता की मंजूरी की समीक्षा करती है।

(vi) डिवीजन स्तर पर, सतर्कता समिति की अध्यक्षता डिवीज़नल राजस्व आयुक्त द्वारा की जाती है। डिवीजन के सभी जिलों के सभी जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक समिति के सदस्य होते हैं। समिति तिमाही आधार पर बैठक करती है और विभिन्न जिलों में विभिन्न अपराधों की घटनाओं और पीड़ितों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था और उसके वितरण का जायज़ा लेती है।

(vii) राज्य स्तर पर, एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की अध्यक्षता मुख्य मंत्री द्वारा की जाती है और समाज कल्याण विभाग का निदेशक उसका सदस्य–सचिव होता है। अधिनियम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी सचिव समिति के सदस्य हैं।

(viii) राज्य ने सभी छः डिवीजनों में आंशिक रूप से संवेदनशील, कम संवेदनशील और संवेदनशील गांव अधिसूचित किए हैं।

(ix) प्रधान सचिव, परिवहन और उत्पाद–शुल्क विभाग को नोडल अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

(छ) छत्तीसगढ़

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उन मामलों में, जो अत्याचारों से सम्बन्धित हों और जहां विचारण सत्र न्यायालय में लम्बित हो, निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है।

(ii) राज्य सरकार अत्याचारों के पीड़ितों/ उनके आश्रितों और गवाहों को जांच अधिकारी के सामने अन्वेषण के दौरान और न्यायालय में विचारण के समय हाजिर होने के लिए आने–जाने का दूसरी श्रेणी का रेल भाड़ा अथवा वास्तविक टेक्सी किराया मुहैया करती है। राज्य सरकार अत्याचार के उत्पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों और परिवारों को उन दिनों के लिए, जब वे मामले के अन्वेषण, सुनवाई और विचारण के दौरान अपने निवास स्थान से दूर होते हैं, भरण–पोषण व्यय मुहैया करती है।

(iii) कोई अत्याचार–प्रवण क्षेत्र विशिष्ट रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है।

(iv) 16 जिलों में से रायपुर, दुर्ग, राजनन्दगांव, जगदलपुर, दान्तीवाडा, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा के आठ जिलों में विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर किए गए मामलों की समीक्षा करने के लिए सात जिलों में विशेष पुलिस कक्ष भी स्थापित किए हैं।

(v) रायपुर, दुर्ग, राजनन्दगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर (जगदलपुर) जिलों में अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(vi) नियमों के उपबन्धों के अनुसार आकस्मिकता योजना तैयार की गई है।

(vii) अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर, डिवीजन स्तर और जिला स्तर पर सतर्कता और मानीटरी समितियां बनी हुई हैं।

(ज) झारखण्ड

(i) जिलों के डिप्टी कमिश्नरों द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 1000/– रुपए तक की कानूनी सहायता देने की व्यवस्था है।

(ii) अत्याचारों से प्रभावित व्यक्तियों, उनके आश्रितों और साक्षियों को दैनिक भत्ता देने की व्यवस्था है, जो कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। इसके अलावा, जिला मेजिस्ट्रेटों द्वारा यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति किए जाने की भी व्यवस्था है।

(iii) अत्याचारों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को 10,000/– रुपए से लेकर 2,00,000/– रुपए तक की राशि की मंजूरी देने की व्यवस्था है। अत्याचार के कारण मृत्यु होने की स्थिति में कमाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को 2.00 लाख रुपए तक की राहत अथवा अत्याचार के परिणामस्वरूप उनके स्थायी रूप से निःशक्त बन जाने पर 1.00 लाख रुपए तक राहत देने की व्यवस्था भी है।

(iv) मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति स्थापित की गई है।

(v) अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समितियां पहले से कार्य कर रही हैं।

(vi) झारखंड के सभी जिलों में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के अन्तर्गत नामोद्दिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(vii) विशेष सचिव, गृह मंत्रालय को अधिनियम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए नोडल अधिकारी घोषित किया गया है।

(viii) नियमावली के नियम 10 के तहत राज्य के 17 जिलों में विशेष अधिकारी नामोद्दिष्ट किए गए हैं।

(ix) राज्य के पूर्व सिंहभूम, जमतारा और लोहारडागा जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं।

(x) हजारीबाग जिले को प्राथमिक अत्याचार–प्रवण क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

(xi) गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक अपराध अन्वेषण स्कन्ध स्थापित किया गया है और उसे अधिनियम के तहत दायर किए गए मामलों की तफतीश में तेजी लाने का काम सौंपा गया है। रांची जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष पुलिस स्टेशन कार्य कर रहा है, जिसका अधिकार–क्षेत्र समूचा झारखंड राज्य है।

(झ) मध्य प्रदेश

(i) राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं और लोक अभियोजकों का एक पेनल अधिसूचित किया है।

(ii) अधिनियम के तहत मामलों के शीघ्रतापूर्वक विचारण के लिए राज्य सरकार ने धार, शाजापुर, मोरेना, शहडोल, दमोह, रायसेन, मांडिया, सिंहोर, भिंड, टीकमगढ़, मंडलेश्वर, देवास, मन्दसौर, इन्दौर, होशंगाबाद, जबलपुर, विदिशा, पन्ना, छतरपुर, उज्जैन, गुना, सतना, रीवा, नरसिंहपुर, सागर, ग्वालियर, राजगढ़, भोपाल और झाबुआ में 29 विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं।

(iii) सभी जिलों में पुलिस उप–अधीक्षकों को नियमावली के नियम 7 के अन्तर्गत अन्वेषण अधिकारी विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iv) राज्य स्तर पर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक के कार्यभार के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष स्थापित किया गया है। इस कक्ष के अधीन, जिला मुख्यालयों में 38 विशेष पुलिस थाने भी स्थापित किए गए हैं।

(v) राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति विकास आयुक्त को अधिनियम के तहत नोडल अधिकारी के रूप में भी अधिसूचित किया है।

(vi) अपर जिला मेजिस्ट्रेट के रैंक के एक अधिकारी को अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तर पर विशेष अधिकारी घोषित किया गया है।

(vii) राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक मानीटरी और मूल्यांकन समिति गठित की गई है। विधान सभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य भी समिति के सदस्य हैं।

(viii) जिला स्तर पर, एक जिला सतर्कता और मानीटरी समिति स्थापित की गई है, जो अत्याचार के मामलों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए हर तिमाही में बैठक करती है।

(ix) राज्य में, ऐसे प्रत्येक जिले को, जहां अत्याचार के मामले बहुत अधिक हैं, अत्याचार–प्रवण क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

(ञ) बिहार

(i) सचिव, गृह विभाग को नोडल अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है, जो अधिनियम के उपबन्धों के कार्यावयन की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर बैठकें आयोजित करता है।

(ii) राज्य स्तर पर, महा निदेशक, सी.आई.डी. के समूचे कार्यभार के अन्तर्गत एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कक्ष बनाया गया है। यह कक्ष पुलिस महा निरीक्षक (कमजोर वर्ग) के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।

(iii) अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए, राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसी प्रकार, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो तीन महीनों में एक बार समीक्षा करती है।

(iv) राज्य स्तर पर, सी.आई.डी. मुख्यालय में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। इसके अलावा, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय, भागलपुर और मुंगेर में विनिर्दिष्ट अधिकार–क्षेत्रों वाले 9 पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

(v) बिहार के कुल 38 जिलों में से, 33 जिलों को अत्याचारों के दृष्टिकोण से संवेदनशील निर्धारित किया गया है।

(vi) प्रत्येक जिले में प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के एक न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा, 9 डिवीजनल मुख्यालयों में अनन्य विशेष न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं और पूर्वी चम्पारन (मोतीहारी) और भोजपुर जिलों में भी स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने नवादा, समस्तीपुर, वैशाली, नालन्दा, मधुबनी और सीवन जिलों के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के छः पदों के सृजन के लिए भी मंजूर दी है।

(vii) अत्याचार के मामलों को हाथ में लेने के लिए विशेष न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं।

(viii) राज्य सरकार नियमों के उपबन्धों के अनुरूप एक आकस्मिकता योजना तैयार करने का कार्य कर रही है। इस सम्बन्ध में अब तक ये कदम उठाए गए हैं:

(क) अत्याचार होने के कारण अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति का देहान्त हो जाने की स्थिति में, प्रभावित परिवार के आश्रितों को सरकारी सेवा में श्रेणी–IV के कर्मचारी के रूप में रोजगार मुहैया किया जाएगा।

(ख) यदि अत्याचार के कारण पशु प्रभावित हुए हों, तो पशुपालन विभाग के डाक्टर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सहायता प्रदान करेंगे।

(ग) सरकार ने प्रभावित विधवा को सामाजिक रक्षा पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पन्द्रह दिनों के भीतर पेंशन देने का फैसला किया है।

(घ) सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जनों को अत्याचार की घटना के कारण उत्पीड़ितों/ प्रभावित परिवार के सदस्यों को तुरन्त चिकित्सा सहायता मुहैया करने के अनुदेश भी जारी किए हैं।

(ट) कर्नाटक

(i) प्रत्येक उप–डिवीजन में काम कर रहे पुलिस उप–अधीक्षकों को नियमावली के नियम 7 के तहत अन्वेषण अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

(ii) पुलिस के अतिरिक्त महा निदेशक (कानून और व्यवस्था) को नोडल अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है, जैसाकि नियमावली के नियम 9 के तहत अपेक्षित है।

(iii) अत्याचार के सभी मामलों में, जिला प्रशासन पीड़ितों को राहत की अदायगी और उनके पुनर्वास के लिए तुरन्त उपाय करता है, जैसाकि नियमावली के नियम 12(4) के तहत अपेक्षित है।

(iv) राज्य सरकार ने, नियमावली के नियम 16 के तहत यथा–अपेक्षित, एक उच्च शक्तिप्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति गठित की है।

(v) गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च शक्तिप्राप्त राज्य–स्तरीय समिति भी गठित की गई है, जो समय–समय पर बैठकें करती है और अधिनियमों और नियमों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करती है। नियमावली के नियम 17 के अनुसार, जिला मेजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समितियां बनी हुई हैं।

(vi) राज्य सरकार ने अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के प्रयोजन से 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के बारे में कर्नाटक राज्य विधान मंडल समिति' भी गठित की है। समिति के अध्यक्ष अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के एक विधायक होते हैं।

(vii) राज्य सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रयोजन से एक माडल आकस्मिकता योजना भी तैयार की है।

(viii) राज्य सरकार ने बेलगाम, मैसूर, कोलार, रायचूर, बीजापुर, गुलबर्गा और तुमकुर जिलों में अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण के लिए सात अनन्य विशेष न्यायालय भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा, राज्य के शेष जिलों में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ix) विशेष न्यायालयों में काम करने वाले लोक अभियोजकों को इस अधिनियम के प्रयोजन से विशेष लोक अभियोजक नामोद्दिष्ट किया गया है।

(ठ) केरल

(i) राज्य पुलिस मुख्यालय में एक विशेष कक्ष अत्याचार की घटनाओं से सम्बन्धित मामलों में की जाने वाली कार्रवाई पर नजर रखता है। विशेष कक्ष राज्य में पंजीयित आपराधिक मामलों और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा दी गई याचिकाओं को भी मानीटर करता है।

(ii) सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से सम्बन्धित मामलों के बारे में कार्रवाई करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर एक सलाहकार समिति गठित की है। सभी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति संसद–सदस्य, विधायक, जिला अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा नामजद गैर–सरकारी व्यक्ति इस समिति के सदस्य हैं। यह समिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के सुरक्षण के लिए अभिप्रेत विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन को मानीटर करती है।

(iii) अधिनियम के उपबन्धों के कारगर कार्यान्वयन के लिए और उसकी समीक्षा करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की गई हैं, जिनमें जिला पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त सदस्य होते हैं।

(iv) केरल के जिला न्यायालयों को इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है और सभी जिलों के लोक अभियोजकों को जिला न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए विशेष अभियोजक मनोनीत किया गया है।

(v) प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति गवाहों और अत्याचारों के पीड़ितों को भी यात्रा और भरण–पोषण व्यय और मुआवजे की अदायगी की मंजूरी देती है।

(ड) उत्तरांचल

(i) जिला प्राधिकारी राज्य के सभी जिलों में निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया करते हैं। इस अधिनियम के तहत अत्याचारों के उत्पीड़ितों और गवाहों को यात्रा और भरण–पोषण व्यय भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

(ii) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार जिला मेजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों और अधिनियम के अन्तर्गत गठित अन्य विभिन्न समितियों के साथ तालमेल करने के लिए, अतिरिक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग को विशेष अधिकारी मनोनीत किया गया है।

(iii) पुलिस विभाग में प्रत्येक जिले में एक विशेष पुलिस कक्ष स्थापित किया गया है। ये कक्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के मामलों के अन्वेषण को मानीटर करते हैं।

(iv) जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला समितियां भी गठित की गई हैं। ये समितियां प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने और उनके पुनर्वास से सम्बन्धित मामलों को देखती हैं।

(v) नैनीताल जिले में एक विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। शेष जिलों में, जिला और सत्र न्यायालयों को अधिनियम के अन्तर्गत मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

(vi) उत्तरांचल में किसी विशिष्ट क्षेत्र को अत्याचार–प्रवण क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है।

(ढ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(i) यात्रा और भरण–पोषण व्यय अदा करने के लिए बजट में आवश्यक व्यवस्था की गई है।

(ii) सचिव (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) को नोडल अधिकारी नामजद किया गया है।

(iii) अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेटों को अपने सम्बन्धित अधिकार–क्षेत्रों में विशेष अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए नामोद्दिष्ट किया गया है।

(iv) दिल्ली के क्षेत्र में अत्याचारों के शिकार अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को राहत देने और उनके पुनर्वास के मामलों की जांच करने और उन पर विचार करने के लिए एक स्थायी समिति गठित की गई है।

(v) अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष न्यायालय नामोद्दिष्ट किया गया है।

(vi) अतिरिक्त लोक अभियोजक/ विशेष लोक अभियोजक को अधिनियम के अन्तर्गत मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

(vii) दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक अधिनियम के अन्तर्गत किसी क्षेत्र को अत्याचार–प्रवण क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है।

8.13.2 राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित है कि वे अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए एक माडल आकस्मिकता योजना तैयार करें और राजपत्र में अधिसूचित करें, जिसमें विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों पर उनके अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियां विनिर्दिष्ट हों। आकस्मिकता योजना में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित सहित राहत उपायों का पैकेज शामिल होना चाहिए:

(क) नकद अथवा वस्तु अथवा दोनों के रूप में तुरन्त राहत प्रदान करने की स्कीम;

(ख) कृषि भूमि और आवास–स्थलों का आबंटन;

(ग) पुनर्वास पैकेज;

(घ) पीड़ित के आश्रित अथवा परिवार के एक सदस्य को सरकार में अथवा किसी सरकारी उपक्रम में नौकरी की पेशकश करने की स्कीम;

(ड.) अत्याचार से मृत, विकलांग अथवा वृद्ध उत्पीड़ित की विधवा, आश्रित बच्चों के लिए पेंशन की स्कीम;

(च) उत्पीड़ितों को आदेशात्मक मुआवजा;

(छ) उत्पीड़ित की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की स्कीम;

(ज) उत्पीड़ितों को ईंटों/पत्थरों की चिनाई वाले मकान मुहैया करने की व्यवस्था;

(झ) ऐसी अन्य बातें, जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में स्वास्थ्य परिचर्या, आवश्यक जिन्सों की आपूर्ति, विद्युतीकरण, पर्याप्त पेय जल सुविधा, कब्रिस्तान/शमशान स्थल और सम्पर्क सड़कें।

8.13.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम, 1995 के उपबन्धों के अन्तर्गत विभिन्न उपायों के बारे में राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई के ब्योरे से प्रकट होता है कि केवल कुछ राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों ने आकस्मिकता योजनाएं अधिसूचित की हैं, जैसाकि नियमावली के नियम 15 के अन्तर्गत अपेक्षित है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ–साथ, राहत के उपायों का पैकेज होता है, जिसमें ये बातें शामिल होती हैं: (i) नकदी या वस्तु अथवा दोनों के रूप में तुरन्त राहत, (ii) कृषि भूमि और आवास–स्थलों का आबंटन, (iii)

उत्पीड़ित के आश्रित अथवा परिवार के एक सदस्य को सरकार में अथवा किसी सरकारी उपक्रम में रोजगार; और (iv) मृतक की विधवा, आश्रित बच्चों को पेंशन आदि। **आयोग, तदनुसार, सिफारिश करता है कि 5वीं अनुसूची के नौ राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया जाए कि वे नियमावली के नियम 15 के उपबन्धों के अनुसार अत्याचार के मामलों से कारगर ढंग से निपटने के लिए आकस्मिकता योजनाएं तैयार करने और उन्हें अधिसूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।**

8.14 आयोग में निपटाए गए अत्याचार के कुछ मामले

8.14.1 संविधान के अनुच्छेद 338क(5)(क) और (ख) के अन्तर्गत आयोग को विभिन्न विधियों के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए अधिकारों के सुरक्षणों के वंचन के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों का अन्वेषण, मानीटरन और जांच करने का आदेश दिया गया है। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, ऐसी एक विधि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, 1995 हैं। आयोग ने अनुसूचित जनजातीय व्यक्तियों, एसोसिएशनों, गैर–सरकारी संगठनों से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान किया और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के बारे में समाचारपत्रों में छपे समाचारों को अपने–आप संज्ञान में लिया। अत्याचारों के मामलों की जांच जिला पुलिस अधीक्षकों के जरिए कराई गई और आर्थिक राहत तथा पुनर्वास सम्बन्धी मामले जिला मेजिस्ट्रेटों को निर्दिष्ट किए गए। आयोग द्वारा 2004–2005 और 2005–2006 के दौरान जिन मामलों को निपटाया गया, उनमें से कुछ का सारांश नीचे दिया गया है:

(1) डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर द्वारा आयोग के ध्यान में यह लाया गया कि डिब्रूगढ़, असम में भारत सरकार के एक संगठन की एक अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारी के साथ उसके एक साथी कर्मचारी द्वारा छेड़खानी की गई थी और लैंगिक शोषण किया गया था। आयोग ने इस मामले को जिला पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया, जिन्होंने सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 354, 324, 325, 606, 376(ख) और 511 के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। आयोग ने पुलिस अधीक्षक को सलाह दी कि वह आई.पी.सी. की धाराओं के साथ–साथ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xi) का संज्ञान करें और तदनुसार न्यायालय में अनुपूरक आरोप–पत्र दायर करें। आयोग की सलाह के अनुसार, पुलिस द्वारा अधिनियम की धारा 3(1)(xi) जोड़ कर एक अनुपूरक आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा डिप्टी कमिश्नर, डिब्रूगढ़ से उत्पीड़ित को नियमों के नियम 12(4) के अनुसार वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है।

(2) केरल के वायानाड जिले में उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत में यंत्रणा और मृत्यु का मामला अगस्त, 2004 में एक जनजातीय एसोसिएशन के माध्यम से आयोग के ध्यान में आया। यह मामला वायानाड के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया गया, जिन्होंने सूचित किया कि अंचूकन्नू में नीम के पेड़ पर अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति का शव लटकता हुआ पाया गया था और शव–परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया था कि मृत्यु लटकने के कारण हुई है और शरीर पर यंत्रणा का कोई निशान नहीं था। लेकिन, आयोग ने यह महसूस किया कि रिकार्ड में जो सामग्री है, उससे इस बात पर सन्देह पैदा होता है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु लटकने के कारण हुई है। इसलिए, आयोग ने यह मामला राज्य, सी.बी., सी.आई.डी. द्वारा जांच किए जाने के आदेश देने के लिए केरल सरकार के गृह सचिव को निर्दिष्ट कर दिया। आयोग की सलाह के प्रत्युत्तर में, केरल सरकार, तिरुवनन्तपुरम के गृह सचिव ने आयोग को सूचित किया कि केरल के पुलिस महानिदेशक को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु के बारे में राज्य सी.बी., सी.आई.डी. से जांच कराने का निदेश दे दिया गया है। राज्य सरकार से इस बारे में अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(3) छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में एक अनुसूचित जाति महिला के अपहरण और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने का समाचार "दैनिक भास्कर" समाचारपत्र में 21.8.04 को प्रकाशित हुआ था। आयोग ने स्वयमेव इस मामले को छिंदवाड़ा के जिला पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया। पुलिस अधीक्षक ने सूचना दी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) और आई.पी.सी. की धारा 366, 376(2) और 506–ख के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार उत्पीड़ित को 25,000/– रुपए की वित्तीय सहायता के रूप में अन्तरिम राहत दी गई है। चूंकि आई.पी.सी. की धारा 376(2) के अन्तर्गत अपराध 10 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के कारावास द्वारा दंडनीय है, इसलिए छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को आयोग द्वारा सलाह दी गई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के स्थान पर धारा 3(2)(v) का संज्ञान लेते हुए अनुपूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(4) होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का समाचार दिनांक 14.7.04 के 'इंडियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। आयोग ने स्वयमेव यह मामला होशंगाबाद के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया। पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद ने सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 363, 366 और 376 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) और 3(1)(xii) के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था और लगभग तीन महीने के बाद, आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार उत्पीड़ित को 25,000/– रुपए की वित्तीय सहायता की अन्तरिम राहत प्रदान की गई थी। आयोग ने आरोपत्र न्यायालय में देर से प्रस्तुत किए जाने के मुद्दे को उठाया और तदनुसार होशंगाबाद के पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया कि वे सभी अन्वेषण अधिकारियों को तफतीश का काम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 7(2) के अनुसार 30 दिन की निर्धारित अवधि में अवश्य पूरा करने का अनुदेश दें।

(5) बागेश्वर (उत्तरांचल) में अगस्त, 2004 में एक जनजातीय संगठन द्वारा आयोग के ध्यान में यह लाया गया कि उत्तरांचल के जिला बागेश्वर में अनुसूचित जनजाति की एक महिला पर गैर–अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति द्वारा हमला किया गया था। यह मामला बागेश्वर के जिला कलेक्टर के साथ उठाया गया, जिन्होंने सूचित किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) और आई.पी.सी. की धारा 354 के अनतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप–पत्र दाखिल कर दिया गया है। आयोग ने जिला कलेक्टर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के स्थान पर धारा 3(1)(xi) का संज्ञान करते हुए अनुपूरक आरोपपत्र दायर करने पर विचार करने की सलाह दी। जिला कलेक्टर ने सूचित किया कि आयोग की सलाह का पालन किया गया है और इस मामले में उत्पीड़ित को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार वित्तीय सहायता के रूप में 25000/– रुपए दिए गए हैं।

(6) जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के एक युवा की हिरासत में मौत हो जाने का समाचार दिनांक 14.8.2004 को 'दैनिक भास्कर' समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था। आयोग ने रायपुर के जिला पुलिस अधीक्षक और जिला मेजिस्ट्रेट के साथ इस मामले को उठाया। रायपुर के जिला पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 306, 330, 343, 201, 34 के तहत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(v) के तहत एक मामला रजिस्टर कर लिया गया

है। जिला मेजिस्ट्रेट, रायपुर ने सूचित किया कि मृतक के परिवार को 25,000/– रुपए की अन्तरिम राहत के अलावा, राज्य सरकार द्वारा 5.00 लाख रुपए अदा किए गए हैं। इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा मृतक के परिवार को 5.0 एकड़ भूमि भी आबंटित की गई है। आयोग ने देखा कि आरोप–पत्र तीन महीने के बाद जारी किया गया था और, तदनुसार, आयोग ने आरोपपत्र के प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब के मुद्दे को उठाया और जिला पुलिस अधीक्षक को सलाह दी कि अन्वेषण के काम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 7(2) के अनुसार 30 दिन की निर्धारित अवधि में अवश्य पूरा किए जाने के अनुदेश सभी अन्वेषण अधिकारियों को जारी किए जाएं।

(7) चेन्नई के एक अनुसूचित जनजाति संगठन ने अक्तूबर, 2004 में आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया कि तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में एक रिहायशी स्कूल की अनुसूचित जनजाति की तीन लड़कियों को यौन रूप से परेशान किया गया है। इस मामले को विल्लुपुरम जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया गया, जिन्होंने सूचित किया कि कक्षा V में पढ़ने वाली अनुसूचित जनजाति की तीन अवयस्क लड़कियों को उसी क्षेत्र के चार कॉलेज–छात्रों द्वारा धमकी देकर 15.10.2004 से 19.10.2004 तक 5 दिन यौन रूप से परेशान किया गया था और अन्वेषण किए जाने के बाद आई.पी.सी. की धारा 506(ii) के साथ पठित तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत एक मामला रजिस्टर किया गया है और सभी चारों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस द्वारा आगे जांच किए जाने से पता चला था कि चार अभियुक्तों में से तीन अभियुक्त अनुसूचित जाति के थे और उनके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376 के साथ पठित धारा 456, 506(ii), 511 के तहत और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2000 की धारा 4 के अन्तर्गत आरोप लगाए गए थे और चौथे अभियुक्त के मामले में, जो गैर–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) को भी जोड़ा गया था। यह भी सूचित किया गया था कि आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अन्तर्गत प्रत्येक उत्पीड़ित को 25,000/– रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

(8) मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अनुसूचित जनजाति की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का एक मामला 20.8.2004 को 'नई दुनिया' समाचार–पत्र में प्रकाशित हुआ था। आयोग ने अपने आप इस मामले को दमोह के जिला पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया। पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 363, 366, 376(2) के तहत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। आयोग ने इस मामले को जिला कलेक्टर, छतरपुर के साथ भी उठाया, क्योंकि पीड़ित जिला छतरपुर की निवासी थी और मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के तहत तुरन्त वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए उनके साथ उठाया गया था। छतरपुर के कलेक्टर ने सूचना दी कि भारतीय स्टेट बैंक में उत्पीड़ित के खाते में 50,000/– रुपए जमा करा कर उसे उतनी राशि अदा की गई है।

(9) केरल के वेयानाड जिले में अनुसूचित जनजाति की एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न के एक मामले की सूचना आयोग को दी गई थी। इस मामले को वेयानाड जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया गया। आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के परिणामस्वरूप, पुलिस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) और आई.पी.सी. की संगत धाराओं का संज्ञान करते हुए मामला दर्ज किया। आयोग ने उत्पीड़ित को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए यह मामला जिला प्राधिकारियों के साथ उठाया है।

(10) झारखंड के जिला रांची में गैर–कानूनी खनन के कारण एक जनजातीय परिवार को जान–व–माल के खतरे और परेशानी की सूचना आयोग को दी गईं थी। कथित व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति के परिवार के घर के निकट पत्थरों के खनन के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा खनन का काम शुरू कर दिया गया था। पुलिस और खनन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आयोग ने रिहायशी इलाके में पत्थर खनन के गैर–कानूनी कार्य को बन्द करने की सुनिश्चित व्यवस्था किए जाने के लिए, इस मामले को डिप्टी कमिश्नर, जिला रांची के साथ उठाया। आयोग की सलाह के आधार पर, रांची के डिप्टी कमिश्नर ने चालू खनन कार्य को बन्द करने के अनुदेश दिए और तदनुसार पत्थर खनन का कार्य बन्द कर दिया गया।

(11) बर्दवान जिला, पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति की एक महिला के साथ बलात्कार की एक घटना का समाचार 'दि स्टेट्समैन' समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था। आयोग ने यह मामला बर्दवान के जिला पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया। बर्दवान के पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 376 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संगत धारा को भी जोड़ दिया गया और न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार उत्पीड़ित को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए इस मामले को राज्य प्रशासन के साथ भी उठाया है।

(12) कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में अनुसूचित जनजाति की एक महिला के अपहरण और उसके साथ बलात्कार के मामले की सूचना आयोग को दी गई थी। आयोग ने तुरन्त इस मामले को जिला कलेक्टर, चिकमगलूर के साथ उठाया, जिन्होंने सूचित किया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोप–पत्र न्यायालय में दायर कर दिया गया है और उत्पीड़ित को 50,000/– रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

(13) कर्नाटक के हावेरी जिले में अनुसूचित जनजाति के एक किसान के मक्की के खेत में एक गैर–कानूनी समूह द्वारा आग लगाए जाने के एक मामले की सूचना आयोग को दी गई थी। आयोग ने इस मामले को हावेरी के जिला पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया, जिसने सूचित किया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में आरोप–पत्र दायर कर दिया गया है और आगजनी के शिकार व्यक्ति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है।

(14) कर्नाटक के देवनगेरे जिले में गुटों के बीच झगड़े की, जिसमें अनुसूचित जनजाति के 21 व्यक्ति जख्मी हो गए थे और एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, सूचना आयोग को दी गई थी। आयोग ने इस मामले को देवनगेरे जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया। जिला प्रशासन द्वारा सूचित किया गया कि 49 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपपत्र न्यायालय में पेश कर दिया गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के उपबन्धों के तहत अत्याचार के उत्पीड़ितों को कुल मिला कर 2,08,000/– रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।

(15) एक स्थानीय समाचारपत्र में यह रिपोर्ट दी गई थी कि कर्नाटक के गडग जिले में गैर–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के एक समूह द्वारा अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को टेलीफोन खम्भे के साथ बांध दिया गया था और उस पर हमला किया गया था। आयोग ने गडग जिले के जिला कलेक्टर के साथ इस मामले को उठाया, जिन्होंने सूचित किया कि एक मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपपत्र न्यायालय में पेश कर दिया गया है। आयोग के हस्तक्षेप के कारण, उत्पीड़ित को आर्थिक सहायता के रूप में 25,000/– रुपए दिए गए थे।

(16) आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में अनुसूचित जनजाति की एक लड़की के साथ समूहिक रूप से बलात्कार किए जाने की रिपोर्ट एक समाचारपत्र में दी गई थी। आयोग ने यह मामला

जिला प्राधिकारियों के साथ उठाया। पुलिस द्वारा की गई जांच से पता चला कि अनुसूचित जनजाति की लड़की के साथ अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया था। अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। चूंकि अपराध करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का था, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम, 1995 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी और इसके कारण वह लड़की तुरन्त राहत के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त करने से वंचित रह गई।

(17) आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में एक जनजातीय युवक के लापता हो जाने की रिपोर्ट 'दि हिन्दू' समाचारपत्र में छपी थी। आयोग ने इस मामले को जिला प्राधिकारियों के साथ उठाया। पुलिस द्वारा की गई जांच से प्रकट हुआ कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की हत्या उसके कारोबारी प्रतिस्पर्धियों द्वारा सुनियोजित तरीके से की गई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से, इस मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संगत धाराएं जोड़ी गईं और पीड़ित के परिवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार मौद्रिक राहत प्रदान की गई।

(18) मध्य प्रदेश के बारवानी जिले में अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति की मौत हिरासत के दौरान हो जाने का समाचार एक समाचारपत्र 'दैनिक भास्कर' में प्रकाशित हुआ था। आयोग ने स्वयमेव इस मामले को बारवानी के जिला पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया, जिन्होंने सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 302, 323 और 34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) और 3(2)(vii) के अधीन सरकारी पदधारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और तफतीश पूरी हो चुकी है। मृतक के परिवार को 1.50 लाख रुपए अदा किए गए हैं। इसके अलावा, उन्हें सामाजिक सुरक्षा और कल्याण स्कीम के अन्तर्गत 25,000/– रुपए की राशि भी मुहैया की गई थी।

(19) आयोग को मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में एक नाबालिग जनजातीय लड़की के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या किए जाने की रिपोर्ट दी गई थी। आयोग ने पुलिस महा निरीक्षक (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्ष), भोपाल के साथ इस मामले को उठाया। उन्होंने सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 302, 376, 311 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) भी जोड़ दी गई और आरोप–पत्र न्यायालय में दायर कर दिया गया। चूंकि उत्पीड़ित रायगढ़ जिले की थी, इसलिए आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए यह मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के जिला कलेक्टर को निर्दिष्ट कर दिया।

(20) 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अनुसूचित जनजाति की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। आयोग ने यह मामला शिवपुरी के जिला पुलिस अधीक्षक के साथ स्वयमेव उठाया। पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट दी कि आई.पी.सी. की धारा 376(जी), 506(बी), 313 और 201 के तहत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) और 3(2)(v) के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है। चार अभियुक्तों में से तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और न्यायालय में आरोप–पत्र पेश कर दिया गया है तथा बलात्कार की उत्पीड़ित लड़की को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार 25,000/– रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।

(21) मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में अनुसूचित जनजाति के एक परिवार की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने और उस पर हमला करने की रिपोर्ट आयोग को दी गई। इस मामले को

डिंडोरी के जिला पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया गया, जिन्होंने सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 447, 294, 506, 34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) और 3(1)(x) के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार उत्पीड़ित को आर्थिक सहायता के रूप में 25,000/– रुपए की राशि अदा की गई है।

(22) दिनांक 7.8.2003 के 'दैनिक भास्कर' समाचारपत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि गैर–अनुसूचित जनजाति के कुछ लोगों ने भीलवाड़ा जिला (राजस्थान) में अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति के घर पर हमला किया और उसके घर को जला दिया। आयोग ने यह मामला जिला पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया, जिसने सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 458, 354, 323, 436, 34 के तहत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(v)(x)(xi) और 3(2)(iv) के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपपत्र न्यायालय में पेश कर दिया गया है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार उत्पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है।

(23) रोहिणी, दिल्ली में रहने वाली अनुसूचित जनजाति की एक महिला ने आयोग को अभ्यावेदन दिया कि गैर–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति ने उस पर हमला किया है और उसे डराया–धमकाया है। यह मामला पश्चिमी जिला, दिल्ली के पुलिस उपायुक्त के साथ उठाया गया, जिन्होंने सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 325/34/342 और 354 के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और न्यायालय में आरोपपत्र पेश कर दिया गया है। आयोग द्वारा समय पर हस्तक्षेप किए जाने के कारण, न्यायालय में एक अनुपूरक आरोपपत्र पेश करके मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xi) को मामले में जोड़ दिया गया।

(24) एशिया–पेसिफिक फोरम ऑन विमेन, लॉ ऐण्ड डेवलपमेंट, थाईलैंड द्वारा आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि झारखंड के जिला लतेहर में चिरगांव ग्राम में अनुसूचित जनजाति की एक महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया और उसे उसके बच्चे के साथ 20 अगस्त, 2005 को चिरगांव ग्राम में सार्वजनिक नीलामी में छः रुपऐ में बेच दिया गया। इस गम्भीर अपराध के मामले को आयोग द्वारा जिला लतेहर के पुलिस अधीक्षक के साथ तत्काल उठाया गया। आयोग को सूचित किया गया कि आई.पी.सी. की धारा 376(जी) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) भी उसके साथ जोड़ी गई है। यह भी सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के उपबन्धों के अनुसार उत्पीड़ित को वार्षिक सहायता के रूप में 25,000/– रुपए दिए गए हैं। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा मामले में और आगे जांच की जा रही है।

(25) विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश में भारत सरकार के एक संगठन में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी ने अगस्त, 2005 में आयोग को अभ्यावेदन दिया कि उसके साथ उसी संगठन के एक अन्य अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। इस मामले को पुलिस आयुक्त, विशाखापत्तनम के साथ तुरन्त उठाया गया। आयोग को सितम्बर, 2005 में सूचित किया गया कि आई.पी.सी. की धारा 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। आयोग ने उत्पीड़ित को आर्थिक सहायता देने के बारे में इस मामले को पुलिस आयुक्त, विशाखापत्तनम के साथ फिर उठाया, जिसके प्रत्युत्तर में पुलिस प्राधिकारियों ने जनवरी, 2006 में आयोग को सूचित किया

कि उत्पीड़ित को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अनुसार 6250/– रुपए की मौद्रिक राहत दी गई है।

(26) अक्तूबर, 2005 में एक समाचारपत्र में प्रकाशित एक समाचार द्वारा आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को जिन्दा जला दिया गया है। आयोग ने कटनी के पुलिस अधीक्षक के साथ यह मामला उठाया, जिन्होंने नवम्बर, 2005 में सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 302, 307, 147, 140, 364 और 120–बी के तहत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया जा चुका है। आयोग के दिसम्बर, 2005 के परवर्ती पत्र के उत्तर में आयोग को यह भी सूचित किया गया कि मृतक के नाबालिग बच्चों को 10,000/– रुपए की तात्कालिक राहत प्रदान की गई थी और 1,50,000/– रुपए की राशि बैंक में बच्चों के नाम जमा करा दी गई है, जिसमें से एक निश्चित राशि बच्चों को हर महीने दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अनुसार दी गई है।

(27) 8.5.2005 को एक समाचारपत्र (दैनिक भास्कर) में यह रिपोर्ट दी गई थी कि अनुसूचित जनजाति के दो व्यक्तियों को जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में बन रहे एक इस्पात संयंत्र में प्रबन्धक और सुरक्षा कार्मिकों द्वारा गरम लोहे पर बैठने के लिए विवश किया गया था, जिसके कारण उनके शरीर के निचले भाग में जलने से घाव हो गए। आयोग ने इस मामले को रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ तुरन्त उठाया। रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने जून, 2005 में आयोग को सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 342, 294, 323 और 34 के तहत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और न्यायालय में आरोपपत्र पेश कर दिया गया है। आयोग द्वारा अगस्त, 2005 में भेजे गए परवर्ती पत्र के उत्तर में, जिला रायगढ़ के जिला मेजिस्ट्रेट ने आयोग को सितम्बर, 2005 में सूचित किया कि उत्पीड़ितों को 25,000/– रुपए की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई है।

(28) अनुसूचित जनजाति की एक महिला ने मार्च, 2005 में आयोग को रिपोर्ट दी कि उसके साथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में गैर–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया है। इस मामले को अप्रैल, 2005 में शिवपुरी जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया गया। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा मई, 2005 में आयोग को सूचित किया गया कि आई.पी.सी. की धारा 354, 323 और 506 ख के तहत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xi) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। तफतीश के दौरान आई.पी.सी. की धारा 376 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की धारा 3(2)(v) का भी संज्ञान किया गया और आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। आयोग ने जून, 2005 में शिवपुरी के जिला मेजिस्ट्रेट को लिख कर अनुरोध किया कि उत्पीड़ित को दी गई आर्थिक सहायता के बारे में आयोग को अवगत कराया जाए, जिसके उत्तर में आयोग को सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 2005 के नियम 12(4) के अनुसार उत्पीड़ित को 25,000/– रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।

(29) जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की एक महिला ने 18 जनवरी, 2005 को आयोग को लिखा कि गैर–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति द्वारा उस पर हमला किया गया था। आयोग ने 19 जनवरी, 2005 को यह मामला छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया और उनसे अनुरोध किया कि इस घटना की जांच करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट आयोग के पास 15 दिन के अन्दर भेज दें। छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया कि आई.पी.सी. की धारा 294, 509, 506 और 34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के

तहत एक मामला दर्ज किया गया है और आरोपपत्र न्यायालय में पेश कर दिया गया है। आयोग ने 12 अगस्त, 2005 को जिला मेजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा को फिर पत्र लिखकर अनुरोध किया कि उत्पीड़ित को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में आयोग को अवगत कराया जाए, जिसके उत्तर में आयोग को दिसम्बर, 2005 में सूचित किया गया कि 25,000/– रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें 6250/– रुपए उत्पीड़ित को पहली किस्त के रूप में दे दिए गए हैं

(30) कुछ अखबारों में (टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त, 2005) यह रिपोर्ट दी गई थी कि रांची और पलामू में डी.आई.जी. और आई.जी. के स्तर के पुलिस अधिकारियों ने अनुसूचित जनजाति की एक महिला के साथ बार–बार बलात्कार किया है। आयोग ने यह मामला 5 अगस्त, 2005 को झारखंड के पुलिस महा निदेशक के साथ उठाया और उनसे इस मामले की जांच करने और आयोग को उसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। इसका कोई उत्तर प्राप्त न होने पर उन्हें 31.8.2005 को अनुस्मारक भेज कर तेजी से जांच करने के लिए कहा गया। आयोग के अनुस्मारक के बाद भी आयोग को पुलिस महा निदेशक का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और यह फैसला किया गया कि पुलिस महा निदेशक को आयोग के समक्ष 21.10.2005 को उपस्थित होने के लिए बुलाया जाए और पुलिस महानिदेशक के अनुरोध पर इस तारीख को 28 अक्तूबर, 2005 में बदल दिया गया। लेकिन, पुलिस महानिदेशक अपनी पूर्व–व्यस्तताओं के कारण 28.10.2005 को भी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अब उनसे 3.11.2005 को आयोग के सामने उपस्थित होने का अनुरोध किया गया। पुलिस महा निदेशक उस तारीख को अर्थात 3.11.2005 को अपने अधिकारियों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। आयोग ने इस बारे में अपनी अप्रसन्नता और दुख व्यक्त किया कि बलात्कार के ऐसे जघन्य अपराध के मामले में, जो कथित रूप से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया बताया जाता है, आयोग के पत्रों का जवाब देने में असाधारण विलम्ब किया गया है और भविष्य में ऐसी अनुक्रियाहीनता की पुनरावृत्ति न होने की चेतावनी दी। आयोग ने पुलिस महानिदेशक से कहा कि वह (i) मामले के पूरे तथ्य आयोग को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें, (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए झारखंड के गृह सचिव और मुख्य सचिव से स्वयं मिले कि उन्हें अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की आवश्यक मंजूरी दी जाए और, (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के तहत उत्पीड़ित को आर्थिक सहायता देने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करें। पुलिस महानिदेशक ने आयोग को 14.11.2005 को सूचित किया कि दो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, अर्थात (i) आई.पी.सी. की धारा 376/376(2)(9)(i)/506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के तहत पलामू सदर (टाउन) पुलिस स्टेशन में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 304/05, दिनांक 03.08.2005, और (ii) लोअर बाजार, रांची के पुलिस स्टेशन में आई.पी.सी. की धारा 376/109 और अनु.जा. और अनु.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के तहत दर्ज एफ. आई.आर. संख्या 142/05, दिनांक 02.08.2005। आयोग के हस्तक्षेप और आयोग की निरन्तर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने 6 फरवरी, 2006 को आयोग को सूचित किया कि उसने उक्त मामले में दो अभियुक्त पुलिस अधिकारियों में से एक पुलिस अधिकारी, अर्थात आई.जी. के अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी है। आयोग राज्य सरकार से इस बात का आग्रह कर रहा है कि इस मामले में दूसरे अभियुक्त पुलिस अधिकारी, अर्थात डी.आई.जी. के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी जाए।

(31) राजस्थान के पाली जिला के अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति ने मई, 2005 में आयोग को लिखा था कि एक गैर–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। आयोग द्वारा यह मामला 31 मई, 2005 को जिला पाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया गया था। आयोग को जून, 2005 में सूचित किया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

की धारा 3(1)(x) और 3(2)(v) के साथ पठित आई.पी.सी. की धारा 307, 323, 325 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और न्यायालय में आरोप–पत्र पेश कर दिया गया है। बाद में, अगस्त, 2005 में जिला कलेक्टर, पाली से उत्पीड़ित को आर्थिक सहायता देने के बारे में अनुरोध किया गया था, जिसके उत्तर में आयोग को सितम्बर, 2005 में सूचित किया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत उत्पीड़ित को आर्थिक सहायता के रूप में 50,000/– रुपए देने की मंजूरी दी गई है।

(32) सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश में 'साक्षी' नाम के एक गैर–सरकारी संगठन ने जुलाई, 2005 में आयोग को यह सूचित करने के लिए लिखा कि नेल्लोर जिले में एक गर्भवती जनजातीय महिला के साथ एक गैर–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया है। यह भी सूचित किया गया कि यद्यपि नायडूपेट पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने मामले को आई.पी.सी. की धारा 376, 313 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2)(v) के तहत दर्ज किया था, लेकिन उत्पीड़ित को मौद्रिक राहत नहीं दी गई है। इस मामले को आयोग द्वारा 10.8.2005 को नेल्लोर जिले के जिला पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया गया। आयोग को सितम्बर, 2005 में सूचित किया गया कि अभियुक्त के खिलाफ आई.पी.सी. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की ऊपर उल्लिखित धाराओं के अंतर्गत मामला बनाया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे हिरासत में भेज दिया गया है तथा न्यायालय में आरोप–पत्र पेश कर दिया गया है। आयोग के 14.10. 2005 के पत्र के उत्तर में नेल्लोर जिले के जिला कलेक्टर और मेजिस्ट्रेट ने नवम्बर, 2005 में आयोग को सूचित किया कि उत्पीड़ित को मौद्रिक राहत के रूप में 50,000/– त्पए की राशि की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और वह राशि उसे 9.1.2005 को अदा कर दी गई थी।

(33) आयोग के माननीय सदस्य, श्री बुदुरु श्रीनिवासुलु ने नवम्बर, 2005 में आयोग के ध्यान में यह बात लाई कि एक स्थानीय समाचारपत्र ने (अपने दिनांक 31.10.2005 के अंक में) यह रिपोर्ट छापी थी कि आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले की एक जनजातीय लड़की के साथ गैर–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति ने यौन दुर्व्यवहार किया है। आयोग ने यह मामला नवम्बर, 2005 में आन्ध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के साथ उठाया। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 2005 में सूचित किया कि एक मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के साथ पठित आई.पी.सी. की धारा 342, 376(जी), 506, 109 के तहत दर्ज किया गया है। आयोग ने तदोपरान्त आन्ध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) का भी संज्ञान करने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के उपबन्धों के अनुसार उत्पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी सलाह दी।

(34) बी.एच.ई.एल. में काम करने वाले और आन्ध्र प्रदेश के मेडक जिले में रामचन्द्रपुरम में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी ने आयोग को रिपोर्ट दी कि उसे गैर–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति द्वारा जाति के आधार पर गालियां दी गई हैं। यह मामला मेडक जिला के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया गया, जिन्होंने रिपोर्ट दी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और न्यायालय में आरोप–पत्र पेश कर दिया गया है। आयोग ने पुलिस प्राधिकारियों से यह अनुरोध भी किया है कि वे आयोग को इस बात से अवगत कराएं कि जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार उत्पीड़ित को आर्थिक सहायता देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।

(35) दैनिक भास्कर के दिनांक 12 दिसम्बर, 2005 के अंक में प्रकाशित एक रिपोर्ट द्वारा आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की अनुसूचित जनजाति की एक महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसका दायां हाथ काट डाला गया और उसके घर को आग लगा दी गई। आयोग ने दिसम्बर, 2005 में ही इस मामले को पुलिस महा निदेशक, भोपाल के साथ उठाया। आयोग को सूचित किया गया कि पुलिस ने दो मामले दर्ज किए हैं (i) आई.पी.सी. की धारा 376(2)(जी), 341, 506 34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) और 3(2)(v) के तहत और (ii) आई.पी.सी. की धारा 326, 436, 147, 148 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(i) के तहत। इसके अलावा, उत्पीड़ित को इन दो मामलों में 80,000/– रुपए की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई है, जिसमें से उसे 42,000/– रुपए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अनुसार मुहैया कर दिए गए हैं। उत्पीड़ित को शेष राशि न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि के बाद अदा की जाएगी। इन दोनों मामलों में तफतीश की जा रही है। आयोग तफतीश के काम को शीघ्रतापूर्वक किए जाने के लिए, डी.जी.पी., भोपाल के साथ इस मामले का जोरदार अनुसरण कर रहा है।

(36) उड़ीसा के मयूरभंज जिले में गैर–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जनजाति की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने की घटना की रिपोर्ट समाचारपत्र (पायनीयर, दिनांक 5.5.2005) में छपी थी। आयोग ने इस मामले को मयूरभंज जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया, जिन्होंने 26.6.2005 को आयोग को सूचित किया कि इस मामले को आई.पी.सी. की धारा 366, 376(2) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत दर्ज कर लिया गया है और उत्पीड़ित को 2000/– रुपए की अन्तरिम मौद्रिक राहत प्रदान की गई है। आयोग ने अगस्त, 2005 में मयूरभंज के पुलिस अधीक्षक से अन्वेषण का काम तेजी से करने और आयोग को इस बात से अवगत कराने का भी अनुरोध किया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अनुसार उत्पीड़ित को क्या आर्थिक सहायता दी गई है। आयोग द्वारा पुलिस प्राधिकारियों के साथ इस मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

(37) दिनांक 20 जून, 2005 के 'हिन्दू' समाचारपत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट के जरिए आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई कि केरल के पालक्कड जिले में एक जनजातीय महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। आयोग ने तुरन्त यह मामला पालक्कड जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया। पालक्कड के पुलिस अधीक्षक ने जनवरी, 2006 में रिपोर्ट दी कि आई.पी.सी. की धारा 376 और 302 के तहत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत एक मामला दो अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आयोग ने पालक्कड जिला के पुलिस अधीक्षक से फरवरी, 2006 में यह अनुरोध भी किया था कि आयोग को मामले के अन्वेषण की अद्यतन स्थिति से और उत्पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने के बारे में अवगत कराया जाए।

8.14.2 आयोग में याचिकाओं को निपटाने के दौरान यह महसूस किया गया है कि सामान्य रूप से, अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण करने के काम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 7(2) के उपबन्धों के अनुसार उच्च प्राथमिकता के आधार पर 30 दिन के अन्दर पूरा नहीं करते। इसी प्रकार, जिला प्राधिकारी भी नियम, 1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार अत्याचार के घटित होने के बाद उत्पीड़ितों को आर्थिक सहायता मुहैया करने में काफी अधिक समय लगा देते हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करें कि**

अन्वेषण की प्रक्रिया 30 दिनों की विहित अवधि में पूरी की जाए और घटना के तुरन्त बाद उत्पीड़ितों/ उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

8.14.3 आयोग यह भी सिफारिश करता है कि:

(i) यदि अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़ित लोक अभियोजक के कार्य–निष्पादन से सन्तुष्ट न हो तो उसे लोक अभियोजक को बदलने और गैर–सरकारी वकील/ अधिवक्ता लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए और गैर–सरकारी वकील लगाने का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

(ii) कानूनी सहायता, जिसका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में उपबन्ध है, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़ित को यथासम्भव शीघ्र दी जानी चाहिए। कानूनी सहायता देने के बारे में जागरूकता कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्रों में शुरू किया जाना चाहिए, ताकि उत्पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।

(iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के तहत वित्तीय राहत की राशि उत्पीड़ित को घटना के तुरन्त बाद दी जानी अपेक्षित है। किन्तु, यह देखा गया है कि कुछ जिला प्राधिकारी, विशेष रूप से हत्या, गहरी चोट, बलात्कार और आगजनी के मामलों में घटना के तुरन्त बाद राहत मुहैया नहीं कर रहे हैं। सभी जिला प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के आवश्यक अनुदेश जारी किए जाने चाहिएं कि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार विशेष रूप से जघन्य अपराधों और अत्याचार के अन्य अपराधों में वित्तीय राहत तत्काल दी जाए।

(iv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत अत्याचार के उत्पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय राहत की राशि की समीक्षा की जानी चाहिए और इस कठोर तथ्य को देखते हुए कि 1995 से शुरू हुए पिछले एक दशक के दौरान जीवनयापन व्यय में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्याय–9

सिफारिशों का सारांश

अनुसूचित जनजातियों के विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में विस्तृत सिफारिशें की गई हैं। उनके बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करने के प्रयोजन से उन्हें अभिज्ञात करने में सहायता देने के लिए इन सिफारिशों को उजागर किया गया है। इन सिफारिशों का (अध्याय–वार) सारांश नीचे दिया गया है।

अध्याय–1 : आयोग का संगठनात्मक ढांचा और कार्यचालन

1. रिक्त पदों की बहुत बड़ी संख्या के कारण आयोग को काम करने में भीषण समस्याओं का अनुभव हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को, जो संयुक्त संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में नियंत्रक प्राधिकरण हैं और सचिवालयिक पदों के सम्बन्ध में संवर्ग प्राधिकरण है, इन रिक्त पदों को भरने के लिए सुनियोजित प्रयास करने की सलाह दी जाती है, ताकि आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन प्रभावकारी ढंग से कर सके। आयोग जनजातीय कार्य मंत्रालय से भी अतिरिक्त स्टाफ मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता है, ताकि आयोग अपने विस्तारित विचारणीय विषयों के बारे में कारगर ढंग से कार्रवाई कर सके **{पैराः 1.9.4}।**

2. आयोग के भुवनेश्वर, रायपुर, रांची और शिलांग स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों के स्तर को निदेशक के स्तर तक ऊंचा उठाने की अविलम्ब आवश्यकता है **{पैराः 1.13.1(i)}**।

3. आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक कर्मचारियों (कार्यालयाध्यक्षों से भिन्न) की मौजूदा संख्या को बढ़ाने के लिए भी, जैसाकि नीचे की सारणी में स्तम्भ 4 में दिया गया है, अविलम्ब आवश्यकता है **{पैराः 1.13.1(ii)}**।

4. आयोग के छः में से पांच क्षेत्रीय कार्यालयों का अधिकार–क्षेत्र इतना बड़ा है कि आयोग को उन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार–क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों, सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का उपयुक्त रूप से मानीटरन करना और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों की जांच करने के लिए वहां का दौरा करना असम्भव प्रतीत हो रहा है। इसलिए, पांचवीं अनुसूची के राज्यों में आयोग की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आयोग के चार अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें से एक–एक कार्यालय हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र), शिमला (हिमाचल प्रदेश) और अहमदाबाद (गुजरात) में हो, निम्नलिखित न्यूनतम कर्मचारियों के साथ, स्थापित किए जाने की अविलम्ब और वास्तविक आवश्यकता है **{पैराः 1.13.1(iii)}**।

अध्याय–2 अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए संवैधानिक उपबन्ध

1. अनुच्छेद 164(1) को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए, ताकि इस अनुच्छेद के उपबन्धों को झारखंड और छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित राज्यों पर और ऐसे सभी अन्य राज्यों पर लागू किया जा सके जिनमें पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र हों, और यह उपबन्ध किया जा सके कि इनमें से प्रत्येक राज्य में एक जनजातीय मंत्री होगा, जिसे, अतिरिक्त रूप से, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी ऐसे अन्य कार्य का भार भी दिया जा सकता है **{पैराः 2.2.4(i)}**।

2(क) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) को यह उपबन्ध करने के लिए संशोधित किया जाए कि आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट(र्टों) को उनके प्रस्तुत किए जाने के बाद तीन महीनों के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और उसके साथ संघ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई तथा किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई हो तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन ऐसी प्रस्तुति के छः महीनों के अन्दर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा **{पैरा 2.3.2 के नीचे की सारणी की क्रम संख्या 1 का स्तम्भ 3}**।

(ख) अनुसन्धान के अनुच्छेद 338क के खंड (7) को भी यह उपबन्ध करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए कि जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन या उसका कोई भाग ऐसे विषय से सम्बन्धित हो, जिसका किसी राज्य सरकार से सम्बन्ध है, तो ऐसे प्रतिवेदनों की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे तीन महीनों के अन्दर राज्य के विधान–मंडल के समक्ष रखवाएगा और राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन ऐसी प्रस्तुति के छः महीनों के भीतर विधान–मंडल के समक्ष रखवाएगा **{पैरा 2.3.2 के नीचे की सारणी की क्रम संख्या 2 का स्तम्भ 3}**।

अध्याय–3: अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक–आर्थिक विकास

1. गृह मंत्रालय को भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को सलाह देनी चाहिए कि 1991 से 2001 तक के दशक में कर्नाटक(80.82 प्रतिशत) और नागालैंड(67.23 प्रतिशत) राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष अध्ययन कराया जाए **{पैराः 3.2.1}**।

2. अब जब दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, चाहे उनका जन्म–स्थान कोई भी हो, अपने अधीन सिविल पदों में आरक्षण के लाभ बहाल करने का फैसला कर लिया है, गृह मंत्रालय को भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को यह सलाह देनी चाहिए कि 2011 की अगली जनगणना में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य संघ राज्यक्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के प्रवासी लोगों की गिनती की जाए **{पैराः 3.2.3}**।

3(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्यपालों द्वारा रिपोर्टों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए विषय–वस्तु के विशेष सन्दर्भ में एकरूपात्मक फार्मेट विहित करना चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों को निम्नलिखित अनुदेश जारी करने चाहिए **{पैराः 3.3.5(i)}**।

(i) रिपोर्टें जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद छः महीनों के अन्दर पहुंच जानी चाहिएं।

(ii) उन राज्यों को, जहां जनजाति सलाहकार परिषदें हों, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टी.ए.सी. का गठन/ पुनर्गठन समय पर किया जाए और उनकी बैठकें संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार नियमित रूप से की जाएं।

(iii) रिपोर्टों में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन के बारे में एक विस्तृत नोट होना चाहिए। इन रिपोर्टों में कानून और व्यवस्था, नक्सल गतिविधियों और जनजातीय असन्तोष से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में भी एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। रिपोर्टों में राज्य में रिपोर्ट की अवधि में लागू किए गए केन्द्रीय और राज्य कानूनों का उल्लेख भी किया जाना चाहिए और पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियों के विस्तार/अनुप्रयोज्यता के बारे में भी बताया जाना चाहिए।

राज्य में पी.ई.एस.ए. अधिनियम का कार्यचालन भी राज्यपाल की रिपोर्ट का अभिन्न अंग होना चाहिए।

(ख) यदि रिपोर्टों में टी.ए.सी. की टीका–टिप्पणियां शामिल न हों, तो वे राज्य सरकारों को यह सलाह देते हुए वापस भेज दी जाएं कि केन्द्रीय सरकार को टी.ए.सी. की टिप्पणियों से और टी.ए.सी. की टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए **{पैराः 3.3.5(ii)}**।

(ग) रिपोर्टों में शामिल सामग्री के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय में इन रिपार्टों की विस्तारपूर्वक जांच की जानी चाहिए और राज्य सरकारों को इस मूल्यांकन से अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि वे अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें **{पैराः 3.3.5(iii)}**।

(घ) राज्यपाल की रिपोर्ट की एक प्रति रिपोर्ट के प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि आयोग उसकी जांच कर सके और उसके बारे में अपनी टिप्पणियां दे सके **{पैराः 3.3.5(iv)}**।

4(क) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अन्तर्गत कवर किए गए सभी क्षेत्रों, राज्यों की जनजातीय उप–योजना में शामिल संशोधित क्षेत्र विकास नीति (एम.ए.डी.ए.) पॉकेटों और समूहों को सम्बन्धित राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के साथ सह–लक्ष्य बनाया जाना चाहिए **{पैराः 3.3.6(i)}**।

(ख) आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ मामलों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना एक एकल जिले में कार्य कर रही थी और बाद में इस जिले में से एक और नया जिला बना दिया गया। यह सुनिश्चित किया जाए कि आई.टी.डी.पी. के क्षेत्र को, जिसमें ये दो जिले शामिल हों, धनराशियां रिलीज किए जाने के मामले में किसी समस्या का सामना न करना पड़े **{पैराः 3.3.6(ii)}।**

(ग) ऐसे सभी राजस्व गांवों को, जहां 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय लोगों की संख्या 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो, लेकिन जो फिलहाल सम्बन्धित राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल न हों, यथास्थिति सम्बन्धित राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों अथवा एम.ए. डी.ए. अथवा क्लस्टर में शामिल किया जाए **{पैराः 3.3.6(ii)}**।

5. राज्यो को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि वे पंचायतों को अपेक्षित शक्तियों और प्राधिकार से लैस करने के लिए, जिससे वे स्व–शासन के संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ हो सकें, पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 की धारा 4(ढ) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें **{पैराः 3.5.4}**।

6. एक ऐसा तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत फील्ड संगठनों पर धनराशियों के उपयुक्त उपयोग की उत्तरदायिता की प्रणाली लागू की जाए, जिससे वे धनराशियां सीधे प्राप्त कर सकें, बजाय इसके कि धनराशियां राज्य मुख्यालय के माध्यम से प्रवाहित की जाएं **{पैराः 3.5.6}**।

7(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय को भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 में उपयुक्त संशोधन करने की सलाह दी जाए ताकि उसे उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभा को विस्थापित व्यक्तियों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के लिए भूमि का कोई अभिग्रहण करने की आवश्यक शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अनुरूप बनाया जाए **{पैराः 3.5.7(i)}**।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय को भारतीय वन अधिनियम, 1927 में उपयुक्त संशोधन करने की सलाह दी जाए ताकि उसके उपबन्धों को गौण वन उत्पादों का स्वामित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभा को आवश्यक शक्तियों से सम्पन्न बनाने के सम्बन्ध में पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अनुरूप बनाया जाए **{पैराः 3.5.7(ii)}**।

8. राज्य सरकारों को यह सलाह देने की जरूरत है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य के पंचायतों सम्बन्धी कानून रूढ़िगत कानून, सामाजिक और धार्मिक रीतियों और सामुदायिक संसाधनों की पारम्परिक प्रबन्ध पद्धतियों के अनुरूप हों और जहां राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बना लिए हैं, जो रूढ़िगत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और पारम्परिक प्रबन्ध पद्धतियों से मेल नहीं खाते, वहां उन्हें राज्य के कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए **{पैराः 3.5.8(i)}**।

9. जनजातीय कार्य मंत्रालय को अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 को शीघ्र पारित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास करने चाहिएं, जो संसद में पहले से प्रस्तुत किया जा चुका है तथा और आगे जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ उस वन भूमि के बारे में, जिस पर वह पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं/ रहते आ रहे हैं, पट्टे पर दिए जाने सम्बन्धी जनजातीय लोगों की समस्या की ओर ध्यान दिया गया है **{पैराः 3.5.8(ii)}**।

10(क) आयोग ने देखा है कि जनजातीय विरासत, विशेष रूप से उनकी कला और कौशलों, पूजा–स्थलों, ऐतिहासिक संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्मारकों, आदि के परिरक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसलिए, राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाए किः

(i) जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक विरासत का, विशेष रूप से (i) पूजा–स्थलों, (ii) ऐतिहासिक संग्रहालयों, (iii) ऐतिहासिक स्मारकों, और (iv) जनजातीय कला और कौशलों के सन्दर्भ में परिरक्षण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं **{पैराः 3.5.9(i)}**।

(ii) मद संख्या (i) के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को मानीटर करने और जनजातीय संस्कृति और विरासत को बरकरार रखने और उसके परिरक्षण के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त उपायों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए प्रत्येक राज्य के जनजातीय कल्याण विभाग में एक जनजातीय प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए **{पैराः 3.5.9(ii)}**।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन (भारत सरकार) और राज्यों में उसके प्रतिरूप संगठनों को भी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत का परिरक्षण करने की ओर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जानी चाहिए **{पैराः 3.5.10}**।

11(क) योजना आयोग को केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को योजना निधियां रिलीज करने को देश की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में (जो कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है) टी.एस.पी. के लिए इन निधियों की अपेक्षित 8.2 प्रतिशत राशि अलग निर्धारित करने की शर्त के साथ जोड़ देना चाहिए। विकल्प के रूप में स्वयं, योजना आयोग को विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के योजना परिव्यय को अनुमोदित करते समय इन परिव्ययों का 8.2 प्रतिशत टी.एस.पी. के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित कर देना चाहिए **{पैराः 3.6.4.5(i)}**।

(ख) योजना आयोग को जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ सलाह करते हुए अपने इस निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या कुछ मंत्रालयों/ विभागों को अपने योजना परिव्यय का 8.2 प्रतिशत भाग उनके द्वारा संभाले जा रहे विषयों के सम्बन्ध में, जनजातीय विकास से सम्बन्धित क्रियाकलापों पर खर्च किए जाने के लिए निर्धारित किए जाने से छूट दी जा सकती है, जैसाकि उनमें से कुछ द्वारा अपने विशेषज्ञीय क्रियाकलापों को देखते हुए कहा गया है **{पैराः 3.6.4.5(ii)}**।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय को विकास कार्यक्रमों के बारे में कार्रवाई करने वाले सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी करने चाहिएं कि उन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा अपने योजना बजट में से जनजातीय उप–योजना के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रतिशतता और देश में जनजातीय विकास के लिए टी.एस.पी. बजट के अन्तर्गत उनके द्वारा हाथ में लिए गए क्रियाकलापों की जानकारी अवश्य देनी चाहिए **{पैराः 3.6.4.5(iii)}**।

(घ) टी.एस.पी. के अन्तर्गत आबंटित निधियां, जो राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अथवा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा वित्त वर्ष के अंत तक खर्च नहीं की जातीं, व्यपगत न होने वाली निधियां बना दी जानी चाहिएं, जैसाकि राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों और टी.एस.पी. तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता के मामले में है **{पैराः 3.6.4.5(iv)}**।

(ड.) जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक समिति, जिसमें स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और वन, शिक्षा, जल संसाधन आदि जैसे विकास कार्यों से सम्बन्धित मंत्रालयों/ विभागों के प्रतिनिधि और योजना आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि शामिल हों, जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीम और अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान देने की स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित करनी चाहिए **{पैराः 3.6.6.2}**।

(च) राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनजातीय उप–योजना के लिए दिए गए अनुदानों और अनुच्छेद 275(1) के पहले परन्तुक के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों का 100 प्रतिशत उपयोग सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त तक कर लें और यदि राज्य सरकारें इन अनुदानों का उपयोग अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक भी नहीं कर पातीं, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को अनुदानों का उपयोग न किए जाने की जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए और सम्बन्धित राज्य सरकारों को इन अनुदानों का पूरा उपयोग अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिए करने की सलाह देनी चाहिए **{पैराः 3.6.6.5(i)}**।

(छ) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए कि जनजातीय उप–योजना के लिए केन्द्रीय सहायता और अनुच्छेद 275(1) के पहले परन्तुक के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों का उपयोग किसी भी हालत में किसी ऐसे क्षेत्र में न किया जाए, जिसका सम्बन्ध जनजातीय विकास से न हो। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी जाए कि वे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद तीन महीनों के अन्दर जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करें, जिनमें विभिन्न जनजातीय कार्यक्रमों पर इन अनुदानों के वास्तविक व्यय का ब्योरा दिया गया हो, ताकि यह जांच की जा सके कि धन का उपयोग जनजातीय कल्याण की स्कीमों पर समय पर किया गया है और इन अनुदानों का उपयोग अन्य क्षेत्रों में नहीं किया गया **{पैराः 3.6.6.5(ii)}**।

(ज) जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए खर्च का ब्योरा राज्यपाल की उस रिपोर्ट का भाग होना चाहिए, जो भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5(1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है **{पैराः 3.6.6.5(ii)}**।

12. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, जो सीधे डी.आर.डी.ए. को धनराशियां रिलीज़ करता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों को भी जिला स्तर के कार्यान्वयन अभिकरणों तक सीधे चैनल खोलने पर और आई.टी.डी.पी. अथवा जिला पंचायतों को धनराशियों का सीधा प्रवाह सुनिश्चित करने पर विचार करना चाहिए **{पैराः 3.6.6.6}**।

13(क) इस स्कीम के अन्तर्गत, जिसे सात वर्ष(अर्थात 1998–99 में) पहले शुरू किया गया था, आदिम जनजाति समूहों के विकास के लिए हाथ में ली गई परियोजनाओं के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इससे सरकार को यह पता लगाने का अवसर मिलेगा कि क्या आदिम जनजाति समूहों के विकास के मामले में गैर–सरकारी संगठनों ने सरकारी अभिकरणों की अपेक्षा बेहतर परिणाम दिए हैं, और यदि ऐसा हो, तो इस स्कीम के अन्तर्गत आदिम जनजाति समूहों के सम्बन्ध में ऐसे गैर–सरकारी संगठनों को परियोजनाएं सौंप कर उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है **{पैराः 3.7.3}**।

(ख) आदिम जनजाति समूहों से सम्बन्धित परियोजनाएं/ स्कीमें, अन्यों के अलावा, केवल ऐसे गैर–सरकारी संगठनों को दी जानी चाहिएं, जिन्हें आदिम जनजाति समूहों के लिए 15–20 वर्षों से अधिक समय से पूरी भागीदारिता और प्रतिबद्धता की उच्च भावना के साथ काम करने की प्रतिष्ठा प्राप्त है **{पैराः 3.7.3}**।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सम्बन्धित राज्यों को (जहां आदिम जनजाति समूह हों) अनुदान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में रिलीज़ कर दिए जाएं, ताकि उन्हें आदिम जनजाति समूहों के विकास पर धन खर्च करने के लिए अधिकतम समय मिल जाए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को आदिम जनजाति समूहों के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई धनराशियों का उपयोग न किए जाने के कारणों का जायज़ा भी लेना चाहिए और इन अनुदानों का उपयोग न किए जाने की उत्तरदायिता भी निश्चित करनी चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों को यह सलाह भी देनी चाहिए कि वे–

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास करें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा रिलीज़ किए गए अनुदानों को आदिम जनजाति समूहों के विकास के कार्यक्रमों पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त तक खर्च कर लिया जाए **{पैराः 3.7.7(i)}**।

(ii) सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद दो महीनों के भीतर जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें, जिसमें विभिन्न जनजातीय विकास कार्यक्रमों के बारे में अनुदानों के उपयोग का ब्योरा दिया गया हो **{पैराः 3.7.7(ii)}**।

(iii) आदिम जनजाति समूहों के विकास के कार्यक्रमों/ स्कीमों के लाभ पी.टी.जी. परियोजना क्षेत्रों के बाहर रहने वाले आदिम जनजाति समूहों को भी उसी तरह उपलब्ध कराए जाने चाहिएं **{पैराः 3.7.7(iii)}**।

(घ) निम्न साक्षरता स्तर, अत्यन्त आर्थिक पिछड़ेपन, प्रौद्योगिकी के कृषि–पूर्व स्तर, स्थिर और घटती हुई जनसंख्या और आदिमकालीन विशेषताओं वाले मलेरु समुदाय (जिन्हें पहले से ही अनुसूचित जनजाति स्वीकार किया गया है), को आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया जाए **{पैराः 3.8.2}**।

14(क) राज्य सरकारों को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि उच्चतम सीमा–अधिशेष भूमि भूमिहीन जनजातीय लोगों को शीघ्र बांट दी जाए और जिला स्तर पर तुरन्त कार्रवाई वाले न्यायालयों (फास्ट ट्रैक कोर्ट्स) और तहसील स्तर तक चल न्यायालयों की स्थापना करके मुकदमेबाजी में फंसी भूमियों की शीघ्र बहाली भी की जाए **{पैराः 3.9.5(i)}**।

(ख) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी जानी चाहिए कि:

(i) जनजातीय लोगों को उच्चतम सीमा–अधिशेष भूमियों के लिए किए गए आबंटनों के बारे में प्रविष्टियां भू–अभिलेखों में की जाएं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जनजातीय आबंटितियों को वास्तविक कब्ज़ा दिया जाए **{पैराः 3.9.5(ii)}**।

(ii) उन जनजातीय लोगों को जिन्हें भूमि समनुदेशित की गई है अथवा जो लगातार कई वर्षों से, अर्थात 10 वर्षों से भी अधिक समय से भूमि की खेती कर रहे हैं, भूमि के पट्टे दिए जाएं **{पैराः 3.9.6(i)}**।

(iii) मांग किए जाने पर, जोत–भूमि के नक्शे सहित खसरा खतौनी की प्रतिलिपि प्रत्येक जनजातीय परिवार को कोई शुल्क वसूल किए बिना उपलब्ध की जानी चाहिए **{पैराः 3.9.6(ii)}**।

(iv) जोत–भूमि के राजस्व रिकार्ड, अर्थात खसरा खतौनी और नक्शे आदि, स्वामियों के नाम और संख्या और क्षेत्र के ब्योरे सहित, ग्राम पंचायतों की अभिरक्षा में रखे जाने चाहिएं, ताकि पटवारियों द्वारा जनजातीय लोगों को सही सूचना न दिए जाने के जरिए उन्हें शोषण किए जाने से बचाया जाए **{पैराः 3.9.6(iii)}**।

(v) पटवारी द्वारा भूमि–अभिलेखों के परिवर्तन के जरिए खसरा खतौनी में कोई प्रविष्टि ग्राम पंचायत के अनुमोदन से की जानी चाहिए, जैसाकि मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है **{पैराः 3.9.6(iv)}**।

(vi) जनजातीय लोगों की छोटी जोत भूमियों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर एक स्थान पर लाया जाए ताकि विभिन्न निविष्टयों के जोरदार अनुप्रयोग द्वारा उन्हें खेती के लिए सक्षम और मितव्ययी बनाया जा सके **{पैराः 3.9.7}**।

15(i) जनजातीय कार्य मंत्रालय उत्तरांचल की राज्य सरकार को सलाह दे कि वह उत्तर प्रदेश भूमि विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1982 (जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 को संशोधित करने के लिए बनाया गया था) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसमें जनजातीय भूमि के प्रतिकूल कब्ज़े के कारण काश्तकारी के अधिकारों के उत्पन्न न होने की वजह से सहायक कलेक्टर द्वारा बलपूर्वक निष्कासन के वास्ते स्वयमेव कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था है, केवल खातिमा तहसील के 77 गांवों और अन्य गांवों (ऊद्यमसिंह नगर) में गैर–जनजातीय लोगों को गैर–कानूनी रूप से अन्तरित की गई भूमियों को, जनजातीय लोगों को बहाल करने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करे **{पैराः 3.10.7}**।

(ii) जनजातीय कार्य मंत्रालय उत्तरांचल की राज्य सरकार को यह सलाह दे कि वह उन गैर–जनजातीय लोगों के खिलाफ, जिनका जनजातीय भूमि पर गैर–कानूनी कब्ज़ा है (उपर्युक्तानुसार), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(iv) और (v) के अन्तर्गत स्वयमेव मामले दर्ज करे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) में उल्लिखित अनुसूची में दिए गए पैमाने के अनुसार जनजातीय लोगों को मुआवज़ा/राहत दे **{पैराः3.10.8}**।

16. अधिकतर भूमि अन्य–संक्रामणरोधी कानूनों में बचाव के रास्ते हैं, जिनसे बेईमान और चालाक गैर–जनजातीय व्यक्तियों को इन कानूनों की भावना के खिलाफ जनजातीय भूमि अपने नाम अन्तरित कराने में सहायता मिलती है। सभी राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे बचाव के उन रास्तों को बन्द करने के उद्देश्य से, जिनका दुरुपयोग बेईमान गैर–जनजातीय लोगों द्वारा जनजातीय भूमि अपने नाम अन्तरित कराने के लिए किया जा रहा है, इन कानूनों की समीक्षा करें **{पैराः 3.10.10(i)}**।

17. राज्यों को यह सलाह दिए जाने की जरूरत है कि वे राज्यों के कानूनों के उपबन्धों की संगति पी.ई.एस.ए. अधिनियम की धारा 4(ड)(iii) के उपबन्धों के साथ बिठाएं, जिनके अंतर्गत ग्राम सभाओं को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य–संक्रामण को रोकने और किसी अनु.ज.जा. के व्यक्ति की गैर–कानूनी तरीके से अन्य–संक्रमण की गई भूमि को बहाल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है **{पैराः 3.10.10(ii)}**।

18(क) उन राज्यों को, जिन्होंने जनजातीय भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में अन्य संक्रामण–रोधी कानून बनाए हैं, यह सलाह दी जाए कि वे अपने कानूनों/ अधिनियमों में हिमाचल प्रदेश (भूमि का अन्तरण विनियमन) अधिनियम, 1968 में जनवरी, 2003 में किए गए संशोधनों की तरह से संशोधन करें, जिनमें जनजातीय भूमि का अन्तरण किसी गैर–जनजातीय व्यक्ति को करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया है **{पैराः 3.10.10(iii)}**।

(ख) सम्बन्धित अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन होने तक, राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे जिला कलेक्टरों/ डिप्टी कमिश्नरों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अनुदेश दें कि किसी गैर–जनजातीय व्यक्ति को जनजातीय भूमि के अन्तरण की अनुमति प्रदान करने की शक्ति (यदि यह उनमें निहित की गई हो) उनके द्वारा (अर्थात जिला कलेक्टरों/ डिप्टी

कमिश्नरों द्वारा) किसी भी स्थिति में जिले के किसी नीचे के पदधारी को प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए **{पैराः 3.10.10(iii)}**।

(ग) राज्य सरकारों को यह सलाह देने की भी आवश्यकता है कि वे अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को वे विशेष रियायतें देने पर विचार करें, जो पी.ई.एस.ए. अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को दी गई हैं **{पैराः 3.10.10(iv)}**।

(घ) राज्य सरकारों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे कोई युक्तिसंगत समय–सीमा निर्धारित करें, जिसके अन्दर भूमि अनुसूचित जनजाति के भू–स्वामी को सौंप दी जानी चाहिए **{पैराः 3.10.10(v)}**।

(ड.) किसी डिप्टी कमिश्नर अथवा कलेक्टर द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के पक्ष में दिए गए किसी आदेश के खिलाफ कोई वाद दायर करने या आवेदन देने पर रोक होनी चाहिए। उड़ीसा सरकार द्वारा बनाए गए कानून में केवल एक राजस्व न्यायालय में अपील करने का उपबन्ध है। यदि अन्य राज्यों के कानूनों में पहले से ऐसे कोई उपबन्ध मौजूद न हों, तो उनमें भी इसी प्रकार के उपबन्ध किए जाने की आवश्यकता है **{पैराः 3.10.10(vi)}**।

(च) राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाए कि वे उन व्यक्तियों के खिलाफ, जो गैर–कानूनी/कपटपूर्ण तरीके से जनजातीय भूमि का अन्तरण अपने नाम कराने के दोषी पाए जाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(iv) और (v) के उपबन्धों के अनुसार स्वयमेव मामले पंजीकृत करें और, उसके बाद, जनजातीय लोगों को (जिनकी भूमि का अन्य–संक्रामण किया गया हो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अनुसार समुचित राहत नकदी के रूप में प्रदान करें **{पैराः 3.10.10(vii)}**।

21(क) ट्राइफेड में फिर से नए जीवन का संचार करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिएं **{पैराः 3.12.3(i-iii)}**।

(i) ट्राइफेड को गौण वन उत्पाद सहकारी गौण वन उत्पाद समितियों के माध्यम से खरीदने चाहिएं और, किसी भी हालत में, ठेकेदारों/ बिचौलियों से नहीं खरीदने चाहिएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय लोगों को उचित और युक्तिसंगत कीमत मिले।

(ii) ट्राइफेड को अपने क्रियाकलापों का ध्यान गौण वन उत्पादों और कृषि उत्पादों को सीधे जनजातीय लोगों से खरीदने की ओर केन्द्रित करना जारी रखना चाहिए और उनकी बिक्री करने और जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास का काम इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य अभिकरणों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

(iii) ट्राइफेड के भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार के कार्य–निष्पादन की नियतकालिक समीक्षा करने के द्वारा ट्राइफेड की कार्य–कुशलता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि उसे अपने उन कर्त्तव्यों को निभाने के लिए, जो उसे सौंपे गए हैं, सशक्त बनाया जाए।

(ख) आयोग यह भी सिफारिश करता है कि उन राज्यों को, जहां अनुसूचित जनजातीय लोगों की संख्या काफी अधिक हो, यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजातीय लोगों को गौण वन उत्पादों के उचित दाम मिलें और उन्हें बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाया जा सके, सभी गौण वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करें। यदि ट्राइफेड को गौण वन उत्पादों के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के कारण इन उत्पादों की उपाप्ति में नुकसान हो, तो केन्द्रीय सरकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय) को जनजातीय लोगों के हित में इन नुकसानों की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए **{पैराः3.12.4}**।

(ग) पांचवीं अनुसूची के राज्यों को यह सलाह दी जाए कि वे पंचायतों से सम्बन्धित अपने राज्य अधिनियमों में जनजातियों को गौण वन उत्पादों का स्वामित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में कानूनी उपबन्ध करें, जो शब्दों और भावना दोनों प्रकार से, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अनुरूप हों **{पैराः 3.12.6}**।

(घ) जनजातीय लोगों को ऐसे वनों से भी गौण वन उत्पादों को एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिन्हें 'सुरक्षित' घोषित किया गया है **{पैराः 3.12.8(i)}**।

(ड.) जनजातीय लोगों को सुरक्षित वनों/ वन्यजीव अभयारण्यों से ईंधन की लकड़ी (अर्थात सूखी लकड़ी) इकट्ठी करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए, जैसीकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है **{पैराः 3.12.8(ii)}**।

22(क) अनुसूचित क्षेत्रों में खनन रियायतें देने में अनुसूचित जनजातियों को तरज़ीह देने के लिए स्पष्ट मार्गनिर्देश जारी करने की आवश्यकता है **{पैराः 3.13.2}**।

(ख) खान मंत्रालय को भूरिया समिति, 1995 की इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले सभी औद्योगिक उद्यमों में (छोटे उद्यमों को छोड़ कर) समुदाय को 50 प्रतिशत का स्वामी इस आधार पर मान लिया जाए कि उसने उद्योग को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और स्थापित होने की अनुमति दी है **{पैराः 3.13.3}**।

(ग) राज्यों को ये अनुदेश जारी करने की आवश्यकता हैः

(i) समता बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले (सी.ए. संख्या 4601–02/1996) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.07.1997 के इस निर्णय का पालन करें कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी भूमि पट्टे, आदि के रूप में किसी गैर–जनजातीय व्यक्ति को अन्तरित न की जाए और ऐसे सभी खनन पट्टे केवल जनजातीय लोगों को दिए जाएं **{पैराः 3.13.4(i)}**।

(ii) जनजातीय लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, ताकि वे खनन के कार्य करने के योग्य बन सकें **{पैराः 3.13.4(ii)}**।

(iii) खानों और खनिजों से सम्बन्धित अपने अधिनियमों में विशिष्ट कानूनी उपबन्ध करें और गौण खनिजों के बारे में कोई पट्टा देने से पहले ग्राम सभा से सलाह करना उनके लिए आज्ञापक बना दिया जाए **{पैराः 3.13.4(iii)}**।

23. अनुसूचित क्षेत्रों में जल और अन्य संसाधनों पर जनजातीय लोगों के अधिकारों का सुरक्षण करने के बारे में राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी करने की आवश्यकता है **{पैराः 3.13.6}**।

24. जनसंख्या मानदंडों को पहाड़ी/ जनजातीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूप से शिथिल बनाया जा सकता है **{पैराः 3.14.5}**।

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	मौजूदा जनसंख्या मानदंड		मैदानी जनजातीय क्षेत्रों के लिए शिथिल मानदंड	पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों के लिए शिथिल मानदंड
		पहाड़ी क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र		
1.	उप–केन्द्र/ बहु–प्रयोजनी कार्यकर्ता	3,000	5,000	3,000	1,000
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	20,000	30,000	20,000	10,000
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	80,000	1,20,000	80,000	25,000

25. राज्य सरकारों को जनजातीय क्षेत्रों में उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी जाएः

(i) प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य गाइड उपलब्ध कराया जाए ताकि वह जनजातियों को ऐसी बीमारियों के उपचार हेतु दवाइयों की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का लाभ उठाने की शिक्षा दे सके जिनके लिए जड़ी–बूटियों पर आधारित दवाइयों की अपनी परम्परागत प्रणाली पर्याप्त अर्थात् कारगर नहीं है **{पैराः 3.14.8(i)}**।

(ii) प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्रसव परिचारी (अर्थात् दायी) होनी चाहिए और उसके पास डिलिवरी किट, सेप्टिक लिक्विड और नाल काटने वाली कैंची होनी चाहिए। उसके द्वारा कराई गई प्रत्येक डिलिवरी के लिए एक निर्धारित मेहनताना अर्थात् 250 रुपए और डिलिवरी के दौरान इस्तेमाल में लाई जाने वाली उपभोज्य सामग्री की लागत के लिए 100 रुपए दिए जाने चाहिएं **{पैराः 3.14.8(ii)}**।

(iii) डॉक्टरों और पराचिकित्सा कर्मचारियों को अच्छा आवास, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं, बिना बारी के प्रोन्नति आदि जैसे प्रोत्साहन देने की बहुत ही विश्वसनीय और प्रभावी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है ताकि उनकी जनजातीय इलाकों में कार्य करने की अनिच्छा पर काबू पाया जा सके **{पैराः 3.14.8(iii)}**।

(iv) परिवार नियोजन के लाभों तथा विभिन्न संक्रामक रोगों और आनुवंशिक रोगों की जानकारी देने वाले जागरूकता कार्यक्रम वृत्त–चित्रों, विज्ञापनों, पोस्टरों और व्याख्यानों के माध्यम से नियमित अन्तराल पर शुरू किए जाएं **{पैराः 3.14.8(iv)}**।

(v) सभी उप–केन्द्र महिला/ पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय व्यवस्था से युक्त सरकारी भवनों में होने चाहिएं। इन भवनों में पेशाब, एल्बूमिन और शूगर की जांच हेतु प्रयोगशाला की सुविधा भी होनी चाहिए **{पैराः 3.14.8(v)}**।

(vi) अनुसूचित जनजाति की स्थानीय लड़कियों और लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाए तथा उन्हें बहु–प्रयोजनी पुरुष/ महिला स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में नियुक्त किए जाने में प्राथमिकता दी जाए **{पैराः 3.14.8(vi)}**।

(vii) सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अपेक्षित सुविधाओं से युक्त ऑपरेशन थियेटर होने चाहिएं **{पैराः 3.14.8(vii)}**।

(viii) प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक एम्बुलेंस वाहन की भी व्यवस्था की जाए **{पैराः 3.14.8(viii)}**।

(ix) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आपातकालीन मामलों में अनिवार्य दवाओं को खरीदने के लिए वित्तीय अधिकार दिए जाएं **{पैराः 3.14.8(ix)}**।

(x) अंध–विश्वासों, अज्ञानता और निरक्षरता के कारण जनजातियां सरकार द्वारा समय–समय पर छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने तथा चेचक के टीके लगाने हेतु शुरू किए गए अभियान का फायदा नहीं उठातीं। अतः, आदिवासी नेताओं की मदद से ब्लॉक और जिला स्तर के प्राधिकारियों के जरिए कार्यक्रमों की अत्यावश्यक उपयोगिताओं के बारे में जनजातियों को शिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है **{पैराः 3.14.8(x)}**।

(xi) जनजातीय इलाकों में और अधिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरी जाएं **{पैराः 3.14.8(xi)}।**

(xii) जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक डाक्टर के लिए (पाठ्यक्रम के पूरा होने पर) शुरू में कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए देश के जनजातीय क्षेत्रों में काम करना आज्ञापक बना दिया जाए **{पैराः 3.14.8(xii)}**।

(xiii) ऐसे डाक्टरों और पराचिकित्सा कर्मचारियों को, जो जनजातीय इलाकों में कम से कम तीन वर्ष सेवा कर चुके हों, प्रोन्नति के मामले में रियायत/ महत्त्व/ प्रोत्साहन दिया जाए। इन डाक्टरों को आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाए **{पैराः 3.14.8(xiii)}**।

26. ग्रामीण विकास मंत्रालय को सलाह दी जाती है कि निर्माण सहायता की प्रतिवास–स्थान राशि मैदानी इलाकों में 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति एकक तथा पहाड़ी/ कठिनाई वाले इलाकों में 30,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए प्रति एकक कर दी जाए ताकि विगत दो वर्षों में निर्माण–सामग्री की कीमतों में हुई वृद्धि के प्रभाव को प्रति–संतुलित किया जा सके **{पैराः 3.15.12}**।

27. ग्रामीण विकास मंत्रालय को सलाह दी जाती है किः

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी जनजातीय बस्तियों का, जिन्हें अभी तक सड़कों से जोड़ा नहीं गया है, राज्य–वार विस्तृत ब्योरा तैयार करे तथा शहरी क्षेत्र समितियों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, गैर–सरकारी संगठनों आदि को शामिल करके दसवीं योजना की अवधि की समाप्ति अर्थात् 2007 तक सभी जनजातीय इलाकों को सड़क से जोड़ने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करे **{पैराः 3.16.7(i)}**।

(ii) यह सुनिश्चित करें कि आदिवासी इलाकों की सभी सम्पर्क सड़कों को पक्की सड़कों में तथा भीतरी कच्ची सड़कों को सी.सी. सड़कों में तब्दील कर दिया जाएगा तथा उन्हें दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात् 2007 तक पक्की सम्पर्क सड़कों के साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि वर्षा ऋतु के दौरान भी इन क्षेत्रों में आना–जाना सरल व सुसाध्य हो सके **{पैराः 3.16.7(ii)}**।

28. इस बात की आवश्यकता है कि गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत आने वाले खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इनकी कालाबाजारी रोकने हेतु प्रभावी अर्थोपाय किए जाएं। उचित होगा कि उचित दर दुकानों का पर्यवेक्षण करने में तथा राजसहायता प्राप्त अनाजों की हकदारी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की पहचान करने में भी पंचायती राज संस्थानों को शामिल किया जाए **{पैराः3. 17.8}**।

29(क) माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2002 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में तीन कार्यक्रमों, अर्थात् (i) एक लाख हैंड पम्प लगाने, (ii) एक लाख प्राइमरी स्कूलों को पेय जल की सुविधाएं मुहैया कराने तथा (iii) पानी के एक लाख परम्परागत स्रोतों का पुनरुद्धार करने की घोषणा की थी। इस बीच, इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु मार्गनिर्देश तैयार कर लिए गए थे तथा वे सभी राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं। ये कार्यक्रम दो वर्षों, अर्थात् 2003–04 और 2004–05 में पूरे किए जाने थे। पेय जल आपूर्ति विभाग जनजातीय लोगों वाले क्षेत्रों के विशिष्ट संदर्भ में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाए **{पैराः 3.18.10}**।

(ख) पेय जल आपूर्ति विभाग को अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों और अन्य राज्यों, जहां जनजातीय आबादी बहुत ज्यादा है और जिन्हें अभी तक पेय जल मुहैया नहीं कराया गया है, की जनजाति बस्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा एक सर्वेक्षण कराने तथा तद्नुसार इन सभी इलाकों में दसवीं योजना की अवधि के अन्त तक सुरक्षित पेय जल मुहैया कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी जाती है **{पैराः 3.18.11}**।

(ग) पेय जल आपूर्ति विभाग, राज्य सरकारों को वर्ष 2007 के अंत तक जनजातीय बस्तियों में सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध करने की सलाह देः **{पैराः 3. 18.12}**

(i) मैदानी इलाकों की जनजाति आबादी को हैंड पम्पों की सुविधा मुहैया कराई जाए **{पैराः 3.18.12(i)}**।

(ii) जहां किसी भी कारण से हैंड पम्प लगाना सम्भव न हो, वहां पेय जल के कूओं की व्यवस्था करके उन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति के लोगों को सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए **{पैराः 3.18.12(ii)}**।

(iii) जहां हैड पम्प लगाना अथवा कूएं खोदना संभव न हो और जहां सरिता (स्ट्रीम) जैसे पानी के प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हों, वहां पानी के उन स्रोतों को प्रदूषण से बचाया जाए **{पैराः 3.18.12(iii)}**।

30(क) आयोग ने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में (सेनिटरी) शौचालयों के निर्माण के कार्यक्रम को किसी सार्थक तरीके से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। जो शौचालय बनाए गए हैं, वे बहुत घटिया किस्म के हैं और अधिकतर मामलों में वे उपयोग में लाए जाने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से युक्त भी नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकतर का उपयोग करना छोड़ दिया गया है। इसलिए, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य निकायों द्वारा किए गए कार्य का कड़ाई से निरीक्षण करने की प्रणाली तैयार करना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकारों द्वारा इस बात की पूरी तसल्ली होने के बाद ही अनुदान रिलीज किए जाएं कि इन शौचालयों में जल, दरवाजों आदि जैसी न्यूनतम सुविधाएं गैर–सरकारी संगठनों अथवा निकायों को, जिन्हें यह काम सौंपा गया है, अनुदान रिलीज करते समय उपलब्ध हैं **{पैराः 3.20.2}**।

(ख) ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने संबंधी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाए तथा अलग–थलग पड़ी जनजाति बेल्टों/ पॉकेटों में इन स्वच्छ शौचालयों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। गैर–सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों को शामिल करके इस कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि करने की भी जरूरत है **{पैराः 3.20.2}**।

31. ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (आर.ई.जी.एस.) के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु नोडल मंत्रालय है, राज्य सरकारों को सलाह दे कि वे स्कीम के अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध लाभानुभोगियों के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े प्रस्तुत करें तथा मंत्रालय इस स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अन्य लाभानुभोगियों के साथ–साथ अनुसूचित जनजातियों के लाभानुभोगियों के (राज्यवार) आंकड़ों का भी निम्नलिखित रूप में उल्लेख करें: **{पैराः 3.21.3.4}**।

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्कीम के तहत कवर किए गए जिलों की संख्या	इन जिलों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी	राज्य में स्कीम के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या	स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की संख्या व प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों द्वारा लगाए कार्य दिवसों की कुल संख्या

32(क) मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति माता–पिता को अपनी बेटियों की सामूहिक शादियों में, जिनमें कम से कम पांच जोड़े शादी के लिए सहमत हों, प्रत्येक मामले में 1000/– रुपए की वित्तीय सहायता देने की एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। अनु.ज.जा. माता–पिता की आय की उच्चतम सीमा 12,000/– रुपए है। राज्य सरकार अनु.जा. के माता–पिता की बेटियों की शादी के बारे में भी एक अन्य स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सामूहिक शादियों का कोई प्रतिबन्ध नहीं है और वित्तीय सहायता की राशि 5000/– रुपए प्रति मामला है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार को सलाह देनी चाहिए कि: **{पैराः 3.22.3}**।

(i) केवल एक स्कीम हो जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों के माता–पिताओं को समान वित्तीय सहायता राशि मुहैया कराए। मौजूदा सहायता की मात्रा अनुसूचित जनजाति माता–पिताओं के लिए 1,000/– रुपए और अनुसूचित

जाति माता–पिताओं के लिए 5,000/– रुपए है। अतः मौजूदा जीवनयापन लागत को देखते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों के लिए इसे बढ़ाकर कम से कम 10,000/– रुपए किया जाना चाहिए **{पैराः 3.22.3(i)}**।

(ii) अनुसूचित जनजाति के मामले में सामूहिक विवाहों की मौजूदा शर्त को समाप्त कर देना चाहिए तथा वित्तीय सहायता मामला–दर–मामला के आधार पर दी जाए न कि सामूहिक विवाहों के आधार पर, जैसे कि अनुसूचित जातियों के मामले में दी जाती है **{पैराः 3.22.3(ii)}**।

(iii) इस स्कीम के तहत आय सीमा को 12,000/– रुपए वार्षिक से बढ़ाकर बी.पी.एल. परिवार के तहत वार्षिक आय राशि के दुगुने के बराबर कर दिया जाए **{पैराः 3.22.3(iii)}**।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय को ऐसे राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों (जहां ऐसी कोई स्कीम नहीं है) को सलाह देनी चाहिए कि अनुसूचित जनजाति दुल्हनों के माता–पिता, जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की वार्षिक आय से दुगुनी है, को प्रत्येक वैयक्तिक मामले में कम से कम 10,000/– रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए एक स्कीम बनानी चाहिए। जिन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में पहले से ऐसी स्कीम हों, उन्हें यह संशोधन करने की सलाह दी जाए कि वित्तीय सहायता की राशि को बढ़ाकर अनुसूचित जनजाति दुल्हनों के माता–पिता के लिए प्रत्येक मामले में कम से कम 10,000/– रुपए (यदि मौजूदा राशि 10,000/– रुपए से कम हो) तथा इसी प्रकार, आय सीमा को बढ़ाकर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वार्षिक आय से दुगुनी (यदि मौजूदा आय सीमा उस राशि से कम हो) कर दिया जाए **{पैराः 3.22.4}**।

33(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री बुदुरु श्रीनिवासुलु ने 12 अगस्त, 2005 को विशाखापट्टनम में आन्ध्र प्रदेश राज्य में गिरिजन सहकारी निगम के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। माननीय सदस्य को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया था कि जनजातीय लोगों के लिए भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिरिजन सहकारी निगम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष जनजातियों को गौण वन उत्पादों के लिए कृषकों के समान न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था ताकि निगम बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान भी जनजातियों को बेहतर मूल्य दे सके। आयोग का विचार है कि यह एक उपयुक्त प्रस्ताव है और जनजातीय कार्य मंत्रालय को बाजार की प्रतिकूल स्थितियों में अनु.ज.जा. के हितों की रक्षा के लिए इस पर अनुकूल दृष्टि से विचार करना चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को विशेष रूप से गिरिजन सहकारी निगम और सामान्यतः एस.टी.डी.सी. के सम्बन्ध में, इस विषय में शीघ्र फैसला करना चाहिए **{पैराः 3.23.4(i)}**।

(ख) कई जनजातियों की आय का स्रोत केवल गौण वन उत्पाद हैं तथा वे अपनी जीविका के लिए केवल इस कार्यकलाप पर निर्भर करते हैं। तथापि, गौण वन उत्पादों की अधिप्राप्ति कोई सतत् क्रियाकलाप नहीं है, क्योंकि जुलाई से अक्तूबर तक की अवधि कम पैदावार वाली (लीन) अवधि होती है, जिसमें अपर्याप्त गौण वन उत्पादों की ही फसल कटाई की जा सकती है। कम पैदावार वाली अवधि में गौण वन उत्पादों के मूल्य–वर्धन का कार्य जनजातियों के लिए कुछ रोजगार दिला सकता है और इसके लिए उन सभी डिवीजनल क्षेत्रों में, जहां कहीं गौण वन उत्पाद रूपान्तरण के लिए आसानी से उपलब्ध हों, स्व–स्थाने प्रसंस्करण केन्द्र खोले जाएं। जनजातीय कार्य मंत्रालय सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस प्रस्ताव की साध्यता पर विचार करने की सलाह दे सकता है **{पैराः 3.23.4(ii)}**।

(ग) डी.आर. आपूर्ति केन्द्रों की स्थापना और अधिक स्थानों पर महत्त्वपूर्ण जनजाति आवासों से कम से कम 5 से 6 कि.मी. के दायरे में की जा सकती है। आयोग ने देखा है कि डी.आर. डिपुओं में पर्याप्त रूप से सामान नहीं होता। कुछ डिपुओं के भवन बगैर बिजली के छप्परों में हैं। इन डिपुओं को पक्की इमारतें बनाकर चरणबद्ध ढंग से सुदृढ़ करने की आवश्यकता

है। राज्य सरकारों को इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह देने की जरूरत है **{पैराः 3.23.4(iii)}**।

34(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दे कि उनके नियन्त्रणाधीन राज्य चेनलाइजिंग एजेन्सियों को स्कीमों की प्रामाणिकता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए ऋण प्रस्तावों की जांच एक उचित समयावधि में कर लेनी चाहिए तथा ऋण की समय पर निर्मुक्ति हेतु उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) को भेज देना चाहिए। राज्य चेनलाइजिंग एजेन्सियों को यह पता लगाने के अर्थोपाय करने चाहिएं कि क्या स्वीकृत एवं विमोचित किया गया ऋण लाभानुभोगियों द्वारा उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया गया है अथवा नहीं, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था **{पैरा 3.25.7}**।

(ख) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. अपने द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमों तथा इन स्कीमों के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जनजाति राज्यों में पर्याप्त प्रचार करने के लिए उपयुक्त अर्थोपाय तैयार करे **{पैराः 3.25.9(i)}**।

(ग) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. को चाहिए कि वह जनजातियों को एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा वसूल की जा रही ब्याज दर पर सीधे बैंकों से ऋण लेने के लिए जनजातियों को अनुमति देने की भी जांच करे तथा एन.एस.टी.एफ.डी.सी. और बैंकों की ब्याज की दरों के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सम्बन्धित बैंकों को ब्याज सब्सिडी मुहैया करने की संभावनाओं की भी जांच करे। यदि एन.एस.टी.एफ.डी.सी. के पास उक्त ब्याज सब्सिडी मुहैया कराने के लिए निधियां न हों तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को एन.एस.टी.एफ.डी.सी. को आवश्यक निधियां मुहैया करानी चाहिएं **{पैराः 3.25.9(ii)}**।

(घ) आयोग सिफारिश करता है कि लाभानुभोगी परिवार के सम्बन्ध में विभिन्न स्कीमों के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आय पात्रता मापदंडों में वृद्धि की जाए अर्थात् शहरी क्षेत्रों में 54,500/– रुपए की मौजूदा आय सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 39,500/– रुपए की मौजूदा आय सीमा को बढ़ाकर 1.00 लाख रुपए वार्षिक किया जाए **{पैराः 3.25.10}**।

35. एन.एस.टी.एफ.डी.सी. और सम्बन्धित एस.सी.ए. को ऋण स्वीकृत और विमोचित करने से पहले ऋण लेने वाले व्यक्ति की जनजाति सम्बन्धी स्थिति की वास्तविकता का सावधानीपूर्वक सत्यापन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कीम के लाभ केवल वास्तविक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही मिल रहे हैं तथा इस स्कीम का वास्तविक प्रयोक्ता केवल जनजाति का ही है **{पैराः 3.25.11}**।

36. जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक मॉनीटरिंग मैकेनिज्म विकसित करना चाहिए ताकि अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक प्रगति हेतु राज्यों के विभिन्न जनजाति विकास सहकारी निगमों को दी गई धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके **{पैराः 3.26.8}**।

37. जनजातीय कार्य मंत्रालय लोक सभा, राज्य विधान–सभा और पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजनार्थ ऐसे समुदायों, जिन्हें 2001 की जनगणना के बाद अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई थी तथा ऐसी अन्य जनजातियों को, जिन्हें भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भविष्य में मान्यता मिल सकती है, ध्यान में रखने के लिए परिसीमन अधिनियम, 2002 में समर्थकारी उपबन्ध करने हेतु उपयुक्त विधेयक तैयार करने की कार्रवाई यथाशीघ्र शुरू करे ताकि उसे संसद में प्रस्तुत किया जा सके **{पैराः 3.27.2}**।

अध्याय–4: विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनःस्थापन और पुनर्वास

1(क) एक उपयुक्त केन्द्रीय विधान या तो अलग से या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के एक भाग के रूप में बनाया जाए, ताकि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि के

अधिग्रहण के कारण विस्थापित होने वाले संभावित व्यक्तियों का सुव्यवस्थित पुनःस्थापन और पुनर्वास हो सके। इससे सभी राज्य सरकारों द्वारा एक–समान पुनःस्थापन और पुनर्वास पैकेज को अपनाया जाना सुनिश्चित हो जाएगा **{पैराः 4.1.2}**।

(ख) केन्द्रीय विधान बनने और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ही विधान बनाए जाने तक राज्य सरकारों को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि पुनःस्थापन और पुनर्वास के पैकेजों में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह व्यवस्था होनी चाहिए कि **{पैराः 4.1.3}**:

(i) विस्थापित व्यक्तियों को भूमि के बदले भूमि दी जाए जिसकी गुणवत्ता और कानूनी स्थिति वैसी ही होनी चाहिए जैसीकि उस भूमि की थी, जो पहले उनके पास थी, ताकि वे अपनी वर्तमान जरूरतों और भावी विकास का ध्यान रख सकें। यदि प्रभावित व्यक्ति नकद अथवा वस्तु के रूप में क्षतिपूर्ति चाहते हों तो उनकी क्षतिपूर्ति, उपयुक्त गारन्टियों के साथ, उसी प्रकार की जानी चाहिए।

(ii) विस्थापित जनजातीय परिवारों के सभी सदस्यों के लिए स्थायी जीविका सुनिश्चित करने के लिए उस परिवार के प्रत्येक वयस्क को नई आबादी में 5 एकड़ सिंचित भूमि आबंटित की जानी चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक परिवार के सभी आबंटितियों को एक ही स्थान पर भूमि दी जाए।

(ग) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी जाए कि:

(i) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन जनजातीय लोगों के, जिन्हें उनकी भूमि से विस्थापित किए जाने की संभावना हो, पुनःस्थापन और पुनर्वास की ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए, जिससे वे सन्तुष्ट हों **{पैराः 4.1.4(i)}**।

(ii) प्राप्त की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति की दर अधिग्रहण के समय भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाए न कि उस क्षेत्र की भूमियों की पुरानी रजिस्ट्रियों की लेनदेन दरों पर, जो कई वर्ष पहले हुई हों। क्षतिपूर्ति दरों का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाने वाला एक अन्य तथ्य यह है कि कृषि भूमि का अधिग्रहण औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए किया जा रहा था। अतः, भूमि की लागत बहुत अधिक होगी और इसलिए क्षतिपूर्ति की दरों का निर्धारण करने के लिए भूमि के इस वर्धित मूल्य को ध्यान में रखा जाए **{पैराः 4.1.4(ii)}**।

(iii) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जनजाति भूमि का अधिग्रहण करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि जनजातीय परिवारों का संभावित विस्थापन कम से कम हो और जहां विस्थापन अपरिहार्य हो, वहां राज्य सरकारें पुनःस्थापन और पुनर्वास नीतियां बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि विस्थापित जनजातीय परिवारों को उन जनजातीय पट्टियों में ही पुनःस्थापित किया जाए जहां अन्य जनजातीय समुदाय रह रहे हों ताकि उनकी सांस्कृतिक विरासत को बचाया जा सके **{पैराः 4.1.4(iii)}**।

(iv) इस उद्देश्य से उपयुक्त हिदायतें जारी करें कि उद्योगों के मालिक प्रभावित जनजातीय परिवारों (अर्थात् जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है) के सदस्यों को चाय की दुकानें, नाश्ता बार चलाने, औद्योगिक संयंत्रों, आदि के परिसरों में कैंटीनें चलाने के लिए लाइसेंस देने में तरजीह देंगे **{पैराः 4.1.4(iv)}**।

(v) नए अधिग्रहण किए गए क्षेत्रों में उभरते हुए उद्योगों के लिए अनिवार्य बनाया जाए कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्षतिपूर्ति और प्रतिस्थापित भूमि के आबंटन के अतिरिक्त, प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को उचित समयावधि में औद्योगिक/ खनन आदि परियोजनाओं में उपयुक्त नौकरी दी जाएगी **{पैराः 4.1.4(v)}**।

(vi) यदि विस्थापित जनजातीय परिवार के पास भूमि अधिग्रहण से पहले एक से अधिक गांवों में भूमि थी, तो प्रत्येक गांव में उनकी भूमि के अधिग्रहण के बदले एक–एक व्यक्ति को उपयुक्त नौकरी भी दी जानी चाहिए **{पैराः 4.1.4(vi)}**।

(घ) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए कि उन जनजातीय परिवारों को, जिन्हें भूमि आबंटित की गई है और वे उस भूमि पर विगत कई वर्षों से अर्थात् 10 वर्ष अथवा उससे भी अधिक वर्षों से खेती कर रहे हैं और उसके लिए उन जनजातीय परिवारों को पट्टे नहीं दिए गए हैं, तो उन्हें पट्टा–धारकों अथवा उनके समान माना जाए, जिनके पास विकास के प्रयोजनार्थ प्राप्त की जाने वाली उनकी भूमि की क्षतिपूर्ति की अदायगी के प्रयोजन हेतु पैतृक भू–सम्पत्तियां हैं **{पैराः 4.1.5}**।

2(क) जल संसाधन मंत्रालय ने सूचित किया है कि तीन राज्यों (अर्थात मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र) के सम्बन्ध में कुल 51,447 परियोजना–प्रभावित परिवारों में से 33,153 परिवारों को पहले से पुनःस्थापित किया जा चुका है और 18,294 परिवारों को (31.1.2006 की स्थिति के अनुसार) अभी बसाया जाना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 75 प्रतिशत परियोजना–प्रभावित परिवार अनुसूचित जनजातियों के हैं, आयोग परियोजना–प्रभावित परिवारों के पुनःस्थापन की धीमी प्रगति पर चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकता। अतः, आयोग गम्भीर चिन्ता के साथ उल्लेख करता है कि 18,294 परिवार अभी पुनःस्थापित किए जाने हैं। इसलिए यह जरूरी है कि मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित हुए जनजातीय लोगों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के समूचे मामले को जनजाति सलाहकार परिषद के समक्ष रखा जाए और आयोग को परिषद के विचारों और उन पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए **{पैराः 4.3.6और 4.3.8}**।

(ख) गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को सलाह दी जाए किः

(i) वे शेष 18,294 परियोजना–प्रभावित परिवारों के शीघ्र पुनःस्थापन के लिए तत्काल कार्रवाई करें तथा उनके पुनःस्थापन और पुनर्वास हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें **{पैराः 4.3.9)}**।

(ii) वे शेष 18,294 परिवारों में से (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा यथासूचित) उन जनजातीय परिवारों की संख्या का पता लगाएं, जिन्हें अभी पुनःस्थापित और पुनः बसाया जाना है तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उनके (अर्थात जनजातीय लोगों के) शीघ्र पुनःस्थापन के लिए की गई कार्रवाई के बारे में इस कठोर तथ्य को देखते हुए पता लगाएं कि अनुसूचित जनजातियां समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग हैं तथा विस्थापित/प्रभावित जनजातीय परिवारों के पुनःस्थापन में और विलम्ब होने से उनकी आजीविका सम्बन्धी समस्याएं और बढ़ जाएंगी **{पैराः 4.3.9}**।

अध्याय–5: अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास

1(क) राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे बच्चों के माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें शिक्षा के महत्त्व और उससे प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करें **{पैराः 5.2.3(ii)}**।

(ख) जनजातीय क्षेत्रों में चलाए जाने वाले अधिकतर स्कूल एक–एक अध्यापक द्वारा ही चलाए जाते हैं। यदि अध्यापक बीमारी के कारण अथवा किसी घरेलू कारणवश छुट्टी ले लेता है, तो स्कूल में कोई अध्यापक नहीं रहता, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों की पढ़ाई में हर्ज होता है। इसके अलावा, जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियोजित किए गए अधिकतर अध्यापक जीवन की जनजातीय शैली, उनकी परम्पराओं और मूल्य–प्रणाली, आदि में बहुत कम रुचि लेते हैं। इसलिए, जनजातीय क्षेत्रों में एकल अध्यापक वाले स्कूलों में एक–एक अध्यापक और तैनात किए जाने की तत्काल आवश्यकता है **{पैराः 5.2.3(iii)}**।

(ग) यह देखा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास और अन्य क्षेत्रों से भी सम्बन्धित धनराशियों के काफी बड़े भाग का उपयोग नहीं किया जाता अथवा उन्हें कार्यान्वयन एजेंसियो को रिलीज़ नहीं किया जाता। राज्य सरकारों में इन निधियों का व्यपर्तन अन्य क्षेत्रों में करने की प्रवृत्ति भी है। इसलिए, यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए निर्धारित क्रियाकलापों के लिए, जिनमें शिक्षा प्रदान करना भी शामिल है, कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशियां रिलीज़ की जाएं और शिक्षा के लिए अभिप्रेत धनराशियों का उपयोग अन्य क्षेत्रों में करने से बचा जाए **{पैराः 5.2.4(i)}।**

(घ) राज्य सरकारों को सलाह दी जाए किः

(i) अनुसूचित जनजाति के बच्चों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोलने और कम महिला साक्षरता दर वाली पॉकेटों में लड़कियों के लिए और छात्रावास खोलने की भी सलाह दी जाए **{पैराः 5.2.4(ii)}।**

(ii) एक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में केन्द्रीय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय अथवा एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल, आदि जैसा कम से कम एक उत्कृष्टता स्कूल होना चाहिए **{पैराः 5.2.4(iii)}।**

(iii) स्वयं जनजातीय समुदायों के ही अध्यापक नियुक्त किए जाएं, जिन्हें स्थानीय बोली की जानकारी हो, अथवा कुछ प्रोत्साहनों के साथ जनजातीय क्षेत्रों के लिए अध्यापकों का एक अलग संवर्ग बनाया जाए। चूंकि जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों की पहले से ही कमी है, इसलिए इन स्कूलों के अध्यापकों को न केवल जनगणना के कार्य के समय गणना करने की ड्यूटियों से, बल्कि अन्य सर्वेक्षण ड्यूटियों से भी छूट दी जाए **{पैराः 5.2.4(iv)}।**

(ड.) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन स्कूलों और छात्रावासों का अनुरक्षण उपयुक्त रूप से किया जाए और अपेक्षित सुविधाएं सही रूप में उपलब्ध हों और रिहायशी स्कूलों और छात्रावासों में जो खाद्य परोसा जाता है, उसकी गुणवत्ता और मात्रा में भी सुधार किया जाए **{पैराः 5.2.4(v)}।**

(च) वे जनजातीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक और स्कूल खोल कर और लड़कियों के माता–पिता को लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए और प्रोत्साहन देकर, जो अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, लेखन–सामग्री, स्कूल बैगों, मध्याह्न भोजन स्कीम के अन्तर्गत पके हुए भोजन, आदि के रूप में दिए जा रहे मौजूदा प्रोत्साहनों के अलावा हों, अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर में सुधार करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें **{पैराः 5.2.4(vi)}।**

2. राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना के सफल कार्यकरण को देखते हुए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए अन्य राज्यों को, जहां अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का स्तर अभी नीचे है, सलाह दी जाए कि वे अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लाभ के लिए ऐसी ही परियोजना शुरू करें **{पैराः 5.5.3}।**

3. आयोग ने देखा है कि 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में, अन्य बातों के साथ–साथ 200 तक की जनसंख्या वाली अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बस्तियों से 1 किलोमीटर तक के फासले के भीतर प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने के बारे में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय क्षेत्रों में तीन किलोमीटर के व्यासार्ध के अन्दर कम से कम एक माध्यमिक स्कूल और पांच किलोमीटर के व्यासार्ध के भीतर कम से कम एक उच्च माध्यमिक स्कूल होना चाहिए **{पैराः 5.7.6}।**

4. सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य समूचे देश भर में सभी बच्चों को शिक्षित बनाना है। लेकिन, सी.बी.एस.ई. के माध्यम से और राज्य शिक्षा बोर्डों के माध्यम से देश में शिक्षा की दो स्तरों वाली प्रणाली का उद्देश्य एक–समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना नहीं है। प्रत्येक राज्य शिक्षा बोर्ड का अपना–अपना पाठ्य विवरण, पुस्तकें, पाठ्यक्रम, विषय–वस्तु, शैक्षणिक अवसंरचना और परीक्षा स्तर है। अनुसूचित जनजातियों के अधिकतर छात्रों की पहुंच सी.बी. एस.ई. के साथ सम्बद्ध स्कूलों तक नहीं है। सी.बी.एस.ई. की पद्धति का अनुसरण करने वाले विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन वाले संस्थानों में प्रवेश लेने और संगठित सेवाओं में शामिल होने में सुविधा होती है। इसलिए, आयोग का मत है कि शैक्षणिक पद्धति और परीक्षा की पद्धति देश भर में एक–सी होनी चाहिए, ताकि अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों को, जो आम तौर पर स्थानीय क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में दाखिल होते हैं, कोई असुविधा न हो और वे उच्च अध्ययन वाले संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता कर सकें **{पैराः 5.7.7}**।

5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को सलाह दे कि वे अपनी नीति/ अनुदेशों को ये उपबन्ध करने के लिए संशोधित करें **{पैराः 5.9.2}**:

   (i) बी.फार्मा/ डी. फार्मा पाठ्यक्रमों अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में दिल्ली क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों को दिल्ली से भिन्न क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों से भर लिया जाए, जब दिल्ली क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों **(पैराः 5.9.2(i)}**।

   (ii) अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को दिल्ली क्षेत्र के अनुसूचित जाति उम्मीदवारों से भरने की मौजूदा व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए **(पैराः 5.9.2(ii)}**।

6(क) विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की स्थितियां संतोषजनक नहीं पाई गई हैं। यह देखा गया है कि पेय जल, सफाई, कुकिंग गैस, आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दे, ताकि स्कूल शिक्षा के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर विद्यार्थियों को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके **(पैराः 5.10.4(i)}**।

(ख) यह देखा गया है कि बहुत से छात्रावास किराए की इमारतों में चल रहे हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। आयोग ने जनजातीय क्षेत्रों में फील्ड दौरों के समय यह भी देखा है कि छात्रावासों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी स्थान–क्षमता मांग की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए, आयोग की राय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को आकर्षित करने और स्कूलों में उनका अवरोधन सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केन्द्र–प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत प्रकाश, पानी, बिजली, रसोई, पुस्तकालय, आदि जैसी सुविधाओं वाले छात्रावासों की इमारतों के निर्माण का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें **(पैराः 5. 10.4(ii)}**।

(ग) लिखने–पढ़ने और सीखने को एक आनन्दप्रद अनुभव बनाने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि विशेष रूप से दूर–दराज़ के जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में दृश्य माध्यमों, अर्थात दूरदर्शन, फिल्मों आदि के जरिए दूरस्थ शिक्षा पद्धति की सहायता ली जाए **(पैराः 5.10.4(iii)}**।

(घ) परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों में बीच मे पढ़ाई छोड़ने का बुनियादी कारण ठहराया जा सकता है और यह स्थिति जनजातीय व्यक्तियों को अपने बच्चों को एक आर्थिक यूनिट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विवश कर देती है, जो

परिवार के लिए कुछ आय अर्जित करे। यह भी आवश्यक है कि बच्चों के ऐसे माता–पिताओं को, जिनकी आय गरीबी की रेखा से नीचे है, कुछ आर्थिक प्रोत्साहन इस उद्देश्य से दिए जाएं कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की बजाए उनका उपयोग एक आर्थिक यूनिट के रूप में करने की विवशता से उनका पीछा छूट जाए **(पैराः 5.10.4(iv)}**।

(ड.) यह जरूरी है कि माता–पिता को, और विशेष रूप से माताओं को इस बात की जानकारी दी जाए कि उनके बच्चों को आत्म–निर्भर बनाने में और परिवार की आय में योगदान देने के योग्य बनाने में शिक्षा का क्या महत्त्व है। यह कार्य जनजातीय क्षेत्रों में गैर–सरकारी संगठनों, आदि के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम शुरू करके सफलतापूर्वक किया जा सकता है **(पैराः 5.10.4(v)}**।

(च) जनजातीय कार्य मंत्रालय को सम्बन्धित राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सलाह देनी चाहिए कि वे अध्यापकों को बढ़िया आवास, चिकित्सा सुविधाओं, आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन देने की स्कीमें तैयार करके और यह सुनिश्चित करके कि जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों में अध्यापकों के पदों को, यथासम्भव सीमा तक, स्थानीय जनजातीय उम्मीदवारों को अध्यापक नियुक्त करके भरा जाए, खाली पदों को भरें **(पैराः 5.10.4(vi)}**।

(छ) अधिकतर मामलों में, बीच में पढ़ाई छोड़ देने का एक कारण जनजातीय बच्चों का एक ही कक्षा में बार–बार फेल होना है। इसका इलाज जनजातियों के कमजोर और औसत से कम योग्यता वाले छात्रों की पहचान करके और छुट्टी के दिनों में अथवा रात को उन्हें निःशुल्क अतिरिक्त शिक्षा देने के प्रबन्ध करके किया जा सकता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को सलाह दी जाए कि वह सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखे कि वे अध्यापकों को कुछ नकद प्रोत्साहन देकर इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध करें **(पैराः 5.10.4(vii)}**।

(ज) अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रसार के मार्ग में एक प्रमुख बाधा यह है कि उनके माता–पिता अप्रैल से जून के मध्य तक की अवधि में आजीविका की तलाश में मौसमी रूप से अन्य स्थानों पर चले जाते हैं और यह वही अवधि है, जिसमें बच्चों की परीक्षाएं होती हैं। जब मां–बाप अपनी बस्तियों से अन्य स्थानों पर जाते हैं, तो उन्हें अपने पढ़ने वाले बच्चों को भी अपने साथ ले जाना पड़ता है, क्योंकि वे उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते। इससे बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। मौसमी प्रव्रजन की यह समस्या उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों में विशेष रूप से विद्यमान है, जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या काफी अधिक है (ये सभी राज्य अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य हैं)। सम्बन्धित राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजाति परिवारों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो अपनी आजीविका की तलाश के लिए अस्थायी रूप से अन्य स्थानों पर प्रव्रजन का फैसला करें और अपने बच्चों को इसलिए पीछे छोड़ जाने के लिए राज़ी हों कि बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और परीक्षाएं दे सकें, खाने–पीने और रहने की उपयुक्त स्कीमें तैयार करें। विकल्प के रूप में, राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाए कि वे अनुसूचित जनजाति के बच्चों के अपने अस्थायी प्रव्रजन के स्थानों से अपनी मूल बस्तियों में लौटने के बाद उनकी विशेष परीक्षाएं लेने के विशेष प्रबन्ध करें। इससे अनुसूचित जनजातियों के सफल बच्चों को अगली उच्च कक्षा में चढ़ाने में सहायता मिलेगी **(पैराः 5.10.4(viii)}**।

(झ) जनजातीय लड़कों में पढ़ाई बीच में छोड़ देने की घटनाएं शिक्षा के मिडल और माध्यमिक स्तरों पर विशेष रूप से अधिक होती हैं। जनजातीय परिवारों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का नामांकन और माध्यमिक स्तर तक उनका अवरोधन अर्थात पढ़ाई जारी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन गरीबी के कारण माता–पिता अपने बच्चों को, विशेष रूप से लड़कियों को स्कूलों में भेजने के लिए अनिच्छुक होते हैं। स्कूलों में अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के नामांकन और अवरोधन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों के सुझाव दिए जाते हैंः **(पैराः 5.10.4(ix)}**

(क) ठीक प्रवेश के समय पर ही प्रवेश शुल्क, पुस्तकों, कापियों और लेखन–सामग्री, स्कूल की पोशाक और धुलाई–व्यय/ पोशाक की सामग्री के बारे में वित्तीय सहायता

दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन से, राज्य सरकारों को शिक्षा सत्र के शुरू होने से काफी पहले आवश्यक प्रबन्ध करने चाहिएं।

(ख) विद्यार्थियों–यथास्थिति दिवा छात्रों अथवा छात्रावासों के छात्रों – की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मेट्रिक–पूर्व वजीफे नियमित रूप से दिए जाने चाहिएं, ताकि बच्चे नियमित आधार पर स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित हों।

(ग) 75 प्रतिशत उपस्थिति और स्कूल नोट बुक में किए गए कार्य वाले प्रत्येक विद्यार्थी को नकद अवार्ड के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं। इसके अलावा, परीक्षाओं में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्याार्थियों को भी नकद अवार्ड दिए जाने चाहिएं।

(घ) मध्याह्नकाल के भोजन की स्कीम का विस्तार कम से कम अनुसूचित जनजाति छात्राओं के लिए मेट्रिक के स्तर तक किया जाना चाहिए। इससे अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के परिवारों को भारी राहत मिलेगी।

(ड.) कक्षा XI और XII के छात्रों को अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन–विज्ञान, वाणिज्य और अर्थशास्त्र में विशेष शिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इससे उन्हें सामान्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वाले कॉलेजों में प्रवेश पाने में सहायता मिलेगी।

7(क) मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के प्रयोजन से छात्रों के माता–पिताओं के सम्बन्ध में आय की उच्चतम सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया जाए और छात्रवृत्ति की राशि को छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के मामले में 235 रुपए से बढ़कर 500 रुपए और 740 रुपए से बढ़ा कर 1000 रुपए कर दिया जाए और दिवा छात्रों के मामले में 330 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया जाए **(पैरा: 5.11.1.2(i)}**।

(ख) उन जनजातीय छात्रों के साथ, जो दिवा छात्र हैं लेकिन जो किराए के स्थान में रहते हैं, छात्रावास में रहने वाले छात्रों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके मामले में भी छात्रवृत्ति की राशि छात्रावास में रहने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति के बराबर होनी चाहिए **(पैरा: 5.11.1.2(ii)}**।

(ग) आयोग ने देखा है कि राज्य सरकारों के पास भी मेट्रिक–पूर्व स्तर पर जनजातीय विद्यार्थियों को छा़वृत्तियां देने की स्कीमें हैं और कुछ राज्य सरकारों (जैसे उत्तरांचल राज्य सरकार) ने कक्षा IX और X में पढ़ने वाले जनजातीय बच्चों के माता–पिता के मामले में आय की उच्चतम सीमा 2,500/– रुपए प्रतिमास रखी हुई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को उन सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को, जो ऐसी स्कीम चला रहे हैं, कक्षा I से X तक में पढ़ने वाले सभी जनजातीय बच्चों के माता–पिताओं के सम्बन्ध में आय की उच्चतम सीमा को समाप्त करने की सलाह देनी चाहिए **(पैरा: 5.11.1.3}**।

(घ) आयोग ने देखा है कि अधिकतर जनजातीय माता–पिता को इस स्कीम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसलिए, देश के जनजातीय क्षेत्रों में इस स्कीम के बारे में व्यापक प्रचार किए जाने की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि अनुसूचित जनजाति के अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च और तकनीकी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए आगे आएं। जनजातीय कार्य मंत्रालय को काफी अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों को यह सलाह भी देनी चाहिए कि वे विभिन्न स्कीमों के बारे में, जिनमें मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भी शामिल है, सूचना का प्रसार करने के लिए अपने वेबसाइट विकसित करें। इन वेबसाइटों में जनजातीय कार्य मंत्रालय के वेबसाइट के साथ संयोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए **(पैरा: 5.11.1.7}**।

(ड.) आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि भारत सरकार द्वारा (अर्थात राज्य सरकारों के वचनबद्ध दायित्व के अलावा) और राज्य सरकारों के द्वारा धनराशियों के रिलीज़ न किए जाने के कारण मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के संवितरण में विलम्ब हो जाता है, इसलिए आयोग

सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारों को, उनके बचनबद्ध दायित्व से ऊपर की राशियों का विमोचन समय पर किया जाए। मंत्रालय को राज्य सरकार को ये अनुदेश भी जारी करने चाहिएं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को इन छात्रवृत्तियों का संवितरण समय पर हो, वचनबद्ध दायित्व तक की अपेक्षित राशि जिला प्राधिकारियों को समय पर रिलीज़ की जाए। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी जाए कि वे छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खातों के माध्यम से संवितरित किए जाने की संभावनाओं का पता लगाएं **(पैराः 5.11.1. 8}**।

8. अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रतियोगिता करने के योग्य बनाने के लिए इन छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने की स्कीम के अनुरूप, जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रबन्धन और तकनीकी पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों में प्रवेश–पूर्व कोचिंग प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने पर भी विचार करना चाहिए। इसी के अनुरूप, राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे जनजातीय छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश–पूर्व कोचिंग प्रदान करें **(पैराः 5.11.1.9}**।

9. पुस्तक बैंकों की यह स्कीम, अपने मौजूदा रूप में, स्नातक स्तर के सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के दो छात्रों को पुस्तकों का एक सेट देने और मेडिकल, इंजीनियरी, व्यापार प्रबन्ध, विधि, जीव–विज्ञान और चार्टर्ड लेखापालन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मामले में प्रत्येक छात्र को एक सेट देने की अनुमति देती है। पूर्वोक्त स्थिति में छात्रों को स्वतंत्र अध्ययन करने में रुकावट आती है। इस असुविधा की ओर ध्यान देने और इसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्र को पुस्तकों का एक सेट दिया जाना चाहिए, जैसाकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मामले में होता है **(पैराः 5.11.1.13}**।

10(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में इस स्कीम के शुरू होने के समय से लेकर (इस स्कीम को बाद में अनुसूचित जनजाति के लड़कों के छात्रावासों के निर्माण की स्कीम में मिला दिया गया था) बनाए गए लड़कियों के छात्रावासों की कुल संख्या के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार, 1989–90 से लेकर, जब यह स्कीम शुरू की गई थी, अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए बनाए गए कुल छात्रावासों की संख्या के बारे में भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को अपनी अगली वार्षिक रिपोर्ट में इस स्कीम के अन्तर्गत लड़कों और लड़कियों के लिए बनाए गए छात्रावासों की कुल संख्या के बारे में अलग–अलग सूचना राज्य–वार देनी चाहिए और इसके साथ प्रत्येक छात्रावास में स्वीकृत सीट–क्षमता की जानकारी भी देनी चाहिए। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि छात्रावासों में प्रवेश के मानदंडों को उपयुक्त रूप से ढीला बनाया जाना चाहिए, यदि सामान्य हकदारी अपेक्षाओं के संदर्भ में सभी सीटों का इस्तेमाल न होता हो **(पैराः 5.11.1.19}**।

(ख) आयोग ने जनजातीय क्षेत्रों में अपने फील्ड दौरों के समय यह देखा है कि छात्रावासों में सीट–क्षमता, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए, आवश्यकता से बहुत कम है और यह कम नामांकन होने और छात्राओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने के मामलों में वृद्धि होने का प्रमुख कारण है, जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः अनुसूचित जनजातियों में महिला साक्षरता कम है। इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की अवलिम्ब आवश्यकता है **(पैराः 5.11.1.20}**।

11(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय को सलहा दी जाती है कि अगली रिपोर्टों में (2006–07 से) जनजातीय उप–योजना वाले 21 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों में काम कर रहे आश्रम स्कूलों की कुल संख्या (राज्य–वार) की जानकारी दी जाए **(पैराः 5.11.1.24}।**

(ख) आश्रम स्कूलों के कार्यकरण, उनमें उपलब्ध सुविधाओं और अध्यापन की क्वालिटी, भोजनालय सुविधाओं, आदि के बारे में इस समय कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए, जनजातीय

कार्य मंत्रालय को जनजातीय अनुसन्धान संस्थानों द्वारा जनजातीय उप–योजना वाले 21 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों में आश्रम स्कूलों के कार्यचालन के बारे में उपयुक्त मूल्यांकन अध्ययन कराना चाहिए **(पैराः 5.11.1.24}**।

12. उम्मीदवारों (यदि वे नियोजित हों) अथवा उनके माता–पिता की आय के सम्बन्ध में सभी स्रोतों से आय की 44,500 रुपए की उच्चतम सीमा पिछले कुछ वर्षों में जीवन–यापन की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादी नहीं है, इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को आय की उच्चतम सीमा को बढ़ा कर कम से कम 1.00 लाख रुपए प्रति वर्ष कर देना चाहिए **(पैराः 5.11.2.6}**।

13(i) केवल ऐसे संगठनों को, जिन्हें काफी अनुभव हो और जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, संघ लोक सेवा आयोगों, अधीनस्थ सेवा आयोगों, आदि द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के वास्ते ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगिता के लिए अनु.ज.जा. उम्मीदवारों की सहायता के लिए जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय उम्मीदवारों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिए जाने चाहिएं (जहां कहीं ऐसे केन्द्र गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हों) **(पैराः 5.11.2.8(i)}**।

(ii) जहां तक सम्भव हो, ये गैर–सरकारी संगठन, जिन्हें परीक्षा–पूर्व कोचिंग केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित होने चाहिएं **(पैराः 5.11.2.8(ii)}**।

(iii) आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि किसी गैर–सरकारी संगठन को इस स्कीम के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है और उस अनुदान की सहायता से वह गैर–सरकारी संगठन परीक्षा–पूर्व केन्द्र चलाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है और अगले वर्ष उस गैर–सरकारी संगठन को अनुदान नहीं दिया जाता। इसका परिणाम यह होता है कि पिछले वर्ष में दिए गए अनुदान पूरी तरह से व्यर्थ हो जाते हैं। आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि ऐसे बुनियादी ढांचे/ इमारतों का उपयोग इन गैर–सरकारी संगठनों द्वारा रिहायशी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को, इसलिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर–सरकारी संगठनों का चयन प्रारम्भिक अवस्था में बहुत ध्यानपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और जब एक बार अच्छी प्रतिष्ठा वाले किसी गैर–सरकारी संगठन का चयन कर लिया जाए, तो बाद में उसे अनुदान देना बन्द नहीं करना चाहिए, जब तक कि उस गैर–सरकारी संगठन के बारे में असन्तोषजनक कार्य–निष्पादन की शिकायत अथवा कोई अन्य शिकायतें मंत्रालय को प्राप्त न हों। जनजातीय कार्य मंत्रालय को किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदानों की सहायता से निर्मित ढांचे/ इमारत को अपने हाथ में लेने के लिए भी कदम उठाने चाहिएं, यदि मंत्रालय द्वारा खराब कार्य–निष्पादन अथवा किसी अन्य शिकायत के कारण बाद के वर्ष/वर्षों में उस गैर–सरकारी संगठन को अनुदान देना बन्द कर दिया गया हो **(पैराः 5.11.2.8(iii)}**।

14. नौवीं योजना में इस स्कीम के लिए 30.25 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था, जिसके एवज में जनजातीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और स्कीम का कार्यान्वयन करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को 18.45 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे। इसी प्रकार, वर्ष 2005–06 के लिए आबंटित 5.40 करोड़ रुपए में से राज्य सरकारों को 2.47 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे। आयोग यह समझ नहीं पाया है कि राज्य सरकारों को वास्तविक आबंटन का केवल 40–50 प्रतिशत भाग रिलीज़ किए जाने के क्या कारण हो सकते हैं। आयोग के विचार से स्थिति यह हो सकती है कि इस स्कीम के बारे में अनुसूचित जनजातीय लोगों में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह देनी चाहिए कि वे इस स्कीम के अन्तर्गत होने वाले लाभों के बारे में समूचे देश में जनजातीय लोगों को जानकारी देने के लिए जन–माध्यमों और अन्य चेनलों के जरिए जोरदार और व्यापक प्रचार करें, ताकि दूरस्थ

और अलग–थलग पॉकेटों में रहने वाले जनजातीय लोग इस स्कीम के लाभ प्राप्त कर सकें **(पैराः 5.11.2.16}**।

15(क) आयोग ने देखा है कि स्कीम के सफल कार्यान्वयन में एक प्रमुख बाधा यह है कि राज्य सरकारें कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रायः समय पर धनराशियां रिलीज़ नहीं करतीं। जनजातीय मंत्रालय इस मामले को सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाए और इस बात पर बल दे कि कार्यान्वयन अभिकरणों को धनराशियां समय पर रिलीज़ किए जाने की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम के विभिन्न संघटकों पर धनराशियों के विलम्ब से रिलीज़ किए जाने से किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े **(पैराः 5.13.5}**।

(ख) उन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या काफी अधिक है, एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की संख्या को बढ़ाने की सचमुच आवश्यकता है और इस स्कीम के अन्तर्गत 32 रिहायशी स्कूलों को (विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत किए गए कुल 100 स्कूलों में से), जिन्होंने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है, शीघ्र ही कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए **(पैराः 5.13.6}**।

(ग) जनजातीय क्षेत्रों में उत्कृष्टता वाले अधिक से अधिक सरकारी स्कूल और केन्द्रीय स्कूल खोलने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जनजातियों के सभी योग्य विद्यार्थियों को इन स्कूलों में स्थान दिया जा सके/ दाखिल किया जा सके **(पैराः 5.13.7}**।

16. आरक्षण के दायरे का विस्तार केवल सरकार के स्वामित्व वाले और सरकार की सहायता पाने वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं तक ही नहीं किया जाना चाहिए (जैसाकि विधेयक में प्रस्तावित है), बल्कि ऐसे पब्लिक स्कूलों और अन्य स्कूलों, और अस्पतालों, आदि जैसी संस्थाओं पर भी किया जाना चाहिए, जो यद्यपि सरकार द्वारा निधिपोषित नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने सरकार से भूमि के अभिग्रहण, इमारतों के सम्बन्ध में रियायतें और इन संस्थाओं की मान्यता/ सम्बद्धन के बारे में रियायतें और इन संस्थाओं को चलाने के लिए बिजली, पानी, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था, आदि सम्बन्धी रियायतें ली हैं/ ले रहे हैं **(पैराः 5.14.2(i)}**।

17. शिक्षावृत्तियां प्रदान करने में और/अथवा स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं, आदि में छात्रवृत्तियां देने में अनुसूचित जनजातियों के लिए (2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या की तुलना में अनु.ज.जा. जनसंख्या के अनुपात में) 8.2 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए **(पैराः 5.14.2(ii)}**।

18. स्कूलों, कालेजों, शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं से संलग्न छात्रावासों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 8.2 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाने चाहिएं **(पैरा 5.14.2(iii)}**।

अध्याय–6: सेवा सुरक्षण

1. 2001 की जनगणना के आधार पर देश की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में सेवाओं और पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता को 7.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 8.2 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए **(पैराः 6.2.5}**।

2. संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001 के अनुसार, जिनके जरिए, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी श्रेणी अथवा किन्हीं श्रेणियों के पदों में पदोन्नति के मामलों में, परिणामी वरिष्ठता के साथ, अनु.जा. और अनु.ज.जा. के लिए आरक्षण का उपबन्ध करने के लिए अनुच्छेद 16(4) का संशोधन किया गया था, समूह 'क' के पदों में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू किया जाना चाहिए **{पैराः 6.2.9}**।

3. यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है कि क्या संविधान में नया अनुच्छेद 16(4क) जोड़कर अनुच्छेद 16(4) में किए गए संशोधन के आधार पर समूह 'क' के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण होना चाहिए अथवा नहीं। सरकार को अनुसूचित जनजातियों के और अनुसूचित जातियों के भी हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मामला संविधान पीठ के समक्ष प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत किया जाए और उसके बारे में प्रभावकारी तरीके से बहस की जाए, किसी प्रतिष्ठित न्यायविद को काम पर लगाना चाहिए जो मामले की विषय–वस्तु से भली–भांति परिचित हो **{पैराः 6.3.2}**।

4. 13 अथवा उससे कम पदों वाले संवर्गों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को, जो भरी न गई हों, अनिश्चितकाल तक तब तक आगे ले जाया जाना चाहिए जब तक इन पदों को अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों द्वारा भर नहीं लिया जाता, जैसाकि 13 से अधिक पदों वाले संवर्गों के सम्बन्ध में होता है, जिनमें आरक्षित प्वाइंटों का कोई व्यपगमन नहीं होता **{पैराः 6.5.1(x)}**।

5. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के अनारक्षण पर लगाए गए प्रतिबन्ध के अनुरूप, पदोन्नति में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, पद–आधारित रोस्टर के कार्यान्वयन के लिए पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित पदों का अनारक्षण किए जाने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए **{पैराः 6.6.2}**।

6. जहां मौजूदा भर्ती नियमों में पदों को 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने का उपबन्ध हो, वहां भर्ती नियमों को सीधी भर्ती के भाग की व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि यदि फीडर संवर्ग में अगले पद पर पदोन्नति के लिए अनु.ज.जा. के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो अनु.ज.जा. के लिए आरक्षित प्वाइंट, अस्थाई रूप से, सीधी भर्ती कोटे की ओर मोड़े जा सकें और अनारक्षण को टाला जा सके **{पैराः 6.6.3}**।

7. अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी विभागीय पदोन्नति समितियों/ बोर्डों/ चयन समितियों में अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अलग प्रतिनिधियों को सहयोजित करने का उपबन्ध करने के लिए उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित किया जाना चाहिए **{पैराः 6.7.2}**।

8. सामाजिक समानता लाने के संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सकारात्मक भेदभाव के सिद्धान्त का विस्तार गैर–सरकारी क्षेत्र पर भी किया जाना चाहिए और इसकी शुरुआत उन क्रियाकलापों से की जानी चाहिए, जो संस्थात्मक वित्त का लाभ प्राप्त कर रहे हैं **{पैराः 6.8.2}**।

9. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के समय यह बाध्यकर खंड निर्धारित करना चाहिए कि नया प्रबन्धन विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण की नीति का पालन करेगा और उसे जारी रखेगा। सरकार को इस बारे में एक विधान बनाने पर विचार करना चाहिए**{पैराः6.8.3}**।

10. वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को, जिनमें अनुसन्धान करने, अथवा अनुसन्धान को आयोजित करने, मार्ग–निर्देश देने और निर्देशित करने के लिए अभिप्रेत पद भी शामिल हैं, पहली बार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार आयोग के का.ज्ञा., दिनांक 23 जून, 1975 द्वारा समूह 'क' के सबसे निचले सोपान तक अनु.जा. और अनु.ज.जा. के लिए आरक्षण की स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया गया था। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की स्कीम का विस्तार समूह 'क' के पदों/ सेवाओं के सबसे निचले सोपान के आगे (अर्थात समूह 'क के भीतर) बढ़ाया जाना चाहिए **{पैराः 6.9.6}**।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन करने के लिए, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया था कि अनु.ज.जा./अनु.ज.जा. को सामान्य श्रेणी के साथ विचार के एक ही जोन में साथ–साथ रखने से आरक्षण का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा, समूह

'ग' से समूह 'ख' में, समूह 'ख' के भीतर और समूह 'ख' से समूह 'क' के सबसे नीचे के सोपान में चयन द्वारा पदोन्नति के लिए सामान्य श्रेणी और अनु.ज.जा./अनु.ज.जा. के अधिकारियों के लिए विचार का एक ही ज़ोन तैयार करने की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर फीडर संवर्ग में अनु.ज.जा. और अनु.जा. के पात्र अधिकारियों के लिए विचार का अलग एक जोन तैयार किया जाना चाहिए **{पैराः 6.13.3}**।

12. 2001 की जगनणना के बाद गोवा में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, गोवा राज्य में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में, जहां भर्ती स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर की जाती है, समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों में स्थानीय/ क्षेत्रीय आधार पर की जाने वाली सीधी भर्ती के लिए आरक्षण की प्रतिशतता को संशोधित करके 0 प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर देना चाहिए **{पैराः 6.14.5}**।

13. गृह मंत्रालय को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.02.2005 के अपने निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी राज्य सरकारों को यह अनुदेश जारी करने चाहिएं कि अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार, चाहे उनका मूल किसी भी राज्य का हो, उन संघ राज्यक्षेत्रों में अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों/ संगठनों में सिविल पदों/ सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवेदन करने और विचार किए जाने के हकदार होंगे **{पैराः 6.14.7}**।

14. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के प्रयोजन के लिए सीधी भर्ती के कोटे की 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा को हटाने पर विचार करे **{पैराः 6.17.2}**।

15 अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए, चाहे उनका मूल–स्थान कोई भी हो, आरक्षण का उपबन्ध करने के बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के फैसले के परिणामस्वरूप, जिसकी सूचना दिल्ली की एन.सी.टी. सरकार द्वारा अपने 30 जून, 2005 के पत्र द्वारा डी.एस.एस.एस.बी. के अध्यक्ष और सभी विभागाध्यक्षों को दी गई थी, दिल्ली सरकार को सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में अनु.ज.जा. के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष समयबद्ध अभियान चलाना चाहिए। आयोग ने अपने दिनांक 14 जुलाई, 2005 के पत्र द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मुख्य सचिव से पहले से अनुरोध किया है कि अनु.ज.जा. के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए **{पैराः 6.18.14}**।

16. अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 को संसद द्वारा पारित किए जाने और अधिनियम बन जाने के बाद संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए **{पैराः 6.19.2(i)}**।

17. भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जो उसकी वर्ष 2001–02 की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 4.75 और 4.77 में दी गई हैं, न्यायपालिका, लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय और सशस्त्र बलों को भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के दायरे के अन्दर लाया जाए **{पैराः 6.19. 2(ii)}**।

18. कार्य–भारित पदों के लिए नियुक्तियों और 45 दिनों से कम अवधि की नियुक्तियों में भी आरक्षण होना चाहिए **{पैराः 6.19.2(iii)}**।

19. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के दायरे का विस्तार वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के सम्बन्ध में, जिनकी आवश्यकता अनुसन्धान करने अथवा अनुसन्धान को आयोजित करने, मार्गनिर्देश प्रदान करने और निर्देशित करने के लिए होती है, समूह 'क' के सबसे निचले सोपान के ऊपर भी किया जाना चाहिए (मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, ऐसे पदों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण समूह 'क' के केवल सबसे नीचे के सोपान तक उपलब्ध है) **{पैराः 6.19.2(iv)}**।

20. किसी पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के मामले में ढील दी जाए, यदि ऐसी पदोन्नति के लिए उन पर विचार किए जाने के समय, इन समुदायों के ऐसे उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, जिनको पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव प्राप्त हो **{पैराः 6.19.2(v)}**।

21. प्रस्तावित विधेयक की धारा 13(3) में यह उपबन्ध है कि यदि सम्पर्क अधिकारी को अपने द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान अथवा अन्यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उपेक्षा अथवा चूक के किसी मामले का पता चले तो वह यथास्थिति सम्बन्धित सचिव अथवा विभागाध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और वह सचिव अथवा विभागाध्यक्ष नियुक्ति करने वाले सम्बन्धित प्राधिकरण को इस मामले में उपयुक्त आदेश जारी करेगा। आयोग ने अपनी टिप्पणियों में इस धारा के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ने का सुझाव दिया था **{पैराः 6.19.2(vi)}**।

"सचिव अथवा विभागाध्यक्ष की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति आरक्षण के मामलों के बारे में कार्रवाई करने वाले नोडल विभाग, अर्थात कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को और यथास्थिति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास भेजेगा।"

22(i) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर, जो सामान्यतः किसी स्थान और क्षेत्र के उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 और 2001 की जनगणना की समाप्ति के बाद जारी किए गए इसी प्रकार के संशोधनों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यताप्राप्त समुदायों/ जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि इन समुदायों के व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित न हों **{पैराः 6.20.1(i)}**।

(ii) आयोग ने देखा है कि अखिल भारतीय सेवाओं, जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ. एस. की संवर्ग संख्या का एक–तिहाई भाग राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों में से नामजदगी द्वारा भरा जाता था। इस प्रकार के प्रवेश/ नामज़दगी में अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होना चाहिए **{पैराः 6.20.1(ii)}**।

(iii) अनुसूचित जनजातियों के जो अधिकारी अपने संगठनों में काफी वरिष्ठ हों, उन्हें भी सम्पर्क अधिकारियों के रूप में नामजद किए जाने और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्षों में भी काम करने के अवसर दिए जाने चाहिएं **{पैराः 6.20.1(iii)}**।

23(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी मंत्रालयों और विभागों और विशेष रूप से उन विभागों पर, जो विभिन्न पदों/ सेवाओं में नियुक्तियों के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण हैं, जोर देना चाहिए कि वे इन सभी समूहों में और विशेष रूप से समूह 'क' और 'ख' में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के द्वारा विशेष प्रयास करें **{पैराः 6.21.1.2}**।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में समूह 'क' और 'ख' के पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 7.5 की विहित प्रतिशतता से बहुत कम है। लोक उद्यम विभाग को यह मामला उन प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के साथ उठाना चाहिए, जो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का नियंत्रण करते हैं, और उन पर (केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर) जोर देना चाहिए कि वे इन समूहों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को 7.5 प्रतिशत के वांछित स्तर तक बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें **{पैराः 6.21.2.2}**।

24(i) सरकारी क्षेत्र के अधिकतर बैंकों में अधिकारियों, लिपिकों और उप–कर्मचारियों के तीनों संवर्गों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम है। यह स्थिति मुख्यतः इसलिए उत्पन्न हुई है कि इन बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो सभी पदों के बारे में नियंत्रण अधिकारी और नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी हैं, अनु.ज.जा. के बारे में भारत सरकार की

आरक्षण की नीति को कार्यान्वित करने में अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में विफल रहे हैं। इस गम्भीर स्थिति में, इन बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ आरक्षण की नीति का उपयुक्त कार्यान्वयन न किए जाने के कारण कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) के बैंकिंग प्रभाग को चूककर्ता बैंकों को अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों के बैकलाग/कमी को समयबद्ध तरीके से भरे जाने के लिए अनुदेश जारी करने चाहिएं **{पैराः 6.21.3.5}**।

(ii) यदि बैंकों द्वारा समाचारपत्रों में दिए गए विज्ञापनों के प्रति, जिनमें बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हों, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अनुक्रिया अच्छी न हो, तो बैंकों को विभिन्न पदों में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए भर्ती करने वाले दलों (टीमों) को देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बहुलता वाले क्षेत्रों में भेजना चाहिए **{पैराः 6.21.3.5}**।

25(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को तब तक वार्षिक अनुदान देना पूरी तरह बन्द कर देने पर अथवा अनुदान की राशि में समुचित कटौती करने पर, जो वह उचित समझे, विचार करना चाहिए, जब तक वे लेक्चररों की नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में भारत सरकार की आरक्षण की नीति को कार्यान्वित करने के लिए सहमत नहीं हो जाता और एक समुचित अवधि में अनुसूचित जनजातियों के लेक्चररों की नियुक्ति करके इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई शुरू नहीं करता **{पैराः 6.21.4.5(i)}**।

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ये अनुदेश जारी करने चाहिएं कि वे रीडरों और प्रोफेसरों के उन पदों पर नियुक्तियों में, जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, आरक्षण का अनुसरण भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करते हुए करें **{पैराः 6.21.4.5(ii)}**।

(iii) अधिकतर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लेक्चरर के ग्रेड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस मामले को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ उठाना चाहिए और उन्हें सलाह देनी चाहिए कि वे लेक्चरर के ग्रेड में बैकलाग रिक्तियां अभिज्ञात करें और इन बैकलाग रिक्तियों को दो वर्ष की विहित अवधि में भरने का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें **{पैराः 6.21.4.5(iii)}**।

(iv) यदि चूककर्ता विश्वविद्यालय अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को दो वर्ष की उस अवधि के अन्दर भरने में असफल रहें, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान की किस्त रिलीज़ करते समय यह शर्त लगा देनी चाहिए कि जब तक वे अनुसूचित जनजाति रिक्तियों की कमी को पूरा नहीं करेंगे, तब तक अनुदान की अगली किस्त रिलीज़ नहीं की जाएगी **{पैराः 6.21.4.5(iii)}**।

(v) कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर, बाकी सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर–अध्यापन श्रेणी के पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नगण्य है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चूककर्ता विश्वविद्यालयों को सलाह देनी चाहिए कि वे अनु.ज.जा. के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियां अभिज्ञात करें और इन बैकलाग रिक्तियों को एक वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि में भरने का एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें **{पैराः 6.21.4.8}**।

(vi) यदि चूककर्ता विश्वविद्यालय एक वर्ष की उस अवधि में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने में असफल रहें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदानों की किस्तें रिलीज़ करते समय यह शर्त लगानी चाहिए कि जब तक वे अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों की कमी को पूरा नहीं करेंगे, तब तक अनुदान की अगली किस्त रिलीज़ नहीं की जाएगी **{पैराः 6.21.4.8}**।

26. जनजातीय कार्य मंत्रालय को आदिम जनजाति समूहों वाले 15 अन्य राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश से भिन्न) को सलाह देनी चाहिए कि वे समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों और अध्यापन श्रेणी के विभिन्न ग्रेडों के संविदा पदों में आदिम जनजाति समूहों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए इसी प्रकार के उपबन्ध करें और उसके लिए उन्हें मध्य प्रदेश की स्कीम के अनुरूप, भर्ती की प्रक्रिया से गुजरना न पड़े, बशर्ते कि उनके पास इन पदों के लिए न्यूनतम अर्हता हो **{पैराः 6.22}**।

अध्याय–7: अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करना और उनका सत्यापन

1(क) समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विहित किए गए फार्मेट के पीछे की ओर ऐसे सभी आदेशों/ अधिनियमों की सूची दिए जाने के लिए, जिनमें जातियों/ जनजातियों को अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई है, मौजूदा फार्मेट को संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र में सम्बन्धित आदेश/ अधिनियम का नाम लिख सकें। फार्मेट की एक प्रति अनुलग्नक 7.I में दी गई है, जिसमें अन्य परिवर्तन भी शामिल हैं **{पैराः 7.1.2}**।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को एक दूसरा जाति/जनजाति प्रमाणपत्र फार्मेट फिर से शुरू किए जाने की जरूरत है, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1982 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उन लोगों के लिए विहित किया गया था, जो मूल राज्य से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन कर गए थे ताकि वे अपने पिता/ माता को जारी किए गए जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर प्रव्रजन के राज्य से प्रमाणपत्र हासिल कर सकें। इस फार्मेट की एक प्रति, आवश्यक संशोधनों सहित, अनुलग्नक 7.II में दी गई है**{पैराः7.1.3}**।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को सलाह दी जानी चाहिए कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति के समय उन अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की समुदाय स्थिति का सत्यापन, जिन्हें पदोन्नत किए जाने का प्रस्ताव हो, उन्हें उन अभिलेखों से स्वयं करना चाहिए, जो उनके पास उपलब्ध हों और यदि उनके पास अद्यतन अभिलेख उपलब्ध न हों तो उन्हें यह पता लगाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से सम्पर्क करना चाहिए कि क्या उक्त अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार का समुदाय पदोन्नति के समय अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल बना हुआ है अथवा नहीं **{पैराः 7.2.2(क)}**।

3. जनजातीय कार्य मंत्रालय को, जो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित अथवा गैर–अनुसूचित करने वाला नोडल मंत्रालय है, उस अधिसूचना की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जारी की जाती है, सभी मंत्रालयों को उनकी सूचना, अभिलेख और उपयुक्त समय पर उपयोग के लिए हमेशा उपलब्ध कराई जानी चाहिए **{पैराः 7.2.2(ख)}**।

4. राज्य सरकारों को सभी जिला प्राधिकारियों को (प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम) यह अनुदेश जारी करने चाहिएं कि उनके कार्यालयों में आवेदनों के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन तक की अधिकतम अवधि में समुदाय प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाने चाहिएं **{पैराः 7.2.3}**।

5. सरकारी अनुदेशों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, बहुत से राज्यों ने अनु. जा./अनु.ज.जा. के प्रमाणपत्र धारकों की समुदाय स्थिति के लिए जिला और राज्य स्तरों पर संवीक्षा समितियां गठित की हैं। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में ऐसी समितियां गठित कर दी गई हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय/ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग बाकी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के साथ इस मामले को उठाए और सलाह दे कि अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित होने का दावा करने वाले कर्मचारियों की समुदाय स्थिति के सत्यापन के प्रयोजन से इसी प्रकार के तंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है **{पैराः 7.3.2}**।

6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दे कि वे छः महीने की अवधि के लिए वैध अस्थायी जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने की पद्धति को तत्काल बंद कर दें और उन्हें समुदाय प्रमाणपत्र आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन तक की अवधि के भीतर आवेदनकर्ता की समुदाय स्थिति की पूरी जांच करने के बाद ही जारी करने चाहिएं **{पैराः 7.6.1}**।

7. प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को यह सलाह दिए जाने की आवश्यकता है कि उन व्यक्तियों के पुत्रों और पुत्रियों को, जिनके पास किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी किए गए जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र पहले से हों, कोई नई जांच किए बिना समुदाय प्रमाणपत्र, अनुलग्नक 7.II में दिए गए अलग फार्मेट में, जारी किए जाएं **{पैराः 7.6.2}**।

8. जनजातीय कार्य मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी राज्य सरकारों को निदेश देना चाहिए कि उनके द्वारा जिला और तालुका स्तर के प्राधिकारियों को जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बारे में जो अनुदेश जारी किए गए हैं, वे उनकी समीक्षा करें और उन्हें यह सलाह दें कि वे समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उस मानक फार्मेट का उपयोग करें, जो भारत सरकार द्वारा विहित किया गया है **{पैराः 7.6.3(i)}**।

9. जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोधों को उस रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, जो इस प्रयोजन से तालुका/ जिला स्तर पर रखा गया हो और प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के अनुरोधों को अभिलेखबद्ध करने वाले रजिस्टर में दर्ज क्रम संख्या अथवा रजिस्ट्रेशन संख्या, प्रमाणपत्र पुस्तक संख्या और प्रमाणपत्र संख्या प्रमाणपत्र के मुखपृष्ठ पर होनी चाहिए और उस पर निर्गम प्राधिकारी की मुद्रा और मोहर स्पष्ट रूप से लगी होनी चाहिए **{पैराः 7.6.3(ii)}**।

10. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे जिला/ तालुका प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दें कि प्रमाणपत्र द्विभाषिक रूप से, अर्थात क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी अथवा हिन्दी, दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं, ताकि प्रमाणपत्रों के धारकों को परेशानी से बचाया जाए और प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग को रोका जाए **{पैराः 7.6.4)}**।

11. संविधान के अनुच्छेद 342(I) के अन्तर्गत जारी किए गए मूल राष्ट्रपति आदेशों में किए जाने वाले संशोधनों में हमेशा यह स्पष्ट करने वाला खंड हमेशा होना चाहिए कि अनुसूची में पहली बार शामिल किए गए समुदायों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में साधारण निवास स्थान अथवा उन मामलों में, जहां क्षेत्र प्रतिबन्धों को हटा दिया गया है, साधारण निवास स्थान का निर्धारण मूल आदेश/ अधिनियम में संशोधन की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा **{पैराः 7.6.5}।**

12. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को सभी मूल आदेशों को, उनमें किए गए संशोधनों के साथ, अपनी वेबसाइट में शामिल करना चाहिए और अपनी वेबसाइट पर अनुसूचित जनजातियों की अद्यतन राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची भी उपलब्ध करानी चाहिए **{पैराः 7.6.6}।**

13. झूठे प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने की बढ़ती हुई पद्धति को कारगर ढंग से समाप्त करने के लिए नियुक्ति के बाद सत्यापन की मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर, समुदाय प्रमाणपत्र की वास्तविकता के नियुक्ति–पूर्व सत्यापन के लिए विश्वसनीय तंत्र विकसित करना होगा। उस अवधि का उपयोग, जिसमें सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व–वृत्त का सत्यापन पुलिस प्राधिकारियों से कराया जाता है, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को जारी किए गए समुदाय प्रमाणपत्रों का सत्यापन जिला अधिकारियों से कराने के लिए भी किया जाना चाहिए। नियुक्ति करने वाले सम्बन्धित प्राधिकारियों को, जो चरित्र और पूर्व–वृत्त के सत्यापन

के लिए सम्बन्धित राज्य के पुलिस प्राधिकारियों को पत्र लिखते हैं, यह सलाह भी दी जानी चाहिए कि वे उसी के साथ–साथ जिला प्राधिकारियों, अर्थात जिला कलेक्टरों, डिप्टी कमिश्नरों, जिला मेजिस्ट्रेटों, आदि को प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने अथवा यदि किसी कारण अभिलेख उपलब्ध न हों तो यह प्रमाणित करने के लिए लिखें कि उम्मीदवार वास्तव में अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है **{पैराः 7.6.7(i)}**।

14. नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को सामान्यतः नियुक्ति की पेशकश उम्मीदवारों द्वारा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित होने के अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए समुदाय प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता के बारे में सन्तोषजनक सत्यापन रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के बाद देनी चाहिए। लेकिन, यदि जिला प्राधिकारियों से उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदनपत्रों के साथ प्रस्तुत किए गए समुदाय प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता (अथवा अन्यथा) के बारे में सत्यापन रिपोर्ट छः महीने की अधिकतम अवधि में प्राप्त न हो, तो अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को अनन्तिम आधार पर नियुक्ति की पेशकश इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि उसकी परिवीक्षा तब तक स्वीकृत नहीं होगी, जब तक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाएगी {इस सम्बन्ध में क्रम संख्या 16 की सिफारिश की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है} **{पैराः 7.6.7(ii)}**।

15. उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले समुदाय प्रमाणपत्रों का सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों से करा लेने की प्रस्तावित प्रणाली (क्रम संख्या 13 में उल्लिखित) को अपनाए जाने तक, उम्मीदवार को अनन्तिम आधार पर नियुक्त किए जाने के बाद समुदाय प्रमाणपत्रों का सत्यापन निर्गम प्राधिकारियों के माध्यम से कराने की मौजूदा प्रणाली को उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद छः महीने तक की अवधि में अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिए और सत्यापन का कार्य विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा न होने की स्थिति में, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को इस विफलता की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी पर डालनी चाहिए और इस विफलता के लिए जिम्मेदार निर्धारित किए गए अधिकारी/ पदाधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए **{पैराः 7.6.7(iii)}**।

16. यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसी उम्मीदवार को, उसके समुदाय प्रमाणपत्र का सत्यापन होने तक, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किसी रिक्ति में अनन्तिम आधार पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी परिवीक्षा को तब तक समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए समुदाय प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों से इस बारे में सन्तोषजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती। यदि उसके/ उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाणपत्र/ किए गए प्रमाणपत्र जाली/ नकली अथवा झूठा (ठे) पाया जाए/ पाए जाएं, तो इससे सरकार को उसे/ उन्हें लिखित रूप से एक महीने का नोटिस दे कर केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5 के अन्तर्गत ऐसे उम्मीदवार (रों) की सेवाओं को सीधे समाप्त करने में सहायता मिलेगी **{पैराः 7.6.7(iv)}**।

17. यदि नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों/ संवीक्षा समितियों के माध्यम से कराए गए नियुक्ति–पश्चात सत्यापन से यह प्रकट हो कि उम्मीदवार ने नकली/ जाली अथवा झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है और उसका सम्बन्ध मान्यताप्राप्त अनुसूचित जनजाति से नहीं है, तो उसकी सेवाओं को (यदि उसे नियमित/ पक्के आधार पर नियुक्त किया गया हो), माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल बनाम महाराष्ट्र सरकार, 1994 की सिविल अपील संख्या 5834 {पैरा 7.3.1(xiii) में उल्लिखित} में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार, उसे कोई नोटिस दिए बिना सीधे समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को इसके साथ–साथ जाली/ झूठे सामुदायिक प्रमाणपत्रों के धारकों के खिलाफ आई.पी.सी. के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के प्रयोजन से इस मामले को सी.बी.आई. के साथ उठाना चाहिए **{पैराः 7.6.7(v)}**।

18. अनुसूचित जनजाति के झूठे प्रमाणपत्र के धारकों को किसी भी हालत में सामान्य उम्मीदवार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ऐसे झूठे/जाली प्रमाणपत्रों के धारकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इस प्रकार रिक्त हुए पदों/ स्थानों को अनुसूचित जनजाति में से भरा जाना चाहिए, जिनके लिए वे मूल रूप से आरक्षित थे **{पैराः 7.6.8}**।

19. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों को समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने के विनियमन के लिए अपने द्वारा तैयार किए गए विधेयक को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से सलाह करने के बाद उसे जल्दी ही संसद में प्रस्तुत करना चाहिए और राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को सलाह देनी चाहिए कि वे झूठे समुदाय प्रमाणपत्र जारी किए जाने के इस बढ़ते हुए संकट पर काबू पाने के लिए इस प्रकार के कानून बनाने का कार्य शुरू करें **{पैराः 7.6.9}**।

20. इन अनुदेशों को दोहराए जाने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति की जनजाति/ समुदाय स्थिति का निर्धारण उसके पिता की जनजाति/ समुदाय स्थिति के आधार पर किया जाता है, माता की जनजाति/ समुदाय के आधार पर नहीं और इसीलिए, किसी महिला आवेदक को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों का सत्यापन (i) उसकी माता की नहीं, बल्कि उसके पिता की जनजाति/समुदाय, और (ii) उसके पति के परिवार के निवास–स्थान के सन्दर्भ में नहीं बल्कि उसके पिता अथवा दादा के निवास–स्थान के सन्दर्भ में किया जाना जरूरी है। मातृसत्तात्मक प्रणाली का प्रचलन होने की स्थिति में, किसी व्यक्ति की जनजाति स्थिति का निर्धारण उसके पिता की जनजाति स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी माता की जनजाति स्थिति के आधार पर किया जाएगा और इस मामले में महिला आवेदक को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों का सत्यापन उसके पति की नहीं बल्कि उसकी माता की जनजाति स्थिति के सन्दर्भ में और उसके सामान्य निवास–स्थान का निर्धारण उसके पति के परिवार के निवास–स्थान के सन्दर्भ में नहीं, बल्कि उसकी माता अथवा नानी के निवास–स्थान के सन्दर्भ में किया जाना जरूरी है। इन अनुदेशों का अर्थ यह भी है कि किसी गैर–अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह करने वाली अनुसूचित जनजाति की महिला अनुसूचित जनजाति की बनी रहेगी। इसी प्रकार, अन्तर्जातीय विवाह के मामले में, उस परिवार के बच्चों को उनके पिता की समुदाय/जनजाति स्थिति प्राप्त होगी **{पैराः 7.6.10}**।

अध्याय–8: अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध और अत्याचार

1. अत्याचार के मामलों/ शिकायतों के अन्वेषण में तेजी लाने के लिए पुलिस के उप–अधीक्षकों के अलावा, पुलिस निरीक्षकों को भी शक्ति प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 7(1) और नियम 5(3) में उपयुक्त संशोधन किए जाएं **{पैराः 8.11.2}**।

2. पांचवीं अनुसूची के सभी राज्यों के सभी जिलों में अतिरिक्त सत्र न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किए जाने के बजाय, नियमों के उपबन्धों के अनुसार अनन्य रूप से विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिएं **{पैराः 8.12.3}**।

3. 5वीं अनुसूची के उन नौ राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया जाए कि वे अनु.जा. और अनु.ज.जा. (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 15 के उपबन्धों के अनुसार अत्याचार के मामलों से कारगर ढंग से निपटने के लिए आकस्मिकता योजनाएं तैयार करने और उन्हें अधिसूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है **{पैराः 8.13.3}**।

4. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करें कि अन्वेषण की प्रक्रिया 30 दिनों की विहित अवधि में पूरी की जाए और

घटना के तुरन्त बाद उत्पीड़ितों/ उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए **{पैराः 8.14.2}**।

5. यदि अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़ित लोक अभियोजक के कार्य–निष्पादन से सन्तुष्ट न हो तो उसे लोक अभियोजक को बदलने और गैर–सरकारी वकील/ अधिवक्ता लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए और गैर–सरकारी वकील लगाने का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए **{पैराः 8.14.3(i)}**।

6. कानूनी सहायता, जिसका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में उपबन्ध है, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़ित को यथासम्भव शीघ्र दी जानी चाहिए। कानूनी सहायता देने के बारे में जागरूकता कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्रों में शुरू किया जाना चाहिए, ताकि उत्पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके **{पैराः 8.14.3(ii)}**।

7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के तहत वित्तीय राहत की राशि उत्पीड़ित को घटना के तुरन्त बाद दी जानी अपेक्षित है। किन्तु, यह देखा गया है कि कुछ जिला प्राधिकारी, विशेष रूप से हत्या, गहरी चोट, बलात्कार और आगजनी के मामलों में घटना के तुरन्त बाद राहत मुहैया नहीं कर रहे हैं। सभी जिला प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के आवश्यक अनुदेश जारी किए जाने चाहिएं कि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार विशेष रूप से जघन्य अपराधों और अत्याचार के अन्य अपराधों में वित्तीय राहत तत्काल दी जाए **{पैराः 8.14.3(iii)}**।

8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत अत्याचार के उत्पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय राहत की राशि की समीक्षा की जानी चाहिए और इस कठोर तथ्य को देखते हुए कि 1995 से शुरू हुए पिछले एक दशक के दौरान जीवनयापन व्यय में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए **{पैराः 8.14.3(iv)}**।